खण्ड २ — अंक ३१

३ अप्रैल, १९५६, (मंगलवार)

लोक-सभा

वाद-विवाद

(भाग १ — प्रश्नोत्तर)

सत्यमेव जयते

1st Lok Sabha

(XII Session)

(खण्ड २ में अंक २१ से अंक ४० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय

नई दिल्ली

चार आने (देश में) एक शिलिंग (विदेश में)

विषय-सूची

	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या १०८५, १०८७ से १०९१, १०९३ से १०९५, ११००, ११०१, ११०३, ११०५ से ११०७, १११०, ११३६, ११११ से १११६, १११९ और ११२०	१०४४–६५
अल्प सूचना प्रश्न संख्या ७ और ८	१०६५–६९
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या १०८६, १०९२, १०९६ से १०९९, ११०२, ११०४, ११०८, ११०९, १११७, १११८, ११२१ से ११३५, ११३७ से ११४२, और ११४४ से ११४९	१०६९–८०
अतारांकित प्रश्न संख्या ६३८ से ६५२ और ६५४ से ६९४	१०८०–११०३
दैनिक संक्षेपिका	११०४–०७

लोक-सभा वाद-विवाद

(भाग २--प्रश्नोत्तर)

लोक-सभा

मंगलवार, ३ अप्रैल, १९५६

लोक-सभा साढ़े दस बजे समवेत हुई

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुये]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

रेलगाड़ियों में सिनेमा शो

†***१०८५. श्री राधा रमण** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कुछ रेलगाड़ियों पर प्रयोगात्मक रूप में, चलचित्रों का प्रदर्शन करना आरम्भ किया है ;

(ख) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या इन चलचित्रों का प्रदर्शन निःशुल्क होगा अथवा इसके लिये यात्रियों को कुछ पैसा देना होगा ?

†**रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभासचिव (श्री शाहनवाज खां)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) कुछ थोड़ी सी राशि लेने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है।

†**श्री राधा रमण** : क्या सरकार ने रेलगाड़ियों में इन चलचित्रों के प्रदर्शन के लिये कोई धन स्वीकार किया है ?

†**श्री शाहनवाज खां** : माननीय सदस्य का अभिप्राय मैं नहीं समझ सका। कह नहीं सकता कि वह किस राशि का उल्लेख कर रहे हैं ?

†**श्री राधा रमण** : मैं तो केवल यही जानना चाहता हूँ कि रेलगाड़ियों में प्रयोगात्मक रूप में चलचित्रों का प्रदर्शन करने के लिये उन पर व्यय करने के हेतु क्या कुछ धन राशि अलग से रखी गई है; यदि हाँ तो वह धन राशि क्या है ?

†**श्री शाहनवाज खां** : बड़ी लाइन पर एक सवारी-डिब्बे में हमने १६ एम० एम० का एक प्रोजेक्टर लगाया है, और सूचना और प्रसारण मंत्रालय से हम फिल्म रील ले रहे हैं ।

†मूल अँग्रेज़ी में

M31LSD

†**श्री राधा रमण** : क्या ये सिनेमा शो उस समय होंगे जब कि गाड़ी ठहरी होगी अथवा जब कि गाड़ी चल रही होगी ?

†**श्री शाहनवाज खां** : अधिकतर चलती गाड़ी में ।

†**श्री वीरस्वामी** : क्या यात्रियों से मामूली पैसा इसके लिए लिया गया है, क्या सरकार यह जानती है कि जनता इसका स्वागत करेगी ?

†**श्री शाहनवाज खां** : ऊपरी तौर से तो यह प्रकट होता है कि इसका काफी स्वागत होगा।

†**श्री वेलायुधन** : क्या तृतीय श्रेणी के यात्री ये सिनेमा शो देख सकते हैं अथवा ये केवल उच्च श्रेणी के यात्रियों के लिये ही होंगे ?

†**श्री शाहनवाज खां** : जी नहीं । यह तो मुख्यतः तृतीय श्रेणी के यात्रियों के लिये ही है ।

†**श्री राधा रमण** : क्या मैं.........

†**अध्यक्ष महोदय** : अब हम अगला प्रश्न लेंगे । हम थोड़ी प्रतीक्षा करें और देखें जब फिल्म चालू होंगी तो सभी सदस्य देख सकते हैं ।

जहाजों के लिये दिये गये ऋणों की वापसी

†*१०८७. **श्री केशव अय्यंगार** : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तटीय तथा समुद्र पार व्यापार के लिये जहाज खरीदने के लिये लगभग २० करोड़ रुपये का जो ऋण दिया गया था वह वापस किया जाने लगा है; और

(ख) यदि हाँ, तो कितना धन वापस मिल गया है ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) जी हां ।

(ख) १·८९ करोड़ रुपये प्राप्त हो गये हैं ।

†**श्री केशव अय्यंगार** : क्या यह सच है कि सरकार की, इस मद में आये धन को तटीय और समुद्र पार व्यापार के लिये जहाज खरीदने के लिये फिर से ऋण देने की कोई योजना है ?

†**श्री अलगेशन** : वापस आये धन को फिर से लगाने का प्रश्न नहीं है । ऋण, देने के लिये हमने एक निधि अलग रख दी है । द्वितीय पंचवर्षीय योजना में भी काफ़ी धन इसके लिये अलग से रख दिया है ।

†**श्री एन० एम० लिंगम** : क्या ऋण की वापसी की सभी किश्तों का भुगतान नियमित रूप किया गया है, यदि नहीं तो उसका क्या कारण है ?

†**श्री अलगेशन** : वह वापस की जा रही हैं ।

अलगेशन समिति

†*१०८८. **श्री डाभी** : क्या **रेलवे** मंत्री १३ दिसम्बर, १९५५ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ७५७ के उत्तर में उल्लिखित विवरण (*ii*) मद ३४ के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभागीय भोजन-व्यवस्था संस्थान ने सैनिक स्कूल के भोजन पकाने की रीति के प्रयोगों की जांच समाप्त कर ली है; और

(ख) यदि हाँ, तो सरकार ने इस पर क्या निर्णय किया है ?

†**रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभासचिव (श्री शाहनवाज खां)** : (क) और (ख) यह मामला अभी तक विचाराधीन है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री डाभी** : सैनिक स्कूल के भोजन पकाने की रीति क्या है ?

श्री शाहनवाज खां : सेना में एक संस्था है—जिसका नाम सैनिक स्कूल कुकरी है। इस स्कूल में विभिन्न टुकड़ी के रसोइयों को अच्छे प्रकार का खाना तैयार करने में प्रशिक्षा दी जाती है। वह इस कार्य के लिये केन्द्रीय संस्था थी ।

†**श्री डाभी** : पश्चिम रेलवे के किन-किन स्टेशनों पर विभागीय भोजन व्यवस्था की गई है ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : यह प्रश्न इस प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है। मेहसाना और रतलाम स्टेशनों पर १ अप्रैल से विभागीय भोजन व्यवस्था हो गई है ।

पर्यटन

†*१०८६. **श्री कृष्णाचार्य जोशी** : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १६५५ के दौरान में कुल कितने विदेशी पर्यटक, प्रत्येक देश से अलग-अलग, भारत आये;

(ख) अधिकतर उन्होंने किन-किन स्थानों को देखा ;

(ग) भारत में औसतन वे कितने दिन ठहरे; और

(घ) उनके यहां आने से कितनी विदेशी मुद्रा का अर्जन हुआ ?

†**रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभासचिव (श्री शाहनवाज खां)** : (क) एक विवरण लोक-सभा के पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या १६]**

(ख) प्रत्येक पर्यटक किन-किन स्थानों पर गया यह जानकारी तो एकत्रित नहीं की गई है, अतः स्पष्ट उत्तर देना तो कठिन है। किन्तु फिर भी दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, अजन्ता-इलौरा, जैयपुर, बनारस, आगरा और काश्मीर वे स्थान हैं जहाँ पर कि ये यात्री प्रायः गये थे ।

(ग) जून–सितम्बर १६५५ की अवधि म दिल्ली में अग्रगामी सर्वेक्षण किया गया था । इन विदेशी पर्यटकों का भारत में ठहरने का अनुमानित औसत २५.८२ दिन है ।

(घ) १६५५ के दौरान में कितनी विदेशी मुद्रा का अर्जन हुआ इसके आंकड़े भारत के रिज़र्व बैंक ने अभी तैयार नहीं किये हैं ।

†**श्री कृष्णाचार्य जोशी** : वरण से पता चलता है कि १६५५ के दौरान में ४३,००० से अधिक पर्यटक भारत आये । क्या मैं जान सकता हूँ कि गत वर्षों की तुलना में ये आंकड़े कैसे हैं ?

†**श्री शाहनवाज खां** : संख्या में प्रति वर्ष लगातार वृद्धि हो रही है ।

†**श्री कृष्णाचार्य जोशी** : क्या पर्यटन समाप्त करने के पश्चात ये पर्यटक अपने विचार एवं प्रतिक्रिया प्रकट करते हैं ?

†**श्री शाहनवाज खां** : जब पर्यटक यहाँ आते हैं तो उन्हें एक कार्ड दिया जाता है। उनसे हम प्रार्थना करते हैं कि उस कार्ड की उचित पूर्ति करने के पश्चात वे लौटा दें । वे अपने विचार उस कार्ड पर प्रकट करें। किन्तु मैं यह बताना चाहता हूँ कि जो कार्ड इस प्रकार बांटे जाते हैं यह आवश्यक नहीं है कि वे सभी लौट आयें ।

सेठ गोविन्द दास : यह जो विदेशी यात्री इस देश में आये, उनकी यात्रा के सम्बन्ध में उनको कोई असुविधा तो नहीं रही और उस सम्बन्ध में कोई शिकायतें तो उनकी नहीं आई और अगर आईं तो किस तरह की आईं और उनके दूर करने का क्या प्रयत्न किया गया ?

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री शाहनवाज़ खां : जहां तक सम्भव होता है हम कोशिश करते हैं कि जब वे आयें तो उनको कोई तक़लीफ़ न हो। कई एक बार यह बात हमारे नोटिस में लाई गई कि बहुत से होटलों में जो बाथ रूम फ़ैस्लिटीज़ थीं, उनसे वे खुश नहीं हैं और उनको बेहतर बनाने की कोशिश की जा रही है।

†**श्री आर० पी० गर्ग** : क्या सरकार को यह ज्ञात है कि पर्यटकों के लिये अब तक जो साहित्य तैयार किया गया है वह अधिकृत नहीं है और भारत के प्रति अधिक पर्यटकों को आकर्षित करने के लिये यह आवश्यक है—कि इस प्रकार के अधिक साहित्य का सर्जन किया जाये।

†**रेलवे तथा परिवहन उपमन्त्री (श्री अलगेशन)** : हम इस की ओर ध्यान देंगे और यह देखेंगे कि भविष्य में जो साहित्य छपेगा वह और भी अच्छा होगा। माननीय सदस्य को मैं यह बता देना चाहता हूं कि अब तक हमने जो साहित्य प्रकाशित किया है उसकी प्रशंसा केवल हमारे देश में ही नहीं अपितु विदेशियों ने भी की है।

†**श्री ए० एम० थामस** : परिवहन मंत्रालय ने दक्षिण भारत में थेकेडी के वन्य-पशु संरक्षण संथान, कुमारी अन्तरीप तथा अन्य दूसरे स्थानों को, जो पर्यटकों की रुचि के हैं, लोकप्रिय बनाने के लिये ठोस कार्यवाही क्यों नहीं की है ?

†**श्री अलगेशन** : जी हाँ। ये सभी स्थान बहुत ही प्रमुख हैं और पर्यटकों के आकर्षण के स्थान हैं। इन स्थानों को भी लोकप्रिय बनाया जा रहा है किन्तु जैसा कि माननीय सभासचिव के उत्तर से आपको प्रकट हो गया होगा कि इन पर्यटकों का भारत में ठहरने का औसतन समय बहुत कम है। अतः घूमने के लिये उन्होंने इन स्थानों को नहीं चुना। हो सकता है कि केवल इसी कारण दक्षिण भारत के कुछ स्थान विदेशी पर्यटकों के ध्यान में नहीं आते।

रेलवे स्टेशनों पर टेलीफोन

***१०६०. श्री भक्त दर्शन** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बहुत से रेलवे स्टेशनों पर टेलीफोन की सुविधाओं के न होने के कारण लोगों को बहुत असुविधा होती है;

(ख) यदि हां, तो उत्तर रेलवे के कुल कितने रेलवे स्टेशनों पर यह सुविधा उपलब्ध नहीं है; और

(ग) ऐसे स्टेशनों पर टेलीफोन लगाने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभासचिव (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) हो सकता है, कुछ स्टेशनों पर ऐसी बात हो।

(ख) एक बयान सभा-पटल पर रख दिया गया है। [**देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या २०**]

(ग) इन स्टेशनों पर जल्द ही टेलीफ़ोन लगाने के लिये डाक और तार विभाग को लिखा गया है।

श्री भक्त दर्शन : इस सूची से मालूम होता है कि रेलवे मंत्रालय की सीधी नाक के नीचे यानी खुद दिल्ली में दिल्ली किशनगंज, सब्ज़ीमंडी और शाहदरा में टेलीफ़ोन की सुविधा नहीं दी जा सकी है, तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस सम्बन्ध में डाक, तार विभाग से सहयोग नहीं मिल रहा है या कोई और अड़चन है ?

श्री शाहनवाज़ खां : इसके लिए रेलवे मंत्रालय कोशिश तो पूरी कर रहा है और उम्मीद है कि हमारी कोशिशें जल्द फल लायेंगी।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री भक्त दर्शन : क्या कोई ऐसी योजना तैयार की गई है कि अगली पंचवर्षीय योजना के अन्दर प्रत्येक स्टेशन को टेलीफोन की सुविधा दे दी जाये, और क्या इसके बारे में संचार मंत्रालय से कोई विचार विमर्ष किया जा रहा है ?

श्री शाहनवाज खां : नहीं, ऐसी कोई बात नहीं सोची जा रही है ।

†**डा० रामा राव :** बैजवाड़ा और हैदराबाद जैसे मुख्य-मुख्य स्टेशनों पर आजकल सार्वजनिक टेलीफोन नहीं हैं । उन स्थानों पर टेलीफोन कब तक लग जायेंगे ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) :** इसके बारे में निश्चय ही विचार किया जायेगा । रेलवे ने यह आदेश जारी कर दिये हैं कि जहाँ-जहाँ सार्वजनिक टेलीफोन एक्सचेंज हैं वहाँ के स्टेशनों पर टेलीफोन लगा दिये जांये । सम्भवतः माननीय सदस्य जानते होंगे कि उत्तर रेलवे के ७१ स्टेशनों पर टेलीफोन व्यवस्था है, और ९ स्टेशनों पर टेलीफोन लगाना स्वीकार कर लिया गया है और सम्भवतः इस वर्ष वहाँ फोन लग भी जायेंगे ।

भारतीय कृषि गवेषणा परिषद्

***१०९१. श्री विभूति मिश्र :** क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय कृषि गवेषणा परिषद् ने नवम्बर, १९५५ में टालीगंज, कलकत्ता में एक कृषि जानकारी केन्द्र संगठित किया था;

(ख) यदि हाँ, तो उसके मुख्य पहलू क्या थे; और

(ग) क्या सरकार ऐसे केन्द्र अन्य राज्यों में भी संगठित करना चाहती है ?

खाद्य और कृषि उपमंत्री (श्री एम० वी० कृष्णप्पा) : (क) आई० सी० ए० आर० ने पश्चिम बंगाल सरकार के सहयोग से टालीगंज के कृषि-कालेज में ७ नवम्बर १९५५ से १८ नवम्बर १९५५ तक एक कृषि-जानकारी की वर्कशाप संगठित की । 'वर्कशाप' शब्द से यहाँ मतलब 'कार्यकर्त्ताओं की टोली की प्रशिक्षणार्थ बैठक' का है और न कि दुकान का जिस में मशीनरी हो ।

(ख) वर्कशाप इसलिये संगठित की गई थी कि राज्य कर्मचारियों को किसानों और विस्तार-कार्यकर्त्ताओं के इस्तेमाल के लिये कृषि-जानकारी साहित्य के निर्माण करने के तरीके का प्रशिक्षण दिया जाये ।

(ग) जो राज्य ऐसे वर्कशाप चाहेंगे उन सब में ये संगठित करने का विचार है ।

श्री विभूति मिश्र : यह मालूम होता है कि इंडियन कौंसिल आफ ऐग्रिकल्चर ने उन लोगों की सहायता की। फर्ज कीजिये कि कोई दूसरी स्टेट (राज्य) न बुलावे तो क्या इंडियन कौंसिल आफ ऐग्रिकल्चर स्वतः इस तरह के कार्यकर्ताओं को बुला कर के उनको खेती के सम्बन्ध में जानकारी कराने के लिये कोई स्टेप लेगी ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : हमारे आई० सी० ए० आर० से १८ राज्यों को प्रिंटिंग मशीनें दी गई हैं । जिन-जिन प्रदेशों में हमारी मशीनें हैं वहां अगर राज्य सरकारें इच्छा करेंगी तो हम अवश्य वहां पर वर्कशाप रखेंगे ।

श्री विभूति मिश्र : इस तरह के कार्यकर्ता जो इकट्ठा हुए थे उन्होंने खास तौर पर किन बातों पर चर्चा की ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : उसमें ....

†**अध्यक्ष महोदय :** वे दोनों भाषाओं का प्रयोग कर सकते हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री एम० वी० कृष्णप्पा** : उन गवेषणा शालाओं में जो प्रयोग किये जाते हैं उनके परिणामों का प्रचार करने के लिये उन व्यक्तियों को आदेश दे दिये गये हैं जो वहाँ प्रशिक्षित किये गये हैं कि वे किस प्रकार उनका प्रचार करेंगे, किस प्रकार छापेंगे, और उनका सकंलन करेंगे एवं गावों में उनको छापेंगे ।

अन्तर्देशीय जलमार्ग

†***१०६३. श्री एम० सी० सामन्त** : क्या **परिवहन** मंत्री यह बातने की कृपा करेंगे कि :

(क) एशिया और सुदूर पूर्व के लिये संयुक्त राष्ट्रीय आर्थिक आयोग के अन्तर्देशीय जलमार्ग उपसमिति की बैठक कितनी बार हुई है;

(ख) किन-किन स्थानों पर वे बैठकें हुई हैं; और

(ग) इस उपसमिति की आगामी बैठक कब होने की संभावना है ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) तीन ।

(ख) बांडुग, सैगोन और ढाका ।

(ग) भारत सरकार को कोई जानकारी नहीं है ।

†**श्री एस० सी० सामन्त** : ढाका में होने वाली उपसमिति की अन्तिम बैठक में भारतवर्ष ने कौन सी समस्याएं रखी थीं ?

†**श्री अलगेशन** : मेरे पास वह कार्यक्रम तो नहीं है जिसके अनुसार गत बैठक में चर्चा हुई थी और न उन विषयों की सूचि ही है जो भारतवर्ष ने वहाँ उठाये थे। माननीय सदस्य को मैं यह बता देना चाहता हूं कि कुछ समस्याओं जैसे अन्तर्देशीय जल-यातायात कर्मचारियों के लिये क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना, अन्तर्देशीय जलमार्ग में रास्ता बताने की एक समान प्रणाली, सभी प्रकार के अन्तर्देशीय जलमार्ग के लिये किनारा बताने की एक सी प्रणाली आदि आदि पर विचार किया गया था । ये प्रविधिक समस्याएँ हैं जो जलमार्ग के विकास से सम्बन्धित है। स्थल रूप से इन विषयों की चर्चा की गई थी ।

†**श्री एस० सी० सामन्त** : क्या इस उपसमिति का प्रतिवेदन विचार तथा स्वीकार करने के लिये एशिया और सुदूर पूर्व के लिये आर्थिक आयोग को सीधा भेज दिया जायेगा अथवा यातायात उपसमिति के द्वारा ?

†**श्री अलगेशन** : एशिया और सुदूर पूर्व के लिये आर्थिक आयोग का ही यह एक भाग है अत: इसकी सभी कार्यवाहियाँ ऐवं निष्कर्ष एशिया और सुदूर पूर्व के लिये आर्थिक आयोग को तथा अन्य सभी सदस्य राष्ट्रों को भेजे जायेंगे ।

†**श्री एस० सी० सामन्त** : क्या भारत में अन्तर्देशीय जलमार्ग उपसमिति की किसी बैठक की निकट भविष्य में होने की आशा है ?

†**श्री अलगेशन** : इसके बारे में हमने नहीं सोचा है। यहाँ आमंत्रित करने का हमारा कोई विचार नहीं है, किन्तु कभी भविष्य में इस समिति की बैठक भारत में करने के लिये आमंत्रित अवश्य कर सकते हैं ।

रेलवे के इंजन, डिब्बे आदि

†***१०६४. श्री जी० पी० सिन्हा** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बातने की कृपा करेंगे कि :

(क) १६५५-५६ में कितने इंजन, सवारी गाड़ी के डिब्बे और मालगाड़ी के डिब्बे आयात किये गये;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) किन-किन देशों से आयात किया गया;

(ग) १९५६-५७ में इंजनों, सवारीगाड़ी के डब्बों और मालगाड़ी के डिब्बों का आयात करने के लिये क्या लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं; और

(घ) किन-किन देशों से ये आयात किये जायेंगे ?

†**रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभासचिव (श्री शाहनवाज खां)** : (क) से (घ). एक विवरण लोक-सभा पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ठ ६, अनुबन्ध संख्या २१]**

†**श्री जी० पी० सिन्हा** : वे देश विशेषकर पूर्वी योरप के कौन से हैं जिनसे हम अभी भी इन इंजनों, सवारी गाड़ी के डिब्बों और मालगाड़ी के डिब्बों के अधिक संभरण के लिये वार्ता कर रहे हैं ?

†**श्री शाहनवाज खाँ** : हम आस्ट्रिया, इटली, बेल्जियम, कनाडा, अमरीका, इंग्लिस्तान, जर्मनी और हंगरी से इंजन और मालगाड़ी के डिब्बे मंगाने का प्रयत्न कर रहे हैं।

†**श्री जी० पी० सिन्हा** : क्या द्वितीय पंचवर्षीय योजना में हमारे बढ़ते हुए उद्योगों की इंजनों और सवारी गाड़ी के डिब्बों की भविष्य की आवश्यकताओं का पूरा पता लगाया गया है ?

†**श्री शाहनवाज खां** : जी हाँ, बहुत विशद पुनर्विलोकन किया गया है।

†**श्री जी० पी० सिन्हा** : हमारी आवश्यकता की कितनी प्रतिशत पूर्ति घरेलू उत्पादन से होगी ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगशन)** : जहां तक इस प्रश्न का सम्बन्ध है, इसका उत्तर अनेक बार इस सभा में दिया जा चुका है। जहां तक सामान्य रूप से उनके बदले जाने और मरम्मत का सम्बन्ध है, इसकी पूर्ति देशी उत्पादन से की जायेगी। भतकाल की कमी को पूरा करने के लिये इस वर्तमान अन्तर की पूर्ति आयात से की जायेगी।

†**श्री ए० एम० थामस** : क्या रेलवे मंत्री अथवा रेलवे बोर्ड ने आयात किये गये सवारी गाड़ी के डिब्बों और मालगाड़ी के डिब्बों के समान वितरण के लिये कोई योजना बनाई है और क्या माननीय मंत्री यह बता सकेंगे कि ग्राण्ड-ट्रंक एक्सप्रेस गाड़ी में जिसे सबसे अधिक दूरी तय करनी पड़ती है उसमें ऐसे खराब और टूटे-फूटे डिब्बे क्यों लगाये जाते हैं ?

†**श्री अलगेशन** : कुछ विशेष प्रकार की गाड़ियों में भेद-भाव करना उचित नहीं है। वास्तव में न केवल ग्राण्ड-ट्रंक एक्सप्रेस के बारे में ही वरन् अन्य दूर तक जाने वाली गाड़ियों के बारे में भी यह बात मैं माननीय सदस्यों से सुन चुका हूँ। सम्भवतः दक्षिण के सदस्य अन्य क्षेत्रों के सदस्यों की असुविधाओं को नहीं समझते हैं। इन सवारी गाड़ी के डिब्बों का वितरण सम्बन्धित रेलों की आवश्यकताओं और की गई मांगों के आधार पर किया जाता है। एक की तुलना में दूसरे के साथ भेद-भाव करने का इसमें कोई प्रश्न ही नहीं है।

†**श्री सी० डी० पांडे** : क्या सरकार इन मालगाड़ी के डिब्बों को ही एक स्थान पर रखने के बजाय भिन्न-भिन्न स्थानों को भेजेगी ? नये बने मालगाड़ी के डिब्बों के वितरण के बारे में एक नीति अपनाई जानी चाहिये।

†**श्री अलगेशन** : होता यह है कि ऐसे डिब्बे बनाने वाली फर्में एक ही स्थान पर स्थित हैं। जब हमने निर्माण में वृद्धि करनी चाही तो जिन फर्मों का इसमें नाम होता था उन्होंने कहा कि अधिक व्यय आदि किये बिना ही वे अपनी क्षमता बढ़ा लेंगी। इसको बहुत कुछ अंशों में स्वीकार कर लिया गया था। किन्तु अब इसको यथासम्भव विभिन्न स्थानों में फैलाने का विचार है बशर्ते कि अन्य क्षेत्रों के लोग भी इन संयंत्रों को लगाने के लिये आगे बढ़ें।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री के० पी० त्रिपाठी** : मालगाड़ी के जितने डिब्बों के लिये आर्डर दिया गया है, उनमें से छोटी लाइन के कितने डिब्बे हैं ?

†**श्री अलगेशन** : हमारे पास अलग-अलग आंकड़े नहीं रहते । मेरे पास अभी उसके आंकड़े नहीं हैं । किन्तु छोटी लाइन की आवश्यकता को भी पूर्णतया ध्यान में रखा जाता है ।

†**श्री बी० डी० पांडे** : क्या मैं रेलवे उपमंत्री से यह पूछ सकता हूं कि कुमाऊँ और नैनीताल एक्सप्रेस गाड़ियों के इंजन डिब्बे आदि इतने अधिक गन्दे और टूटे-फूटे क्यों रहते हैं ? इससे तो अंग्रेजी शासन काल में हम अच्छे थे । मैं अब इसका उल्लेख करना नहीं चाहता क्योंकि ..

†**अध्यक्ष महोदय** : वह इस समय भाषण नहीं दे सकते हैं ?

†**श्री बी० डी० पांडे** : वहां के इंजन डिब्बे आदि बड़े खराब हैं । क्या माननीय मंत्री इस बात की व्यवस्था करेंगे कि वहां अधिक अच्छे इंजन डिब्बे आदि हो जायें ।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य सूचना दे रहे हैं ।

सेठ गोविन्द दास : यह कब तक आशा की जाती है कि यह जो बाहर से हम को वैगन, कोचेज़ और इंजन इत्यादि मंगाने पड़ते हैं, ये नहीं मंगाने पड़ेंगे और हम यहीं पर इन सब चीज़ों को तैयार करने लग जायेंगे और आत्मनिर्भर हो जायेंगे ?

†**श्री अलगेशन** : मैं समझता हूँ कि मैं पहले ही इस प्रश्न का उत्तर दे चुका हूँ । जहां तक मालगाड़ी के डिब्बे बनाने का सम्बन्ध है, हम लगभग २५,००० मालगाड़ी के डिब्बे प्रति वर्ष निर्माण कर सकते हैं । इससे हमारी सामान्य आवश्यकता की पूर्ति हो जायेगी । केवल पहले की कमी को पूरा करने के लिये हमें आयात पर निर्भर रहना पड़ेगा । यह मैं पहले ही कह चुका हूँ ।

†**अध्यक्ष महोदय** : अगला प्रश्न ।

†**श्री जी० पी० सिन्हा** : एक और प्रश्न है, श्रीमान ?

†**अध्यक्ष महोदय** : अनेक प्रश्न पूछे जा चुके हैं ।

बम्बई-कलकत्ता मेल

†*१०९५. **श्री एम० एल० अग्रवाल** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बम्बई-कलकत्ता मेल २४ जनवरी, १९५६ को ३.५० पर भुसावल के आगे मल्कापुर और विसवा ब्रिज स्टेशनों के बीच पटरी से उतर गई थी; और

(ख) यदि हाँ, तो उसका ब्योरा क्या है ?

†**रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभासचिव (श्री शाहनवाज खां)**: (क) और (ख). एक विवरण लोक-सभा पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या २२]**

†**श्री एम० एल० अग्रवाल** : क्या रेलवे के सरकारी निरीक्षक द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बाद से उस व्यक्ति अथवा व्यक्तियों का पता लगाने के लिये कोई प्रयत्न किया गया है जिन पर पटरी खराब करने के बारे में सन्देह किया जाता है ?

†**श्री शाहनवाज खां** : पुलिस ने प्रत्येक सम्भव प्रयत्न किया है । अभी तक अपराधियों को वह पकड़ नहीं सकी है ।

†**श्री एम० एल० अग्रवाल** : रेलवे निरीक्षक की अन्तिम रिपोर्ट कब तक प्राप्त होने की आशा की जा सकती है ? क्या यह सभा-पटल पर रखी जा सकेगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री शाहनवाज खां** : मैं निश्चय रूप से नहीं बता सकता कि रेलवे के सरकारी निरीक्षक से कब तक अन्तिम रिपोर्ट प्राप्त होगी ।

जयपुर स्टेशन

†*११००. **श्री बंसीलाल** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जयपुर रेलवे स्टेशन के बाहर उसके अहाते में महात्मा गांधी की मूर्ति बनी हुई है; और

(ख) यदि हाँ, तो उसके उचित रूप से देख-रेख के लिये क्या प्रबन्ध किये गये हैं ?

†**रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभासचिव (श्री शाहनवाज खां)** : (क) जी हां ।

(ख) उसकी उचित देख-रेख की जा रही है ।

†**श्री बंसीलाल** : क्या सरकार को यह पता है कि चीनी शिष्ट मण्डल के वहां जाने के समय झंडियां लगाने के लिये मूर्त्ति के गले में डोरी बांधी गई थी ?

†**श्री शाहनवाज खां** : हमें इसका पता नहीं है । कभी-कभी हो सकता है कि आप मूर्त्ति के गले में सुन्दर फूलों की एक माला पहना दें और फूलों के सूख जाने पर ऐसा लगे कि एक डोरी बंधी हुई है ।

†**श्री बंसीलाल** : मैं जानना यह चाहता हूँ कि क्या झंडियां लटकाने के लिये यदि इस मूर्त्ति के गले में नहीं तो और कहीं डोरी बांधी गई थी ।

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : इस बारे में हमें कोई सूचना नहीं है । यदि ऐसा हुआ तो बड़े खेद की बात है । मैं केवल इतना ही कह सकता हूँ । कर्मचारीगण मूर्त्ति की देख-रेख रखते हैं । उन्हें निदेश किये गये हैं कि वे मूर्त्ति को साफ-सुथरा रखें ।

†**श्री बंसीलाल** : इस मूर्त्ति की देख-रेख कौन से कर्मचारी करते हैं क्योंकि देखा गया है कि इस मूर्त्ति के नीचे लोग धूम्रपान करते हैं और शराब तक पीते हैं ?

†**अध्यक्ष महोदय** : इसकी सूचना माननीय मंत्री को दी जानी चाहिये । यदि कुछ नहीं होता है तो वह संसद् में कह सकते हैं । हम धूम्रपान और शराब पीने आदि की चर्चा यहां नहीं करना चाहते ।

†**श्री बंसीलाल** : एक और प्रश्न है, श्रीमान ।

†**अध्यक्ष महोदय** : नहीं, नहीं, मैंने प्रश्न देखे हैं ।

†**श्री बंसीलाल** : क्या सरकार सार्वजनिक स्थानों पर महात्मा गांधी की मूर्त्ति, औचित्यता पर ध्यान दिये बिना, लगाने के सम्बन्ध में कोई विधान बनाने का विचार कर रही है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : यह प्रश्न उस प्रश्न से उत्पन्न नहीं होता जो रेलवे स्टेशनों के बारे में है ।

†**श्री आर० के० गुप्त** : ११०१

†**श्री कृष्णाचार्य जोशी** : प्रश्न संख्या ११२८ को भी लिया जा सकता है ।

†**रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभासचिव (श्री शाहनवाज खाँ)** : एक उत्तर रेलवे के बारे में है और दूसरा दक्षिण रेलवे के बारे में ।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सभासचिव उत्तर देने को तैयार नहीं हैं । एक प्रश्न का उत्तर वह अभी दे सकते हैं और दूसरे का बाद में ।

†मूल अंग्रेजी में

डीजल रेल-कारें

†*११०१. **श्री आर० के० गुप्त :** क्या रलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के सम्मुख उत्तर रेलवे के छोटी लाइन वाले खण्ड पर डीजल रेलकारें चालू करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हाँ, तो उसका ब्योरा क्या है ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभासचिव (श्री शाहनवाज़ खाँ) : (क) और (ख). एक विवरण लोक-सभा पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या २३]**

श्री आर० के० गुप्त : इस स्टेटमेंट में यह दर्ज है कि दो नई गाड़ियां और चालू की जायेंगी। क्या मैं जान सकता हूं कि वह नई गाड़ियां किन किन रूट्स पर चालू की जायेंगी ?

श्री शाहनवाज़ खाँ : आनरेब्ल मैम्बर को शायद यह मालूम नहीं है कि यह गाड़ियां इस वक्त चल रही हैं। एक दिल्ली-सरायरोहिला-हिसार लाइन पर चल रही है और दूसरी दिल्ली-सरायरोहिला-लोहारू लाइन पर चल रही है।

†**श्री ए० एम० थामस :** क्या यह सच है कि डीजल संकर्षण से पुरानी गाड़ियों को बदलना उन लाइनों पर आसान होगा जिन पर सरकार विद्युतीकरण करने का विचार कर रही है ? क्या रेलवे मंत्रालय ने विद्युतीकरण की दृष्टि से डीजल संकर्षण को चालू करने के सम्बन्ध में कोई विशद योजना तैयार की है ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) :** यह प्रश्न रेलकारों के बारे में है। डीजल संकर्षण से यह सम्बन्धित नहीं है। उत्तर रेलवे और दक्षिण रेलवे में हम रेलकारों का प्रयोग कर रहे हैं। इस प्रयोग के परिणाम उपलब्ध हो जाने के पश्चात् हमारा विचार अन्य रेलों पर भी रेलकार सेवा आरम्भ करने का है।

†**सरदार इकबाल सिंह :** क्या सरकार उत्तर रेलवे के अमृतसर और जालन्धर खण्ड के बीच जहां अधिक भीड़ होती है अधिक रेलकारें चलाने का विचार करती है ?

†**रेलवे तथा परिवहन मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री)** अधिक भीड़ तो छोटी लाइन पर होती है। अतः छोटी लाइनों पर चलाने का हम ने निश्चय किया है।

†**श्री राघवैया :** दक्षिण रेलवे के किस भाग पर यह प्रयोग किया जा रहा है ? माननीय मंत्री......

†**अध्यक्ष महोदय :** माननीय सदस्य ने प्रश्न पूछा है।

†**श्री अलगेशन :** बड़ी और छोटी दोनों लाइनों पर।

†**श्री राघवैया :** क्या सरकार अधिक भीड़ वाली लाइन जैसे बेज़वाड़ा-मद्रास पर इसका प्रयोग करने का विचार करती है ?

†**श्री अलगेशन :** बेज़वाड़ा और मद्रास के बीच वाले खण्ड पर नहीं। अधिक भीड़ वाले और खण्ड हैं, जिन पर बड़ी लाइन की रेलकारें प्राप्त होते ही चलाई जायेंगी।

दिल्ली के निकट जमना पर दूसरा पुल

†*११०३. **सरदार इकबाल सिंह :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के निकट जमना पर दूसरा पुल बनाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हाँ, तो प्रस्तावित स्थान कौन सा है और उसके निर्माण का क्या कार्यक्रम है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभासचिव (श्री शाहनवाज़ खाँ)** (क) जी, हाँ।

(ख) इस सम्बन्ध में कोई निर्णय अभी नहीं किया गया है।

†**सरदार इकबाल सिंह :** इस प्रश्न पर निर्णय करने में कितना समय लगेगा ? मंत्रालय के सम्मुख यह प्रश्न बहुत दिनों से है।

†**श्री शाहनवाज़ खाँ :** उत्तर रेलवे से प्राम्भिक इंजीनियरिंग सर्वेक्षण करने के लिये कहा गया है। जैसा कि माननीय सदस्य को ज्ञात है कि नदी की गहराई के सर्वेक्षण के कार्य में अधिक समय लगेगा क्योंकि आपको अनेक तलों को ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक-ठीक आंकड़ें देना कठिन है।

†**सरदार इकबाल सिंह :** यह पुल सड़क वाला होगा अथवा सड़क व रेल दोनों के लिये ?

†**श्री शाहनवाज़ खाँ :** यदि सम्भव हो सका तो विचार तो सड़क व रेल दोनों वाला पुल बनाने का है।

श्री भक्त दर्शन : क्योंकि दिल्ली भारतवर्ष की राजधानी है और यहां प्रतिदिन और प्रतिवर्ष रेल तथा मोटर का यातायात बढ़ता जा रहा है, क्या रेलवे मंत्रालय इस पुल के निर्माण को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के प्रश्न पर विचार कर रहा है ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री) : प्राथमिकता देने का तो पहले ही से विचार है। पहले रोड ब्रिज बनाने का खयाल था लेकिन अब यह सोचा गया है कि अगर रेल-कम-रोड ब्रिज बन सके तो ज्यादा अच्छा होगा। इस लिये थोड़ी इस में देर लगी है और रेलवे से ट्रांसपोर्ट मिनिस्टरी इस मामले में विचार विनिमय कर रही है।

डाकघरों में प्रथमोपचार बक्स

†*११०५. **डा० रामा राव :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बड़े डाकघरों को प्रथमोपचार बक्सों का संभरण सम्बन्धी प्रश्न विचाराधीन है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में शीघ्र निर्णय करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

†**संचार मंत्रालय में मंत्री (श्री राज बहादुर) :** (क) हां।

(ख) प्रथमोपचार बक्सों का संभरण ऐसे कार्यालयों में पर्याप्त संख्या में प्रशिक्षित कर्मचारियों की संख्या पर निर्भर करता है जिसके लिये प्रथमोपचार में प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिये कर्मचारियों को सुविधायें दी गई हैं। उन कार्यालयों में जिनमें पर्याप्त संख्या में कर्मचारियों ने प्रथमोपचार का प्रशिक्षण प्राप्त किया है, प्रथमोपचार बक्सों की व्यवस्था करने के लिये कार्यवाही की जा रही है। आगामी वित्तीय वर्ष (१६५६-५७) में सम्भरण करने की आशा की जाती है।

इण्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के कर्मचारी (त्रिपुरा)

†*११०६. **श्री वीरेन दत :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा में इण्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के कर्मचारियों ने प्रतिकर भत्ते में वृद्धि करने की मांग की है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

†**संचार मंत्रालय में मंत्री (श्री राज बहादुर) :** (क) और (ख). इण्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के किसी भी कर्मचारी को कुछ भी प्रतिकर भत्ता नहीं स्वीकृत किया गया है। १२ रुपये प्रतिमास

†मूल अंग्रेजी में

स्थान (स्टेशन) भत्ता निगम द्वारा त्रिपुरा में कर्मचारियों को दिया जाता है। आसाम क्षेत्र में इस भत्ते में वृद्धि करने का प्रश्न जनवरी, १९५६ में एयर कारपोरेशन कर्मचारी संघ के सभापति और प्रतिनिधियों की बैठक में उठाया गया था और यह स्वीकार किया गया था कि दर नहीं बदली जा सकती।

†**श्री बीरेन दत्त** : इस तथ्य को दृष्टिगत करते हुए कि उस क्षेत्र में खाद्यान्न तथा अन्य आवश्यक वस्तुओं की कीमतें बहुत अधिक हैं क्या मंत्रालय उन्हें अधिक प्रतिकर देने पर विचार करेगा ?

†**श्री राज बहादुर** : इस दर का निश्चय करते समय प्रश्न से सम्बन्धित सभी बातों पर विचार कर लिया गया था।

†**श्री के० पी० त्रिपाठी** : क्या यह सच है कि इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिये चावल, सरसों का तेल सरीखी आवश्यक वस्तुयें विमान द्वारा भेजी जाती हैं और यदि हाँ, तो दर बढ़ाने अथवा न बढ़ाने का निर्णय करने के सिलसिले में यह प्रश्न भी सरकार के विचाराधीन है ?

†**श्री राज बहादुर** : आवागमन के साधनों के सम्बन्ध में माननीय सदस्य को पूरी जानकारी है। मैं केवल इतना ही कह सकता हूँ कि इस पर भी विचार कर लिया गया था।

डिविज़नल पद्धति

†*११०७. **श्री गिडवानी** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम रेलवे ने प्रशासन की प्रादेशिक पद्धति को डिविजनल पद्धति में परिवर्तित करने का निर्णय कर लिया है;

(ख) यदि हाँ, तो डिविजनल मुख्यालय कहाँ रहेंगे ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) जी, हाँ।

(ख) यह विचार किया गया है कि डिविजनल मुख्यालय निम्न स्थानों पर रहेंगे :–

बम्बई
बड़ौदा
कोटा
जयपुर
अजमेर
राजकोट
भावनगर

†**श्री गिडवानी** : सरकार ने किन कारणों से यह परिवर्तन किये हैं ?

†**श्री अलगेशन** : उत्तम समन्वय की दृष्टि से।

†**श्री गिडवानी** : क्या इसमें अतिरिक्त व्यय होगा ?

†**श्री अलगशन** : मैं अतिरिक्त व्यय मौखिक नहीं बता सकता। किन्हीं मामलों में अतिरिक्त व्यय नहीं हो सकता है।

†**श्री नेत्तर पी० दामोदरन** : क्या दक्षिण रेलवे ने भी डिविज़नल पद्धति आरम्भ करने का निर्णय कर लिया है, और यदि हाँ, तो दक्षिण रेलवे में डिविज़नों के मुख्यालयों के क्या-क्या नाम हैं ?

†**श्री अलगेशन** : दक्षिण रेलवे ने भी डिविज़न पद्धति आरम्भ करने का निर्णय कर लिया है और माननीय सदस्य जिस में रुचि रखते हैं उस के रल क्षेत्र में एक मुख्यालय होगा। यह ओलावाकोट में स्थापित किया जायेगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**सरदार ए० एस० सहगल** : अन्य रेलवे खण्डों में कितने समय में डिविजनल पद्धति पुनःस्थापित कर दी जायेगी ?

†**श्री अलगेशन** : वर्तमान में उत्तर रेलवे और पूर्वी रेलवे में डिविज़नल पद्धति है। पश्चिम रेलवे और दक्षिण रेलवे ने यह काम ले लिया है तथा मध्य रेलवे में भी कुछ पुनर्गठन किया जा रहा है। शेष रेलों अर्थात पूर्वोतर और दक्षिण-पूर्वी रेलों में भी यह काम शीघ्र किया जायेगा।

†**अध्यक्ष महोदय** : श्री गर्ग।

†**सरदार ए० एस० सहगल** : जहाँ पर डिविजनल सिस्टम काम कर रहा है वहां पर............

†**अध्यक्ष महोदय** : अन्तर्बाधा की अनुमति नहीं दी जायेगी। सदस्यों का चुनाव मुझ पर छोड़ दिया जाये और यदि मुझे यह मालूम होता है कि कोई माननीय सदस्य बहुत अधिक रुचि रखते हैं तो मैं उनका नाम पुकारूंगा।

†**श्री आर० पी० गर्ग** : माननीय उपमंत्री ने अभी कहा कि डिविजनल पद्धति अच्छी है। फिर इसे समान रुप से सभी रेलों में स्वीकार क्यों नहीं किया जाता तथा यह कब तक हो जायेगा ?

†**अध्यक्ष महोदय** : यह सब तर्क है। माननीय मंत्री ने पहले ही कह दिया है कि वह पुनर्गठन कर रहे हैं तथा शनै शनै डिविजनल पद्धति पुरःस्थापित कर रहे हैं।

†**सरदार इकबाल सिंह** : क्या रेलों में कुशलता वृद्धि की दृष्टि से डिविजनल सुपरिन्टेन्डेण्टों को अधिक शक्तियां देने के प्रश्न पर सरकार विचार कर रही है ?

†**श्री अलगेशन**: जैसा मैंने कहा है हमारे यहां डिविजनल पद्धति पहले से ही है। वर्तमान में डिविजनल सुपरिन्टेन्डेण्टों को जो शक्तियां प्राप्त हैं वे दूसरी रेलों के नये डिविजनों के सुपरिन्टेन्डेण्टों को मिल जायेंगी।

†**सरदार ए० एस० सहगल** : जहाँ पर डिविजनल सिस्टम काम कर रहा है वहाँ पर दूसरी जोनल रेलवे का डिविजन बनाने के सम्बन्ध में सरकार का क्या रुख होगा ?

†**रेलवे तथा परिवहन मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री)** : मैं प्रश्न नहीं समझ सका।

†**सरदार ए० एस० सहगल** : नागपुर में मध्य रेलवे का विभागीय मुख्यालय है। क्या वह दक्षिण-पूर्व रेलवे की मुख्यालय भी वहाँ रखेंगे ?

†**श्री एल० बी० शास्त्री** : हिन्दी में प्रश्न रखिये।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य उद्विग्न हो जाते हैं। इस विषय पर सतुंलन नहीं खो देना चाहिये। [हिन्दी में प्रश्न रखिये। हिन्दी मंत्री इसका उत्तर देंगे]

सरदार ए० एस० सहगल : मेरे कहने का मतलब यह है कि नागपुर में जहां पर कि सेंट्रल रेलवे का डिवीज़नल आफिस वर्क कर रहा है, वहां पर साउथ-ईस्टर्न रेलवे का डिवीज़नल आफ़िस भी क्या आप बनाने का विचार कर रहे हैं ?

श्री एल० बी० शास्त्री : जी हां, अगर आपने जो अभी डिप्टी मिनिस्टर साहब ने कहा उस पर गौर किया होता तो आपको मालूम हो गया होता कि साउथ-ईस्टर्न रेलवे का नम्बर ज़रा बाद में आता है।

दिल्ली विकास (अस्थायी) प्राधिकार

†*१११०. **डा० सुरेश चन्द्र** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली विकास (अस्थायी) प्राधिकार ने दिल्ली राज्य के ग्रामीण और

---

†मूल अंग्रेजी में

अर्द्ध-नागरीय क्षेत्र में पुराने भवनों को गिराने के लिये नोटिस जारी कर दिये हैं और यदि हाँ, तो अभी तक ऐसे कितने नोटिस जारी किये गये हैं;

(ख) क्या नोटिस देने के पहले विकास प्राधिकार ने नियंत्रित क्षेत्रों में पुराने भवनों की सूची तैयार नहीं की;

(ग) यदि नहीं, तो क्यों नहीं; और

(घ) क्या उन मामलों में भी मकान गिरा देने के नोटिस जारी किये गये थे जिनमें केवल प्लास्टर अथवा पुताई की जा रही थी ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत कौर)** : (क) जी नहीं। केवल ११ नवम्बर, १९५५ के पश्चात अनाधिकृत रूप से बनाये गये मकानों के सम्बन्ध में ही गिरा देने के नोटिस जारी किये जाते हैं।

(ख) और (ग) एक पूरी सूची तैयार की जा रही है।

(घ) उन्ही मकानों आदि को गिराने के सम्बन्ध में जारी किये गये थे जिनकी जाँच करने के पश्चात प्राधिकार को संतोष हो गया है कि सर्वथा नवीन अनाधिकृत निर्माण कार्य अथवा किसी अतिरिक्त भाग का निर्माण ११ नवम्बर, १९५५ के बाद किया गया है। जिन विद्यमान मकानों आदि को केवल पलस्तर किया गया था अथवा पुताई हुई थी उन्हें गिराने के नोटिस जारी नहीं किये गये।

†**डा० सुरेश चन्द्र** : जिन पुराने मकानों आदि को गिराने के लिये नोटिस जारी किये गये थे क्या सरकार ने इस मामले में सम्बन्धित व्यक्तियों को अपनी बातें सिद्ध करने के लिये नोटिस दिये हैं और क्या सरकार जनता की पेरेशानी से अवगत है ?

†**राजकुमारी अमृत कौर** : लोगों की परेशानी की कोई बात नहीं है। वस्तुत: जब मकान गिराने के नोटिस दिये जाते हैं तो ऐसा करने के लिये पूर्ण व्यौरा दिया जाता है और जब तक इस बात का पर्याप्त प्रमाण नहीं मिल जाता कि निर्माण कार्य ११ नवम्बर, १९५५ के पश्चात किया गया है कोई कार्यवाही नहीं की जाती।

†**डा० सुरेश चन्द्र** : मकान आदि गिराने के सम्बन्ध में अनुचित नोटिस जारी करने के सम्बन्ध में दिल्ली की जनता की ओर से संसत्सदस्यों को प्राप्त होने वाली शिकायतों से सरकार परिचित है ?

†**राजकुमारी अमृत कौर** : शिकायतें सदा ही आती रहेंगी किन्तु लोगों को उचित नोटिस दे देने के पश्चात अनाधिकृत निर्माण के सम्बन्ध में माननीय सदस्यों का सहयोग वांछनीय है।

†**श्री डी० सी० शर्मा** : मकान गिराने के नोटिसों से कितने परिवार अथवा व्यक्ति प्रभावित होंगे और क्या उन्हें अन्यत्र स्थान देने के लिये कोई प्रयत्न किये गये हैं।

†**राजकुमारी अमृत कौर** : जब कभी भी यह सम्भव है उन्हें अन्यत्र स्थान दिया जायेगा लेकिन जो लोग अनाधिकृत मकान बनाकर कानून भंग करते हैं उनके लिये आवास की व्यवस्था करना कठिन है।

†**श्री केशव अय्यंगार** : इस बात को देखते हुये कि दिल्ली में आवास की समस्या अत्यंत गंभीर है क्या उचित अवस्थाओं में अनियमितताओं को नियमितरूप में परिवर्तित करने के लिये सरकार के पास कोई योजना है ?

†**राजकुमारी अमृत कौर** : यदि जानबूझ कर कानून तोड़ा जाये तो अनियमितताओं को नियमित रूप नहीं दिया जा सकता है।

†**श्री डी० सी० शर्मा** : क्या माननीय मंत्री इस आशय का तथ्य संगत वक्तव्य देंगी कि इस कार्यवाही से कितने परिवार प्रभावित होंगे तथा उन्हें अन्यत्र आवास कहाँ दिया जायेगा। यदि आप माननीय मंत्री से यह जानकरी देने के लिये कहें तो बड़ी कृपा होगी।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**राजकुमारी अमृत कौर** : आज तक मकान गिराने के जितने आदेश दिये गये हैं मैं उनकी संख्या बता सकती हूँ । यह ७८६ है । परिवारों के कितने सदस्य होंगे . . . . . .

†**अध्यक्ष महोदय** : पांच व्यक्ति प्रति परिवार की दर से ।

†**श्री आर० पी० गर्ग**: मैं जानना चाहता हूँ कि जिन व्यक्तियों के नाम मकान गिराने के नोटिस जारी किये गये हैं उनमें पश्चिमी पाकिस्तान के कितने शरणार्थी हैं ?

†**राजकुमारी अमृत कौर** : मुझे खेद है मैं यह जानकारी नहीं दे सकती ।

†**सरदार इकबाल सिंह** : सरकार को इन व्यक्तियों से जो जमीन प्राप्त हुई है क्या उसके लिये जमीन अथवा नकदी के रूप में प्रतिकर दिया जायेगा ?

†**राजकुमारी अमृत कौर** : जानबूझ कर कानून भंग करने की दशा में प्रतिकर का कोई प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : अगला प्रश्न ।

†**डा० सुरेश चन्द्र** : इसी विषय पर एक और प्रश्न है । प्रश्न संख्या ११३६ क्या इसे आरम्भ कर सकते हैं ?

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या माननीय मंत्री प्रश्न संख्या ११३६ का उत्तर देंगी ?

†**राजकुमारी अमृत कौर** : जी, हां ।

दिल्ली विकास (अस्थायी) प्राधिकार

†*११३६. **डा० सुरेश चन्द्र** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी :

(क) क्या त्रि-नगर पंचायत (पंजीकृत) ने दिल्ली विकास (अस्थायी) प्राधिकार के समक्ष पुराने भवनों की सूची प्रस्तुत की है;

(ख) यदि हाँ, तो ओंकार नगर ए० एस० बी० की सूची प्रस्तुत करने की तिथि और प्राधिकार द्वारा सत्यापित करने की तिथि ;

(ग) सत्यापित मामलों की संख्या;

(घ) क्या पुराने भवनों की यह सूची नवीन भवनों को ढूंढ़ने में बहुत अधिक सहायक है तथा क्या प्राधिकार ने त्रि-नगर पंचायतों की सहकारिता भावना की सराहना की है; और

(ङ) क्या उन्होंने लोक-सभा में यह आश्वासन दिया था कि उस दिन जिन भवनों का निर्माण किया जा रहा है उन पर प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

†**स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत कौर)** : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) यह सूची १० जनवरी, १९५६ को प्रस्तुत की गई थी । सब मामलों की जाँच करने के पश्चात २० फरवरी से २५ फरवरी, १९५६ को स्थान विशेष पर सत्यापन किया गया । सूची मे लिखे हुए २५६ भवनों में से २५ भवन ११ नवम्बर, १९५५ के बाद वाले थे ।

(घ) जी, हाँ ।

(ङ) ७ दिसम्बर, १९५५ को लोक-सभा के वाद-विवाद में मैंने यह आश्वासन दिया था कि नियंत्रित क्षेत्र अधिसूचना की तिथि जारी करने के पश्चात प्राधिकार की सम्मति बिना बनाये गये भवन ही गिराये जायेंगे । नियंत्रित क्षेत्रों के सम्बन्ध में अधिसूचना ११ नवम्बर, १९५५ को जारी की गई थी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**डा० सुरेश चन्द्र** : क्या उक्त क्षेत्र की पंचायत ने विकास (अस्थायी) प्राधिकार को पुराने भवनों को कोई सूची दी है और उस पर एक्जीक्यूटिव इंजीनीयर की राय ली गई थी, और यदि हाँ, तो उसका क्या किया गया है ?

†**राजकुमारी अमृत कौर** : मेरा विश्वास है कि पंचायत ने एक सूची दी थी और जैसा मैंने कहा था इस सूची पर ध्यानपूर्वक विचार किया गया था। किन्तु यथार्थ में इस पंचायत ने सरकार के विरुद्ध मामला दायर कर कार्रवाई रोकने के आदेश प्राप्त कर लिये हैं। इस मामले की सुनवाई न्यायालय में २ अप्रैल को होगी। इसमें महा अभ्यर्थी सरकार की ओर से वकालत करेंगे।

†**डा० सुरेश चन्द्र** : वहां जिन दो मकानों को गिराया गया था वह पंचायत द्वारा प्रस्तुत की गई सूची में पूरे बताये गये थे इतना होने पर भी उसकी उपेक्षा की गई एवं उन्हें गिरा दिया गया।

†**राजकुमारी अमृत कौर** : मैंने पहले ही कह दिया कि इन्हें गिराने का आदेश देने के पूर्व प्रत्येक बात पर विचार कर लिया गया था।

†**श्री डी० सी० शर्मा** : इन मकानों की सूची तैयार करने के लिये कौन सी प्रक्रिया अपनाई गई थी और यह कार्य किन व्यक्तियों को सौंपा गया था ?

†**राजकुमारी अमृत कौर** : इस प्रकार के मामलों की जाँच के लिये विकास प्राधिकार की एक विशेष समिति है। जैसा मैंने पहले कहा है, सूची में जो २५६ भवन दिये गये हैं उनमें से केवल २५ भवन बाद की तिथि को निर्मित किये गये थे यह समिति ने बताया है। समिति ने अत्यंत सावधानीपूर्वक इन मामलों की जाँच की और बहुत कम मकान बाद की तिथि में बनाये गये बताये जाते हैं।

बनिहाल सुरंग

†*१११११. **श्री वी० बी० गांधी** : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बनिहाल सुरंग का काम उसी जर्मन फर्म को दिया गया था, जिसे अग्रिम खुदाई का मूल काम दिया गया था; और

(ख) क्या सारी सुरंग का यह काम बातचीत के पश्चात फर्म को दे दिया गया था ?

†**रेलवे और परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) और (ख) जी, हां।

†**श्री वी० बी० गांधी** : क्या सरकार इस का कारण बताएगी कि इसने टैंडर न मंगवा कर जैसा कि साधारणतया किया जाता है, केवल बातचीत के बाद २ करोड़ रुपये का यह सुरंग का काम इस फर्म को देने का निर्णय किया ?

†**श्री अलगेशन** : मैं इसका कुछ विस्तार के साथ उत्तर दूंगा। पहले, अग्रिम खुदाई के लिये टैंडर मंगवाए गए थे, और अब जो फर्म काम कर रही है, उसने दूसरे टैंडरों के साथ अपना टैंडर दिया था। इस फर्म के साथ दूसरी भारतीय फर्मों ने भी टैंडर दिये थे। इस फर्म का मूल्य-कथन सब से कम था। दूसरी फर्मों में से कुछ को सुरंग कार्य का अनुभव भी नहीं था। एक भारतीय फर्म ऐसी थी जिसको सुरंग के काम का कुछ अनुभव था, किंतु उसकी दरें इस फर्म की टैंडर दरों से लगभग दुगनी थी।

फिर सुरंग का रूप बिलकुल बदल देने का निर्णय किया गया। प्रारंभ में केवल दो रास्तों वाली एक सुरंग का इरादा था। फिर, इस फर्म-विशेष ने, जिसने अग्रिम खुदाई के लिये टैंडर दिया था, यह सुझाव दिया कि इसकी भिन्न दो सुरंगें बनाई जा सकती हैं, सुरंग केवल एक ओर की यात्रा के लिये हो। जब यह सुझाव स्वीकार कर लिया गया, और हमारे अपने इंजियरों ने दूसरे देशों आदि में सुरंगों को देख लिया था; यह निर्णय किया गया कि इस फर्म के साथ बातचीत की जाय, क्योंकि उन्होंने कहा था कि यदि हम

†मूल अंग्रेजी में

उनको ठेका देंगे, तो वे प्रतीक्षा करेंगे और अग्रिम खुदाई का काम आरम्भ नहीं करेंगे। इस के लिये समय दिया गया, और मूल टेंडर दरों के आधार पर अनुमान लगाया गया। यदि दूसरी फर्मों के मूल्य-कथनों के आधार पर ठेके के आंकड़ों का अनुनान लगाया जाता तो निश्चय ही वे दर कहीं अधिक होतीं। इस कारण इस फर्म को ठेका देने का निर्णय किया गया था।

†**डा० सुरेश चन्द्र** : यह बिल्कुल स्पष्ट नहीं है।

†**श्री वी० बी० गांधी** : क्या वहां दो सुरंगे होंगी ?

†**श्री अलगेशन** : वहां दो छोटी सुरंगें होंगी और प्रत्येक का एक ओर की यात्रा के लिये उपयोग किया जायेगा।

†**श्री वी० बी० गांधी** : क्या सरकार को विदित है कि बड़ी सुरंग की दर की अपेक्षा अग्रम खुदाई की दर का अधिक होना अवश्यंभावी है ? यदि सरकार ने उसी दर पर ठेका दिया है, जिस पर अग्रिम खुदाई का ठेका दिया गया था, तो क्या यह सच नहीं है कि सरकार अनावश्यक रूप से ऊंची दर दे रही है ?

†**श्री अलगेशन** : पहले टैंडरों के परिणामस्वरूप, यह अच्छी तरह प्रमाणित हो गया था कि इस काम को कोई फर्म करने के लिये सक्षम नहीं है। अपरंच, यदि ठेका दूसरी फर्मों को दिया जाता, तो या तो इस समवाय को अग्रिम खुदाई का मूल कार्य करने दिया जाता, या हमें उनको प्रतिकर देना पड़ता। इतना ही नहीं, इसमें एक और लाभ भी था। छोटी अवधि में सब ऋतुओं योग्य यातायात सुविधाएं चलाना संभव था, क्योंकि १९५७ के अन्त तक पहली सुरंग का निर्माण संभव समझा गया था।

†**श्री वी० बी० गांधी** : पहला ठेका केवल अग्रिम खुदाई तक ही क्यों सीमित था, और समस्त काम के लिये अर्थात् अग्रिम खुदाई और सुरंग कार्य के लिये पूरा ठेका क्यों नहीं दिया गया? उस अवस्था में, कई दूसरी फर्में भी उचित दर पेश कर सकती थीं।

†**श्री अलगेशन** : माननीय सदस्य का विचार इस कारण बिल्कुल ठीक नहीं है क्योंकि हमें उस समय अधिक ज्ञान नहीं था; यह नया काम था और ऐसे काम पहले भारतवर्ष में नहीं किये गये थे, इसलिये हम भूमि के स्वरूप आदि के बारे में जानना चाहते थे। अग्रिम खुदाई के लिये टैंडर मंगवा कर हमें कोई हानि नहीं हुई है।

†**डा० सुरेश चन्द्र** : इस अग्रिम कार्य और दूसरे कार्य के लिये प्रारंभ में ही टैंडर क्यों नहीं मंगवा लिये गये थे, और केवल एक ही फर्म को बातचीत के द्वारा यह ठेका क्यों दे दिया गया ?

†**श्री अलगेशन** : स्पष्ट है कि माननीय सदस्य ने मेरे पहले उत्तर को नहीं समझा है। मैंने कहा है कि हम ने अग्रिम खुदाई के लिये टैंडर मंगवाने थे और भारतीय फर्मों ने भी टैंडर दिये थे किन्तु उनकी दर इस फर्म विशेष की दरों से कहीं अधिक थीं, जिसको हमने यह ठेका दिया है।

दिल्ली विकास (अस्थायी) प्राधिकार

†**१११२. श्री बी० डी० पांडे** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली विकास (अस्थायी) प्राधिकार ने अपने आरंभ से ही दिल्ली में समस्त निर्माण कार्य बन्द कर दिया है और इसने भारत के कोई भी नक्शे पास नहीं किये हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार विकास (अस्थायी) प्राधिकार को, आवास परिस्थिति में कुछ आराम पहुंचाने की दृष्टि से तुरन्त इमारतों के नक्शे मंजूर करने के लिये अनुदेश देगी ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत कौर)** : (क) ऐसी बात नहीं है।

†मूल अंग्रेजी में

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता। प्राधिकार ने पहले ही बहुत से खाकों और इमारतों के नक्शे को स्वीकार कर दिया है और इसके पास जो दूसरे प्रार्थना पत्र आते हैं, उन पर शीघ्र कार्यवाही कर रहा है।

†**श्री बी० डी० पांडे** : उन लोगों को अनुमति क्यों नहीं दी जाती, जो विनय नगर और हौज खास में मकान बनाना चाहते हैं ?

†**राजकुमारी अमृत कौर** : दिल्ली के उपनागरिक और अविकासित क्षेत्रों में भूमि के बारे में बड़ी सट्टेबाजी हो रही है, और बहुत से लोग, जो अपने आप को बस्तियों के स्वामी होने का दावा करते हैं, भूमि को कई ब्लाकों में बांटकर बड़ा लाभ कमा रहे हैं और लोगों को बहुत सी कृषि भूमि बेच रहे हैं, और उन्हें कोई मूल नागरिक सुविधाएं प्रदान नहीं करते। बहुत से मामलों में यह बांटने का तरीका बिल्कुल भी संतोषजनक नहीं था, इसलिये विकास प्राधिकार ने इसे बिल्कुल अनिवार्य समझा कि कुछ नियंत्रण रखा जाना चाहिये और इन लोगों को भविष्य में लोगों को लूटने न दिया जाये।

†**श्री बी० डी० पांडे** : जो नियमों और विनियमों को पूरा करते हैं क्या उन्हें अनुमति नहीं दी जाती ?

†**राजकुमारी अमृत कौर** : जो नियमों और विनियमों का पालन करते हैं, और जो दिल्ली के भावी खाके के अनुसार इमारत बनाते हैं, उनको अनुमति दी जाती है।

†**श्री डी० सी० शर्मा** : अब तक इमारतों के कितने नक्शे मंजूरी के लिये पेश हुए हैं और उन में से कितनों को मंजूरी दी गई है ? पहला नक्शा किस तारीख को पेश किया गया था और उसकी मंजूरी किस तारीख को दी गई थी ?

†**राजकुमारी अमृत कौर** : इस समय यह सूचना देना मेरे लिये असंभव है।

दिल्ली में अनधिकृत भवन निर्माण कार्य

†*१११३. **श्री एच० जी० वैष्णव** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि क्या यह सच है कि दिल्ली में एक हजार से अधिक मकान गिराये जा रहे हैं जो नवम्बर १९५५ से पहले बनाये गये थे और जिन्हें दिल्ली विकास प्राधिकार द्वारा अनधिकृत निर्माण घोषित किया गया है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत कौर)** : दिल्ली विकास (अस्थायी) प्राधिकार ने किसी भी निर्माण कार्य को अनधिकृत घोषित नहीं किया, जो ११ नवम्बर, १९५५ से पहले किया जा चुका था।

†**श्री एच० जी० वैष्णव** : 'अनधिकृत' से क्या अभिप्राय है, क्या ये इमारतें अनुमति के वगैर बनाई गई थीं ?

†**राजकुमारी अमृत कौर** : वे निर्माण कार्य अनधिकृत हैं, जिन्होंने विधि के प्रख्यापन के पश्चात् जान बूझकर आज्ञा का उल्लंघन किया।

मनीपुर में मलेरिया की रोकथाम की टुकड़ियां

†*१११४. **श्री रिशांग किशिंग** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) भारत सरकार ने राष्ट्रीय मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत मनीपुर राज्य के लिये कितनी मलेरिया की रोकथाम की टुकड़ियां मंजूर की हैं; और

(ख) अब तक राज्य में मलेरिया की रोकथाम कार्य में कितनी प्रगति हुई है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत कौर)** : (क) दो।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) (१) ८०,००० घरों म १९५५-५६ में डी० डी० टी० छिड़की गई थी; और लगभग १,४०,००० लोगों की मलेरिया से रक्षा की गई है।

(२) राज्य में १९५३-५४ में ६५,२६० लोगों को मलेरिया हुआ था, यह संख्या घट कर १९५४-५५ में ५५,८१३ रह गयी।

†**श्री रिशांग किशिंग** : क्या यह सच है कि इस समय केवल आधी इकाई काम कर रही है? यदि हां, तो ऐसी क्या कठिनाइयां हैं, जिनके कारण सरकार राज्य सरकार को आवश्यक सामान देने में असफल रही है और सामान भेजने के लिये क्या विशेष प्रयत्न किया जा रहा है?

†**राजकुमारी अमृत कौर** : आधी इकाई के लिये, जो १९५३-५४ में आवंटित की गई थी, मलेरिया मच्छरों को मारने वाली दवाई, यातायात, और छिड़कने का पूरा सामान दिया गया था। १९५५-५६ में एक इकाई के लिये जो सामान आवंटित किया गया था, वह अभी पूरा प्राप्त नहीं हुआ है और हमने मनीपुर को बतला दिया था कि यह सामग्री तभी दी जायेगी, जब यातायात और सामान के रूप में टी० सी० एम० की सहायता प्राप्त होगी। अब, दो महीनों के अन्दर उस के आने की आशा है और हम आशा करते हैं कि अब तुरन्त कार्य शुरू होगा।

फायरमैनों की भरती

†*११११५. **श्री धुसिया** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर और पूर्वोत्तर रेलवे में इंजनों पर काम करने के लिये १९५३, १९५४ और १९५५ में कुल कितने फायरमैन भरती किये गये थे;

(ख) इनको भरती करने का तरीका क्या था; और

(ग) इन वर्षों में भरती किये गये अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के व्यक्तियों की कुल संख्या कितनी थी?

†**रेलवे मंत्री के सभासचिव (श्री शाहनवाज खां)** : (क) और (ग). एक विवरण लोक-सभा पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या २४]**

(ख) रेलवे सेवा आयोगों के द्वारा।

†**श्री धुसिया** : इस विवरण से पता चलता है कि संख्या जितनी होनी चाहिए थी, उस से कम है। आवश्यक संख्या से कम भरती किये जाने के क्या कारण हैं और इन वर्षों में इन कारणों को दूर करने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी है?

†**श्री शाहनवाज खां** : हम पूरी संख्या की भरती क्यों नहीं कर पाये इसका कारण यह था कि उपयुक्त अभ्यर्थी नहीं प्राप्त हो रहे थे। परन्तु हाल ही में मंत्रालय ने इस बात का सुनिश्चय करने के लिये कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों को उनका पूरा अभ्यंश दिया जाय, सक्रिय कार्यवाही की है।

†**श्री धुसिया** : क्या मंत्री महोदय भरती में पिछले वर्षों में हुई कमी को दूर करने के लिये कुछ विशेष कार्यवाही करेंगे?

†**रेलवे तथा परिवहन मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री)** : रेलवे बोर्ड द्वारा ११ मार्च, १९५६ को ही रेलवे सेवा आयोगों के सभापतियों का एक सम्मेलन आयोजित किया गया था। उस बैठक में मैं भी उपस्थित था। इन आयोगों के सभापतियों को इस बात की व्यवस्था करने के लिये, कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के अभ्यंश को पूरा करने के लिये उपयुक्त कार्यवाही की जाती है

---

†मूल अंग्रेजी में

आवश्यक अनुदेश दे दिये गये हैं। उनको इस बात की भी हिदायत दे दी गयी है कि १९५५ के अभ्यंश को पूरा करने के लिये यथा शीघ्र केवल अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लिये ही चुनाव किया जाये।

†**श्री धुसिया** : मैंने यह जानना चाहा था कि १९५३ और १९५४ की भरती की कमी को पूरा करने के लिये क्या विशेष कार्यवाही की गयी थी ?

†**श्री शाहनवाज़ खां** : उन स्थानों को पहले ही भर लिया गया है। मैं समझता हूं कि उस पिछली बक़ाया को पूरा करना संभव नहीं होगा।

†**श्री तिम्मय्या** : रेलवे बजट पर चर्चा के समय, मंत्री महोदय ने यह कहने की कृपा की थी कि अनुसूचित जातियों के अभ्यर्थियों को उचित प्रशिक्षण दिया जायेगा। और बाद में उन को रेलवे में सेवायुक्त कर लिया जायगा। क्या यह प्रशिक्षण इस श्रेणी के कार्य के लिये भी दिया जायेगा ?

†**श्री एल० बी० शास्त्री** : हम निश्चय ही इस प्रकार के कार्यों के लिये भी प्रशिक्षण देने का प्रबन्ध करेंगे।

†**श्री धुसिया** : रेलवे मंत्री अक्सर यह कहा करते हैं कि "उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं थे"। 'उपयुक्त अभ्यर्थियों' की परिभाषा क्या है ? यह अनुसूचित जातियों पर एक प्रकार का लांछन है और इसका प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए।

चान्दा-कोरबा लाइन

***१११६. सरदार ए० एस० सहगल** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चान्दा-कोरबा लाइन को अभी तक केवल इस कारण से चालू नहीं किया गया है कि उत्पादन मंत्रालय ने अभी तक यह प्रमाणित नहीं किया है कि कोयला निकालने का काम कहां से शुरू किया जाये;

(ख) क्या यह सच है कि जहां कोरबा स्टेशन बनाया गया है, उस स्थान के नीचे कोयले की निक्षेप हैं; और

(ग) क्या यह भी सच है कि उत्पादन मंत्रालय ने यह सुझाव दिया है कि कोरबा का नया रेलवे स्टेशन वर्तमान स्थान से हटा दिया जाये ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग). जी, हां।

सरदार ए० एस० सहगल : क्या मैं जान सकता हूं कि यह चान्दा-कोरबा लाइन को चालू करने के लिये कोई दिन या महीना निश्चित किया गया है, यदि किया गया है, तो कौनसा ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री) : सारा काम जो है वह अप्रैल के आखिर तक खत्म होगा और उसके बाद ही इस लाइन को खोलने के लिये कोई दिन या महीना निश्चित किया जा सकता है।

पटसन विशेषज्ञ समिति

†***१११९. श्री एल० एन० मिश्र** : क्या खाद्य और कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पटसन की किस्म में उन्नति करने के लिये पटसन विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों को लागू करने के सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी है;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या पटसन उत्पादक राज्यों द्वारा पटसन की किस्म में सुधार करने की दशा में १९५५-५६ में की गयी प्रगति को दिखाने वाला कोई प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो उन प्रतिवेदनों के मुख्य विषय क्या हैं ?

†**खाद्य और कृषि उपमंत्री (श्री एम० वी० कृष्णप्पा) :** (क) से (ग). पटसन उत्पादक राज्यों से सूचना मांगी गयी है और प्राप्त होने पर लोक-सभा पटल पर रख दी जायेगी।

†**श्री एल० एन० मिश्र :** क्या विभिन्न पटसन उत्पादक राज्यों को सरकार द्वारा कुछ विशेष अनुदान दिये गये हैं ? यदि हां, तो पश्चिम बंगाल, बिहार और आसाम के लिये क्या आंकड़ें हैं ?

†**श्री एम० वी० कृष्णप्पा :** जी, हां। आंकड़े इस प्रकार हैं :

छाल सड़ाने के लिये : स्वीकृत अनुदान :

	उत्तर प्रदेश	पश्चिम बंगाल	आसाम	बिहार	उड़ीसा
१९५४-५५	रु० १५,०००	२,२५,०००	१८,०००	१,२५,०००	४३,५००
१९५५-५६	रु० ३७,५००	२,२५,०००	२५,०००	१,२५,०००	६८,३००

बीज बोने की पतली नालियां और पहियेदार कुदालियां : स्वीकृत अनुदान :

१९५४-५५—रु० १,४५,००० सब राज्यों के लिये।

बीज तैयार करने वाले फार्म : स्वीकृत ऋण :

१९५५-५६—बिहार रु० १,५८,५४७

प० बंगाल रु० ९५,१५०

†**श्री एल० एन० मिश्र :** पटसन विशेषज्ञ समिति की एक मुख्य सिफारिश यह थी कि छाल सड़ाने की टंकियों और बीज़ तैयार करने के फार्मों का उपबंध किया जाये। क्या सरकार के पास उन छाल सड़ाने की टंकियों और फार्मों के आंकड़े हैं जिनका कि पटसन उत्पादक राज्यों में उपबन्ध किया गया हो ?

†**श्री एम० वी० कृष्णप्पा :** उत्तर भेज देंने के बाद, कुछ राज्यों के प्रतिवेदन मुझे आज प्रातःकाल ही प्राप्त हुए हैं। मैं उनको लोक-सभा पटल पर रखता हूं। **[देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या २५]**

बीकानेर के लिये विमान सेवा

***११२०. श्री पी० एल० बारूपाल :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली और बीकानेर के बीच विमान-सेवा दोबारा चालू करने के बारे में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

संचार मंत्रालय के मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) और (ख). दिल्ली और बीकानेर के बीच विमान-सेवा चालू करने के लिये कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे। बीकानेर में यातायात कम होने के कारण भारतीय विमान-वाहिनी निगम (इंडियन एयर लाइन्स कारपोरेशन) के लिये यह सम्भव नहीं हो सका कि सेवा को फिर से चालू किया जाय। फिर भी इस पर पुनः विचार किया जा रहा है।

श्री पी० एल० बारूपाल : क्या यह सही है कि वहां जो कार्यालय खोला गया था अधिकारियों की तरफ से, उसके बारे में न कोई प्रचार किया गया था कि विमान सेवा चालू है और न ही कोई साइन बोर्ड इत्यादि लगाये गये थे ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री राज बहादुर** : आवश्यक प्रचार किया गया था किन्तु यात्रियों की संख्या बहुत कम थी। इस वास्ते इस सर्विस को चालू रखना असम्भव हो गया था।

†**श्री पी० एल० बारूपाल** : क्या अब इस पर पुनः विचार किया जा रहा है ?

†**श्री राज बहादुर** : जी, हाँ।

अल्प सूचना प्रश्न और उत्तर

नागा पहाड़ियों की स्थिति

†**अल्प सूचना प्रश्न संख्या ७ : श्री कामत** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सेना ने आसाम के नागा पहाड़ी जिलों में कार्यवाही का उत्तरदायित्व संभाल लिया है; और

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य-मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : मैं समझता हूँ कि इस अल्प सूचना प्रश्न के अतिरिक्त, नियम २१६ के अन्तर्गत इसी विषय के सम्बन्ध में दो सूचनायें और भी दी गयी हैं। यदि आप मुझे अनुमति दें, तो मैं पूर्ण रुप से इस मामले का उत्तर दे दूं।

नागा राष्ट्रीय परिषद् की प्रेरणा पर कार्य करने वाले नागाओं के सशस्त्र गिरोहों की हिंसात्मक कार्यवाहियों के कारण पिछले लगभग तीन महीनों से नागा पहाड़ी जिले में अशांति है। जिस समय पिछले युद्ध का अन्त हुआ था, इस क्षेत्र में शस्त्रास्त्रों के विशाल संग्रह छोड़ दिये गये थे। इन में कुछ कतिपय गिरोहों के हाथ लग गये, जो अब उनका प्रयोग उस क्षेत्र के शान्तिपूर्ण निवासियों को धमकाने के लिये कर रहे हैं। इस वर्ष जनवरी में, इन आतंकवादियों ने नागा राष्ट्रीय परिषद् के अपने एक नेता की ही, जिसने इन्हें हिंसा न करने की सलाह दी थी, हत्या कर दी। उसके बाद से यह लगभग एक दर्जन शान्तिपूर्ण 'गाँव बूढ़ों' और गाँव के बड़े-बूढ़ों की, जिन्होंने इनके हिंसात्मक आन्दोलन का समर्थन नहीं किया था, हत्या कर चुके हैं। नागा पहाड़ी जिले में भूमि के अत्यंत ऊबड़ खाबड़ होने और संचार साधनों के न होने के कारण, नागरिक सशस्त्र दस्तों के लिये इन सशस्त्र गिरोहों से पार पाना कठिन हो रहा था। इस लिये आसाम सरकार ने, असैनिक शक्ति की सहायता करने के लिये सेना को बुलाना आवश्यक समझा। यह सेना अपने कार्य को हिंसात्मक गिरोहों की तलाश करने और धर-पकड़ करने तक ही सीमित रखेगी। तुरन्त और प्रभावोत्पादक ढंग से कार्य करने के लिये, समस्त असैनिक सशस्त्र दस्तों को, इस क्षेत्र की आसाम पुलिस और आसाम राइफिल्स सहित, फोर्स कमांडर के अधीन कर दिया जायेगा। लेकिन असैनिक प्राधिकारी, प्रशासन चलाने के अपने साधारण उत्तरदायित्व को काम में लाते रहेंगे।

यह सच नहीं है कि कोहिमा और इम्फाल का बाहरी जगत से सम्बन्ध विच्छेद हो गया है। कुछ टेलीफोन तारोंके काट दिये जाने से २३ मार्च, १९५६ को, दीमापुर-कोहिमा-इम्फाल रोड पर संचार व्यवस्था क्षतिग्रस्त और छिन्न-भिन्न हो गई थी। परन्तु अगले ही दिन उसको फिर से स्थापित कर दिया गया था। विद्रोहियों द्वारा पुलिस चौकियों पर भी अनेक असफल आक्रमण किये गये। इनको विफल कर दिया गया। हमारे पास इस आशय का कोई प्रमाण नहीं है जिससे यह संकेत मिलता हो कि विद्रोही नागाओं को बाहर से हथियार मिल रहे हैं। विद्रोहियों के पास से जिन शस्त्रास्त्रों को प्राप्त किया गया है उनमें से अधिकांश द्वितीय महायुद्ध के दिनों के हथियारों जैसे हैं।

विद्रोही सशस्त्र गिरोहों ने गाँवों के आठ नेताओं, दुभाषियों और गाँवबूढ़ों की हत्या कर दी है और अन्य दस का अपहरण कर लिया है। यह अनुमान किया जाता है कि उन के पास ५०० काम आने योग्य राइफिलें और ६ हलकी मशीनगनें हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

जनवरी, १९५६ के अन्तिम सप्ताह में किसी समय कार्यवाही आरम्भ किये जाने से लेकर २० मार्च, १९५६ तक नागा पहाड़ी जिले में गिरफ्तार और दण्डित किये गये नागाओं की संख्या क्रमशः ३१४ और १०० है। विद्रोही गिरोहों में १६ नागा मारे गये हैं और कुछ घायल हुये हैं। उनके पास से विभिन्न प्रकार के ८१ हथियार और २,४६३ कारतूस आदि बरामद किये गये हैं।

सेना को जनता की प्रथाओं और आचरण का उचित ध्यान रखने और उनके साधारण जीवन में हस्तक्षेप न करने का निर्देश दे दिया गया है। उसका मुख्य कर्त्तव्य नागा जनता की, जो हमारे अपने ही देश के वासी हैं, ऐसे पथभ्रष्ट लोगों से, जिन्होंने हिंसा को अपना लिया है, रक्षा करना और सहायता देना है।

†**अध्यक्ष महोदय :** श्री कामत के अल्प सूचना प्रश्न की दृष्टि से, मैंने नियम २१६ के अन्तर्गत दी गयी सूचनाओं की अनुमति नहीं दी थी परन्तु मैंने उन सदस्यों के नाम, जिन्होंने नियम २१६ के अन्तर्गत सूचनायें दी हैं, प्रश्न पूछने वालों की सूची में सम्मिलित कर लिये हैं और मैं उनको अनुपूरक प्रश्न पूछने के लिये अवसर दूंगा।

†**श्री कामत :** क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार और सैनिक प्राधिकारियों के प्रतिनिधियों का एक उच्च स्तरीय सम्मेलन हाल ही में शिलांग में हुआ था, जिसमें उन्होंने उत्तर पूर्वी सीमान्त अभिकरणे और नागा ज़िलें में इन विद्रोहियों के विरुद्ध की जाने वाली कार्यवाहियों का एकीकरण करने का निश्चय किया था, और यदि हाँ, तो क्या यह उपद्रव केवल नागा पहाड़ी ज़िले तक ही सीमित हैं अथवा वह उत्तर पूर्वी सीमान्त अभिकरण क्षेत्र में भी फैल गये हैं?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** वहाँ आसाम पुलिस, आसाम राइफिल्स और आसाम सरकार के स्थानीय रूप से अक्सर सम्मेलन हुआ करते हैं। मैं समझता हूँ कि उच्चस्तरीय सम्मेलन से माननीय सदस्य का तात्पर्य दिल्ली से किसी व्यक्ति के वहाँ जाने से था।

†**श्री कामत :** जी, हाँ।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** जी, हाँ। हमारे यहाँ के एक या दो व्यक्ति कुछ समय पहले वहाँ गये थे। वहाँ की जाने वाली कार्यवाही के सम्बन्ध में, जहाँ तक मुझे ज्ञात है, वह इस समय नागा पहाड़ी जिले के कुछ भांगों तक ही सीमित है, समुचे क्षेत्र में नहीं की गई है। परन्तु कमांडर को, जिसे 'फोर्सेज़ कमांडर' कहा जाता है, यह प्राधिकार दे दिया गया है कि, यदि आवश्यकता पड़े तो वह सीमा पार के तुएनसांग डिवीज़न में भी कार्यवाही कर सकता है।

†**श्री कामत :** क्या इस क्षेत्र के किसी भाग में 'मार्शल लॉ' भी लागू किया गया है, अथवा सेना अभी केवल असैनिक शक्ति की सहायता के लिये ही बुलायी गयी है?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** जैसा मैंने अभी कहा है, 'मार्शल लॉ' की कोई घोषणा नहीं की गयी है। वहाँ असैनिक प्राधिकार ही कायम है और साधारण रूप से कार्य कर रहा है। हाँ, यह निश्चय ही भिन्न बात है कि जिस समय इस प्रकार की कार्यवाहियां की जा रही हों उस समय असैनिक प्राधिकार के साधारण कार्यकरण में काफ़ी बाधा पड़ती है। परन्तु वहाँ कोई मार्शल लॉ नहीं है और सेना अथवा पुलिस का कार्य केवल विद्रोहियों का सामना करना, उन्हें घेरना, और गिरफ्तार करना और यदि सम्भव हो तो उनको कोई क्षति पहुँचाने से रोकना है।

†**श्री कामत :** कुछ दिन पूर्व, प्रधान मंत्री ने लोक-सभा में उन विभिन्न सामाजिक और आर्थिक कार्यवाहियों की, जो सरकार ने उस क्षेत्र में की थीं, एक सूची पढ़ कर सुनायी थी। क्या सेना द्वारा की

---

†मूल अंग्रेजी में

जा रही इस कार्यवाही का अर्थ यह स्वीकार करना नहीं है कि सरकार सामाजिक और आर्थिक कार्यवाहियों द्वारा उस क्षेत्र के लोगों को जीत लेने के प्रयास में असफल रही है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : यह तो स्थिति का अनुमान लगाने का, एक जटिल परिस्थिति का मूलयांकन करने का प्रश्न है । संभवतया माननीय सदस्य यह जानते हैं कि यह लोग नागा राष्ट्रीय परिषद् के उकसाने से उपद्रव कर रहे हैं । वह ६ या ७ वर्षों से यही कार्य करते आ रहे हैं । यह तुलनात्मक रूप से तो छोटी सी संस्था है, परन्तु कभी कभी अपने तरीकों से--धमकियों से और अन्य प्रकार से—काफ़ी प्रभाव बनाये रखती है । वास्तव में, उसने तो बिल्कुल आरम्भ से ही सामुदायिक परियोजना जैसी कार्यवाहियों तथा अन्य सभी योजनाओं में सहयोग प्रदान करने से इंकार किया है क्योंकि वह इन योजनाओं को सफल नहीं होने देना चाहते हैं । अन्य नागाओं ने सहयोग किया है, और इसलिये, तथ्य रूप में हमको कुछ सफलता प्राप्त हुई है ।

†**श्री कामत** : सरकार को प्राप्त सूचना के अनुसार फ़िज़ो के विद्रोही सैनिकों की संख्या कितनी है और चाहे वास्तविक सहायता न सही फिर भी क्या उसे किसी वाह्य शक्ति या विदेशी शक्ति की सहानुभूति प्राप्त है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : हमें इस की कोई सूचना नहीं है यद्यपि हम इतना अवश्य जानते हैं कि इस विशेष क्षेत्र के बारे में कुछ स्थानों पर प्रचार किया जा रहा है ।

†**श्री कामत** : विद्रोही सैनिकों की संख्या के बारे में क्या कोई सूचना मिल सकती है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : वह तो शायद विवरण में दी गई है । उनकी संख्या १,६०० के लगभग है। उसे हम सेना तो नहीं कह सकते किन्तु वे हज़ार पन्द्रह सौ व्यक्ति अवश्य हैं । हमारा अनुमान १,५०० का है । इन में वे लोग शामिल नहीं हैं जो उन से सहानुभूति रखते हैं ।

†**श्री रिशांग किशिंग** : क्या सरकार नागा पहाड़ी की इन घटनाओं को केवल विधि और व्यवस्था को भंग करना समझती है या नागा राष्ट्रीय परिषद् के कथानानुसार उसे एक राजनैतिक आन्दोलन समझती है ? यदि यह एक राजनैतिक आन्दोलन है तो सरकार इस समस्या का क्या समाधान सोच रही है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : यह केवल विधि और व्यवस्था को भंग करना मात्र नहीं है । यह एक सामूहिक अवज्ञा है, जिस का उद्देश्य राजनैतिक है । पिछले सात आठ वर्षों में मुझे नागा राष्ट्रीय परिषद् के नागाओं से मिलने का मौक़ा मिला है । आसाम के राज्यपाल और मुख्य मंत्री भी उन से अनेक बार मिले हैं । उन्हें यह समझाने की पूरी कोशिश की गई है कि संविधान में उन्हें स्वायत्र शासन का अधिकार दिया गया है । जैसा कि माननीय सदस्य को ज्ञात है, अन्य ज़िलों में स्वयत्र ज़िला परिषदें काम कर रही हैं किन्तु नागा पहाड़ियों में ऐसा नहीं है । प्राप्त अनुभव के अनुसार हम इस विषय पर पुनः विचार करने को तैयार हैं किन्तु उस प्रदेश को भारत से पृथक् करने की माँग पर विचार करना संभव नहीं है ।

†**श्री के० के० बसु** : क्या सरकार ने इस बात का निश्चय किया है कि यह आन्दोलन आसाम के केवल नागा पहाड़ियों के जिले तक ही सीमित है या अन्य क्षेत्रों में भी फैला हुआ है और क्या यह आसाम सरकार द्वारा इस आदिम जातीय क्षेत्र की समस्याओं के प्रति तथाकथित अवहेलनात्मक व्यवहार से सम्बन्धित है ? यदि ऐसा है, तो क्या भारत सरकार इस प्रश्न पर नागा लोगों के साथ विचार करेगी ।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : माननीय सदस्य अनेक बातों को एक साथ जोड़ रहे हैं । यह प्रश्न नागाओं के एक क्षेत्र में एक विशेष दल से सम्बन्धित है । कुछ समय पहले उत्तर-पूर्वी सीमा एजेन्सी के त्वेनसंग डिवीज़न में से जो नागा पहाड़ियों के जिले के समीप है, कुछ गड़बड़ हुई थी और वह समाप्त हो गई और

†मूल अंग्रेजी में

अब यह गड़बड़ त्वेनसेंग क्षेत्र में प्रारम्भ हुई है। उस मामले में वहाँ के आदिम जातीय लोगों के कुछ दलों ने वहाँ एक पृथक् पहाड़ी राज्य की माँग की थी जो कि इस विषय से एक बिल्कुल अलग बात थी।

†**श्री रिशांग किशिंग** : क्या सरकार इस बात की आवश्यकता पर विचार करेगी कि छिपे हुये नागा नेताओं और अन्य लोगों से आत्मसमर्पण करने की अपील की जाये और उन सब को क्षमा कर दिया जाये ताकि आगे कोई रक्तपात न हो सके और नागा पहाड़ियों में यथाशीघ्र शान्ति स्थापित हो सके ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : इन बहकाये गये लोगों को समझाने से कोई लाभ नहीं है। यदि वे आत्म-समर्पण कर दें तो अच्छा है। मैं ऐसे मामलों के बारे में कुछ नहीं कह सकता जिन में उन्होंने बर्बरता का व्यवहार किया है। एक मामले में तो उन्होंनें अपने ही एक प्रमुख व्यक्ति की हत्या कर दी जिस ने हिंसात्मक कार्यों में उन का साथ देने से इनकार कर दिया था। मैं सहसा यह नहीं कह सकता कि ऐसे अपराधियों के साथ हमारा क्या व्यवहार होगा। यह मैं मानता हूँ कि वे लोग वैसे बड़े सीधे साधे हैं और व्यक्तिगत रूप से मेरी ऐसे लोगों से बड़ी सहानुभूति है।

†**डा० रामा राव** : क्या यह सच है कि नागा परिषद के कुछ नेताओं ने माननीय प्रधान मंत्री से भेंट करने की प्रार्थना की थी ? अभी कही गई बातों को ध्यान में रखते हुये और इस बात को भी ध्यान में रखते हुये कि सम्भवत: प्रधान मंत्री के विचारों का उन गुमराह लोगों पर प्रभाव पड़े और वे कोई समझौता करना चाहें। क्या प्रधान मंत्री उन से मिल सकते हैं और उस के परिणाम पर विचार कर सकते हैं ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मैंने अभी कहा है कि मैं तो उन से भी बड़े नेताओं से अनेक बार मिला हूँ। मुझे खेद है कि जब कभी मैं उन से मिला, वे उन मुलाकातों से अनुचित लाभ उठाना चाहते थे। ऐसा समझा जाने लगा मानों वे आसाम सरकार और वहाँ के राज्यपाल की उपेक्षा कर सकते हैं। वहाँ इसी प्रकार का प्रचार किया गया।

इस के बाद, शायद दो बार आसाम के मुख्य मंत्री, नागा राष्ट्रीय परिषद् के नेता श्री फ़िज़ो से मिले। दोनों बार श्री फ़िज़ो ने यह आश्वासन दिया कि वे शान्तिपूर्ण ढंग से काम लेंगे किन्तु उन्होंने इसका पालन नहीं किया और आश्वासन के समय ही वे अन्य तरीके अपना रहे थे। मुझे इस प्रकार का षड़-यंत्र पसन्द नहीं है और जब ऐसे हिंसात्मक कार्य किये जा रहे हैं, तो हम ने स्पष्ट रूप से यह कह दिया है कि हम किसी से वार्ता प्रारम्भ नहीं करेंगे। केवल दो बातें होने पर हम विचार करेंगे। पहली तो यह है कि हिंसा का त्याग किया जाये और दूसरी यह कि हम भारत से पृथक् होने की किसी माँग का स्वागत नहीं करेंगे। यदि वे इस पर तैयार नहीं हैं तो हम भी उन से कोई बात नहीं करगे। वास्तव में वे तीन व्यक्ति जो यहाँ आये हैं मुझ से नहीं मिले हैं और न मैं ही उन से मिला हूँ। मैंने ये शर्तें बहुत पहले ही बता दी हैं। मेरे मित्र, माननीय गृह मंत्री और अन्य लोग उन से मिले हैं। वे चाहें तो मेरे मंत्रालय के कर्मचारियों से मिल सकते हैं। प्रधान मंत्री को इतनी फुर्सत नहीं होती कि वह हर एक से मिलता फिरे।

†**श्री कामत** : प्रधान मंत्री ने कल सभा में यह बताया था कि आसाम के नागा पहाड़ी जिले में गड़-बड़ होने से पहले दो तीन बार वे भी फ़िज़ो से मिले थे। उन अवसरों पर क्या प्रधान मंत्री ने फ़िज़ो के आगे यह सुझाव रखा था कि भारतीय संघ के भीतर नागा पहाड़ी जिले को एक स्वायत्र राज्य बनाने पर विचार किया जा सकता है किन्तु भारतीय संघ से उसे पृथक् करने के प्रश्न पर नहीं ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : नहीं, ऐसा कोई सुझाव नहीं दिया गया।

---

†मूल अंग्रेजी में

पंजाब में प्रादेशिक समितियों के बारे में योजना

†**अल्प सूचना प्रश्न संख्या ८. ज्ञानी जी० एस० मुसाफिर** : क्या गृह-कार्य मंत्री सभा पटल पर पंजाब प्रादेशिक योजना की एक प्रति रखने की कृपा करेंगे ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री जी० बी० पन्त) : मैं स्कीम की एक प्रतिलिपि सभा के टेबल पर रखता हूँ। **[देखिये परिशिष्ट ६, अनुबंध संख्या २६]**

प्रश्नों के लिखित उत्तर

रेल के इंजन, डिब्बे आदि

†***१०८६. श्री भागवत झा आजाद** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत-अमेरिकी सहयोग कार्यक्रम के अधीन बड़ी लाइन और छोटी लाइन के लिये अभी तक प्राप्त इंजनों, वैगनों और डिब्बों की संख्या कितनी है;

(ख) वे किन तारीखों को प्राप्त हुए;

(ग) वे किन देशों से प्राप्त हुए; और

(घ) शेष सामान कब तक प्राप्त होने की आशा है ?

†**रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभासचिव (श्री शाहनवाज खाँ)** : (क) से (घ). विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ६, अनुबंध संख्या २७]**

ग्राम-ऋण-सर्वेक्षण की अग्रिम योजनायें

†***१०९२. श्री गाडिलिंगन गौड़** : क्या खाद्य और कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ग्राम-ऋण-सर्वेक्षण के अधीन अग्रिम योजनायें आंध्र के कुछ प्रवर क्षेत्रों में शीघ्र ही प्रारम्भ की जायेंगी;

(ख) यदि हाँ, तो इन योजनाओं का उद्घाटन किस तारीख को किया जायेगा; और

(ग) उन संस्थाओं और ताल्लुकों की संख्या कितनी है जहाँ अग्रिम योजना प्रारम्भ की जायेंगी ?

†**खाद्य और कृषि मंत्री (श्री ए० पी० जैन)** : (क) हाँ।

(ख) इन योजनाओं के उद्घाटन के लिये राज्य सरकार द्वारा अभी कोई तारीख निश्चित नहीं की गई है।

(ग) ८९ संस्थायें और ७ ताल्लुके।

घी उद्योग

†***१०९६. श्री बी० एस० मूर्त्ति** : क्या खाद्य और कृषि मंत्री यह बातने की कृपा करेंगे कि :

(क) द्वितीय पंचवर्षीय योजना में घी उद्योग में प्रगति के लिये क्या कार्यवाही की गई है और उस के लिये कितनी रकम निश्चित की गई है; और

(ख) क्या उद्योग की वर्तमान स्थितियों के बारे में कोई सर्वेक्षण किया गया है ?

†**खाद्य और कृषि मंत्री (श्री ए० पी० जैन)** : (क) घी उत्पादन में वृद्धि की योजनायें द्वितीय पंचवर्षीय योजना में विचार की गईं डेरी विकास परियोजनाओं का ही अंग हैं। इन में लगभग दो करोड़ रुपये के अनुमानित मूल्य से १२ सहकारी ग्रामीण क्रीम फैक्टरियाँ और ७ दुग्ध चूर्ण (मिल्क पाउडर)

---

†मूल अंग्रेजी में

फैक्टरियाँ स्थापित करना भी शामिल है। इन परियोजनाओं के पूर्णरूपेण विकसित होने से घी उत्पादन में प्रतिवर्ष ६०,००० मन की वृद्धि की संभावना है।

(ख) हाँ। इस सर्वेक्षण के प्रतिवेदन के शीघ्र ही प्रकाशित होने की आशा है।

रेलवे संस्थापना पदाधिकारी

†*१०६७. **श्री नम्बियार** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे विभागों में संस्थापना पदाधिकारी प्रणाली प्रचलित करने से श्रमिकों के साथ और अच्छे सम्बन्ध स्थापित हो सकते हैं;

(ख) क्या संस्थापना पदाधिकारियों को यह हिदायत है कि वे कर्मचारियों को उन के निवेदन करने पर उनसे मिलने का अवसर दें;

(ग) क्या श्रमिकों से सम्बन्ध सुधारने के लिये संस्थापना पदाधिकारियों के सामयिक स्थानांतरण किये जाते हैं; और

(घ) यदि हाँ, तो संस्थापना पदाधिकारियों का गोल्डन रॉक शाप्स (दक्षिण रेलवे) को हाल ही में किया गया स्थानान्तरण क्या इसी उद्देश्य से किया गया था ?

†**रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभासचिव (श्री शाहनवाज खाँ)** : (क) वर्तमान परिस्थिति के निर्धारण के लिये अनेक बातों में एक बात को छाँट लेना संभव नहीं है।

(ख) हाँ।

(ग) संस्थापना पदाधिकारियों के स्थानांतरण उन की सेवा और अन्य सुसंगत बातों को ध्यान में रखते हुये यथा आवश्यकता किये जाते हैं।

(घ) नहीं।

रेलवे कर्मचारियों के बच्चों के लिये स्कूल

†*१०६८. { **ठाकुर युगल किशोर सिंह** :
श्री अस्थाना :
बाबू रामनारायण सिंह : }

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्व रेलवे में बर्काकाना की रेलवे कालोनी में स्कूल के भवन-निर्माण के लिये रेलवे प्राधिकारियों द्वारा कोई भूमि न दी जाने के कारण, राज्य सरकार और जिला बोर्ड, रेलवे कर्मचारियों के बच्चों के लिये प्राथमिक पाठशाला चलाने के लिये उचित कार्यवाही नहीं कर रहे हैं; और

(ख) यदि हाँ, तो रेलवे कर्मचारियों के बच्चों को शिक्षा सुविधायें देने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

†**रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभासचिव (श्री शाहनवाज़ खाँ)**: (क) और (ख). वहाँ एक प्राथमिक पाठशाला कई वर्षों से चल रही है। इस कार्य के लिये रेलवे द्वारा आवश्यक भूमि नाममात्र के किराये पर दे दी गई थी।

रेलवे संस्थायें और स्कूल

†*१०६६. **श्री वोडयार** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे बोर्ड ने यह निदेश दिया है कि समस्त देश में रेलवे संस्थाओं और रेलवे स्कूलों के पुस्तकालयों तथा स्टेशनों के 'बुक स्टालों' पर प्रवर गाँधी-प्रकाशन रखे जायें; और

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हाँ, तो कथित स्थानों में गाँधी साहित्य के प्रदर्शन और विक्रय की दशा में विभिन्न रेलवे द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

†**रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभासचिव (श्री शाहनवाज खाँ)** : (क) हाँ ।

(ख) विवरण सभा के पटल पर रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या २८**]

पशुओं की बीमारियाँ और संक्रामक रोग

***११०२. श्री अमर सिंह डामर** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास कोई ऐसा दीर्घकालीन कार्यक्रम है जिस के अधीन पशुओं की बीमारियों की रोकथाम के बारे में पशु-चिकित्सा गवेषणा संस्थाओं द्वारा प्राप्त परिणामों को देश भर में सफलतापूर्वक पहुँचाया जा सके;

(ख) सीरम और पशुओं की बीमारियों की रोकथाम करने वाले टीकों में भारत किस सीमा तक स्वावलम्बी है; और

(ग) वह किस सीमा तक दूसरे देशों पर निर्भर है ?

खाद्य और कृषि मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : (क) जी हाँ ।

(ख) पशुओं की बीमारियों को रोकने वाले सीरम और टीके की दवाई में भारत पूरा स्वावलम्बी है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

असैनिक उड्डयन विभाग के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी

†***११०४. श्री बी० वाई० रेड्डी** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि असैनिक उड्डयन विभाग के प्राविधिक कार्यों में योग्य चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को भी तृतीय श्रेणी के स्थानों के लिये पदोन्नति नहीं दी जा रही है जैसी कि गृह कार्य मंत्रालय के चतुर्थ से तृतीय श्रेणी को पदोन्नति निषेध आदेश जारी किये जाने से पहले दी जा रही थी; और

(ख) यदि हाँ, तो क्या उन्हें इस आदेश से मुक्त रखने का कोई प्रस्ताव है ?

†**संचार मंत्रालय में मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) लोक-सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या २९**]

(ख) नहीं, श्रीमान

पुष्कर जाने वाले यात्री

***११०८. श्री यू० एम० त्रिवेदी** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले सूर्य ग्रहण के समय पुष्कर जाने वाले कितने यात्री अजमेर आये;

(ख) क्या सरकार ने स्पेशल रेलगाड़ियाँ चलाने का कोई प्रबन्ध किया था ?

(ग) यदि हाँ, तो कितनी रेलगाड़ियाँ कब कब चलाई गईं; और

(घ) क्या किसी प्रकार की रियायत दी गई थी ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभासचिव (श्री शाहनवाज खां) : (क) पिछले सूर्य ग्रहण के समय पुष्कर जाने वाले जो यात्री अजमेर गये उनके आँकड़े पृथक् नहीं लिखे गये हैं । सूर्य ग्रहण १४-१२-५५ को था, प्रतिदिन अजमेर पहुँचने वाले १,८५० यात्रियों के औसत के मुकाबले १३,१४ और १५ दिसम्बर, १९५५ को क्रमशः ३,३८१, २,२४९ और २,३०५ यात्री अजमेर आये ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

(घ) नहीं ।

विक्टोरिया कोयला खान में दुर्घटनायें

†*११०९. **श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि फरवरी, १९५६ में दस दिन की अवधि में आसनसोल में लालबाज़ार की विक्टोरिया कोयला खदान में छत गिरने की तीन दुर्घटनायें हुई हैं; और

(ख) यदि हाँ, तो यदि कोई जांच की गई तो उसके क्या परिणाम निकले ?

†**श्रम मंत्री (श्री खंडूभाई देसाई)** : (क) जी हाँ ।

(ख) इन दुर्घटनाओं को अनायास दुर्घटना माना गया है ।

असैनिक उड्डयन विभाग

†*१११७. **श्री टी० बी० विट्ठल राव** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि असैनिक उड्डयन विभाग के जूनियर क्लर्कों को रुपये पैसे रखने का काम करने के लिये केवल १० रुपया खजांची भत्ता दिया जाता है जबकि भारतीय ऋतु विज्ञान विभाग में इसी काम के करने वालों को इसी उतरदायित्व के लिये २० रूपये दिये जाते हैं; और

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार इस अन्तर को दूर करना चाहती है ?

†**संचार मंत्रालय में मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) और (ख). इस समय खजांचियों को दिये जाने वाले भत्ते में अवश्य अन्तर है और इस सम्पूर्ण विषय की जांच की जा रही है, और यदि आवश्यक हुआ तो उपयुक्त आदेश जारी किये जायेंगे ।

डाक मोटर सेवा

†*१११८. **चौधरी मुहम्मद शफी** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत के कुछ स्थानों पर १९५२ के पश्चात विभागीय डाक मोटर सेवा का काम निजी ठेकेदारों को सौंप दिया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) उन स्थानों के नाम और करार की शर्तें क्या हैं;

(घ) कितनी बार यह ठेकेदार डाक को हवाई अड्डों और रेलवे स्टेशनों पर समय पर नहीं पहूँचा सके हैं; और

(ङ) इस विषय में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

†**संचार मंत्रालय में मंत्री (श्री राज बहादुर)** (क) जी हाँ ।

(ख) बचत के लिये ।

(ग) जयपुर, शिमला और अमृतसर निजी ठेकेदारों के लिये जिस क़रार पत्र का प्रयोग किया गया है उसकी एक प्रति लोक-सभा पटल पर रखी जाती है । **[देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या ३०]**

(घ) २२-११-५५ को जयपुर में एक बार ।

(ङ) डाक मोटर के ड्राइवर को ठेकेदार ने बदल दिया था ।

---

†मूल अंग्रेजी में

कृषि फार्म

*११२१. **श्री आर० एन० सिंह** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५५-५६ में केन्द्रीय सरकार के कृषि फार्मों में प्रति एकड़ उपज कितनी हुई ?

खाद्य और कृषि मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : जम्मू और भोपाल की केन्द्रीय मेकनाईज़ड (यंत्री-कृत) फार्मों में १९५५-५६ में जो प्रमुख फसल उगायी तथा काटी गई उनकी प्रति एकड़ उपज निम्न प्रकार थी:--

केन्द्रीय मेकनाईजड फार्म, जम्मू

गेहूं	९.७२ मन प्रति एकड़
चने	९.०८ मन प्रति एकड़
जौ	८.६७ मन प्रति एकड़
धान	१३.२ मन प्रति एकड़

केन्द्रीय मेकनाईजड फार्म, भोपाल

गेहूं	३.३४ मन प्रति एकड़
चने	१.९९ मन प्रति एकड़
धान	२.९२ मन प्रति एकड़

सकरी-हसनपुर लाइन का निर्माण

†*११२२. **श्री अनिरुद्ध सिंह** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत रेलवे विकास कार्यक्रम के सम्बन्ध में बिहार सरकार ने मंत्रि परिषद के अनुमोदन से उत्तर बिहार में सकरी-हसनपुर रेलवे लाइन के निर्माण किये जाने की सिफारिश की थी; और

(ख) यदि हां, तो क्या कारण है कि द्वितीय योजना की अवधि में उत्तर बिहार में निर्माण की जाने वाली नई लाइनों की सूची में इसे सम्मिलित नहीं किया गया है ?

†**रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभासचिव (श्री शाहनवाज खां)** : (क) हां, श्रीमान ।

(ख) इस परियोजना के बारे में अभी विनिश्चय किया जाना है ।

वाईकाउन्ट विमान

†*११२३. **श्री वी० पी० नायर** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इंडियन एयर-लाइन्स कारपोरेशन ने आवश्यक कर्मचारियों को उन वाईकाउन्ट विमानों को, जो निगम द्वारा खरीदे जा रहे हैं, चलाने का प्रशिक्षण देने के लिये कोई कार्यवाही की है ?

†**संचारण मंत्रालय में मंत्री (श्री राज बहादुर)** : इंडियन एयर लाइन्स कारपोरेशन २० विमान चालकों, २० रेडियो पदाधिकारियों और २३ इंजीनियरिंग कर्मचारियों को विमानों और इंजनों का निर्माण करने वाले वर्कशापों में प्रशिक्षण देने की प्रस्थापना करती है ।

रेलवे स्टेशनों पर पुस्तकों की दुकानें

†*११२४. **श्रीमती कमलेन्दुमति शाह**: क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इस विषय में क्या कार्यवाही की गई है कि रेलवे स्टेशनों पर पुस्तकें बेचने वाले ऐसी पुस्तकें रखें जिनसे कि पाठकों को लाभ हो ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभासचिव (श्री शाहनवाज खां)** : एक विवरण लोक-सभा पटल पर रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या ३१**]

विमान दुर्घटना

†***११२५. श्री डी० सी० शर्मा** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन एयर-लाइन्स कारपोरेशन का एक विमान २१ मार्च, १९५६ को तेजपुर में गिर पड़ा था; और

(ख) यदि हाँ, तो दुर्घटना के क्या कारण थे ?

†**संचार मंत्रालय में मंत्री (श्री राज बहादुर)** :

(क) हां, श्रीमान ।

(ख) दुर्घटना के कारण की जांच की जा रही है ।

गाँवों के डाकघर

***११२६.** { **श्री भक्त दर्शन** : **श्री लक्ष्मय्या** :

क्या **संचार** मंत्री ९ सितम्बर, १९५५ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १६०४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देहातों में डाक की सुविधाओं के लिये नये डाकघर खोलने की शर्तों में ढील देने के प्रश्न पर क्या कोई अन्तिम निर्णय किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो वह निर्णय क्या है ?

संचार मंत्रालय में मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी नहीं ।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता ।

रेलवे यातायात

†***११२७. श्री विभूति मिश्र** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने प्रत्येक वर्ष नवम्बर और जून के बीच बढ़ जाने वाले सामान और यात्रियों के यातायात की माँग को पूरा करने के लिये दिसम्बर, १९५५ के पश्चात कोई नई यातायात योजनायें हैं; और

(ख) यदि हाँ, तो वे क्या हैं ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) तथा (ख). एक विवरण लोक-सभा पटल पर रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या ३२**]

डीज़ल रेल कारें

†***११२८. श्री कृष्णाचार्य जोशी** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भीड़ को कम करने के लिये १९५५ में और कितनी रेल कारें चलाई गई हैं; और

(ख) इसी अवधि में थोड़े फासलों के लिये और कितनी और शटल गाड़ियां बढ़ाई गई हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभासचिव (श्री शाहनवाज खाँ)** : (क) दक्षिण रेलवे पर छोटी लाइन की बहार नई डीज़ल कारें चलाई गई हैं।

(ख) ६८ शटल गाड़ियां ।

आर० सी० सी० डिपो-गोल्डन राक

†*११२९. **श्री नम्बियार** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गोल्डन रांक (दक्षिण रेलवे) के आर० सी० सी० डिपो (इंजीनियरिंग) के श्रमिक सप्ताह में ४८ घंटे काम करते हैं जबकि गोल्डन राक में सभी रेलवे वर्कशाप और कारखानों के श्रमिक एक सप्ताह में ४७ घंटे काम करते हैं; और

(ख) इस कारखाने में भी अन्य कारखानों की तरह काम करने के घंटों की संख्या को कम करके ४७ कर देने के बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

†**रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभासचिव (श्री शाहनवाज खाँ)** : (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) काम करने के घन्टों में कमी करने की प्रस्थापना नहीं है ।

रेल की पटरी पर रुकावट

†*११३०. **श्री एस० सी० सामन्त** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गत जनवरी में अन्तिम दिनों में दक्षिण-पूर्वी रेलवे के गंगाझिरी और गोंदिया स्टेशनों के बीच रेल मार्ग पर एक बहुत बड़ा पत्थर रखा पाया गया था;

(ख) यदि हाँ, तो किस व्यक्ति ने उसका पता लगाया था और दुर्घटना का निराकरण किस प्रकार किया गया था;

(ग) क्या कोई जांच की गई है; और

(घ) यदि हां, तो क्या परिणाम निकले ?

†**रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभासचिव (श्री शाहनवाज खाँ)** : (क) ३० जनवरी, १९५६ को गोंदिया और गंगाझिरी स्टेशनों के बीच ६२७/१६-१७ मील पर रेलपथ पर पत्थर और रोड़े आदि रखे पाये गये थे ।

(ख) उक्त स्थान पर से होकर गुज़रते समय ४०९ डाउन पार्सल एक्सप्रैस ट्रेन के ड्राइवर ने एक धक्का लगने पर तुरन्त ही ट्रेन को रोक दिया था ।

(ग) गोंदिया की सरकारी रेलवे पुलिस ने भारतीय सरकार रेलवे अधिनियम की धारा १२६ के अन्तर्गत एक मुकदमा पंजीबद्ध कर लिया है ।

(घ) वे अभी तक अपराधी का पता नहीं लगा सके हैं ।

कृषि सम्बन्धी विकास

*११३१. { **श्री अमर सिंह डामर** :
मुल्ला अब्दुल्लाभाई :

क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कृषि सम्बन्धी विकास प्रशिक्षण योजनाओं के लिये फ़ोर्ड फाउण्डेशन से अब तक कितनी सहायता प्राप्त हुई है या भविष्य में प्राप्त होने की आशा है;

(ख) योजनाओं के ब्यौरे क्या हैं और वे किस प्रकार कार्यान्वित की जायेंगी;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) क्या इन योजनाओं का सारा व्यय फ़ोर्ड फाउण्डेशन द्वारा किया जायेगा; और

(घ) इन योजनाओं को लागू करने के लिये किन-किन स्थानों पर काम शुरू किया गया है या शुरू करने का विचार है ?

खाद्य और कृषि मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : (क) से (घ). जानकारी का एक विवरण सभा की टेबल पर रख दिया गया है। **[देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या ३३]**

असैनिक उड्डयन विभाग के कर्मचारियों के लिये वर्दी

†*११३२. **श्री बी० वाई० रेड्डी** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि असैनिक उड्डयन विभाग के कर्मचारियों की वर्दी के क्रम को पुनरीक्षित करने की प्रस्थापना बहुत अधिक समय से लम्बित है; और

(ख) यदि हाँ, तो कब तक निश्चय किये जाने की सम्भावना है ?

†**संचार मंत्रालय में मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) तथा (ख). असैनिक उड्डयन विभाग के कर्मचारियों की वर्दियों के क्रम के पुनरीक्षण का प्रश्न कुछ समय से विचाराधीन है और शीघ्र ही कोई विनिश्चय किये जाने की आशा है।

चिकित्सा की देशी प्रणालियाँ

†*११३३. **श्री गार्डिलिंगन गौड़** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या मैसूर सरकार ने राज्य में चिकित्सा की देशी प्रणालियों का विकास करने के लिये एक योजना प्रस्तुत की है ;

(ख) यदि हाँ, तो योजना पर कितना खर्च होने का अनुमान है; और

(ग) क्या संघ सरकार ने उक्त योजना का अनुमोदन किया है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत कौर)** : (क) मैसूर सरकार ने चिकित्सा की देशी प्रणालियों के विकास के लिये कोई वित्तीय सहायता दिये जाने की योजना प्रस्तुत नहीं की है।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

डाकियों को अतिरिक्त समय भत्ता

†*११३४. **डा० रामा राव** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाकघरों में डाकियों को रविवार के अतिरिक्त अन्य डाक विभाग की छुट्टी के दिन काम करने के लिये एक रुपया भत्ता दिया जाता है;

(ख) क्या ग्रामीण डाकियों को यह भत्ता नहीं दिया जाता है और उन्हें डाक विभाग की छुट्टियों के दिनों में भी काम करना होता है; और

(ग) क्या सरकार शीघ्र ही इस असमानता को दूर करने की प्रस्थापना करती है ?

†**संचार मंत्रालय में मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) जी, हाँ ।

(ख) उन्हें नहीं मिलता है ।

(ग) इस मामले का परीक्षण किया जा रहा है।

---

†मूल अंग्रेजी में

रेल की दोहरी पटरियाँ बिछाना

†*११३५. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या करनाल के रास्ते अम्बाला और दिल्ली के बीच रेल मार्ग को दोहरा करने सम्बन्धी प्रस्ताव का पूरी तरह परीक्षण कर लिया गया है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में क्या उपपत्तियां हैं ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) हाँ, श्रीमान ।

(ख) इस विभाग में पर्याप्त क्षमता उपलब्ध है और अभी कई वर्ष तक रेल मार्ग को दोहरा करना उचित नहीं होगा ।

कृषि कालिज

†*११३७. **श्री आर० के० गुप्त** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत खोले जाने वाले चार कृषि कालेजों के स्थानों के बारे में कोई अन्तिम निश्चय किया गया है; और

(ख) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

†**खाद्य और कृषि मंत्री (श्री ए० पी० जैन)** : (क) जी, हाँ ।

(ख) अपेक्षित जानकारी देने वाला एक विवरण लोक-सभा पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या ३४]**

पशुवध निरोध समिति

†*११३८. **श्री यू० एम० त्रिवेदी** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पशुवध निरोध सम्बन्धी विशेषज्ञ समिति के अध्यक्ष ने कोई प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है; और

(ख) यदि हाँ, तो उसके सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

†**खाद्य और कृषि मंत्री (श्री ए० पी० जैन)** : (क) हाँ ।

(ख) प्रतिवेदन सरकार के विचाराधीन है ।

रेलवे के माल-डिब्बे

†*११३९. **श्री धुसिया** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्वोत्तर रेलवे पर हाल ही में हुई दुर्घटना के फलस्वरूप पटरी से उतरे जिन मालडिब्बों को रेलमार्ग साफ करने के लिये तोड़कर राप्ती नदी में फेंक दिया गया है उनकी संख्या ;

(ख) उन डिब्बों में क्या सामान भरा हुआ था;

(ग) उन वस्तुओं के मूल्य;

(घ) वह कौनसी वस्तु या यंत्र था जो वहाँ पुल से टकराया था; और

(ङ) वह अधिकारी कौन थे जिन्होंने यंत्र की जांच की थी और उसे मालडिब्बे में लदवाया था ?

†**रेलवे मंत्री के सभासचिव (श्री शाहनवाज खाँ)** : (क) यातायात के लिये पुल का शीघ्रता से साफ़ करने के हेतु पांच माल डिब्बों को जो कि पुल के गर्डरों से उलझ कर बुरी तरह टूट गये थे, तोड़कर पुल पर से नदी के सूखे तल में फेंक देना पड़ा था ।

(ख) और (ग). एक विवरण लोक-सभा पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या ३५]**

---

†मूल अंग्रेजी में

(घ) मिट्टी को हटाने वाला एक यंत्र ।

(ङ) माल अधीक्षक, चारबाग लखनऊ और ट्रेन एक्ज़ामिनर लखनऊ ।

यात्री डिब्बे बनाने का कारखाना

†*११४०. **श्री टी० बी० विट्ठल राव** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छोटी लाइन के यात्री डिब्बों का निर्माण करने के लिये एक फैक्टरी स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस समय मामला किस अवस्था में है ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) हाँ ।

(ख) प्रस्ताव की जांच की जा रही है ।

तम्बाकू विस्तार सेवा योजना

†*११४१. **श्री बी० एस० मूर्त्ति** : क्या **खाद्य और कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमाखू विस्तार सेवा सम्बन्धी किसी योजना को आन्ध्र राज्य में मंजूरी दी गई है;

(ख) यदि हां तो योजना के मुख्य मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) योजना के लिये केन्द्र द्वारा मंजूर की गई राशि ?

†**खाद्य और कृषि मंत्री (श्री ए० पी० जैन)** : (क) हां ।

(ख) योजना में तमाखू की खेती करने वालों को तमाखू की खेती, कटाई, उसे सुखाने और उसका वर्गीकरण करने की व्यवहारिक शिक्षा देने का उपबन्ध है ।

(ग) १९५५-५६ और १९५६-५७ के लिये १,४७,६४६ रुपये ।

संयुक्त राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय बाल आपात निधि (यूनिसेफ)

†*११४२. **श्री आर० एन० सिंह** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) चालू वर्ष में प्रसूति और बाल कल्याण कार्यक्रम के लिये संयुक्त राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय बाल आपात निधि से प्राप्त होने वाली कुल सहायता;

(ख) उक्त राशि का उपयोग किस प्रकार किया जायेगा; और

(ग) विभिन्न राज्य सरकारों में उक्त धन राशि का वितरण किस प्रकार किया जाना है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत कौर)** : (क) से (ग). पूछी गई जानकारी देने वाला एक विवरण लोक-सभा पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या ३६]**

पश्चिम रेलवे पर रेलगाड़ियों का देरी से चलना

†*११४४. **श्री डाभी** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पिछले पखवाड़े में पश्चिम रेलवे की छोटी लाइन पर चलने वाली प्राय: सभी रेलगाड़ियां घंटों देरी से चल रही हैं जिसके परिणामस्वरूप यात्रियों को अत्यधिक कठिनाई और असुविधा हो रही है और सब्जी और दूध विक्रेताओं को आर्थिक हानि हो रही है; और

(ख) यदि हां, तो स्थिति को सुधारने के लिये सरकार क्या अविलम्ब कार्यवाहियां करने की प्रस्थापना करती है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभासचिव (श्री शाहनवाज खां)** : (क) हां, । अहमदाबाद-कालोल विभाग में रेलमार्ग के दुहरा किये जाने के फलस्वरूप सब्जी और दूध विक्रेताओं से आर्थिक हानि के सम्बन्ध में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है ।

(ख) विशेष अधिकारियों के एक दल को, स्थिति में सुधार करने के लिये मौके पर अविलंब उचित कार्यवाही करने के लिये कार्य स्थान को भेजा गया है । स्थिति में निरंतर सुधार हो रहा है ।

प्रादेशिक पर्यटक मंत्रणा समिति

***११४५. श्री भक्त दर्शन** : क्या **परिवहन** मंत्री ८ दिसम्बर, १९५५ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ६३८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रादेशिक पर्यटक मंत्रणा समितियों के पुनर्गठन के प्रश्न के बारे में, जो विचाराधीन था, कोई अन्तिम निर्णय किया गया है; और

(ख) यदि हां तो क्या प्रत्येक समिति के नये पदाधिकारियों और सदस्यों के नामों का विवरण सभा पटल पर रखा जायेगा ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभासचिव (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी, नहीं ।

(ख) सवाल ही पैदा नहीं होता ।

कुष्ठ रोग

†***११४६. श्री एस० सी० सामन्त** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) देश में प्रथम पंचवर्षीय योजना में कुष्ठ रोग की विभीषिका को किस हद तक दूर किया गया है;

(ख) क्या इस विभीषिका को विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार सामान्यतः समाप्त किया जा सकता है;

(ग) यदि हां, तो क्या उसके लिये कोई नई औषधि बनाई गई है;

(घ) क्या यह भी सच है कि कुष्ठ रोग से पीड़ित कोई महिला एक पूर्ण रूप से स्वस्थ बच्चे को जन्म दे सकती है; और

(ङ) क्या विश्व स्वास्थ्य संगठन की कुष्ठ रोग सम्बन्धी विशेषज्ञ समिति द्वारा अनिवार्यतः अलग रखे जाने अथवा पृथक्करण किये जाने की सिफ़ारिश की गई है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत कौर)**: (क) प्रथम पंचवर्षीय योजना में कुष्ठ नियंत्रण योजना के अंतर्गत १६ राज्यों में ४० कुष्ठ नियंत्रण केन्द्रों के लिये मंजूरी दी गई है, जिसमें से २२ केन्द्रों ने कार्य आरम्भ कर दिया है। इन २२ केन्द्रों के अन्तर्गत लगभग नौ लाख जनसंख्या आती है, जिसमें से दो लाख की जांच की गई है और चिकित्सा के लिये एक हजार से अधिक रोगियों को पंजीबद्ध किया गया है ।

(ख) एक सहयोगी कुष्ठ विरोधी आंदोलन द्वारा कुष्ठ रोग का नियंत्रण और कालान्तर में उसका उन्मूलन किया जा सकता है ।

(ग) औषधियों का सल्फोन समूह कुष्ठ रोग की चिकित्सा के लिये अत्यंत प्रभावी है । अब सल्फोन समूह के अतिरिक्त कुछ नई औषधियां भी उपलब्ध हैं, किन्तु वह वैकल्पिक औषधियों के रूप में कार्य करती हैं ।

(घ) हां ।

(ङ) नहीं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

घानी का तेल

***११४७. श्री अमर सिंह डामर** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि घानी के तेल उत्पादन में निरन्तर कमी हो रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या घानी के तेल-उद्योग को कोई आर्थिक सहायता दी गई है या दिये जाने का विचार है ?

खाद्य और कृषि मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : (क) से (ग). सभा की टेबल पर एक विवरण रख दिया गया है । [**देखिए परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या ३७**]

अघोषित कर्मचारियों को प्रभार-भत्ता

†***११४८. श्री बी० वाई० रेड्डी** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या संचार स्टेशनों और हवाई अड्डों का कार्यभार संभालने वाले अघोषित कर्मचारियों को प्रभार-भत्ता दिये जाने का कोई प्रस्ताव है ?

†**संचार मंत्रालय में मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) असैनिक उड्डयन विभाग के जो अघोषित कर्मचारी हवाईअड्डों का कार्यकार संभालते हैं उन्हें प्रभार-भत्ता दिये जाने के प्रश्न की जांच सरकार द्वारा की जा रही है । संचार स्टेशनों का कार्यभार संभालने वाले अघोषित कर्मचारियों के सम्बन्ध में ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

भारत-अमरीका टेक्नीकल सहयोग

†*११४९. { **सरदार इकबाल सिंह** :
श्री आर० के० गुप्त :

क्या **संचार** मंत्री ५ दिसम्बर, १९५५ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ५२२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत-अमरीका प्रविधिक सहकारिता कार्यक्रम के अन्तर्गत जिन हवाई अड्डों का विकास किया जाने वाला है उनके नाम क्या हैं ?

†**संचार मंत्रालय में मंत्री (श्री राज बहादुर)** : अपेक्षित जानकारी देने वाला एक विवरण मैं लोकसभा पटल पर रखता हूं । [**देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या ३८**]

विलम्ब शुल्क

†**६३८ ठाकुर युगल किशोर सिंह** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जो विलम्ब-शुल्क लिया जाता है उसे वापिस करने की शर्तें क्या हैं और कौन अधिकारी उसे वापिस कर सकते हैं; और

(ख) क्या विलम्ब-शुल्क लौटाना केवल सम्बन्धित अधिकारी के निर्णय पर निर्भर करता है अथवा विलम्ब-शुल्क लौटाने वाले अधिकारियों के मार्गप्रदर्शन के लिये कोई आदेश या नियम हैं ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) और (ख). विलम्ब-शुल्क लौटाने

†मूल अंग्रेजी में

सम्बन्धी शक्तियां निम्नलिखित अधिकारियों को उनके नाम के आगे दर्शायी गई राशि की सीमा तक प्रत्यायोजित कर दी गई हैं ।

प्राधिकारी	प्रत्यायोजन की सीमा रूपये तक (प्रत्येक मामले में)
मुख्य प्रबन्धक	पूर्ण
विभागों के अध्यक्ष	५,०००
विभागों के अपाध्यक्ष, प्रादेशिक और विभागीय अधीक्षक	२,०००
वरिष्ठ श्रेणी के अधिकारी	२५०
सहायक अधिकारी	कुछ नहीं

यद्यपि विलम्ब-शुल्क लौटाने के सम्बन्ध में कोई विशिष्ट शत और। अथवा नियम विहित नहीं किये गये हैं, तथापि सम्बद्ध विवरण में बताये गये मामलों के अतिरिक्त, अन्य मामलों में आंशिक या पूर्ण विलम्ब-शुल्क के लौटाये जाने की मंजूरी का निर्णय मामले के गुणों और स्थितियों को देखते हुये अधिकारियों द्वारा ऊपर दी गई शक्तियों के अनुसार दिया जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या ३९]**

फ्लैग स्टेशनों का खोला जाना

†६३९. **ठाकुर युगल किशोर सिंह** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५४ से १९५५ तक पूर्वोत्तर रेलवे पर दरभंगा और बैरागनिया तथा मुजफ्फरपुर और हाजीपुर के बीच जिन स्थानों पर फ्लैग स्टेशन खोले जाने के लिये अधिकारियों को अभ्यावेदन प्राप्त हुये थे उनके नाम; और

(ख) फ्लैग स्टेशन न खोले जाने के प्रत्येक मामले में क्या कारण थे ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) और (ख). १९५४ और १९५५ में दरभंगा और बैरागनिया तथा मुज़फ्फरपुर और हाजीपुर स्टेशनों के बीच फ्लैग स्टेशन खोले जाने के लिये जो अभ्यावेदन प्राप्त हुये थे वह इस प्रकार हैं:—

दरभंगा और बैरागनियां स्टेशनों के बीच

(१) रिगा और ढांग स्टेशन ।

(२) बाजपट्टी और सीतामढ़ी स्टेशन ।

(३) बाजपट्टी और जनकपुर-रोड स्टेशन ।

(४) जोगियारा और कामतौल स्टेशन ।

(५) मोहम्मदपुर और दरभंगा स्टेशन ।

मुजफ्फरपुर और हाजीपुर स्टेशन के बीच

(१) सराय और भगवानपुर स्टेशन । उक्त स्टेशनों के बीच फ्लैग स्टेशन खोलने के प्रश्न की जांच की गई थी किन्तु यह पाया गया कि इस के लिये कोई आर्थिक औचित्य नहीं था ।

पूर्वोत्तर रेलवे पर रेलगाड़ियां

†६४०. **ठाकुर युगल किशोर सिंह** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि नवीनतम जन-गणना के अनुसार पूर्वोत्तर रेलवे के मुज़फ्फरपुर विभाग के शाखा मार्गों की सभी रेलगाड़ियों में यात्रियों के बैठाने की क्षमता के आंकड़े क्या हैं ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : एक विवरण संलग्न है । **[देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या ४०]**

---

†मूल अंग्रेजी में

बीड़ी व्यापारियों के लिये मालडिब्बे

†६४१. **श्री कामत :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दक्षिण-पूर्वी रेलवे के स्टेशनों पर मालडिब्बों का संभरण किये जाने के लिये बीड़ी पत्ते के व्यापारियों से अभ्यावेदन प्राप्त हुये हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) :** (क) जी, हां ।

(ख) इस प्रकार के यातायात के लिये माल डिब्बों की संख्या को बढ़ान के लिय रेलवे प्रशासन द्वारा विशेष प्रयत्न किये गये हैं, बावजूद इस बात के कि विरमगाम होते हुये छोटी लाइन स्टेशनों के लिये जो मार्ग हैं उस पर आवागमन में कठिनाई होती है । यह इस बात से स्पष्ट है कि जनवरी और फरवरी १९५६ मे बीड़ी पत्तों के कुल ९४२ मालडिब्बे चलाये गये हैं जबकि इसी अवधि में १९५५ में यह संख्या ७३३ थी जिसका अर्थ है कि १९५६ में लगभग २९ प्रतिशत की वृद्धि हुई है ।

नारनौल और निज़ामपुर में फ्लैग स्टेशन

†६४२. **श्री आर० के गुप्त :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम रेलवे के रेवाड़ी-फुलेरा शाखा मार्ग पर नारनौल और निज़ामपुर स्टेशनों के बीच एक फ्लैग स्टेशन खोले जाने के सम्बन्ध में सरकार को नारनौल की जनता से काई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां तो क्या सरकार ने इस मामले पर विचार किया है ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) :** (क) हां ।

(ख) हां; एक फ्लैग स्टेशन खोले जाने का कोई आर्थिक औचित्य नहीं था ।

उत्तर रेलव पर उपहार-गृह

†६४३. **श्री आर० के० गुप्त :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) १९५६-५७ में उत्तर रेलवे में कितने भोजनालय और खौंचे वालों के स्टाल खोलने का विचार है; और

(ख) ये भोजनालय और खौंचे वालों के स्टाल किन किन स्टेशनों पर खोले जायगे ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) :** (क) और (ख). १९५६-५७ में कोई भोजनालय खोलन की प्रस्थापना नहीं है ।

तथापि इस वर्ष निम्न स्टेशनों पर खौंचे वालों के स्टाल खोलने की प्रस्थापना है :

सोलन, आनन्दपुर, सादिब, समालखा, दिल्ली क्वीन्स रोड़ माल गोदाम, जालन्धर नगर मालगोदाम, माधोपुर पी० बी०, खुर्दपुर, बीकानेर मालगोदाम और सियोलरा ।

उत्तर रेलवे के स्टेशनों पर बिजली लगाना

†६४४. **श्री आर० के० गुप्त :** क्या रेलवे मंत्री उत्तर रेलवे के उन स्टेशनों की संख्या और नाम बताने की कृपा करेंगे जिन पर १९५६-५७ में बिजली लगाने का विचार है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : १९५६-५७ में निम्न ४९ रेलवे स्टेशनों पर बिजली लगाने का विचार है :

१. अतरौली
२. आसफपुर
३. बालामऊ
४. बमरौली
५. क्लटरबकगंज
६. दैबतारा
७. फीरोजाबाद
८. गढ़मुक्तेश्वर (ब्रिजहॉल्ट)
९. हाथरस क़िला
१०. हिरनगौ
११. जंघई
१२. खैर झालू
१३. काठगढ़
१४. लादनून
१५. मालेरकोटला
१६. मिसरिख तीर्थ
१७. महोली
१८. नागौर
१९. रामपुराफूल
२०. सखोती टांडा
२१. सूबेदार गंज
२२. सुलतानपुर
२३. सालारपुर
२४. सीतापुर छावन्दी
२५. थामसन गंज
२६. अकबर पुर
२७. बहादुरगढ़
२८ बुलन्दशहर
२९. चुनार
३०. देवबन्द
३१. एतमादपुर
३२. फतेहपुर
३३. हल्दौर
३४. हाथरस जंकशन
३५. जसवंत नगर
३६. खतौली
३७. कुंदरकी
३८. खुर्जा नगर

†मूल अंग्रेजी में

३९. मुहीउद्दीन पुर
४०. मिलाक
४१. माधोगंज
४२. मनौरी
४३. नैमिषारण्य
४४. राजघाट नरोरा
४५. संडीला
४६. शाहगंज
४७. सादूलपुर
४८. सोहगल
४९. सिम्मोली

उत्तर रेलवे पर फ्लैग स्टेशन

†६४८. **श्री आर० के० गुप्त** : क्या रेलवे मंत्री उन नये फ्लैग स्टेशनों की संख्या और नाम बताने की कृपा करेंगे, जिन्हें १९५६-५७ में उत्तर रेलवे पर खोलने की प्रस्थापना की ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : १९५६-५७ में उत्तर रेलवे पर निम्न १४ स्थानों पर नये फ्लैग स्टेशन खोलने का विचार है :

१. नई दिल्ली और हार्डिग ब्रिज स्टेशनों के बीच मिन्टो ब्रिज पर ।
२. मुसाफिरखाना और निहालगढ़ स्टेशनों के बीच वारिसगंज पर।
३. पिपरपुर और कुंहडौद स्टेशनों के बीच रामगंज बाज़ार पर ।
४. *चकपाखेवाला और फाजिलका स्टेशनों के बीच ।
५. दुराहा और चवापेल स्टेशनों के बीच जशपालों पर ।
६. मल्सियां शाहकोर और सिंधार स्टेशनों के बीच मूलेवाल खेड़ा पर ।
७. छजली और लेहडा गाग स्टेशनों के बीच गोविन्दगढ़ खोखड़ पर ।
८. आंवला और करेंगी स्टेशनों के बीच टियोंटे पर ।
९. आसफपुर और चंदौसी स्टेशनों के बीच पिपोरिया पर ।
१०. मेरठ शहर और मुहीउद्दीनपुर स्टेशनों के बीच पूठा पर ।
११. खलीलपुर और पटौदी रीड स्टेशनों के बीच इंछापुरी पर ।
१२. झाड़ली और कोसली स्टेशनों के बीच सुधराना पर ।
१३. उन्नाव और माटवी स्टेशनों के बीच पुरा पर ।
१४. मारवी और साफ़ीपुर स्टेशनों के बीच मेथी पर ।

शालिहोत्री कालिज

†६४९. **श्री आर० के० गुप्त** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दूसरी पंच वर्षीय योजना अवधि में कितने शालिहोत्री कालिज खोले जायेंगे; और

(ख) उन स्थानों के नाम जहां ये कालिज खोले जाने हैं ?

†**खाद्य और कृषि मंत्री (श्री ए० पी० जैन)** : (क) और (ख). प्रशिक्षित शालिहोत्री कर्मचारियों की आवश्यकता को पूरा करने के लिये दूसरी पंचवर्षीय योजना अवधि में १९५५ में चार नये शालिहोत्री कालिज शुरू किये गये थे । ये इन स्थानों पर हैं :

---

†मूल अंग्रेजी में

*स्थान अभी नहीं चुना गया है ।

१. कटक (उड़ीसा)
२. मह् (मध्य भारत)
३. त्रिचूर (त्रावनकोर-कोचीन)
४. *बपताला (आन्ध्र)

इटारसी स्टेशन

†६४७. **श्री कामत** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार मध्य रेलवे के इटारसी स्टेशन पर लाऊडस्पीकरों द्वारा गाड़ियों के आने और जाने के समय की घोषणा किये जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था करने की प्रस्थापना करती है ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : जी, हां ।

बिना टिकट के यात्री

†६४८. **श्री आर० के० गुप्त** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५५-५६ में खंडवार कुल कितने टीटी सेवायुक्त थे;

(ख) इसी अवधि में बिना टिकट के यात्रियों की खंडवार कुल संख्या कितनी थी;

(ग) क्या वर्तमान कर्मचारी रेलों पर बिना टिकट यात्रियों की बढ़ती हुई संख्या को संभालने की स्थिति में हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो क्या सरकार १९५६-५७ में कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने का विचार करती है ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) से (घ). अपेक्षित जानकारी देने वाला एक विवरण संलग्न है । **[देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या ४१]**

रेलवे कर्मचारियों की वरिष्ठता सूची

६४९. **श्रीमती अनुसूयाबाई बोरकर** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे बोर्ड ने सभी कर्मचारियों की वरिष्ठता सूची तैयार कर ली है;

(ख) क्या बोर्ड ने संघ लोक-सेवा आयोग से असिस्टेंट्स के पदों के लिये कुछ हरिजनों का संवरण करने को कहा है; और

(ग) क्या बोर्ड ने इन पदों के लिये संघ लोक-सेवा आयोग से अन्य उम्मेदवारों की भी मांग की है ?

रलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) जी हां, बोर्ड के कर्मचारियों की ।

(ख) और (ग). अभी नहीं । लेकिन रेलवे बोर्ड की पुनर्गठन योजना में आसिस्टेंट्स के ग्रेड का फ़ैसला होने पर संघ-लोक-सेवा आयोग को उम्मीदवार भेजने के लिये लिख दिया जायेगा ।

रेलवे कर्मचारी

६५०. **श्रीमती अनुसूयाबाई बोरकर** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्रमशः तीसरी और चौथी श्रेणी की सेवाओं में अनुसूचित जातियों के रेलवे कर्मचारियों की प्रतिशतता क्या है; और

---

†मूल अंग्रेजी में

*आन्ध्र में कालिज अस्थायी रूप से बपताला में स्थापित किया गया है । स्थायी स्थान का अभी राज्य सरकार ने निर्णय नहीं किया है ।

(ख) अनुसूचित जातियों के लिये रक्षित कोटा पूरा करने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) तीसरा दर्जा ५.१ प्रतिशत
चौथा दर्जा २२.४ प्रतिशत

(ख) रेल सेवा-आयोग के दफ्तरों को तीसरे दर्जे का और रेल प्रशासनों को चौथे दर्जे का आरक्षित कोटा पूरा करने के लिये विशेष हिदायत कर दी गयी है। उन्हें लिखा गया है कि यदि वे जरूरी समझें तो सिर्फ अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के चुनाव की व्यवस्था करें। जनरल मैनेजरों को भी हिदायत की गयी है कि वे आरक्षित कोटों में कमी न होने दें।

निदादावोले-नरसापुर लाइन का उखाड़ा जाना

†६५१. **श्री पी० सुब्बा राव** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण रेलवे की निदादावोले नरसापुर ब्रांच पर उखाड़ी हुई लूप लाइनों को कब पुनः स्थापित किया जायेगा;

(ख) क्या इन्हें सभी स्टेशनों अर्थात टनूकू, अरावली, विरवाश्रम, लेक लाकोडेरू और पालकोले पर पुनः स्थापित किया जायेगा या उन में केवल कुछ स्टेशनों पर; और

(ग) यदि कुछ स्टेशनों पर इन्हें पुनः स्थापित नहीं किया जाना है तो इस के क्या कारण हैं ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) और (ख). निदादावोले—नरसापुर ब्रांच लाइन के निदादावोलू-भीमाकरम विभाग पर केवल टनूकू विरवाश्रम और पालकोल के फ्लैग स्टेशनों को पुनः क्रासिंग स्टेशनों में परिवर्तित किया जा रहा है।

(ग) यह विचार किया जाता है कि वर्तमान व्यवस्था इस ब्रांच लाइन पर गाड़ियों को चलने और क्रास करने में सुविधा देने के लिये पर्याप्त होगी।

इलाहाबाद-इटारसी रेलगाड़ी

†६५२ **श्री कामत**: क्या रलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विदित है कि इलाहाबाद-इटारसी अप और डाउन यात्री गाड़ी की समयानुकूलता में कोई सुधार नहीं हुआ; और

(ख) यदि हां, तो इसे सुधारने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) जी, हां।

(ख) इलाहाबाद-इटारसी यात्री गाड़ियों के कार्यकरण को सुधारने के लिये यह पग उठाये गये हैं :

(१) गाड़ियों की कार्यपूर्ति देखने के लिये समयानुकूलता आंदोलन चलाये गये हैं।

(२) विलम्ब के प्रत्येक मामले की जांच की जाती है और इस के पश्चात उस के सम्बन्ध में परिस्थितियों के अनुसार कार्यवाही की जाती है।

(३) प्रधान कार्यालय से भी उस विभाग में गाड़ियों की कार्यपूर्ति पर विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है।

†मूल अंग्रेजी में

डाक सेवायें

†६५४. **श्री टी० बी० विट्ठल राव** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि निम्न सेवाओं को चलाने में प्रत्येक मद पर सरकार का औसतन क्या खर्च आता है :

(१) पोस्ट कार्ड,

(२) एयर लैटर,

(३) लिफ़ाफ़े,

(४) रजिस्टर्ड पत्र

(५) बुक पोस्ट

(६) समाचारपत्र

(७) तार

(८) स्थानीय टेलीफोन काल और

(९) ट्रंक काल ?

†**संचार मंत्रालय में मंत्री (श्री राज बहादुर)** : मद (१) से (६) तक के सम्बन्ध में लगभग लागत संलग्न विवरण में दी गई है। मद (७) से (९) तक के सम्बन्ध में जानकारी उपलब्ध नहीं है।

९५३-५४ के अनुमानों पर आधारित अनुमानित औसत व्यय दिखाने वाला विवरण (३-४-५६ के अतारांकित प्रश्न संख्या ६५४ के अनुसार) :

	वस्तु	प्रति वस्तु व्यय		
		रुपये	आने	पाई
(१)	पोस्ट कार्ड	०	१	१.९
(२)	एयर लैटर (अपंजीबद्ध अन्तर्देशीय लैटर कार्ड)	०	१	१.९
(३)	लिफ़ाफ़े (अपंजीबद्ध पत्र)	०	१	३.१
(४)	पंजीबद्ध पत्र	०	१२	१.९
(५)	बुक पोस्ट (अपंजीबद्ध पैकेट)	०	१	११.३
(६)	समाचारपत्र	०	१	११.३

"माल डिब्बा पड़ताल" योजना

†६५५. { **श्री भागवत झा आज़ाद** :
श्री सी० आर० अय्युण्णि :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कोई "माल डिब्बे चालू रखो" आंदोलन शुरू किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस आन्दोलन की मुख्य बातें क्या हैं ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) और (ख). सात रेलवे (खंड़ों) में से प्रत्येक में एक माल डिब्बा पड़ताल संगठन है। इस में प्रधान कार्यालय में पदाधिकारी और विभागों जिलों

†मूल अंग्रेजी में

में निरीक्षक और माल डिब्बों की पड़ताल करने वाले कर्मचारी होते हैं। इस संगठन का उद्देश्य माल डिब्बों के काम में लाये जाने की स्थिति में सुधार करना है। इस के मुख्य कृत्य ये हैं :

(१) यार्डों में और विशेषकर वाहनान्तरण स्थानों पर जमा माल डिब्बों को निकालना।

(२) कर्मशालाओं, विभागीय साइडिगों आदि में माल डिब्बों की पड़ताल करना ताकि कोई माल डिब्बा बेकार न रहे।

(३) यार्डों, कर्मशालाओं आदि में बिगड़े हुये माल डिब्बों की मरम्मत में लगने वाले समय की जांच करना।

(४) यार्डों से भरे हुये तथा खाली माल डिब्बों को चलाने का कार्यक्रम बनाना, जिन में एकट्ठे भार को निकालना भी सम्मिलित है।

(५) माल डिब्बों के अधिक समय तक रोके जाने के कारणों की जांच करना और उन्हें दूर करने के उपायों का सुझाव देना।

माल गाड़ी में आग की दुर्घटना

†६५६. **श्री गिडवानी :**
श्री डाभी :
श्री एम० एल० अग्रवाल :
श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी :
श्री रघुनाथ सिंह :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि १० जनवरी, १९५६ को मध्य रेलवे के आगरा-झांसी विभाग में डबरा और सोनागिर स्टेशनों के बीच जा रही एक माल गाड़ी के एक डिब्बे में आग लग जाने की दुर्घटना हुई थी;

(ख) यदि हां, तो यदि कोई हताहत हुए तो उनकी संख्या क्या थी;

(ग) सम्पत्ति की कितनी हानि हुई;

(घ) क्या कोई जांच की गई है; और

(ङ) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) ९ जनवरी, १९५६ को (१०-१-५६ को नहीं, जैसा कि प्रश्न में कहा गया है) लगभग १९.०५ बजे जब कि खाली पैट्रोल टैंक वैगन स्पेशल माल गाडी मध्य रेलवे के झांसी-ग्वालियर विभाग पर डबरा और सोनागिर स्टेशनों के बीच जा रही थी, तो गाड़ी के सब से पिछले डिब्बे में से आगे वाले डिब्बे में, जो कि खाली था, आग लग गई। उस खाली डिब्बे में १२ गैंगमैन और ५ ट्रालीमैन यात्रा कर रहे थे।

(ख) हत १० — ८ गैंगमैन, २ ट्रालीमैन
आहत ४ — १ गैंगमैन ३ ट्रालीमैन

(ग) लगभग ९५० रुपये की रेलवे सम्पत्ति की हानि हुई।

†मूल अंग्रेजी में

(घ) एक समिति द्वारा, जिस में डिवीजनल आपरेटिंग सुपरिंटेंडेंट, डिवीजनल इंजिनीयर (नार्थ) डिवीजनल मैकेनिकल इंजीनीयर (कैरेज एंड वैगन) असिस्टेंट आपरेटिंग सुपरिन्टेन्डेन्ट (जनरल) झांसी सम्मिलित थे, जांच की गई थी।

(ङ) दुर्घटना का कारण यह था कि एक जलता हुआ हैंड सिगनल लैम्प डिब्बे के फर्श पर गिर गया था, जिस से मिट्टी के तेल में भीगी हुई संवेष्टन घास की मोटी तह को, जो डिब्बे के फर्श पर पड़ी हुई थी, आग लग गई थी।

ट्रंक कॉल के बिल

†६५७. **श्री कृष्णाचार्य जोशी** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ट्रंक कॉल के बिलों के जारी किये जाने में विलम्ब होने के क्या कारण हैं ; और

(ख) क्या सरकार ने विलम्ब को रोकने के लिये निदेश जारी किये हैं ?

†**संचार मंत्रालय में मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) ट्रंक कॉल के बिल जारी करने में कई बार यातायात के असाधारण रूप से बढ़ जाने के कारण विलम्ब होता है

(ख) जी हां।

पहलेजाघाट का निर्माण स्थान (सोनपुर)

†६५८. **पंडित डी० एन० तिवारी** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जून १९५५ से फरवरी १९५६ तक पहलेज़ाघाट (सोनपुर) के स्थान में कई बार परिवर्तन किया गया है;

(ख) प्रत्येक स्थान परिवर्तन के कारण क्या हैं; और

(ग) क्या यह सच है कि १९५२ से जून १९५५ तक निर्माण स्थान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ था ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) और (ख). जी, हां। जून १९५५ से १० फ़रवरी, १९५६ तक पहलेज़ाघाट के निर्माण स्थान में तीन बार परिवर्तन हुये हैं जिन का ब्योरा इस प्रकार है;

पहला परिवर्तन ३०-६-५५

वर्तमान उच्च स्तर घाट-स्थान धारा के तेज़ बहाव के कारण काम में नहीं लाया जा सकता था, क्योंकि जहाज सुरक्षित रूप से किनारे नहीं लगाये जा सकते थे।

दूसरा परिवर्तन २२-७-५५

जुलाई, १९५५ में गंगा का पानी बहुत चढ़ गया था और कई स्थानों पर तट से भी ऊपर निकल गया था और बाढ़ का पानी नाले में बहुत तेज़ी से बहने लगा था। इसलिये २२-७-५५ को घाट को किसी ऊंचे स्थान भंवरचक को ले जाना आवश्यक हो गया था।

तीसरा परिवर्तन १८-११-५५

नदी का स्तर गिरने से घाट को किसी नीचे स्थान पर बदलना आवश्यक हो गया था और इसलिये १८-११-५५ को इसे स्थानांतरित कर दिया गया था।

(ग) जी नहीं। इस अवधि में भी निर्माण स्थान में परिवर्तन हुये थे।

रेलवे के विद्युतचालित डिब्बे

†६५९. **श्री एम० आर० कृष्णा** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मध्य रेलवे पर शीघ्र ही विद्युत चालित यात्री डिब्बे चलाये जाने को हैं;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) १९५६ और १९५७ में मध्य रेलवे और देश की अन्य रेलवेज़ पर ऐसे कितने विद्युत-चालित रेलवे यात्री डिब्बे चलाये जायेंगे;

(ग) क्या ये विद्युत-चालित यात्री डिब्बे आयात किये गये हैं या देश में बनाये गये हैं; और

(घ) देश में ऐसे विद्युत-चालित यात्री डिब्बे किन कारखानों में बनाये जाते हैं और इन का वार्षिक उत्पादन क्या है ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) विद्युत-चालित बहु-एकक यात्री डिब्बे मध्य रेलवे में १९२२-२३ से, पश्चिम रेलवे में १९२७-२८ से और दक्षिण रेलवे में १९३०-३१ से चालू हैं ।

(ख) ३१ दिसम्बर को चालू हो जाने वाले यात्री डिब्बों की संख्या इस प्रकार होगी :

रेलवे	**१९५६**	**१९५७**
बड़ी लाइन		
मध्य	३४४	४११
पश्चिम	२४२	२४३
पूर्वी	—	११०
छोटी लाइन		
दक्षिण	९६	९६
योग	६८२	८६०

(ग) केवल ७४ लकड़ी के ढांचे वाले ट्रेलर यात्री डिब्बों के अतिरिक्त जो मध्य रेलवे ने बनाये थे, अन्य सभी विद्युत-चालित बहु-एकक स्टॉक आयात किया गया था ।

(घ) कोई नहीं । तथापि मैसर्ज जैसप एंड कम्पनी नवम्बर, ५७ से प्रतिवर्ष ५० विद्युत-चालित बहु-एकक यात्री डिब्बे बनाने के लिये सामर्थ्य क्षमता का विकास कर रही है ।

विमान

†६६०. **श्री इब्राहीम** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इंडियन एयरलाइन्स कार्पोरेशन के निर्माण के समय कितने विमान काम में लाये जा रहे थे तथा इस समय कितने काम मे लाये जा रहे हैं ?

†**संचार मंत्रालय में मंत्री (श्री राज बहादुर)** : निम्नलिखित दिनांकों पर इंडियन एयरलाइन्स कार्पोरेशन द्वारा काम में लाये जाने वाले विमानों की संख्या यह थी :

(क)	१-८-१९५३	(क) डकोटा	७४
		वाइकिंग	१२
		स्काइमास्टर	३
		साब सफीर	१
			९०
(ख)	३१-३-१९५६	(ख) डकोटा	६६
		वाइकिंग	१२
		स्काइमास्टर	६
		हैरों	८
			९२

†मूल अंग्रेजी में

रेलवे के इंजन और डिब्बे

†६६१. श्री जी० पी० सिन्हा :
श्री एस० सी० सामन्त :
सरदार इकबाल सिंह :
सरदार अकरपुरी :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कितने इंजनों तथा अन्य डिब्बों की अपेक्षा है ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)**: ११,२५ करोड़ रुपये की योजना के आधार पर बनाये गये प्रावकलन के अनुसार, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में इंजनों डिब्बों तथा वैगनों की अपेक्षा इस प्रकार है:–

(क) भाप के इंजन	२,३६४
(ख) डिब्बे (इकाई के)	११,५७५
(ग) वैगन (चार पहियों के)	१,०७,२४७

सरकारी कारखानों में हड़ताल

†६६२. **श्रीमती इला पालचौधरी** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १९५५ में देश में भारत सरकार के कारखानों में कोई हड़ताल हुई थी ?

(ख) यदि हां, तो उनकी कुल संख्या क्या है; और

(ग) कितने दिन काम नहीं हुआ ?

†**श्रम मंत्री (श्री खण्डूभाई देसाई)**: (क) से (ग) भाग (क). राज्यों तथा दिल्ली और अजमेर के भाग (ग) राज्यों के सम्बन्ध में इस समय सूचना प्राप्य है : १९५५ में भारत सरकार के कारखानों में २९ हड़ताल हुई थी तथा कुल ५६,३४५ जन-दिवस काम नहीं किया गया ।

मद्रास-बंगलौर डाकगाड़ी

६६३. **श्री जी० एल० चौधरी** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह १९५५ को मेलपट्टी में मद्रास-बंगलौर डाकगाड़ी एक मालगाड़ी से टकरा गयी थी;

(ख) यदि हां, तो इस दुर्घटना के क्या कारण थे; और

(ग) इससे कितनी क्षति हुई ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) २० दिसम्बर, १९५५ की रात को लगभग १ बजकर २२ मिनट पर, जब १०–२० वाली डाउन मालगाड़ी दक्षिण रेलवे के मद्रास-जलारपेट सेक्शन में मेलपट्टी स्टेशन की लूप लाइन पर खड़ी थी, न० ३०७ डाउन मद्रास बंगलोर डाकगाड़ी भी उसी लाइन पर आ पहुंची और डाउन मालगाड़ी के पिछले भाग से टकरा गयी ।

(ख) इस टक्कर का कारण यह था कि मालगाड़ी लेने के लिये जो सिगनल गिराया गया था उसे उठाकर फिर "आनकी" स्थिति में नहीं रखा गया और गिरा हुआ सिगनल देखकर ३०७ डाकगाड़ी का ड्राइवर रुकी हुई लाइन पर गाड़ी ले गया ।

(ग) रेल-सम्पत्ति को लगभग ३०० रुपये का नुकसान हुआ ।

---

†मूल अंग्रेजी में

केलोद स्टेशन

६६४. **श्री चांडक** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नागपुर-नैनपुर लाइन के केलोद स्टेशन पर प्रतीक्षालयों, गुड्स शेडों, लाइन पर पार करने के पुलों और छत वाले प्लैटफार्मों पर पीने के पानी की व्यवस्था न होने से यात्रियों को असुविधा होती है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमन्त्री (श्री अलगेशन) : (क) तथा (ख). जी नहीं। स्टेशन पर यात्रियों के लिये पीने के पानी का प्रबन्ध है और इस काम के लिये पानी पिलाने वाले भी रखे गये हैं। स्टेशन पर कोई मालगोदाम, क्रासिंग पुल या छतदार प्लेटफार्म नहीं है, इसलिये इन जगहों पर पीने के पानी की व्यवस्था का सवाल नहीं उठता। इस स्टेशन पर पीने के पानी की व्यवस्था में सुधार करने के लिये एक नल-कूप लगाया जा रहा है और पानी की वर्त्तमान व्यवस्था को बढ़ाया जा रहा है। यह काम चालू है और आशा है जल्दी ही पूरा हो जायेगा।

आसाम रेलवे लाइन

६६५. **श्री आर० एन० सिंह** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आसाम रेलवे लिंक लाइन की पटरियां उखाड़ी गयी थीं; और

(ख) यदि हां, तो इसके लिये जिम्मेवार लोगों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) फिश बोल्ट और फिश प्लेट निकाल कर रेल की पटरियाँ उखाड़ने की दो घटनाओं का पता लगा था, जो २४-८-१९५३ और १७-२-१९५५ को हुई थीं।

(ख) अभी पुलिस को यह पता नहीं लगा है कि पटरियाँ उखाड़ने के लिये कौन लोग जिम्मेदार थे।

रेल दुर्घटना

†६६६. **श्री गिडवानी** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हावड़ा-मद्रास लाइन पर कालूपाड़ा घाट के निकट एक मालगाड़ी रेल की पटरी से उतर गई थी;

(ख) हताहत व्यक्तियों की संख्या क्या थी ?

(ग) क्या दुर्घटना की कोई जांच की गई है; और

(घ) यदि हाँ, तो जाँच के क्या परिणाम हुये ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) २४ जनवरी, १९५६ को लगभग २,३०० बेग, जब ५१७ अप माल गाड़ी दक्षिण-पूर्व रेलवे के वालटेयर खुर्दा सड़क विभाग पर मुसंडपुर तथा कालूपाड़ाघाट के बीच चल रही थी तब इसका इंजन तथा २३ डिब्बे रेल की पटरी से उतर गये तथा गिर गये।

(ख) कोई भी मरा अथवा घायल नहीं हुआ।

(ग) एक पदाधिकारी समिति, जिसमें रेलवे के उप मुख्य यांत्रिक इंजीनियर, उप मुख्य इंजीनियर तथा उप मुख्य आपरेटिंग अधीक्षक थे, ने जाँच की थी।

---

†मूल अंग्रेजी में

(घ) समिति को यह ज्ञात हुआ कि यह गाड़ी पटरी से इस कारण उतरी क्योंकि किसी अनजान व्यक्ति अथवा व्यक्तियों ने रेल के जोड़ से फिश प्लेट हटा कर रेल की पटरी को नष्टभ्रष्ट किया था ।

सकलडीहा स्टेशन पर हमला

†६६७. **श्री एस० सी० सामन्त** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बनारस से लगभग १५ मील दूर अवस्थित सकलडीहा स्टेशन पर जनवरी १९५६ के मध्य में डकैतों के गिरोह ने हमला किया था;

(ख) यदि हाँ, तो डकैती कितने धन की हुई; और

(ग) क्या इस गिरोह का पता लग चुका है ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) जी हां ।

(ख) १० रुपये १२ आने की धनराशि । रेलवे सम्पत्ति तथा उपकरणों की हानि ज्ञात नहीं है ।

(ग) जी हां ।

माल-डिब्बों का पटरी से उतर जाना

†६६८. **श्री एम० एल० अग्रवाल** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मध्य रेलवे के सिकन्दराबाद-द्रोणाचलम विभाग पर कुरनूल के निकट मनोपाद तथा इटकियल स्टेशनों के बीच ३० जनवरी, १९५६ को एक मालगाड़ी के ११ वैगन पटरी से उतर गये थे; और

(ख) रेल की पटरी से उतरने के क्या कारण थे ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) मध्म रेलवे के सिकन्दराबाद-द्रोणाचलम् मीटर गाज विभाग पर मनोपाद तथा इटकियल स्टेशनों के बीच चलते समय ३० जनवरी, १९५६ को लगभग १२·१५ बजे ८०५ डाउन मालगाड़ी के ९ डिब्बे पटरी से उतर गये थे ।

(ख) दुर्घटना के सम्बन्ध में खण्डीय पदाधिकारियों की संयुक्त जांच से यह जानकारी हुई कि पटरी से उतरे वैगनों में से एक का पिछला बायां 'वेयरिंग स्प्रिग' टूट जाने के कारण पटरी से गाड़ी उतर गई थी ।

रेलवे भ्रष्टाचार मामला

†६६९ **श्री एस० सी० सामन्त** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आनन्द नगर में फरवरी १९५६ में एक ऐसा रेलवे गार्ड पकड़ा गया जो लोगों से किराया तो ले लेता था मगर उन्हें टिकट नहीं देता था;

(ख) यदि हां, तो किसने उसे पकड़ा;

(ग) उसके साथ क्या व्यवहार किया गया; और

(घ) सरकार ऐसे मामलों को रोकने के लिये क्या कार्यवाही कर रही है ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) जी हाँ । किन्तु वह ३१-१-५६ को पकड़ा गया था ।

(ख) टिकट चेकरों के सुप्रवाईज़र द्वारा, जो कि गोरखपुर के विशेष रेलवे मजिस्ट्रेट की अधीन काम कर रहा है ।

(ग) गार्ड को नौकरी से मुअत्तिल कर दिया गया है और उसका मामला रेलवे पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(घ) गाड़ियों में नियमित रूप से विशेष तथा अचानक परिवीक्षण किया जाता है और वास्तव में यह मामला भी एक ऐसे ही परिवीक्षण के दौरान में पकड़ा गया था। यह परिवीक्षण जारी रहेंगे।

रेलवे-सम्पत्तियां

६७०. **श्री अमर सिंह डामर** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देश भर में भारतीय रेलवे की इमारतों सहित कुल अचल-सम्पत्ति का खाता-मूल्य कितना है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : १९५३-५४ के अन्त तक ६५२·८६ करोड़ रुपये।

यात्री सुविधाएं

†६७१ { **ठाकुर युगल किशोर सिंह** :
श्री आस्थाना :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लखनऊ तथा उत्तर रेलवे के अन्य स्टेशनों पर प्रथम श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी के यात्रियों के लिये बाल कटवाने की भिन्न-भिन्न दरें निश्चित की गई हैं ?

(ख) यदि हैं, तो किस कारण से; और

(ग) अन्य रेलों की तुलना में वे दरें कैसी हैं ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) जी हां। केवल उत्तर रेलवे के लखनऊ डिवीज़न के स्टेशनों पर।

(ख) अभी तक लखनऊ डिवीज़न के स्टेशनों पर इस भिन्न-भिन्न दर के होने का कारण नहीं पता लग सका है।

किन्तु उक्त सभी स्टेशनों पर सभी प्रकार के यात्रियों से एक ही दर लेने के लिये अनुदेश भेज दिये गये हैं।

(ग) दूसरी रेलों पर बाल कटवाने की दरों में ऊँचे तथा निचले दर्जे के यात्रियों में कोई भेद नहीं है। पश्चिम रेलवे पर मऊ ही एक अपवाद है। वहाँ भी अनुदेश भेजा जा रहा है कि सभी यात्रियों से एक ही जैसे पैसे लिये जायें।

फाजिल्का रेवाड़ी लाईन

†६७२. { **सरदार इकबाल सिंह** :
श्री आर० के० गुप्त :

क्या **रेलवे** मंत्री लोक-सभा के पटल पर इस बात का विवरण रखने की कृपा करेंगे कि फज़लिका-रिवाड़ी सेक्शन पर १९५५ के दौरान में कौन-कौन गाड़ी और कितने दिन तक देरी से आती जाती रही;

(ख) यह देरी, यदि कोई हो, किन कारणों से हुई, और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या पग उठाये गये हैं ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) :

गाड़ी नम्बर	**दिनों की संख्या-जिस दिन गाड़ी नियत स्टेशन पर लेट पहुँची**
१ बी आर बी	११७
२ बी आर बी	२३७
१ बी आर एफ़	२५८
१ बी डी एस	१७४
२ बी डी एस	१४४

†मूल अंग्रेजी में

(ख) समय-पालन में यह गड़बड़ी मुख्यता संचालन कारणों से हुई जैसे इंजन का खराब हो जाना, इंजीनियरी बाधाएँ, तथा चौराहों आदि के कारण, तथा इसका दूसरा कारण यह था कि इन गाड़ियों को पश्चिम रेलवे की रेवाड़ी में आने वाली गाड़ियों से मेल रखना पड़ता था।

(ग) इस दशा को सुधारने के लिये निम्नलिखित पग उठाये गये हैं :

(१) जिन विधारणों को दूर किया जा सकता है उनको शीघ्र ही दूर कर लिया जाता है और इस के लिये जिम्मेदार कर्मचारियों के विरुद्ध कठोर अनुशासनिक कार्यवाही की जाती है।

(२) १ बी आर बी और २ बी आॅर बी में अच्छे इंजन लगा दिये गये हैं ।

(३) १-३-५६ से २ बी आर बी और १ बी आर एफ़ के समयों को उचित रूप से पुनरीक्षित कर दिया गया है।

(४) समय-पालन की मुहिमें चलाई गई हैं। जो गाड़ियां प्रायः लेट चलती हैं उनमें अधिकारी तथा इन्सपेक्टर नियुक्त कर दिये जाते हैं जो सम्बन्धित गाड़ियों में मौके पर सभी प्रकार की रुकावट डालने वाली बाधाओं को दूर कराते रहते हैं।

२ बी आर बी और १ बी आर एफ़ में काफ़ी सुधार आ गया है। रेलवे प्रशासकों द्वारा फज़िलका-रेवाड़ी सेक्शन पर गाड़ियों के समय का पालन करने के लिये प्रत्येक प्रयत्न किया जायेगा।

नाशक कीड़ों को खत्म करना

†६७३. **श्री हेम राज**: क्या खाद्य और कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय सरकार ने पंजाब, पेप्सू, हिमाचल प्रदेश तथा जम्मू और काश्मीर की सरकारों को मार कीटों के विनाश तथा घासमोथा आदि के नियन्त्रण के लिये कितनी सहायता दी है ?

†**खाद्य और कृषि मंत्री (श्री ए० पी० जैन)** : केन्द्रीय सरकार ने पंजाब, पेप्सू, हिमाचल प्रदेश तथा जम्मू और काश्मीर के राज्यों में निम्नलिखित प्रकार की सहायता दी है :

(१) १९५३ के दौरान में केन्द्रीय सरकार ने पंजाब और पेप्सू की सरकारों को टिड्डी दल के गिरने तथा 'चारू' नामक घास-मोथा को फैलने न देने के लिये परामर्श के रूप में सहायता दी थी;

(२) १९५४ में सीधे केन्द्रीय के अधीक्षण में हिमाचल प्रदेश में सेव नाशक कीट को मारने के लिये, जोकि सान जासे स्केल कहलाता है, एक योजना चलाई गई थी, केन्द्रीय सरकार ने उसके लिये कुछ कर्मचारी तथा उपकरण दिये थे और लगभग ७२,००० सेब के वृक्षों के इर्द-गिर्द दवाई छिड़की थी। इस कार्य के दौरान में कई नये कीटाणु नाशक दवाइयों का परीक्षण किया गया और इनमें से एक तो ऐसा है जो अब राज्य के सभी प्रगतिशील फलोद्यानों द्वारा इस्तेमाल किया जाता है।

(३) १९५५-५६ के दौरान में केन्द्रीय सरकार ने जम्मू और काश्मीर की सरकार को पौदों की रक्षा करने वाली संस्था को सुदृढ़ करने के लिये कुछ ऋण तथा अनुदान दिये थे। उस राज्य में 'गेहूँ तथा सेब' की बीमारी को रोकने के लिये कुछ कृमिनाशक दवाइयों के सम्बन्ध में उन्हें कुछ टेक्नीकल परामर्श भी दिया गया था।

(४) केन्द्रीय सरकार ने पंजाब, पेप्सू, हिमाचल प्रदेश तथा जम्मू और काश्मीर के संयुक्त पौद रक्षण और टिड्डी नियंत्रण बोर्ड को उड़ते हुये टिड्डी दलों के विनाश के सम्बन्ध में कुछ उपयुक्त उपायों पर टेक्निकल परामश भी दिया था।

---

†मल अंग्रेजी में

(५) 'अधिक अन्न उपजाओ योजना' के अन्तर्गत पौदों की रक्षा के लिये निम्नलिखित योजनाएँ भी स्वीकृत की गई:

राज्य का नाम	१९५३–५४		१९५४–५५		१९५५–५६	
	ऋण	अनुदान	ऋण	अनुदान	ऋण	अनुदान
					(रुपये लाखों में)	
पंजाब	—	—	—	—	—	—
पेप्सू	—	०·१६	—	०·२४	—	०·१९
हिमाचल प्रदेश	—	०·१७	—	०·२८	—	०·२२
जम्मू तथा काश्मीर	—	—	—	—	१·२०	०·१०
योग	—	०·३३	—	०·५२	१·२०	०·५१

आगरा एक्सप्रेस

†६७४. **श्री घुसिया** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बातने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ज्ञात है कि पूर्वोत्तर रेलवे पर आगरा एक्सप्रेस में प्रथम तथा द्वितीय श्रेणी में प्राय: गंदे और उपकरण रहित डिब्बे लगा दिये जाते हैं;

(ख) इस गाड़ी में प्रथम तथा द्वितीय श्रेणी के कितने डिब्बे लगाये जाते हैं ; और

(ग) ११ फरवरी को गोरखपुर से लखनऊ आने वाली गाड़ी में कितने ऐसे कम्पार्टमेंट थे ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) नहीं, इस गाड़ी में प्रथम तथा द्वितीय श्रेणी में अक्सर गंदे और उपकरण रहित डिब्बे नहीं लगाये जाते हैं।

(ख) सामान्यत: इस में एक प्रथम श्रेणी का तथा एक द्वितीय श्रेणी का डिब्बा होता है जिसमें से प्रत्येक में चार-चार कम्पार्टमेंट होते हैं ।

(ग) ११-२-५६ को उस गाड़ी में एक प्रथम श्रेणी का डिब्बा था जिसमें ४ कम्पार्टमेंट थे और एक द्वितीय तथा तीसरे दर्जे का एक मिला जुला डिब्बा था जिसमें द्वितीय श्रेणी का एक कम्पार्टमेंट था।

असैनिक उड्डयन विभाग

†६७५. **श्री बी० वाई० रेड्डी** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि असैनिक उड्डयन विभाग के संचालन कर्मचारियों को सप्ताह में एक दिन की छुट्टी भी नहीं मिलती है;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या इस भेदभाव को दूर करने के लिये कोई प्रस्ताव सरकार के पास है ?

†**संचार मंत्रालय में मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) से (ग). तक सरकार असैनिक उड्डयन विभाग के संचालन कर्मचारियों को सप्ताह में एक दिन की छुट्टी देने के लिये सदा तैयार है यदि सप्ताह के शेष ६ दिनों में कुल मिला कर ४२ घंटे कार्य करने को सहमत हों। वे लोग इस व्यवस्था से सहमत नहीं हैं। उनके लिये इस शर्त पर छुट्टी के लिये सदा द्वार खुला है। उनसे किसी प्रकार का भेदभाव का बर्ताव नहीं किया जा रहा है।

†मूल अंग्रेजी में

असैनिक उड्डयन विभाग

†६७६. **श्री बी० वाई० रेड्डी :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) असैनिक उड्डयन विभाग के चौथी श्रेणी के कर्मचारियों के क्वार्टरों में बिजली लगाने में क्यों देरी हो रही है;

(ख) क्या सरकार इस काम को शीघ्र करना चाहती है; और

(ग) यदि हाँ, तो किन किन जगहों पर ?

†**संचार मंत्रालय में मंत्री (श्री राजबहादुर) :** (क) से (ग). केवल पिछले साल ही सरकार ने यह निश्चय किया था कि दिल्ली के बाहर रहने वाले उड्डयन विभाग के चौथी श्रेणी के कर्मचारियों के क्वार्टरों में बिजली लगाई जानी चाहिये। यह सुविधा तभी दी जा सकती है यदि उस बस्ती में बिजली उपलब्ध हो। क्योंकि उसी दशा में बिजली घर बनाने अथवा विद्युत की शक्ति बढ़ाने के लिये कोई खर्च नहीं हो सकता है। इन सब बातों को ध्यान रख कर विभाग के अधीन ८१ हवाई अड्डों में से २७ हवाई अड्डों पर ऐसे क्वार्टरों में बिजली लगाने का निश्चय किया गया है। उनके सम्बन्ध में एक विवरण लोक-सभा के पटल पर रखता हूं। **[देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या ४२]** पाँच हवाई अड्डों के लिये प्राक्कलन तैयार कर लिये गये हैं और इनमें से दो की स्वीकृति भी हो चुकी है। दूसरे स्थानों के सम्बन्ध में ऐसी ही कार्यवाही करने के लिये शीघ्रता की जा रही है।

गाँव के डाकिये

†६७७. **डा० रामा राव :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गांवों के डाकियों को अपने काम के दौरान में एक सप्ताह अथवा उससे अधिक समय के लिये अपने मुख्य स्थान के बाहर रहना पड़ता है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या उन्हें मुख्य स्थान से बाहर रहने का कोई भत्ता मिलता है जितने दिन के वे बाहर रहें हैं और;

(ग) यदि नहीं, तो क्या ऐसा भत्ता देने की कोई प्रस्तावना है।

†**संचार मंत्रालय में मंत्री (श्री राजबहादुर) :** (क) जी हां। बाहर रहने का समय प्रत्येक डाकिये के क्षेत्र के अनुसार एक दिन से एक सप्ताह तक होता है।

(ख) जी नहीं।

(ग) जी नहीं।

बहिर्विभागीय एजेंट

†६७८. **श्री पुन्नूस :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाक व तार विभाग के विभागातिरिक्त एजेंट भी केन्द्रीय असैनिक सेवा (आचरण) नियमों द्वारा प्रशासित होते हैं; और

(ख) यदि नहीं, तो क्या विभागातिरिक्त एजेंटों को पंचायत, स्थानीय निकायों और विधान सभाओं के चनाव में खड़े होने की अनुमति है ?

†**संचार मंत्रालय में मंत्री (श्री राजबहादुर):** (क) तथा (ख). केन्द्रीय असैनिक सेना (आचरण) नियम अपने वर्तमान रूप में विभागातिरिक्त एजेंटों पर पूर्णतया लागू नहीं किये जा सकते हैं वे किस सीमा तक उन पर लागू किये जा सकते हैं इस पर गृह-कार्य मन्त्रालय तथा विधि मंत्रालय से परामर्श किया जा रहा है।

---

†मूल अंग्रेजी में

टेलीफोन लाइनें

†६७९. { सरदार इकबाल सिंह :
सरदार अकरपुरी :

क्या संचार मंत्री यह बातने की कृपा करेंगे :

(क) सन् १९५५ में देश में टेलीफोन की कितनी लाइनें डाली गयीं; और

(ख) पंजाब राज्य में कितने स्वचालित टेलीफोन हैं ?

†संचार मंत्रालय में मंत्री (श्री राज बहादुर) :

(क) ३१,००० (नई लाइनें)।

(ख) ३१-१२-५५ को १,९३३।

रेल गाडियों में चोरियाँ

†६८०. { सरदार इकबाल सिंह :
सरदार अकरपुरी :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) सन् १९५४, १९५५ तथा १९५६ में अब तक उत्तर रेलवे में माल गाड़ियों पर चोरी के कितने मामले पकड़े गये;

(ख) इसका सब से अधिक प्रभाव किन-किन स्टेशनों पर पड़ा; और

(ग) इन घटनाओं को रोकने के लिये क्या पग उठाये गये हैं ?

†रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) :

(क)

१९५४	१९५५	१९५६ (फरवरी तक)
२६९	२२८	२८

(ख) माल के शेड/प्लैटफार्म/यार्ड पर खड़ी मालगाड़ियों से सब से अधिक चोरियाँ निम्नलिखित स्टेशनों पर हुई :

बनारस, गाज़ियाबाद, मुरादाबाद और अलीगढ़।

चलती हुई गाड़ियों में जिन-जिन सेक्शनों पर सर्वाधिक चोरियां हुई हैं वे ये हैं :

इलाहबाद	—	मुगलसराय
कानपुर	—	लखनऊ
लखनऊ	—	रायबरेली
लखनऊ	—	हरदोई
बरेली	—	हापुड़
दिल्ली	—	निजामुद्दीन
लखनऊ	—	शाहजहाँपुर
बनारस	—	मुगलसराय
टूंडला	—	कानपुर
इलाहाबाद	—	फतेहपुर
बरेली	—	मुरादाबाद

†मूल अंग्रेजी में

(ग) (१) रात की मालगाड़ियों के साथ रेलवे संरक्षण दल तथा रेलवे संरक्षण पुलिस की गश्त का प्रबन्ध;

(२) जहाँ ये चोरियाँ अधिक होती हैं, उन बदनाम स्थानों पर कड़ी निगरानी रखी जाती है ।

(३) अपराधी दलों की तलाश के लिये सादा कपड़ों में रेलवे संरक्षण पुलिस के गुप्तचर कर्मचारी रहते हैं ।

(४) चोरी के जितने भी मामले आते हैं उनमें सरकारी रेलवे पुलिस तथा रेलवे संरक्षण दल द्वारा अपराधियों को पकड़ने के प्रयोजना से कड़ी जाँच की जाती है ।

(५) यार्डों में रेलवे संरक्षण दल के वर्दी पोश व अन्य व्यक्ति तैनात किये जाते हैं ।

(६) रेलवे अधिनियम की धारा १२२ के अंतर्गत उन लोगों को पकड़ने तथा मुकदमा चलाने केलिये व्यवस्था की जाती है जो यार्डों में होकर अनधिकृत रूप से गुज़रते हैं ।

(७) जब रेलवे कर्मचारियों को चोरियों के सम्बन्ध में दोषी पाया जाता है तो उन्हें कड़ा दण्ड दिया जाता है ।

विलम्ब-शुल्क

†६८१. { **सरदार इकबाल सिंह :**
सरदार अकरपुरी :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) उत्तर रेलवे में सन् १९५४-५५ में विलम्ब-शुल्क के रूप में कितनी राशि लगायी गयी;

(ख) इसमें से कितनी राशि वसूल की गयी; और

(ग) कितनी राशि की माफी दी गयी और उसके कारण ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) :**

(क) ७,३७,८८०–११–० रु०

(ख) ४,९२,८८८– ४–० रु०

(ग) १,८१,२९७– ६–० रु०

विलम्ब-शुल्क की माफी पूर्णतया अथवा आंशिक रूप से केवल अपवाद स्वरूप सच्चे मामलों में प्रति मामले के गुणावगुणों के अनुसार, उन परिस्थितियों में दी जाती है जो संलग्न विवरण में वर्णित हैं। **[देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या ४३]**

अध्यापकों के लिये यात्रा सुविधाएं

†६८२. **श्री एम० इस्लामुद्दीन :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या दिल्ली राज्य अध्यापक संघ ने ८ जनवरी, १९५६ को हुई अपनी वार्षिक सामान्य बैठक में भारत सरकार से यह प्रार्थना की थी कि अध्यापकों के परिवारों के सदस्यों को रियायती दरों पर यात्रा सुविधाएँ दी जाएँ; और

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार ने इस माँग पर विचार किया है ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) :** (क) और (ख). जी हाँ । किन्तु इस माँग को स्वीकार नहीं किया जा सका ।

†मूल अंग्रेजी में

इण्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के विमानो में महिला यात्री

†६८३. **श्रीमती इला पालचौधरी** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि महिलाएँ काफी संख्या में भारतीय एयरलाइंस कार रेशन के विमानों द्वारा यात्रा करती हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या भारतीय एयरलाइंस कारपोरेशन ने उनके बैठने के लिये विशेष प्रबन्ध किया है; और

(ग) यदि हां, तो क्या प्रबन्ध किया गया है ?

†**संचार मंत्रालय में मंत्री (श्री राजबहादुर)** : (क) जी हां ।

(ख) और (ग). विमानों में महिलाओं के लिये पृथक् बैठने की कोई व्यवस्था नहीं की गई है. किन्तु उनके पास वाले स्थान उनके साथ यदि कोई व्यक्ति हो तो उसे दिये जाते हैं ।

खाद्यान्न गोदाम (पश्चिमी बंगाल)

†*६८४. **श्री एन० बी० चौधरी** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री सभा पटल पर इस सम्बन्ध में एक विवरण रखने की कृपा करेंगे कि पश्चिमी बंगाल में इस समय केन्द्रीय खाद्यान्नों के कितने गोदाम हैं ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री ए० पी० जैन)** : इस समय पश्चिमी बंगाल में केन्द्रीय सरकार के ग्यारह खाद्यान्न गोदाम हैं ।

मैसूर राज्य में डाक व तार घर

†६८५. **श्री मादिया गोडा** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : प्रथम पंच वर्षीय योजना के दौरान में मैसूर राज्य में कितने शहरी तथा देहाती डाक व तार घर खोले गये ?

†**संचार मंत्रालय में मंत्री (श्री राजबहादुर)** : अपेक्षित सूचना दर्शाते हुये एक विवरण नीचे दिया जाता है :

प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान में मैसूर राज्य में खोले गये डाक व तार घरों की संख्या :

वर्ष	केवल डाक घर		सम्मिलित डाक व तार घर		विभागीय तार घर	
	देहाती	शहरी	देहाती	शहरी	देहाती	शहरी
१६५१-५२	७८	१२	१	१	—	—
१६५२-५३	८	१०	२	१	—	—
१६५३-५४	६३	७	—	—	—	—
१६५४-५५	८१	६	२	८	—	२
१६५५-५६	१२६	५	३	३	—	—
योग ...	३५६	४०	८	१३	—	२

रेलवे के टिकट चैकरों के लिए वर्दियाँ

†६८६. **श्री मादिया गोडा** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या दक्षिण रेलवे के समस्त टिकट चैकरों को वर्दी दी जाती है; और

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो प्रति वर्ष कितने सेट दिये जाते हैं ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) जी हां।

(ख) एक विवरण संलग्न किया जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या ४४]**

डी० टी० एस० कार्यालय विजयवाड़ा

†६८७. **श्री बी० एस० मूर्त्ति** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डी० टी० एस०, विजयवाड़ा कार्यालय में काम करने वाले अनेक क्लर्कों ने अपना फरवरी मास का वेतन लेने से इनकार कर दिया है;

(ख) यदि हाँ, तो इसका कारण; और

(ग) सामान्य स्थिति लाने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) जी हां।

(ख) अखिल भारतीय रेलवे अनुसचिवीय कर्मचारी संघ द्वारा "वेतन सत्याग्रह" के समाह्वान के जवाब में यह किया गया था।

(ग) कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं समझी गयी।

मालगाड़ी का पटरी से उतरना

†६८८. **श्री बी० एस० मूर्त्ति** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) दक्षिण रेलवे पर चिंगलीपुट तथा सिंगापरुमल कोइल स्टेशनों के बीच १ मार्च, १९५६ को मालगाड़ी के पटरी से उतर जाने के क्या कारण थे;

(ख) कितने वेगनों को क्षति पहुंची तथा कुल कितने की हानि हुई; और

(ग) क्या कोई हताहत भी हुआ ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) दो मार्च को (तीन मार्च को नहीं जैसा कि प्रश्न में कहा गया है) रात को लगभग १-५० बजे जब कि नं० २२२१ की मालगाड़ी दक्षिण रेलवे में मद्रास-विल्लुपुरम सेक्शन पर सिंगापरुमल कोइल तथा छिंगलीपुट के बीच चल रही थी तो गाड़ी के इंजन से १५वां डिब्बा ३६ ६-७ मील पर पटरी से उतर गया और लगभग आठ तार के खम्भों के बराबर फासला तय करके फिर पटरी पर चढ़ गया। स्टेशन के सामने का भाग पार करने के बाद वेगन फिर पटरी से उतर गया और उसके पीछे के चार और वेगन पटरी से उतर गये।

जिला अधिकारी जाँच समिति की उपपत्तियों के अनुसार वेगनों के पटरी से उतरने का कारण सब से आगे वाले वेगन के पिछले बायें 'जरनल' का टूट जाना है।

(ख) पाँच वैगनों को क्षति पहुँची। रेलवे को लगभग ५,५०० रु० की हानि हुई।

(ग) कोई हताहत नहीं हुआ।

जयपुर से उदयपुर को सीधा डिब्बा

†६८९. **श्री भीखा भाई** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि जनता द्वारा इस बात के लिये अनेक अभ्यावेदन किये गये हैं कि जयपुर से उदयपुर और उदयपुर से जयपुट तक एक सीधा डिब्बा लगाया जाए; और

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी है ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) :** (क) जी, हां ।

(ख) इस समय दिल्ली और उदयपुर के मध्य जयपुर होकर प्रथम, द्वितीय और तृतीय श्रेणी का एक मिलाजुला डिब्बा चलाया जाता है । इसे सीधे डिब्बे में जयपुर-उदयपुर के बीच भीड़ अधिक रहती है । किन्तु डिब्बों की कमी तथा सम्बन्धित गाड़ियों में जगह होने के कारण जयपुर तथा उदयपुर के मध्य एक अतिरिक्त सीधा डिब्बा लगाना कठिन है । दिल्ली और उदयपुर के मध्य इस समय चलने वाले सीधे डिब्बे के स्थान पर अधिक मुसाफिरों को लेजा सकने वाला डिब्बा लगाने पर विचार किया जा रहा है ।

नदी तथा नहरों द्वारा परिवहन

†९९०. **श्री बी० एस० मूर्ति :** क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) द्वितीय पंचवर्षीय योजना में नदियों तथा नहरों में नौ परिवहन के विकास के लिये कितनी राशि निर्धारित की गयी है; और

(ख) इस योजना का ब्यौरा क्या है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) द्वितीय पंचवर्षीय योजना में अंतर्देशीय जल परिवहन के विकास के लिये ३४०·२२ लाख रुपये का उपबन्ध करने का प्रस्ताव किया गया है ।

(ख) इस राशि को निम्नलिखित मदों पर खर्च करने का विचार है :

(१)	गंगा-ब्रह्मपुत्र प्रदेश में नदी नियंत्रण तथा स्वच्छकरण के उपाय जिनमें नदी के तल में पड़े पेड़ों की जड़ें, लकड़ी इत्यादि की सफाई तथा नौ परिवहन में सहायक होने वाली क्रियाएँ सम्मिलित हैं ।	९२·४ लाख रुपये
(२)	गंगा-ब्रह्मपुत्र प्रदेश में पत्तन सम्बन्धी सुविधाओं का विकास ।	४९·५७ लाख रुपये
(३)	गंगा-ब्रह्मपुत्र प्रदेश में नदी सर्वेक्षण ।	८·२५ लाख रुपये
(४)	आसाम नाव (फैरी) परियोजना तथा आसाम सहायक नदी परियोजना के लिये उपकरण की खरीद ।	१२·०० लाख रुपये
(५)	बकिंघम नहर का विकास तथा इसका मद्रास बंदरगाह से मिलाया जाना ।	११५·०० लाख रुपये
(६)	पश्चिमी घाट की नहरों का विकास ।	४३·०० लाख रुपये
(७)	गंगा-ब्रह्मपुत्र जल परिवहन बोर्ड को अंशदान ।	२० लाख रुपये
	योग	३४०·२२ लाख रुपये

डाकियों की भर्ती

९९१. **श्री पी० एल० बारूपाल :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि डाक और तार विभाग में मेल प्यूनों और पोस्टमैनों को नौकरी देने के विषय में आयु की सीमा क्या है और इस बारे में हरिजनों को क्या रियायतें दी जाती हैं ?

संचार मंत्रालय में मंत्री (श्री राज बहादुर) : इन संवर्गों में भरती करने के लिये उम्मीदवारों की आयु १८ वर्ष से कम तथा २४ वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिये । अनुसूचित जातियों जन जातियों के उम्मीदवारों के लिये आयु की उच्चतर सीमा ५ वर्ष बढ़ा दी जाती है ।

†मूल अंग्रेजी में

डाक तथा तार कर्मचारी (बिहार)

†६९२. **चौधरी मुहम्मद शफी** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने पोस्ट मास्टर जनरल, बिहार के नाम आदेश जारी किये हैं कि वह क्वार्टरों के आवंटन के बारे में चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों पर वही सिद्धान्त लागू करे जो तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों पर लागू होता है; तथा

(ख) यदि हां, तो पोस्ट मास्टर जनरल, बिहार, ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ?

†**संचार मंत्रालय में मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) जी हां ।

(ख) पोस्ट मास्टर जनलर ने कुछ ऐसे सवाल उठाये हैं जिनके अन्तर्गत कि क्वार्टरों के आवंटन के बारे में ऐसे कर्मचारियों को अधिमान देना होता है जिनका कि तबादला हुआ करता है । उन सवालों पर विचार हो रहा है तथा पुनरीक्षित आदेश जल्दी ही जारी किये जाने की आशा है ।

सागर रेलवे स्टेशन

६९३. **श्री के० सी० सोधिया** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य रेलवे के सागर स्टेशन से १९५५-५६ में गाड़ियों से भेजे गये माल पर भाड़े के रूप में कितनी धन राशि प्राप्त हुई;

(ख) क्या सागर रेलवे स्टेशन के माल गोदाम में पर्याप्त सुरक्षित और छत वाला स्थान है, जहां माल रखा जा सके;

(ग) क्या उच्च अधिकारियों का ध्यान इस सम्बन्ध में होने वाली अड़चनों की ओर कभी आकर्षित किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही करने का विचार है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) जी, हाँ

(घ) जी, हां । सागर स्टेशन के मालगोदाम में १३५० वर्ग फ़ीट का छतदार स्थान बनाने का काम १९५६-५७ के निर्माण-कार्यक्रम में शामिल किया जा रहा है ।

माल डिब्बों के फेरे

†६९४. **श्री के० पी० त्रिपाठी** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बातने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वोत्तर रेलवे के आसाम सेक्शन पर माल डिब्बों के फेरों की संख्या बहुत घट गई है जिसके परिणामस्वरूप मामूली दूरी पर माल ले जाने में भी एक सप्ताह से ज्यादा समय लग जाता है; तथा

(ख) क्या पूर्वोत्तर रेलवे के इसी सेक्शन पर माल डिब्बों के पंजीयन के कई मामले इकट्ठे हो गये हैं ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) पूर्वोत्तर रेलवे के आसाम सेक्शन पर माल डिब्बों के फेरों की संख्या में सामान्यतः वृद्धि हुई है । कम दूरी तक माल ले जाने में एक सप्ताह से अधिक समय लग जाने के मामले बहुत ही कम हैं ।

(ख) जी, हां । पटसन तथा अनाज के बढ़े हुये पंजीयन के कारण बकाया रजिस्ट्रेशनों की संख्या बढ़ गई है, यद्यपि तुलनात्मक रूप से डिब्बों में अधिक माल भी भरा जाता है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

दैनिक संक्षेपिका

[मंगलवार, ३ अप्रैल, १९५६]

	विषय	पृष्ठ
	प्रश्नों के मौखिक उत्तर	१०४४–६९
तारांकित प्रश्न संख्या		
१०८५	रेलगाड़ियों में सिनेमा शो	१०४४–४५
१०८७	जहाज़ों के लिये दिये गये ऋणों की वापसी	१०४५
१०८८	अलगेशन समिति ...	१०४५–४६
१०८९	पर्यटन	१०४६–४७
१०९०	रेलवे स्टेशनों पर टेलीफोन	१०४७–४८
१०९१	भारतीय कृषि गवेषणा परिषद्	१०४८–४९
१०९३	अन्तर्देशीय जलमार्ग ...	१०४९
१०९४	रेलवे के इंजन डिब्बे आदि	१०४९–५१
१०९५	बम्बई-कलकत्ता मेल	१०५१–५२
११००	जयपुर स्टेशन ...	१०५२
११०१	डीज़ल रेल-कारें	१०५३
११०३	दिल्ली के निकट जमुना पर दूसरा पुल	१०५३–५४
११०५	डाकघरों में प्रथमोपचार बक्स ...	१०५४
११०६	इण्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के कर्मचारी	१०५४–५५
११०७	डिविज़नल पद्धति	१०५५–५६
१११०	दिल्ली विकास (अस्थायी) प्राधिकार	१०५६–५८
११३६	दिल्ली विकास (अस्थायी) प्राधिकार	१०५८–५९
११११	बानिहाल सुरंग ...	१०५९–६०
१११२	दिल्ली विकास (अस्थायी) प्राधिकार	१०६०–६१
१११३	दिल्ली में अनधिकृत भवन-निर्माण कार्य ...	१०६१
१११४	मनीपुर में मेलेरिया की रोकथाम की टुकड़ियाँ	१०६१–६२
१११५	फायरमैनों की भरती	१०६२–६३
१११६	चान्दा-कोरबा लाइन	१०६३
१११९	पटसन विशेषज्ञ समिति ...	१०६३–६४
११२०	बीकानेर के लिये विमान सेवा...	१०६४–६५
अल्प सूचना प्रश्न संख्या		
७	नागा पहाड़ियों की स्थिति	१०६५–६८
८	पंजाब में प्रादेशिक समितियों के बारे में योजना	१०६९

	विषय	पृष्ठ
	प्रश्नों के लिखित उत्तर	१०६९–११०३
तारांकित प्रश्न संख्या		
१०८६	रेल के इंजन डिब्बे आदि ...	१०६९
१०९२	ग्राम ऋण सर्वेक्षण की अग्रिम योजनायें	१०६९
१०९६	घी उद्योग	१०६९–७०
१०९७	रेलवे संस्थापना पदाधिकारी	१०७०
१०९८	रेलवे कर्मचारियों के बच्चों के लिये स्कूल ...	१०७०
१०९९	रेलवे संस्थाएं और स्कूल ...	१०७०–७१
११०२	पशुओं की बीमारियां और संक्रामक रोग	१०७१
११०४	असैनिक उड्डयन विभाग के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी	१०७१
११०८	पुष्कर जाने वाले यात्री ...	१०७१–७२
११०९	विक्टोरिया कोयला खान में दुर्घटनाएं	१०७२
१११७	असैनिक उड्डयन विभाग ...	१०७२
१११८	डाक मोटर सेवा	१०७२
११२१	कृषि फार्म	१०७३
११२२	सकरी-हसनपुर लाइन का निर्माण	१०७३
११२३	वाईकाउंट विमान	१०७३
११२४	रेलवे स्टेशनों पर पुस्तकों की दुकानें	१०७३–७४
११२५	विमान दुर्घटना ...	१०७४
११२६	गांवों के डाकघर	१०७४
११२७	रेलवे यातायात	१०७४
११२८	डीज़ल रेल-कारें	१०७४–७५
११२९	आर० सी० सी० डिपो, गोल्डन राक	१०७५
११३०	रेल की पटरी पर रुकावट	१०७५
११३१	कृषि सम्बन्धी विकास	१०७५–७६
११३२	असैनिक उड्डयन विभाग के कर्मचारियों के लिये वर्दी ...	१०७६
११३३	चिकित्सा की देशीय प्रणालियां	१०७६
११३४	डाकियों को अतिरिक्त समय भत्ता	१०७६
११३५	रेल की दोहरी पटरियां बिछाना	१०७७
११३७	कृषि कालिज ...	१०७७
११३८	पशुवध निरोध समिति	१०७७
११३९	रेलवे के माल डिब्बे	१०७७–७८
११४०	यात्री डिब्बे बनाने का कारखाना	१०७८
११४१	तम्बाकू विस्तार सेवा योजना	१०७८
११४२	संयुक्त राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय बाल आपात निधि (यूनिसेफ़)	१०७८
११४४	पश्चिम रेलवे पर रेलगाड़ियों का देरी से चलना ...	१०७८–७९
११४५	प्रादेशिक पर्यटक मंत्रणा समिति	१०७९
११४६	कुष्ट रोग	१०७९

विषय	पृष्ठ

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—(क्रमश:)

तारांकित
प्रश्न संख्या

११४७ घानी का तेल १०८०
११४८ अघोषित कर्मचारियों को प्रभार-भत्ता १०८०
११४९ भारत-अमरीका टेक्नीकल सहयोग १०८०

अतारांकित
प्रश्न संख्या

६३८ विलम्ब शुल्क ... १०८०–८१
६३९ फ्लैग स्टेशनों का खोला जाना ... १०८१
६४० पूर्वोत्तर रेलवे पर रेलगाड़ियां ... १०८१
६४१ बीड़ी व्यापारियों के लिये माल डिब्बे १०८२
६४२ नारनौल और निज़ामपुर में फ्लैग स्टेशन १०८२
६४३ उत्तर रेलवे पर उपहार गृह ... १०८२
६४४ उत्तर रेलवे के स्टेशनों पर बिजली लगाना ... १०८२–८४
६४५ उत्तर रेलवे पर फ्लैग स्टेशन १०८४
६४६ शालहोत्री कालिज १०८४–८५
६४७ इटारसी स्टेशन ... १०८५
६४८ बिना टिकट के यात्री १०८५
६४९ रेलवे कर्मचारियों की वरिष्ठता सूची १०८५
६५० रेलवे कर्मचारी १०८५–८६
६५१ निदादवोले-नरसापुर लाइन का उखाड़ा जाना १०८६
६५२ इलाहाबाद-इटारसी रेलगाड़ी १०८६
६५४ डाक सेवाएं ... १०८७
६५५ "माल डिब्बा पड़ताल" योजना १०८७–८८
६५६ मालगाड़ी में आग की दुर्घटना १०८८–८९
६५७ ट्रंक कॉल के बिल १०८९
६५८ पहलेजाघाट का निर्माण-स्थान (सोनपुर) १०८९
६५९ रेलवे के विद्युतचालित डिब्बे १०८९–९०
६६० विमान ... १०९०
६६१ रेलवे के इंजन और डिब्बे १०९१
६६२ सरकारी कारखानों में हड़ताल ... १०९१
६६३ मद्रास-बंगलौर डाकगाड़ी १०९१
६६४ केलोद स्टेशन ... १०९२
६६५ आसाम रेलवे लाइन १०९२
६६६ रेल-दुर्घटना ... १०९२–९३
६६७ सकलडीहा स्टेशन पर हमला ... १०९३
६६८ माल-डिब्बों का पटरी से उतर जाना १०९३
६६९ रेलवे भ्रष्टाचार मामला १०९३–९४
६७० रेलवे-सम्पत्तियां ... १०९४

प्रश्नों के लिखित उत्तर---(क्रमशः)

अतारांकित प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
६७१	यात्री सुविधाएं ...	१०६४
६७२	फाज़िल्का-रेवाड़ी लाईन	१०६४–६५
६७३	नाशक कीड़ों को खत्म करना	१०६५–६६
६७४	आगरा एक्सप्रेस ...	१०६६
६७५	असैनिक उड्डयन विभाग	१०६६
६७६	असैनिक उड्डयन विभाग	१०६७
६७७	गांवों के डाकिये	१०६७
६७८	बहिर्विभागीय एजेंट ...	१०६७
६७९	टेलीफोन लाइनें ...	१०६८
६८०	रेलगाड़ियों में चोरियां	१०६८–६९
६८१	विलम्ब-शुल्क	१०६९
६८२	अध्यापकों के लिये यात्रा सुविधाएं	१०६९
६८३	इण्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के विमानों में महिला यात्री	११००
६८४	खाद्यान्न गोदाम (पश्चिमी बंगाल) ...	११००
६८५	मैसूर राज्य में डाक व तार घर ...	११००
६८६	रेलवे के टिकट चैकरों के लिये वर्दियां	११००–०१
६८७	डी० टी० एस० कार्यालय, विजयवाड़ा	११०१
६८८	मालगाड़ी का पटरी से उतरना ...	११०१
६८९	जयपुर से उदयपुर के लिये सीधा डिब्बा	११०१–०२
६९०	नदी तथा नहरों द्वारा परिवहन	११०२
६९१	डाकियों की भर्ती	११०२
६९२	डाक तथा तार कर्मचारी (बिहार)	११०३
६९३	सागर रेलवे स्टेशन ...	११०३
६९४	माल-डिब्बों के फेरे	११०३

M31LSD—8-6-57—190—GIPF

मंगलवार
3 अप्रैल, 1956

लोक-सभा

वाद-विवाद

(भाग २---प्रश्नोत्तर के अतिरिक्त कार्यवाही)

खण्ड ३, १९५६

(२८ मार्च से १७ अप्रैल, १९५६)

Preservation Unit
Parliament Library

1st Lok Sabha
(XII Session)

सत्यमेव जयते

बारहवाँ सत्र, १९५६

(खण्ड ३ में अंक ३१ से अंक ४५ तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

M117LSD—4

विषय-सूची

[भाग—२ वाद-विवाद, खण्ड ३—२८ मार्च से १७ अप्रैल, १९५६]

अंक ३१—बुधवार, २८ मार्च, १९५६

	पृष्ठ
स्थगन-प्रस्ताव	१५१७–२०
सदस्य का बन्दीकरण	१५२०
सदस्य का ज़मानत पर रिहाई ...	१५२०–२१
सभा का कार्य	१५२१, १५२२–२३, १५६८–६९
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	१५२१
विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति	१५२२
ग़ैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—अड़तालिसवां प्रतिवेदन.	१५२२
तारांकित प्रश्न के उत्तर की शुद्धि	१५२२
अनुदानों की मांगें	१५२४–६७
मांग संख्या २२—आदिम जाति क्षेत्र	१५२४–६७
मांग संख्या २३—वैदेशिक कार्य ...	१५२४–६७
मांग संख्या २४—पांडिचेरी राज्य	१५२४–६७
मांग संख्या २५—वैदेशिक कार्य मंत्रालय के अधीन विविध व्यय	१५२४–६७
मांग संख्या ११९—वैदेशिक कार्य मंत्रालय का पूंजी व्यय	१५२४–६७
त्रावणकोर-कोचीन आय-व्ययक, १९५६-५७ ...	१५६७–६८
दैनिक संक्षेपिका	१५७०–७१

अंक ३२—गुरुवार, २९ मार्च, १९५६

सभा-पटल पर रखे गये पत्र	१५७३
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—पूर्वी पाकिस्तान में हिन्दुओं की स्थिति और वहां से उनका प्रव्रजन	१५७३
सभा का कार्य	१५७४
अनुदानों की मांगें	१५७४–१६०५
मांग संख्या २२—आदिम जाति क्षेत्र	१५७४–१६०५
मांग संख्या २३—वैदेशिक कार्य	१५७४–१६०५
मांग संख्या २४—पाण्डिचेरी राज्य	१५७४–१६०५
मांग संख्या २५—वैदेशिक कार्य मंत्रालय के अधीन विविध व्यय	१५७४–१६०५
मांग संख्या ११—वैदेशिक कार्य मंत्रालय का पूंजी व्यय ...	१५७४–१६०५
त्रावनकोर-कोचीन के बारे में राष्ट्रपति की उद्घोषणा सम्बन्धी संकल्प	१६०५–३१
लेखानुदानों की मांगें—त्रावनकोर-कोचीन	१६३१–३३
त्रावनकोर-कोचीन विनियोग (लेखानुदान) विधेयक	१६३३–३४
दैनिक संक्षेपिका	१६३५

पृष्ठ

अंक ३३—शनिवार, ३१ मार्च, १९५६

सदस्य का बन्दीकरण तथा दोषसिद्धि ... १६३७
स्थगन-प्रस्ताव
श्री बरलाम दास टंडन का अनशन ... १६३८–३९
अनुदानों की मांगें १६३७, १६३८–७५
मांग संख्या ९२—पुनर्वास मंत्रालय ... १६३८–७५
मांग संख्या ९३—विस्थापित व्यक्तियों पर व्यय १६३८–७५
मांग संख्या ९४—पुनर्वास मंत्रालय के अधीन विविध व्यय १६३८–७५
मांग संख्या १३९—पुनर्वास मंत्रालय का पूंजी व्यय ... १६३८–७५
ग़ैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति
अड़तालिसवां प्रतिवेदन १६७५
मद्य-निषेध के लिये अन्तिम तारीख नियत करने के बारे में संकल्प ... १६७५–८५
औद्योगिक तथा वाणिज्यिक राज्य उपक्रमों सम्बन्धी समिति की नियुक्ति के
बारे में संकल्प १६८५–९४
दैनिक संक्षेपिका १६९५

अंक ३४—सोमवार, २ अप्रैल, १९५६

विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति १६९७
विधान मण्डलों की कार्यवाही (प्रकाशन का संरक्षण) विधेयक के बारे में याचिका १६९७
अनुदानों की मांगें ... १६९७–१७५८
मांग संख्या ९२—पुनर्वास मंत्रालय
मांग संख्या ९३—विस्थापित व्यक्तियों पर व्यय
मांग संख्या ९४—पुनर्वास मंत्रालय के अधीन विविध व्यय
मांग संख्या १३९—पुनर्वास मंत्रालय का पूंजी व्यय
मांग संख्या ६७—सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय
मांग संख्या ६८—बहुप्रयोजनीय नदी परियोजनायें
मांग संख्या ६९—सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय के अधीन विविध
विभाग तथा व्यय
मांग संख्या १३४—बहुप्रयोजनीय नदी परियोजनाओं पर पूंजी व्यय
मांग संख्या १३५—सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय का अन्य पूंजी व्यय
दैनिक संक्षेपिका ... १७५९

अंक ३५—मंगलवार, ३ अप्रैल, १९५६

सभा-पटल पर रखा गया पत्र १७३१
अतारांकित प्रश्न के उत्तर की शुद्धि १७३१
अनुदानों की मांगें १७३२–१८१५
मांग संख्या ६७—सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय १७६२–१८०९
मांग संख्या ६८—बहुप्रयोजनीय नदी परियोजनाएं १७६२–१८०९
मांग संख्या ६९—सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय के अधीन विविध
विभाग तथा व्यय १७६२–१८०९

पृष्ठ

मांग संख्या १३४—बहुप्रयोजनीय नदी परियोजनाओं पर पूंजी व्यय १७६२–१८०६

मांग संख्या १३५—सिंचाई और विद्युत मंत्रालय का अन्य पूंजी व्यय १७६२–१८०६

मांग संख्या ४७—स्वास्थ्य मंत्रालय १८१०–१५

मांग संख्या ४८—चिकित्सा सेवाएं १८१०–१५

मांग संख्या ४९—लोक स्वास्थ्य १८१०–१५

मांग संख्या ५०—स्वास्थ्य मंत्रालय के अधीन विविध व्यय १८१०–१५

मांग संख्या १३०—स्वास्थ्य मंत्रालय का पूंजी व्यय १८१०–१५

दैनिक संक्षेपिका १८१६

अंक ३६—बुधवार, ४ अप्रैल, १९५६

सभा-पटल पर रखा गया पत्र ... १८१७

राज्य पुनर्गठन आयोग के प्रतिवेदन के बारे में याचिकायें १८१७

अनुदानों की मांगें १८१७–७९

मांग संख्या ४७—स्वास्थ्य मंत्रालय १८१७–४२

मांग संख्या ४८—चिकित्सा सेवायें १८१७–४२

मांग संख्या ४९—लोक स्वास्थ्य १८१७–४२

मांग संख्या ५०—स्वास्थ्य मंत्रालय के अधीन विविध व्यय १८१७–४२

मांग संख्या १३०—स्वास्थ्य मंत्रालय का पूंजी व्यय ... १८१७–४२

मांग संख्या १०१—निर्माण, आवास और सम्भरण मंत्रालय १८४३–७९

मांग संख्या १०२—सम्भरण १८४३–७९

मांग संख्या १०३—अन्य असैनिक निर्माण कार्य १८४३–७९

मांग संख्या १०४—लेखन-सामग्री तथा मुद्रण ... १८४३–७९

मांग संख्या १०५—निर्माण, आवास और संभरण मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा व्यय १८४३–७९

मांग संख्या १४३—नई दिल्ली पूंजी व्यय १८४३–७९

मांग संख्या १४४—भवनों पर पूंजी व्यय १८४३–७९

मांग संख्या १४५—निर्माण, आवास और संभरण मंत्रालय का अन्य पूंजी व्यय १८४३–७९

दैनिक संक्षेपिका १८८०

अंक ३७—गुरुवार, ५ अप्रैल, १९५६

अनुदानों की मांगें १८८१–१९४६

मांग संख्या १०१—निर्माण, आवास और संभरण मंत्रालय १८८१–९१

मांग संख्या १०२—सम्भरण १८८१–९१

मांग संख्या १०३—अन्य असैनिक निर्माण कार्य १८८१–९१

मांग संख्या १०४—लेखन-सामग्री तथा मुद्रण १८८१–९१

मांग संख्या १०५—निर्माण, आवास और संभरण मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा व्यय १८८१–९१

	पृष्ठ
मांग संख्या १४३—नई दिल्ली पूंजी व्यय	१८८१–६१
मांग संख्या १४४—भवनों पर पूंजी व्यय	१८८१–६१
मांग संख्या १४५—निर्माण, आवास और संभरण मंत्रालय का अन्य पूंजी व्यय	१८८१–६१
मांग संख्या ८७—उत्पादन मंत्रालय	१८६२–१६४६
मांग संख्या ८८—नमक	१८६२–१६४६
मांग संख्या ८६—उत्पादन मंत्रालय के अधीन अन्य संगठन	१८६२–१६४६
मांग संख्या ६०—सरकारी कोयला-खानें	१८६२–१६४६
मांग संख्या ६१—उत्पादन मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा व्यय	१८६२–१६४६
मांग संख्या १३८—उत्पादन मंत्रालय का पूंजी व्यय	१८६२–१६४६
दैनिक संक्षेपिका	१६४७

अंक ३८—शुक्रवार, ६ अप्रैल, १६५६

सभा-पटल पर रखे गये पत्र	१६४६
प्राक्कलन समिति—	
चौबीसवां प्रतिवेदन	१६५०
अनुसूचित जाति और अनुसूचित आदिम जाति आदेश (संशोधन) विधेयक	१६५०
कतिपय मंत्रालयों के वार्षिक प्रतिवेदनों के वितरण में विलम्ब ...	१६५०–५१
अनुदानों की मांगें	१६५१–८३
मांग संख्या ८७—उत्पादन मंत्रालय	१६५१–५७
मांग संख्या ८८—नमक ...	१६५१–५७
मांग संख्या ८६—उत्पादन मंत्रालय के अधीन अन्य संगठन	१६५१–५७
मांग संख्या ६०—सरकारी कोयला-खानें	१६५१–५७
मांग संख्या ६१—उत्पादन मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा व्यय ...	१६५१–५७
मांग संख्या १३८—उत्पादन मंत्रालय का पूंजी व्यय	१६५१–५७
मांग संख्या ७८—प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय ...	१६५८–८३
मांग संख्या ७६—भारतीय भू-परिमाप	१६५८–८३
मांग संख्या ८०—वानस्पतिक सर्वेक्षण	१६५८–८३
मांग संख्या ८१—प्राणकीय सर्वेक्षण	१६५८–८३
मांग संख्या ८२—भूतत्वीय सर्वेक्षण	१६५८–८३
मांग संख्या ८३—खानें	१६५८–८३
मांग संख्या ८४—वैज्ञानिक गवेषणा ...	१६५८–८३
मांग संख्या ८५—तेल तथा प्राकृतिक गैस की खोज ...	१६५८–८३
मांग संख्या ८६—प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय के अधीन विविध व्यय	१६५८–८३
मांग संख्या १३७—प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय का पूंजी व्यय	१६५८–८३

पृष्ठ

बाल सन्यास दीक्षा रोक विधेयक १९८३
विधान मण्डलों की कार्यवाही (प्रकाशन का संरक्षण) विधेयक १९८३–२०००
विचार करने तथा प्रवर समिति को सौंपने के प्रस्ताव १९८३–२०००
भारतीय दण्ड संहिता (संशोधन) विधेयक (**धारा ४२९ का संशोधन**) २०००–०६
विचार करने का प्रस्ताव २०००
दैनिक संक्षेपिका २००७

अंक ३९—सोमवार, ९ अप्रैल, १९५६

सभा-पटल पर रखा गया पत्र २००९
कतिपय मंत्रालयों के वार्षिक प्रतिवेदनों के वितरण में विलम्ब २००९–१०
अनुदानों की मांगें २०१०–७९
मांग संख्या ७८—प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय २०१०–२४
मांग संख्या ७९—भारतीय भू-परिमाप २०१०–२४
मांग संख्या ८०—वानस्पतिक सर्वेक्षण २०१०–२४
मांग संख्या ८१—प्राणकीय सर्वेक्षण २०१०–२४
मांग संख्या ८२—भूतत्वीय सर्वेक्षण २०१०–२४
मांग संख्या ८३—खानें २०१०–२४
मांग संख्या ८४—वैज्ञानिक गवेषणा २०१०–२४
मांग संख्या ८५—तेल तथा प्राकृतिक गैस की खोज २०१०–२४
मांग संख्या ८६—प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय के अधीन विविध व्यय २०१०–२४
मांग संख्या १३७—प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय का पूंजी व्यय २०१०–२४
मांग संख्या ४२—खाद्य और कृषि मंत्रालय २०२५–७९
मांग संख्या ४३—वन २०२५–७९
मांग संख्या ४४—कृषि ... २०२५–७९
मांग संख्या ४५—असैनिक पशु-चिकित्सा सेवायें ... २०२५–७९
मांग संख्या ४६—खाद्य और कृषि मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा अन्य व्यय २०२५–७९
मांग संख्या १२७—वनों पर पूंजी व्यय २०२५–७९
मांग संख्या १२८—खाद्यान्नों का क्रय २०२५–७९
मांग संख्या १२९—खाद्य और कृषि मंत्रालय का अन्य पूंजी व्यय २०२५–७९
दैनिक संक्षेपिका २०८०

अंक ४०—मंगलवार, १० अप्रैल, १९५६

अनुदानों की मांगें ... २०८१–२१३९
मांग संख्या ७०—श्रम मंत्रालय २०८१–२१३३
मांग संख्या ७१—मुख्य खान निरीक्षक २०८१–२१३३
मांग संख्या ७२—श्रम मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा व्यय २०८१–२१३३
मांग संख्या ७३—काम दिलाऊ दफ्तर तथा पुन:संस्थापन २०८१–२१३३
मांग संख्या ७४—असैनिक प्रतिरक्षा २०८१–२१३३

	पृष्ठ
मांग संख्या १३६—श्रम मंत्रालय का पूंजी व्यय	२०८१–२१३३
मांग संख्या ५१—गृह-कार्य मंत्रालय ...	२१३३–३६
मांग संख्या ५२—मंत्रिमण्डल	२१३३–३६
मांग संख्या ५३—दिल्ली	२१३३–३६
मांग संख्या ५४—पुलिस	२१३३–३६
मांग संख्या ५५—जनगणना ...	२१३३–३६
मांग संख्या ५६—देशी राजाओं की निजी थैलियां तथा भत्ते	२१३३–३६
मांग संख्या ५७—अन्दमान तथा निकोबर द्वीप	२१३३–३६
मांग संख्या ५८—कच्छ	२१३३–३६
मांग संख्या ५६—मनीपुर	२१३३–३६
मांग संख्या ६०—त्रिपुरा	२१३३–३६
मांग संख्या ६१—राज्यों से सम्बन्ध ...	२१३३–३६
मांग संख्या ६२—गृह-कार्य मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा व्यय	२१३३–३६
मांग संख्या १३१—गृह-कार्य मंत्रालय का पूंजी व्यय	२१३३–३६
दैनिक संक्षेपिका	२१४०

अंक ४१—बुधवार, ११ अप्रैल, १९५६

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—	
उनचासवां प्रतिवेदन	२१४१
अनुदानों की मांगें	२१४१–२२०३
मांग संख्या ५१—गृह-कार्य मंत्रालय ...	२१४१–२२०३
मांग संख्या ५२—मंत्रिमण्डल	२१४१–२२०३
मांग संख्या ५३—दिल्ली	२१४१–२२०३
मांग संख्या ५४—पुलिस	२१४१–२२०३
मांग संख्या ५५—जनगणना	२१४१–२२०३
मांग संख्या ५६—देशी राजाओं की निजी थैलियां तथा भत्ते	२१४१–२२०३
मांग संख्या ५७—अन्दमान और निकोबार द्वीप समूह...	२१४१–२२०३
मांग संख्या ५८—कच्छ	२१४१–२२०३
मांग संख्या ५६—मनीपुर	२१४१–२२०३
मांग संख्या ६०—त्रिपुरा	२१४१–२२०३
मांग संख्या ६१—राज्यों से सम्बन्ध	२१४१–१२०३
मांग संख्या ६२—गृह-कार्य मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा व्यय ...	२१४१–२२०३
मांग संख्या १३१—गृह-कार्य मंत्रालय का पूंजी व्यय ...	२१४१–२२०३
दैनिक संक्षेपिका	२२०४

अंक ४२—गुरुवार, १२ अप्रैल, १९५६	पृष्ठ
अनुदानों की मांगें	२२०५–५८
मांग संख्या ५१—गृह-कार्य मंत्रालय	२२०५–१५
मांग संख्या ५२—मंत्रिमण्डल	२२०५–१५
मांग संख्या ५३—दिल्ली	२२०५–१५
मांग संख्या ५४—पुलिस	२२०५–१५
मांग संख्या ५५—जनगणना ...	२२०५–१५
मांग संख्या ५६—देशी राजाओं की निजी थैलियां तथा भत्ते ...	२२०५–१५
मांग संख्या ५७—अन्दमान और निकोबर द्वीप समूह	२२०५–१५
मांग संख्या ५८—कच्छ	२२०५–१५
मांग संख्या ५९—मनीपुर	२२०५–१५
मांग संख्या ६०—त्रिपुरा	२२०५–१५
मांग संख्या ६१—राज्यों से सम्बन्ध	२२०५–१५
मांग संख्या ६२—गृह-कार्य मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा व्यय ...	२२०५–१५
मांग संख्या १३१—गृह-कार्य मंत्रालय का पूंजी व्यय	२२०५–१५
मांग संख्या ६६—लोहा और इस्पात मंत्रालय ...	२२१५–४१
मांग संख्या १३३—लोहा और इस्पात मंत्रालय का पूंजी व्यय	२२१५–४१
मांग संख्या १—वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय	२२४१–५८
मांग संख्या २—उद्योग	२२४१–५८
मांग संख्या ३—वाणिज्यिक सूचना तथा आंकड़े ...	२२४१–५८
मांग संख्या ४—वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय का पूंजी व्यय	२२४१–५८
मांग संख्या ११३—वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय का पूंजी व्यय	२२४१–५८
सभा-पटल पर रखे गये पत्र ...	२२३५
दैनिक संक्षेपिका ...	२२५९

अंक ४३—शनिवार, १४ अप्रैल, १९५६	
अल्प सूचना प्रश्न के उत्तर की शुद्धि	२२६१–६२
अनुदानों की मांगें	२२६२–८७
मांग संख्या १—वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय	२२६२–८७
मांग संख्या २—उद्योग ...	२२६२–८७
मांग संख्या ३—वाणिज्यिक सूचना तथा आंकड़े	२२६२–८७
मांग संख्या ४—वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा व्यय	२२६२–८७
मांग संख्या ११३—वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय का पूंजी व्यय	२२६२–८७
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—उनचासवां प्रति-वेदन...	२२८७–८९
औद्योगिक तथा वाणिज्यिक राज्य उपक्रमों सम्बन्धी समिति की नियुक्ति के बारे में संकल्प	२२८८–२३०६
बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बारे में संकल्प	२३०७
दैनिक संक्षेपिका	२३०८

अंक ४४—सोमवार, १६ अप्रैल, १९५६

स्थगन प्रस्ताव—

दिल्ली पुलिस द्वारा कथित लाठी चार्ज ... २३०९–११

सभा का कार्य ... २३११–१२

विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति ... २३१२

जीवन बीमा विधेयक ... २३१२

अनुदानों की मांगें २३१३–८२

मांग संख्या १—वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ... २३१३–२३

मांग संख्या २—उद्योग ... २३१३–२३

मांग संख्या ३—वाणिज्य सूचना तथा आंकड़े ... २३१३–२३

मांग संख्या ४—वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा व्यय ... २३१३–२३

मांग संख्या ११३—वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय का पूंजी व्यय ... २३१३–२३

मांग संख्या १७—शिक्षा मंत्रालय ... २३२४–७७

मांग संख्या १८—पुरातत्व विद्या ... २३२४–७७

मांग संख्या १९—अन्य वैज्ञानिक-विभाग ... २३२४–७७

मांग संख्या २०—शिक्षा ... २३२४–७७

मांग संख्या २१—शिक्षा-मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा व्यय ... २३२४–७७

मांग संख्या ११८—शिक्षा मंत्रालय का पूंजी व्यय ... २३२४–७७

मांग संख्या २६—वित्त मंत्रालय ... २३७७–८२

मांग संख्या २७—सीमा शुल्क ... २३७७–८२

मांग संख्या २८—संघ उत्पादन शुल्क ... २३७७–८२

मांग संख्या २९—निगम कर तथा सम्पदा शुल्क सहित आय पर कर ... २३७७–८२

मांग संख्या ३०—अफीम ... २३७७–८२

मांग संख्या ३१—स्टाम्प २३७७–८२

मांग संख्या ३२—अभिकरण विषयों के प्रशासन तथा राजकोषों के प्रबन्ध के लिये अन्य सरकारों, विभागों आदि को भुगतान ... २३७७–८२

मांग संख्या ३३—लेखा परीक्षण ... २३७७–८२

मांग संख्या ३४—चल-मुद्रा ... २३७७–८२

मांग संख्या ३५—टकसाल ... २३७७–८२

मांग संख्या ३६—प्रादेशिक तथा राजनीतिक पेंशनें ... २३७७–८२

मांग संख्या ३७—वार्धक्य भत्ता तथा निवृत्ति वेतन २३७७–८२

मांग संख्या ३८—वित्त मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा व्यय ... २३७७–८२

मांग संख्या ३९—राज्यों को सहायक अनुदान ... २३७७–८२

पृष्ठ

मांग संख्या ४०—संघ तथा राज्य सरकारों के बीच विविध समायोजन ... २३७७–८२
मांग संख्या ४१—विभाजन-पूर्व के भुगतान ... २३७७–८२
मांग संख्या १२०—भारत सुरक्षा मुद्रणालय पर पूंजी व्यय ... २३७७–८२
मांग संख्या १२१—चल-मुद्रा तथा टंकण पर पूंजी व्यय ... २३७७–८२
मांग संख्या १२२—टकसालों पर पूंजी व्यय ... २३७७–८२
मांग संख्या १२३—निवृत्ति-वेतनों का राशिकृत मूल्य ... २३७७–८२
मांग संख्या १२४—छंटनी किये गये कर्मचारियों को भुगतान ... २३७७–८२
मांग संख्या १२५—वित्त-मंत्रालय का अन्य पूंजी व्यय ... २३७७–८२
मांग संख्या १२६—केन्द्रीय सरकार द्वारा ऋण तथा अग्रिम धन ... २३७७–८२

दैनिक संक्षेपिका ... २३८३

अंक ४५—मंगलवार, १७ अप्रैल, १९५६

कार्य मंत्रणा समिति—

बत्तीसवां प्रतिवेदन ... २३८५

तारांकित प्रश्नों के उत्तरों की शुद्धि ... २३८५–८७

अनुदानों की मांगें ... २३८७–२४२७

मांग संख्या २६—वित्त-मंत्रालय ... २३८७–२४२५
मांग संख्या २७—सीमा शुल्क ... २३८७–२४२५
मांग संख्या २८—संघ उत्पादन शुल्क ... २३८७–२४२५
मांग संख्या २९—निगम कर तथा सम्पदा शुल्क सहित आय पर कर ... २३८७–२४२५
मांग संख्या ३०—अफीम ... २३८७–२४२५
मांग संख्या ३१—स्टाम्प ... २३८७–२४२५
मांग संख्या ३२—अभिकरण-विषयों के प्रशासन तथा राजकोषों के प्रबन्ध के लिये अन्य सरकारों, विभागों आदि को भुगतान ... २३८७–२४२५
मांग संख्या ३३—लेखा-परीक्षा ... २३८७–२४२४
मांग संख्या ३४—चल-मुद्रा ... २३८७–२४२५
मांग संख्या ३५—टकसाल ... २३८७–२४२५
मांग संख्या ३६—प्रादेशिक तथा राजनीतिक पेंशनें ... २३८७–२४२५
मांग संख्या ३७—वार्धक्य भत्ते तथा निवृत्ति-वेतन ... २३८७–२४२५
मांग संख्या ३८—वित्त-मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा अन्य व्यय ... २३८७–२४२५
मांग संख्या ३९—राज्यों को सहायक अनुदान ... २३८७–२४२५
मांग संख्या ४०—संघ तथा राज्य सरकारों के बीच विविध समायोजन ... २३८७–२४२५
मांग संख्या ४१—विभाजन-पूर्व के भुगतान ... २३८७–२४२५

	पृष्ठ
मांग संख्या १२०——भारत सुरक्षा मुद्रणालय पर पूंजी व्यय	२३८७–२४२५
मांग संख्या १२१——चल-मुद्रा तथा टंकण पर पूंजीव्यय ...	२३८७–२४२५
मांग संख्या १२२——टकसाल पर पूंजी व्यय	२३८७–२४२५
मांग संख्या १२३——निवृत्ति-वेतनों का राशिकृत मूल्य ...	२३८७–२४२५
मांग संख्या १२४——छंटनी किये गये कर्मचारियों को भुगतान	२३८७–२४२५
मांग संख्या १२५——वित्त मंत्रालय का अन्य पूंजी व्यय ...	२३८७–२४२५
मांग संख्या १२६——केन्द्रीय सरकार द्वारा ऋण तथा अग्रिम धन	२३८७–२४२५
मांग संख्या ६३——सूचना और प्रसारण मंत्रालय	२४२५–२७
मांग संख्या ६४——प्रसारण ...	२४२५–२७
मांग संख्या ६५——सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा व्यय	२४२५–२७
मांग संख्या १३२——प्रसारण पर पूंजी व्यय	२४२५–२७
मांग संख्या ७५——विधि मंत्रालय	२४२५–२७
मांग संख्या ७६——न्याय-व्यवस्था	२४२५–२७
मांग संख्या ७७——विधि मंत्रालय के अधीन विविध व्यय	२४२५–२७
मांग संख्या १०६——अणुशक्ति विभाग	२४२५–२७
मांग संख्या १०७——अणुशक्ति गवेषणा	२४२५–२७
मांग संख्या १४६——अणुशक्ति विभाग का पूंजी व्यय	२४२५–२७
मांग संख्या १०८——संसद्-कार्य विभाग	२४२५–२७
मांग संख्या १०९——लोक-सभा ...	२४२५–२७
मांग संख्या ११०——लोक-सभा के अधीन विविध व्यय ...	२४२५–२७
मांग संख्या १११——राज्य-सभा ...	२४२५–२७
मांग संख्या ११२——उप-राष्ट्रपति का सचिवालय	२४२५–२७
वित्त विधेयक	२४२७–३०
विचार करने का प्रस्ताव	२४२७
दैनिक संक्षेपिका	२४३१

M117LSD—190—25-3-58—GIPF.

लोक-सभा वाद-विवाद

(भाग २–प्रश्नोत्तर के अतिरिक्त कार्यवाही)

लोक-सभा

मंगलवार, ३ अप्रैल, १९५६

लोक-सभा साढ़े दस बजे समवेत हुई

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

प्रश्नोत्तर

(देखिये भाग १)

११-४८ म० पू०

सभा-पटल पर रखा गया पत्र

सरकार द्वारा दिल्ली भूगृहादि (अधिग्रहण तथा निष्कासन) संशोधन विधेयक पर चर्चा होते समय दिये गये कुछ आश्वासनों पर की गई कार्यवाही का विवरण

†**संसद्-कार्य मंत्री (श्री सत्य नारायण सिंह)** : मैं सरकार द्वारा दिल्ली भूगृहादि (अधिग्रहण और निष्कासन) संशोधन विधेयक पर चर्चा के समय २९ सितम्बर, १९५१ को दिये गये कुछ आश्वासनों पर की गई कार्यवाही के विवरण की एक प्रति लोक-सभा पटल पर रखता हूं । [**पुस्तकालय में रखी गई, देखिये संख्या एस–११५/५६**]

अतारांकित प्रश्न के उत्तर की शुद्धि

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : खेद है कि १७ अगस्त, १९५५ को श्री एस० एन० दास द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या ३९० के भाग (ख) के उत्तर में चितरंजन में बनाये जाने वाले रेलवे इंजन की जो उत्पादन लागत बताई गई थी वह ठीक नहीं थी । ४.८१ लाख रुपये बजाये यह लगभग ५.१० लाख रुपये होनी चाहिये । अतः निवेदन है कि उत्तर के भाग (ख) के स्थान पर यह रखा जाये :

(ख) लगभग ५.१० लाख रुपये ।

---

†मूल अंग्रेजी में

107LSD—1

अनुदानों की मांगें*

†**अध्यक्ष महोदय :** लोक-सभा अब सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय सम्बन्धी अनुदानों की मांगों पर चर्चा पुनरारम्भ करेगी । श्री एन० आर० मुनिस्वामी अपना भाषण जारी रखेंगे । मैं यह जानना चाहता हूं कि माननीय मंत्री कितना समय लेंगे ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी) :** लगभग ४५ मिनट ।

†**श्री एन० आर० मुनिस्वामी** (वान्दिवाश) : कल मैं मंत्रालय के कार्य की प्रगति के बारे में कह रहा था । अब मैं मांगों के बारे में कुछ कहूंगा । खाद्य उत्पादन और सिंचाई कार्य की प्रगति के लिये सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय के दोनों विभागों की ओर पूरा ध्यान दिया जाना चाहिये । प्रथम योजना में देश में भूमि और जल संसाधनों की उपलब्धता को ध्यान में न रखते हुए प्रमुख परियोजनायें आरम्भ की गई थीं । अब उन्हें पूरा तो करना ही था । द्वितीय पंचवर्षीय योजना में छोटी-छोटी परियोजनाओं को रखा गया है जो कि देश भर में फैली हुई हैं । मुझे इस बात की बड़ी प्रसन्नता है कि पांच वर्ष पश्चात् उत्पादन दोगुना हो जायेगा ।

परियोजनाओं के पूर्ण होने पर पानी की दर बढ़ा दी जायेगी ऐसा प्रतीत होता है । ऐसा नहीं किया जाना चाहिये क्योंकि इससे कृषकों को बड़ी कठिनाई होगी । सुधार शुल्क, जो इन क्षेत्रों में लगाया जाना है, कृषकों पर एक भारी बोझ होगा । प्रतिवेदनों से पता चलता है कि देश में सिंचाई किये जाने वाले क्षेत्र का पता लगाने के लिये छः खंड बनाये गये हैं । कोई ऐसा प्रबन्ध किया जाना चाहिये जिससे एक खंड में एकत्र किये गये जल को दूसरे खंड में भी प्रयोग में लाया जा सके ।

द्वितीय योजना के अन्तर्गत आवंटित की गई ९०० करोड़ रुपये की राशि प्रथम योजना से ५० प्रतिशत अधिक है फिर भी कमी वाले क्षेत्रों की ओर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया है । इन कमी वाले क्षेत्रों के बारे में, जहां वर्षा नहीं होती अथवा कम होती है हमें यह पता लगाना चाहिये कि कितनी भूमि उपलब्ध है और भूमि के नीचे पानी की कितनी मात्रा है । फिर वहां कुयें और नलकूप लगाने हैं ।

मद्रास के जिस क्षेत्र में मैं रहता हूं वहां की पालर नदी में बिल्कुल भी पानी नहीं है । इसके बारे में यह जांच की जानी चाहिये कि क्या वहां नलकूप लगाये जा सकते हैं । ऐसा करने से उस नदी के दोनों किनारों की २०,००० एकड़ भूमि की सिंचाई हो सकेगी । प्रत्येक नलकूप पर २५,००० रुपया खर्च होता है परन्तु ऐसा करने पर जलाशय आदि बनाने की आवश्यकता नहीं रह जायेगी ।

यदि नलकूप लगाने सम्भव न हों तो इन क्षेत्रों में विद्युत् शक्ति का सम्भरण किया जाना चाहिये ताकि उसकी सहायता से २० हजार कुओं से पानी खींच कर ४०,००० एकड़ भूमि की सिंचाई की जा सके । अन्य परियोजनाओं को बजाये यदि विद्युत् शक्ति उपलब्ध की जाये तो कृषकों को अधिक लाभ होगा । बैलों की सहायता से काम करने पर तो कृषक ऋण में जकड़े रहते हैं ।

द्वितीय योजना में १० हजार ग्रामों में बिजली लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है । चाहे कितने ग्रामों में विद्युत् शक्ति दी जाये परन्तु यह ध्यान रखना चाहिये कि घरेलू खपत की बजाये उन लोगों को शक्ति दी जाये जिनके पास कुए हैं ताकि अनाज की उपज बढ़ाई जा सके । बाद में छोटे पैमाने के उद्योगों की ओर भी ध्यान दिया जा सकता है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

*राष्ट्रपति की सिफारिश से प्रस्तुत ।

क्योंकि भारत कृषि पर अधिक निर्भर करता है इसलिये केवल इसी से ही देश की आर्थिक प्रगति का पता चल सकता है और उत्पादन को बढ़ाने के दो प्रमुख साधन सिंचाई और विद्युत् हैं, इसलिये विद्युत् शक्ति को बढ़ाया जाना चाहिये ।

जो गांव पांच मील के घेरे में हों वहां बिजली लगाई जानी चाहिये । राज्य सरकारों को २० वर्ष में वापस किये जाने वाले और बिना व्याज पांच वर्षों में वापस किये जाने वाले ऋण के रूप में बड़ी-बड़ी राशियां दी गई हैं परन्तु उनका वितरण उचित रूप से नहीं किया गया है ।

मद्रास सरकार को जो धन दिया गया है उसे उपयोग में नहीं लाया जा रहा है । यह ठीक है कि इसमें कुछ कठिनाइयां हैं और आवश्यक सामान तथा सामग्री उपलब्ध नहीं है परन्तु फिर भी नगरीय क्षेत्रों की बजाय ग्रामीण क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जानी चाहिये, क्योंकि जब तक ग्रामों का विकास नहीं होता तब तक देश में अधिक प्रगति नहीं हो सकती । यदि एक भाग पिछड़ा हुआ है तो यह नहीं कहा जा सकता कि देश प्रगति कर रहा है ।

इस सामाजिक व आर्थिक विकास की व्यवस्था में सारे देश में समान वितरण किया जाना चाहिये ।

कमी वाले क्षेत्रों के लिये केवल चार करोड़ रुपया अलग रखा गया है । जब तक इस राशि को नहीं बढ़ाया जाता तब तक हम अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते हैं । द्वितीय पंचवर्षीय योजना में इससे पृथक् मद्द के रूप में नहीं रखा गया है और ऐसा किये जाने के कारण मंत्रालय के पदाधिकारी इस पर उचित ध्यान नहीं दे सकेंगे । इसलिये मेरी प्रार्थना है कि इसे पृथक् मद्द के रूप में रखा जाये । जब तक उपलब्ध भूमि और भूमि के निम्न जल संसाधनों का अनुमान नहीं किया जाता है और यह ध्यान नहीं रखा जाता है कि आवंटित धन का उपयोग किस प्रकार किया जाये तब तक हम प्रगति नहीं कर सकते हैं और तब तक इसे देश का बहुमुखी विकास नहीं कहा जा सकता है ।

†**श्री बालकृष्णन्** (ईरोड—रक्षित—अनुसूचित जातियां) : इसके पूर्व कि मैं अपने राज्य के बारे में कुछ कहूं मैं सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय की सफलताओं के बारे में कहूंगा । उक्त मंत्रालय की सफलताओं के कारण हमारे देश की खाद्य स्थिति में सुधार हुआ है और अब हम कुछ देशों को खाद्यान्न निर्यात करने की क्षमता रखते हैं ।

कल किस माननीय सदस्य ने कहा था भाखड़ा-नंगल भारत का एक तीर्थस्थान हो गया है किन्तु मेरा ख्याल है वह केवल भारत का नहीं वरन् सारे संसार का एक तीर्थस्थान हो गया है ।

किन्तु जब मैं मद्रास राज्य के बारे में सोचता हूं तो मुझे प्रसन्नता नहीं होती है, क्योंकि प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत उसे पर्याप्त लाभ नहीं प्राप्त हो सका है । खाद्यान्नों और विद्युत् शक्ति का हमारे यहां अभाव है और कुछ स्थानों में सिंचाई के लिये जल का भी अभाव है । हमारी सिंचाई की योजनायें बहुत छोटी हैं और बड़ी योजनायें अधिक नहीं हैं किन्तु उन्हें भी प्रथम पंचवर्षीय योजना में समाविष्ट नहीं किया गया है । मैं कुछ योजनाओं के बारे में सुझाव देना चाहता हूं जिन्हें कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में समाविष्ट किया जाना चाहिये । पेरम्बीक्कुलम् और अपर अलियार जलाशय, योजना एक महत्वपूर्ण योजना है जिससे कोयम्बटूर जिले में दो लाख एकड़ भूमि और त्रावनकोर-कोचीन राज्य में २१ हजार एकड़ भूमि की सिंचाई की जा सकेगी । अपर पेरियार योजना से रामनाथपुरम् और मदुराई जिलों में लगभग दो लाख एकड़ भूमि की सिंचाई की जा सकेगी । आपको विदित ही है कि हाल ही में रामनाथपुरम् जिले में एक भयंकर चक्रवात्त आया था जिसके कारण सिंचाई के प्राय: सभी साधनों को हानि पहुंची थी । इस जिले में अकाल की स्थिति भी है । यह जिला तामिलनाद का एक

†मूल अंग्रेजी में

[श्री बालकृष्णन्]
पिछड़ा जिला है इसलिये उक्त योजना अधिक महत्वपूर्ण है और सरकार से मैं अनुरोध करता हूं कि उसको द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित किया जाये ।

पालर-पोखन्डलर योजना के सम्बन्ध में सन् १९०२ के बाद से कोई कार्यवाही नहीं की गई है और मेरी राय में उसे भी द्वितीय योजना में सम्मिलित किया जाना चाहिये ।

सन् १९०२ और १९४८ में उक्त योजना का सर्वेक्षण किया गया था और योजना की क्रियान्विति की सभी प्रारम्भिक तैयारियां की गई थीं, किन्तु नहर के स्थान को लेकर कुछ मतभेद उत्पन्न हो गया और योजना को निलम्बित कर दिया गया । इस योजना से पलनी तालुका की लगभग बीस हजार एकड़ भूमि को सिंचाई हो सकेगी । पलनी तालुका अधिकांशतः एक अविकसित तालुका है और उस दृष्टि से यह योजना काफी महत्व रखती है ।

पुल्लम बड़ी योजना से बाईस हजार एकड़ भूमि की सिंचाई की जा सकेगी और इसके अतिरिक्त उससे लगभग पैंतीस तालाब लाभान्वित होंगे । इसलिये उसको द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित किया जाये ।

मद्रास राज्य में विद्युत् शक्ति का जो अभाव है उससे योजना आयोग परिचित है । आज भी मद्रास राज्य में विद्युत् शक्ति के सम्भरण में पच्चीस प्रतिशत की कटौती जा रही है । जनता को इस कारण असुविधा होती है और पर्याप्त सम्भरण के अभाव में सरकार उसकी आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकती है । इसलिये मद्रास राज्य ने केन्द्र से इस आशय की सिफारिश की थी कि कुन्डा और पेरियार विद्युत् योजनाओं को प्रथम पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित किया जाये किन्तु दुर्भाग्यवश कुन्डा योजना को प्रथम योजना में सम्मिलित नहीं किया गया । यह योजना ही मद्रास राज्य को विद्युत् शक्ति दे सकती है इसलिये सरकार से मेरा अनुरोध है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में उक्त योजना को प्रथम पूर्ववर्तिता दी जाये ।

जहां तक सिंचाई की छोटी योजनाओं का सम्बन्ध है आप जानते ही हैं कि मद्रास में सिंचाई का कार्य मुख्यतः इन्हीं से किया जाता है । मद्रास राज्य में ऐसे तालाब सैकड़ों की संख्या में हैं जिनकी मरमम्त नहीं की जाती है । मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि ऐसे तालाबों की आवश्यक मरम्मत कराई जाये । इन योजनाओं को भी द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित किया जाना चाहिये ताकि मद्रास राज्य लाभान्वित हो सके ।

†**श्री आर० एस० दीवान** (उस्मानाबाद) : हैदराबाद राज्य के मराठवाड़ा क्षेत्र के अनुभव से और योजना मंत्री द्वारा कल सभा-पटल पर रखे गये साहित्य और उसके कार्य के सारांश से मेरी यह धारणा हुई है कि मंत्रालय को बड़ी योजनाओं में अधिक रुचि है और मध्यम तथा छोटी योजनाओं में कोई रुचि नहीं है । बड़ी योजनाओं से मेरा कोई विरोध नहीं है । यदि आप बड़ी योजनाओं को देखें तो आपको ज्ञात होगा कि उनमें से अधिकांश भूकम्पों वाली पट्टी में स्थित हैं और अन्य जिन स्थानों पर वह स्थित हैं वह स्थान सामरिक दृष्टि से आक्राम्य हैं । किन्तु मध्यम और छोटी योजनाओं के सम्बन्ध में यह बात नहीं है । उन्हें देश में किसी भी स्थान पर जहां भी सम्भव हो वहां क्रियान्वित किया जा सकता है और उनसे लाभ उठाया जा सकता है । किन्तु मंत्रालय द्वारा उनकी उपेक्षा ही की गई है ।

मराठवाड़ा को ही लीजिये । वहां बड़ी नदियों को छोड़ कर कोई भी ऐसी छोटी नदी नहीं है जिसका पानी सिंचाई के लिये काम में नहीं लाया जा सकता है । किन्तु मराठवाड़ा क्षेत्र के लिये एक भी योजना नहीं बनाई गई है । मराठवाड़ा के विधान सभाई सदस्यों, संसद् सदस्यों और अन्य प्रतिनिधियों ने योजना मंत्री से मुलाकात करके उन्हें स्मृतिपत्र प्रस्तुत किया तो उन्हें बताया गया कि

---

†मूल अंग्रेजी में

पूर्णा परियोजना को प्रथम पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित किया जायेगा। उसको प्रथम पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित नहीं किया जा सका था और हमारे आंसू पोंछने के लिये भू-संरक्षण सम्बन्धी कार्य के हेतु ३६ लाख रुपये मंजूर किये गये थे किन्तु हैदराबाद सरकार ने भू-संरक्षण के कार्य पर उक्त राशि का आधा हिस्सा भी व्यय नहीं किया है।

इसके बाद मराठवाड़ा के विधान सभाई सदस्यों और संसद् सदस्यों ने एक और स्मृतिपत्र प्रस्तुत किया। अधिकारियों ने उस समय कहा था कि कुछ योजनाओं को द्वितीय पंचवर्षीय योजना में मंजूर किया जायेगा। उनका कथन है कि पूर्णा एक बड़ी योजना अथवा परियोजना है। राज्य सरकार द्वारा इस योजना की सिफारिश की गई थी किन्तु केन्द्रीय सरकार ने उसे प्रथम पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित नहीं किया। राज्य सरकार ने जिन मध्यम परियोजनाओं की सिफारिशें की थीं उनमें से केवल तीन को केन्द्रीय सरकार ने मंजूरी दी है।

आज स्थिति यह है कि हमारा क्षेत्र महाराष्ट्र को दिया जा रहा है। आज जो योजनायें अथवा परियोजनायें प्रारम्भ की जायेंगी अगले पांच वर्षों में सरकार उन्हीं के सम्बन्ध में कार्यवाही करेगी। आज यदि कोई योजना प्रारम्भ नहीं की जाती है तो अगले पांच वर्षों में हमें भुखमरी का सामना करना होगा। द्वितीय पंचवर्षीय योजना प्रधानतः देश के औद्योगीकरण के लिये बनाई गई है। मराठवाड़ा क्षेत्र में चूंकि कोई परियोजनायें नहीं हैं इसलिये विद्युत् शक्ति भी नहीं है। मेरा सरकार से अनुरोध है कि उसे देश के सभी प्रदेशों के विकास की ओर ध्यान देना चाहिये।

मैं यह बता दूं कि हैदराबाद राज्य सरकार ने मराठवाड़ा में मध्यम आकार की कई योजनाओं के बारे में सुझाव दिया है। हम योजना आयोग को ऐसी परियोजनाओं की एक तालिका देंगे और मैं अनुरोध करता हूं कि उक्त परियोजनाओं पर विचार किया जाना चाहये।

देवानूर परियोजना को क्रियान्वित किया जा रहा है। इस परियोजना से मराठवाड़ा प्रदेश में कोई साठ हजार एकड़ भूमि की सिंचाई की जा सकती है। कवलगुड़ा पर एक बांध बनाया जाये तो उससे नांदेड़ जिले के मराठवाड़ा क्षेत्र को विद्युत् शक्ति प्राप्त हो सकती है। औरंगाबाद जिले में शाहगढ़ के निकट ही गोदावरी और सिंदपाना के संगम पर एक बांध निर्माण किया जा सकता है और इस प्रकार मराठवाड़ा प्रदेश को पर्याप्त लाभ प्रदान किया जा सकता है।

विद्युत् शक्ति के बारे में भी इस मंत्रालय की यही स्थिति है। उसने छोटी और मध्यम आकार की परियोजनाओं की सर्वत्र उपेक्षा की है और ग्रामों के विद्युतीकरण की भी उपेक्षा की गई है। दो या तीन वर्ष पूर्व उसने हैदराबाद राज्य में ग्रामों के विद्युतीकरण के लिये सैंतालीस लाख रुपये मंजूर किये थे। किन्तु हैदराबाद राज्य सरकार उक्त राशि में से एक पाई भी खर्च नहीं कर सकी है। इसलिये मंत्रालय को इस बात की ओर ध्यान देना होगा कि केन्द्रीय सरकार द्वारा जो राशि मंजूर की जाती है उसको सही और न्यायोचित दृष्टि से व्यय किया जाता है या नहीं, अन्यथा जनता को कोई लाभ नहीं होगा।

हमने समाचारपत्रों में पढ़ा है कि बम्बई के निकट एक आणविक शक्ति स्टेशन स्थापित किया जायेगा। मुझे यह ज्ञात नहीं है कि उक्त स्टेशन और सिंचाई मंत्रालय का क्या सम्बन्ध है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि बड़ी योजनाओं को क्रियान्वित किया जाता है और छोटी योजनाओं पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। आणविक शक्ति स्टेशन के बारे में मेरा ख्याल है कि वैज्ञानिकों और प्रविधि-विज्ञों के बीच मतभेद है। हमें ऐसे खतरे क्यों उठाने चाहियें ....

†**अध्यक्ष महोदय :** क्या वह सिंचाई कार्यक्रम का एक भाग है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री आर० एस० दीवान :** कालान्तर में हमें उससे विद्युत् शक्ति प्राप्त होगी ।

†**अध्यक्ष महोदय :** नहीं, नहीं । क्या वह सिंचाई पर आधारित है ?

†**श्री आर० एस० दीवान :** यदि मैं विद्युत् शक्ति के विषय पर बोलने जा रहा हूं तो मैं उसके बारे में अब भी बहुत कुछ कह सकता हूं । इस आणविक स्टेशन की स्थापना से, जिसके बारे में हमें पर्याप्त जानकारी नहीं है, हम एक ऐसा खतरा उत्पन्न कर रहे हैं जिसके बारे में हम पूर्णरूप से अनभिज्ञ हैं । विश्व शांति के लिये हम शोर मचा रहे हैं और उसे प्राप्त करने के लिये प्रयत्न कर रहे हैं । ऐसी स्थिति में ऐसे स्टेशन का क्या प्रयोजन है जिसे कि युद्ध-प्रेमी राष्ट्रों ने स्थापित किया है ? हम ऐसी योजनाओं को क्यों नहीं लेते जिससे राष्ट्र को शीघ्रताशीघ्र लाभ प्राप्त हो सके ? मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि बड़ी योजनाओं के साथ ही उसे छोटे और मध्यम आकार की योजनाओं को भी लेना चाहिये । छोटी योजनाओं को क्रियान्वित करने से आप पंचवर्षीय योजना को कृषकों के घरों तक पहुंचायेंगे और उन्हें योजना के सम्बन्ध में सोचने को बाध्य करेंगे ।

श्री आर० एन० सिंह (जिला गाजीपुर--पूर्व व जिला बलिया--दक्षिण-पश्चिम) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा मंत्री महोदय के ध्यान में कुछ बातें लाना चाहता हूं ।

पहली बात तो यह है कि मैं जिस जगह से आता हूं, जिन जिलों का मैं प्रतिनिधित्व करता हूं, वे हैं उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिले और वहां पर सबसे बड़ा प्राब्लेम (समस्या) जो है, सबसे बड़ी समस्या जो है, वह बाढ़ की है । परन्तु पेशतर इसके कि मैं वहां की बाढ़ के सम्बन्ध में कुछ कहूं मैं कुछ और बातों पर और खास तौर पर कुछ प्राजैक्ट्स (परियोजनाओं) पर अपने विचार प्रकट करना चाहूंगा । यद्यपि इन प्राजेक्ट्स के सम्बन्ध में मुझे बहुत कुछ नहीं कहना है परन्तु मैं मंत्री महोदय को बतलाना चाहता हूं कि कुछ प्राजैक्ट्स बन चुकीं और उनकी ओपनिंग सेरेमनी (उद्घाटन समारोह) हो चुकी लेकिन फिर भी उनसे कुछ लाभ किसानों को नहीं हो रहा है । मिसाल के तौर पर मैं तुंगभद्रा प्राजैक्ट को ही आपके सामन पेश करता हूं । यह प्राजैक्ट १९५३ में बन गई थी । मेरी बगल में मेरे मित्र श्री शिवमूर्ति स्वामी जी बैठे हुए हैं और उन्होंने मुझे बताया है कि यद्यपि यह प्राजैक्ट बन चुकी है लेकिन फिर भी वहां पर किसानों को इस प्राजैक्ट से कोई लाभ नहीं हो रहा है और जो सुविधायें उनको मिलनी चाहियें वे नहीं मिल रही हैं । खेतों की सिंचाई के लिये उन्हें पानी नहीं दिया जा रहा है । अभी तक नालियां या छोटी-छोटी नहरें नहीं बन पाई हैं और यही कारण है कि उनको कोई लाभ नहीं पहुंच रहा है ।

दूसरी बात इस सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहता हूं कि वहां से जिन लोगों को उठाया गया है उनको अभी तक कोई आर्थिक सहायता नहीं दी गई है । इसका नतीजा यह हो रहा है कि वे बेचारे बहुत बुरी हालत में हैं । इस सम्बन्ध में मैं और ज्यादा न कहते हुए यही कहना चाहता हूं कि उनको मुआवजा जल्दी से जल्दी दिया जाये । मेरे मित्र शिवमूर्ति स्वामी जी कई बार इसके बारे में कह चुके हैं और वहां की जो जनता है उसने भी आपको काफी पत्र लिखे हैं ।

अब मैं रिहांड स्कीम (योजना) के बारे में कुछ कहना चाहता हूं । यह स्कीम अभी तक कुछ पता नहीं कि कब तैयार होगी । यद्यपि यह कहा गया है कि १९६१ तक यह तैयार हो जायेगी और पूर्वी जिलों को तथा विंध्य प्रदेश और बिहार के कुछ भागों को इससे लाभ पहुंचेगा लेकिन यह तो भविष्य की बात है पता नहीं आप की यह उम्मीदें पूरी होती भी हैं या नहीं । आज भी जो कुछ छोटे-छोटे काम उन जिलों में हुए हैं, उनसे भी गरीब किसानों को, गरीब जनता को कोई लाभ नहीं पहुंचा है । नलकूप (ट्यूब-वैल) कुछ लगे हुए हैं और आपने कुछ स्कीमें बिजली पहुंचाने की भी बनाई हैं और बिजली दी

†मूल अंग्रेजी में

भी है। लेकिन मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता है कि आपके कारखानों के द्वारा जो बिजली पैदा होती है वह इतनी महंगी होती है कि एक गरीब आदमी, एक गरीब किसान, एक छोटा-सा रोजगारी, उससे कोई लाभ नहीं उठा सकता है। खर्चा क्यों ज्यादा पड़ता है यह मैं आपको नहीं बतलाना चाहता, इस चीज को आप खुद ही जानते हैं। अगर आप नहीं जानते हैं तो मैं आपसे यही कह सकता हूं कि आप मंत्री पद से हट कर यहां एक मैम्बर की हैसियत से यदि बैठें तो आपको मालूम हो जायेगा कि इतना अधिक खर्चा क्यों पड़ता है। मैं यह भी नहीं कहना चाहता कि वहां पर करप्शन (भ्रष्टाचार) होता है, भ्रष्टाचार होता है, रुपया इधर-उधर किया जाता है, यह आपको मालूम ही है।

अब जो सिंचाई के लिये किसानों को पानी दिया जाता है, उसकी दर भी बहुत ऊंची रखी गई है जिसका नतीजा यह होता है कि किसान उसका भी जितना फायदा उन्हें उठाना चाहिये नहीं उठा पाते हैं। किसानों को जो सिंचाई के लिये पानी मिलता है वह सस्ती दरों से मिलना चाहिये। ये गरीब लोग हैं, इनके पास पैसा नहीं है और जो सब से जटिल समस्या है और जो सब से जरूरी भी है वह इन गरीब किसानों की ही है। यही वे लोग हैं जिन पर आप बोझ लादते जा रहे हैं और तरह-तरह के टैक्स (कर) लगाते जा रहे हैं। इन्हीं लोगों से आपको आमदनी होती है, चाहे उस आमदनी को करने के लिये आप उनसे सीधे टैक्स ले लें, चाहे घुमा-फिरा कर लें, इनका सारा बोझ उन्हीं पर पड़ता है।

तो मैं आपसे यह अनुरोध करूंगा कि आप कम से कम उनके लिये जो चीजें दें, वह सस्ती दें जिससे कि वह आपका जो टैक्सों का बोझ होता है, उसको भी वह सम्भाल सकें और आपकी सहायता भी करते रहें। अब मैं इसके सम्बन्ध में अधिक नहीं कहना चाहता।

मैं आपसे अब अपने पूर्वी जिलों के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहता हूं। जो ट्यूबवेल्स और प्राजेक्ट्स वहां पर बन चुके हैं, ठीक है, बनना चाहिये, उससे मेरा कोई विरोध नहीं है लेकिन मैं यह कहे बगैर नहीं रह सकता कि पूर्वी जिलों में हालांकि कुछ काम किया गया है और सरकार का ध्यान उधर गया है, तब भी पश्चिमी जिलों या और देश के जो दूसरे प्रांत हैं, उनकी अपेक्षा वे पिछड़े हुए हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि आज जब अपने-देश की सरकार कायम है, तब भी हमारी अपनी सरकार की मनोवृत्ति उन्हीं अंग्रेजों की तरह से है जो कि वे पूर्वी जिलों के सम्बन्ध में रखते थे। अंग्रेजों के राज्यकाल में फैजाबाद और पटना के बीच जो विस्तृत भू-भाग है, वह हमेशा उपेक्षित रहा है और उनके शासन-काल में इस क्षेत्र की उन्नति करने के लिये कोई कार्य नहीं किया गया। देश के अन्दर जहां भी आपको मजदूर या कुली मिलेंगे, तो इन्हीं क्षेत्रों से आपको मिलेंगे और विशेष करके उत्तर प्रदेश के देवरिया, गोरखपुर, आजमगढ़, बलिया और गाजीपुर आदि स्थानों से आपको ज्यादा तादाद में कुली मिलते हैं। कारण इसका क्या है ? इसका कारण यह है कि वहां पर कोई ऐसी चीज नहीं है जिससे कि वहां पर काम धंधा करके लोग अपनी गुजर बसर कर सकें। उनके पास कोई ऐसा साधन नहीं जिससे कि वह अपनी खेतीबाड़ी कर सकें। यह सब समस्यायें वहां की हैं और आज भी मैं देखता हूं कि हमारी अपनी सरकार की दृष्टि उन्हीं अंग्रेजों की तरह है और पूर्वी जिलों की तरफ उसका ध्यान बहुत कम गया है। मैं यह मानता हूं कि कुछ ध्यान सरकार का उधर गया है लेकिन और जगह की अपेक्षा कम गया है।

अब मैं बाढ़ के सिलसिले में कुछ कहना चाहता हूं। मैं कई बार इसको कह चुका हूं कि अगर आप हिन्दुस्तान का नकशा उठा कर देखें तो आप पायेंगे कि जिन पूर्वी जिलों के सम्बन्ध में मैंने निवेदन किया है, उन्हीं जिलों में सारी नदियां करीब-करीब जा कर के मिलती हैं और वहां पर जुलाई और अगस्त मास में आपको एक बहुत बढ़ा विस्तृत समुद्र की तरह का जल का क्षेत्र दिखाई देगा और उसका कारण यह है कि जितनी नदियां हैं वे सब वर्षाकाल में वहां पानी ले जाकर इकट्ठा करती हैं। पटना के पश्चिम में और यहां आपके बनारस क्यों कहूं, गाजीपुर और बलिया के पूर्व में गंगा, घाघरा, छोटी

[श्री आर० एन० सिंह]

सरयू, गंडक, बड़ी सरयू और सोन इत्यादि नदियां जा कर मिलती हैं और वहां उनका पानी इकट्ठा होता है। मैं अपने मंत्री महोदय से यह निवेदन करूंगा कि उन क्षेत्रों की जनता को जिसे इस बाढ़ की भयंकर समस्या का प्रति वर्ष सामना करना पड़ता है, उसके ऊपर ध्यान दिया जाय और उसके निवारण के लिये विचार किया जाय। अगर आपके पास उसके लिये विशेषज्ञ न हों, तो आप दूसरे देशों से विशेषज्ञ मंगा सकते हैं और आप इस काम के लिये बुलाइये और जैसे भी हो इस बाढ़ की भयंकर समस्या से वहां की जनता को राहत दिलवाइये।

इसके साथ-साथ मैं यह भी कहूंगा कि घाघरा प्राजैक्ट के लिये यहां पर कई बार कहा गया, पार साल भी कहा गया था आज भी उसके सम्बन्ध में हालांकि अभी तो किसी साथी ने नहीं कहा लेकिन मैं कहता हूं कि घाघरा प्राजेक्ट बनना चाहिये और उसके बन जाने से सिंचाई की एक बहुत बड़े क्षेत्र में अच्छी व्यवस्था हो जायेगी।

श्री बी० डी० पांडे (जिला अलमोड़ा--उत्तर-पूर्व) : बन रहा है।

श्री आर० एन० सिंह : जो रिपोर्ट हमें मिली है उसमें तो इसका कहीं जिक्र नहीं है और कहीं लिखा हुआ नहीं मालूम होता कि जिससे यह कहा जा सके कि वहां पर किस तरह का कार्य हो रहा है और मैं तो समझता हूं कि यदि उसके सम्बन्ध में विचार हुआ होता तो रिपोर्ट में जरूर उसके सम्बन्ध में कुछ लिखा हुआ होता।

बाढ़ के लिये आवश्यक व्यवस्था करने के अतिरिक्त मैं यह कहूंगा कि उस क्षेत्र का सर्वे कराया जाय कि क्या ऐसी बात है जिसके कि कारण यहां पर इतनी नदियां मिलती हैं तो भी उन नदियों से उन जिलों को कोई लाभ नहीं होता बल्कि नुकसान ही होता है।

दूसरी बात मैं फैजाबाद, बनारस और गोरखपुर इन तीनों डिवीजनों के बारे में यह कहना चाहूंगा कि इन के गांवों की संख्या करीब-करीब ४७,००० है और इन ४७,००० गांवों में से करीब-करीब २२,००० गांव ऐसे हैं जिनको कि बाढ़ से क्षति पहुंचती रहती है। और उनके सम्बन्ध में मैं निवेदन करूंगा कि कम से कम इन तीन डिवीजनों की ओर जो बाढ़ से सबसे अधिक क्षतिग्रस्त होते हैं, उनको इस आपत्ति से छुटकारा दिलाने के लिये कोई समुचित प्रबन्ध अथवा व्यवस्था की जाय। इसके अतिरिक्त इन बाढ़ग्रस्त इलाकों की जनता को सरकार की ओर से सहायता पहुंचाने की आवश्यकता है। मैं मानता हूं कि आपकी ओर से कुछ सहायता दी जाती है और वह सहायता उत्तर प्रदेश की सरकार की मार्फत दी जाती है और यह उचित भी है कि यह सहायता आप उन्हीं के द्वारा दें लेकिन मैं यह चाहूंगा कि उसमें ऐसी व्यवस्था होनी चाहिये जिससे जो क्षेत्र वास्तव में बाढ़ग्रस्त हैं और जहां की जनता को बाढ़ से क्षति पहुंची है, उनको ही वह सहायता दी जाये।

अब इसके बाद मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में जो आपके इंजीनियर्स और ओवरसियर्स हैं अथवा जो कोई वहां पर काम करने जाते हैं, उनको आप कहें कि वे वहां की जनता से सम्पर्क स्थापित करें और साथ ही जो उनके यहां मिलने और अपनी राय देने जांय उनसे आफिश्यली (अफसराना) बर्ताव न करें जिस तरह से कि आफिसों में जाने पर कह दिया जाता है कि अफसर साहब तुम से नहीं मिल सकते या उनको डांटे फटकारें, इस तरह की बात जनता से नहीं होनी चाहिये। उनको एक अच्छे ढंग से नम्रता के साथ बतलाया जाय और उनकी समस्याओं पर ध्यान दिया जाय। इस तरह की कई एक शिकायतें आई हैं, उनको मैं यहां पर कहना नहीं चाहता क्योंकि ऐसी छोटी-छोटी बातें इस सदन में कहना उचित नहीं है, फिर भी मैं आपसे कहूंगा कि आपको अपने अफसरों को इस सम्बन्ध में आवश्यक आदेश दे देने चाहियें।

इसके अतिरिक्त उन गांवों के सम्बन्ध में जहां कि अक्सर बाढ़ आया करती हैं, उनके स्तर (लेविल) को ऊंचा करने के लिये एक स्कीम चालू की गई है। यह स्कीम उचित है और होनी चाहिये, लेकिन साथ-साथ यह भी ध्यान होना चाहिये कि जो मिट्टी गांवों में लाई जाती है वह उसी गांव के पास से खोद कर न भरी जाय, बल्कि दूर से मिट्टी ला कर उन घरों और गांवों को भरा जाय। जमीन के लेबल को ऊंचा करने के लिये यह तरीका है कि मिट्टी ला कर उस से घर भर दिये जाते हैं। ठीक है भरे जायें; लेकिन मैं सरकार से यह अनुरोध करूंगा कि वह गांव को ऊंचा करने के लिये जिन गरीबों के घर भरे जाते हैं, उनको भी सहायता मिलनी चहिये क्योंकि उनके घर काम के नहीं रहते। आज मैं उन क्षेत्रों में गया था जहां पर गांव ऊंचा करने के लिये कुछ घर भरे गये हैं। उनकी हालत बता कर मैं यह नहीं कहना चाहता कि उन का मुकाबला सुअरों से किया जाय, लेकिन अगर देखा जाय तो उनकी हालत सचमुच वैसी ही है। वह अपने घरों के अन्दर झुक कर जा सकते हैं क्योंकि उन के घरों में छतों और बड़ेरी तक मिट्टी भर दी गई है। उनके पास पैसा नहीं है कि वह अपने घरों को किसी प्रकार से ऊंचा कर सकें। इसके लिये मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि उन को सहायता दी जाय, जिससे कि उनको अपने घरों को ऊंचा करने में मदद मिल सके। मैं तो यहां तक कहूंगा कि यदि आप की सरकार प्रबन्ध कर सके तो उनको मुफ्त सहायता दी जाय जो कि डिजर्व करते हैं। अगर यह नहीं हो सकता है तो उनको इस के लिये कर्ज दिया जाये।

इन शब्दों के साथ मैं आपसे बार-बार यह अनुरोध करूंगा कि आप इन बातों पर ध्यान दें, खास कर उत्तर प्रदेश के पूर्वी और बिहार के पश्चिमी जिलों की तरफ, जहां पर कि इन दो राज्यों की सीमायें मिलती हैं और जहां पर कि पानी का एक समुद्र सा पाया जाता है, विशेष ध्यान दिया जाय।

†**श्री० एन० बी० चौधरी** (घाटल) : सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय का इस वर्ष का आय-व्ययक एक विशेष महत्व रखता है क्योंकि द्वितीय पंचवर्षीय योजनावधि में वह पहला आय-व्ययक है। जब हम इस पर चर्चा कर रहे हैं तो विभिन्न बहु प्रयोजनीय परियोजनाओं में काम करने वाले हजारों कर्मचारियों की छंटनी की जा रही है और कई व्यक्तियों की भूमि इन योजनाओं के लिये पर्याप्त मुआवजा या किसी अन्य स्थान में उन्हें भूमि दिये बगैर ली जा रही है।

सर्वप्रथम मैं दामोदर घाटी निगम के कर्मचारियों के सेवायोजन के अत्यन्त महत्वपूर्ण प्रश्न को लेता हूं। इस सदन के भीतर और बाहर भी माननीय मंत्री ने आश्वासन दिये थे कि जिन व्यक्तियों ने दामोदर घाटी निगम की सफलता में योग दिया है उनकी छंटनी नहीं की जायेगी। किन्तु अब उक्त परियोजना निर्माण की अंतिम अवस्था में है और हम देखते हैं कि प्रतिदिन अनेक व्यक्तियों की छंटनी की जाती है। मुझे ज्ञात हुआ है कि गत मास की १३ और १४ तारीख को माननीय सिंचाई और विद्युत् मंत्री ने, माइथान में कर्मचारियों के कुछ प्रतिनिधियों को, पश्चिम बंगाल और बिहार सरकारों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में, आश्वासन दिया था कि जून तक वहां कोई छंटनी नहीं की जायेगी। किन्तु गत मास की १९ तारीख को ही कुछ व्यक्तियों की छंटनी की गई है। पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री ने आश्वासन दिया था कि वह कोई दो हजार व्यक्तियों को खपा सकेंगे और ऐसा ही आश्वासन बिहार सरकार के प्रतिनिधियों ने भी दिया था।

किन्तु दामोदर घाटी निगम ने पश्चिम बंगाल या बिहार सरकार को मामला निर्दिष्ट किये बिना अपनी इच्छा से कई व्यक्तियों की छंटनी कर दी। उक्त परियोजना में कोई १९ हजार व्यक्ति कार्य कर रहे हैं। उसके अध्यक्ष श्री पी० एस० राय ने किसी पत्रकार-वार्ता में बताया था कि छः हजार व्यक्तियों की एक सूची तैयार की गई है और उनकी शीघ्र ही छंटनी की जायेगी और छंटनी प्रारम्भ हो

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री एन० बी० चौधरी]

गई है। जिन व्यक्तियों ने अपनी जान की पर्वाह न करके उक्त परियोजना की सफलता के लिये अपनी सेवायें अर्पित कीं क्या उन्हें यही पुरस्कार मिलेगा ?

यह एक अत्यन्त महत्वपूर्ण प्रश्न है और विशेषकर उस समय जब कि हम द्वितीय पंचवर्षीय योजना और उसमें रोजगार की संभावनाओं के विस्तार के बारे में सोच रहे हैं तो हमें उस पर अवश्य विचार करना चाहिये। यदि माननीय मंत्री हमें यह आश्वासन नहीं देते कि उक्त कर्मचारियों की छंटनी नहीं की जायेगी तो निश्चय ही द्वितीय पंचवर्षीय योजना के उपबन्धों के बारे में हमारी जो आस्था है उसमें हमें संशोधन करना होगा क्योंकि छंटनी का प्रश्न अत्यन्त महत्वपूर्ण है।

मैं देखता हूं कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के प्रारूप में कुछ बातें परस्पर विरोधी हैं। सिंचाई और विद्युत् के सम्बन्ध में जो अध्याय है उसके पहले ही पृष्ठ पर कहा गया है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में कुछ बड़ी परियोजनायें प्रारम्भ की गई थीं किन्तु इन परियोजनाओं से लाभ उठाने में कुछ समय लगेगा इसलिये इस बार सरकार ने मध्यम आकार वाली परियोजनाओं को लेने का निर्णय किया है।

किन्तु दूसरे पृष्ठ पर जो कुछ कहा गया है उसका अर्थ यह है कि यद्यपि प्रथम पंचवर्षीय योजना के परिणामस्वरूप ९० लाख एकड़ भूमि की सिंचाई की गई होगी तथापि दूसरी योजनावधि में दूसरी पंचवर्षीय योजना के फलस्वरूप केवल ३० लाख एकड़ भूमि की सिंचाई की जा सकेगी। किन्तु प्रथम पंचवर्षीय योजनावधि में सिंचाई के कारण कोई ७० लाख एकड़ भूमि कृषि योग्य बनाई गई थी। इसलिये यद्यपि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में प्रथम पंचवर्षीय योजना की अपेक्षा अधिक राशि आवंटित की गई है तथापि द्वितीय योजनावधि में सिंचाई के क्षेत्र का विस्तार नहीं किया जाने को है। यह एक ऐसी बात है जिसकी ओर मैं माननीय मंत्री का ध्यान आकर्षित करता हूं।

इस सम्बन्ध में मैं यह बता देना चाहता हूं, जैसा कि मैंने अपने कटौती प्रस्तावों से स्पष्ट किया है, कि प्रथम पंचवर्षीय योजना के प्रत्येक वर्ष में विभिन्न राज्यों में जो विनाशकारी बाढ़ें आई थीं उनको देखते हुये जो उपबन्ध किया गया है वह एकदम अपर्याप्त है। माननीय मंत्री के भाषण से हमें यह ज्ञात हुआ है कि इस वर्ष बाढ़ के कारण कोई सौ करोड़ रुपये की हानि हुई है।

इसलिये इस पृष्ठभूमि में हमें द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत किये गये आवंटन को देखना है। "स्टेट्समैन" में प्रकाशित एक समाचार में कहा गया था कि जहां तक बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं का सम्बन्ध है इस मंत्रालय द्वारा मांगी गई ११० करोड़ रुपये की राशि को घटा कर ६० करोड़ रुपये कर दिया गया है। यदि यह सच है तो मेरा ख्याल है कि यह एक बड़ी भारी गलती है क्योंकि बाढ़ के कारण जितनी हानि हुई है उसे देखते हुये बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं की ओर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिये था।

कुछ विशिष्ट परियोजनाओं में कंगसबत्ती परियोजना का उल्लेख किया गया है। इसे द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित किया गया है। किन्तु उसका एकीकरण सिलाबती योजना के साथ नहीं किया गया है। यह एकीकरण मिदनापुर जिले के घाटल सबडिवीजन में बाढ़ को रोकने के लिये अत्यन्त आवश्यक है। इसके साथ-साथ मैं एक और बात कहना चाहता हूं कि इन परियोजनाओं को बनाते समय कुछ क्षेत्रों पर उनके संभाव्य प्रभावों की ओर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जाता है। मिदनापुर के दशपुरा और पन्सकुड़ा के कुछ भागों में यह आशंकायें व्यक्त की जा रही हैं कि वहां पानी का संभरण कम हो सकता है और संभवतः उस प्रदेश में सिंचाई ठीक से न हो सके। माननीय मंत्री से मैं अनुरोध करूंगा कि वह परियोजना से सम्बन्धित अधिकारियों को इन सभी बातों की जांच करने के लिये कहें।

दामोदर घाटी निगम के बारे में मैं कई बार बता चुका हूं कि निचले भागों में लोगों को ऐसी ही कुछ आशंकायें हैं। यद्यपि दुर्गापुर बांध के कारण वहां कुछ क्षेत्रों में सिंचाई के अन्तर्गत आने

वाले कुछ क्षेत्रों का विस्तार अवश्य होगा । किन्तु यह क्षेत्र बहुत कम है । सिंचाई के लिये निर्मित इन नहरों से उक्त क्षेत्र का विस्तार किया जाना संभव है । इसलिये इन पहलुओं पर भी विचार किया जाना आवश्यक है ।

रूपनारायण नदी पश्चिम बंगाल की बड़ी नदियों में से एक है । नदी के पार को संकरा किये जाने की नितांत आवश्यकता है और मैंने कई बार इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही किये जाने के लिये कहा है । वहां सर्वेक्षण किया गया था किन्तु कोई ठोस कार्यवाही नहीं की गई है । कलकत्ता बन्दरगाह की नौगम्यता को कायम रखने के लिये यह अत्यन्त आवश्यक है कि वहां जो जल परिवहन व्यवस्था कार्य कर रही है उसमें कोई गत्यावरोध न हो । वाणिज्यिक दृष्टि से इन नगरों को कलकत्ते से मिलाने के लिये, इस नदी पर उचित ध्यान दिया जाना चाहिये । नदी को बांधने के कार्यों से इस नदी की चौड़ाई कम की जा सकती है और नौगम्यता बढ़ाई जा सकती है ।

समाचारपत्रों में हमने भाखड़ा-नंगल और हीराकुड परियोजनाओं में फैले हुये भ्रष्टाचार के बारे में बहुत कुछ पढ़ा है । जिस तरीके से इन परियोजनाओं को संचालित किया जा रहा है, उस पर गम्भीरता से ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है । यद्यपि हम करोड़ों रूपये खर्च कर रहे हैं, तथापि निर्धन किसानों को, जिन्हें अपनी भूमियों से बेदखल किया जा रहा है, पर्याप्ति प्रतिकर नहीं दिया जा रहा है । इन किसानों को उनकी भूमि का बाजार मूल्य भी नहीं दिया जा रहा है । माताटीला परियोजना और हीराकुड परियोजना में भी यही स्थिति है । सम्बलपुर और हीराकुड परियोजना में आने वाले अन्य क्षेत्रों में, उड़ीसा के भूमि अर्जन अधिनियम के अन्तर्गत, भूमि अर्जन पदाधिकारियों को बहुत शक्तियां दी गई हैं । उनके निर्णयों के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील करने के लिये किसानों के पास रुपया नहीं है । इसलिये उन्हें अपनी मांग को छोड़ना पड़ता है । सरकार को इस बात पर ध्यान देना चाहिये और प्रभावित व्यक्तियों को पर्याप्त प्रतिकर देना चाहिये ।

ग्रामों में बिजली लगाने के प्रश्न के सम्बन्ध में, दामोदर घाटी निगम विद्युत् संभरण योजना को आराम बाग तक बढ़ा देना चाहिये और घांटल के वाणिज्यिक नगर में भी, जो कि आराम बाग से दस मील की दूरी पर है, तापीय संयंत्र द्वारा या किसी अन्य तरीके से बिजली लगानी चाहिये ।

कलकत्ता और अन्य स्थानों के लोगों को यह शिकायत है कि उन्हें विद्युत् शक्ति अत्यधिक दरों पर दी जाती है । अब जबकि बहुत सी जल-विद्युत् पैदा की जा रही है, ये दरें कम होनी चाहियें । मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि कलकत्ता विद्युत् सम्भरण निगम जैसे बड़े-बड़े विद्युत् उपक्रमों का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाये, उन्हें इतना अधिक लाभ क्यों कमाने दिया जाये ?

अन्त में मैं सरकार से यह अपील करता हूं कि दामोदर घाटी निगम के अभागे कर्मचारियों को अन्य विद्युत् संभरण योजनाओं में काम दिया जाये ।

†**श्री बी० डी० पांडे** : श्री नन्दा ने एक बहुत उत्साहजनक चित्र खींचा है । उनके विभाग ने भाखड़ा-नंगल, दामोदर घाटी निगम, हीराकुड और तुंगभद्रा परियोजनाओं के सम्बन्ध में जो प्रगति की है, मैं उसके लिये उन्हें बधाई देता हूं । हमारे राज्य में भी सिंचाई और विद्युत् सम्बन्धी बहुत सा काम हो रहा है । किन्तु हम लोगों के लिये, जो कि पहाड़ी क्षेत्रों में रहते हैं, पानी वहां तक पहुंचाने के लिये पम्पों की आवश्यकता है । पानी तो बहुत है किन्तु नीचे घाटियों में है । सरकार को इसे पहाड़ी क्षेत्रों तक पहुंचाने के लिये बिजली के पम्प लगाने चाहियें जो कि शारदा परियोजना से मिलने वाली विद्युत् शक्ति से चलाये जा सकते हैं । यद्यपि सरकार ने सिंचाई की बहुत सी छोटी-छोटी परियोजनाएं शुरू की हैं, तथापि उसने सिंचाई का यह तरीका अभी तक नहीं अपनाया है ।

†मूल अंग्रेजी में

[श्री बी० डी० पांडे]

पहाड़ी क्षेत्रों से खेत सीढ़ीदार होते हैं और इनकी सिंचाई वर्षा से होती है । यदि वर्षा न हो, तो फसल नहीं होती है और अकाल पड़ जाता है । इन क्षेत्रों का तिब्बत के साथ काफी व्यापार होता है और वह हम से खाद्यान्न लेता है । यदि हमारी फसल न हो या कम हो, तो हमारे व्यापार को भी हानि पहुंचती है और सरकार को अनुसहाय्य देना पड़ता है । चूंकि यह सीमान्त देश के लिये अत्यन्त महत्वपूर्ण है, इस लिये इस विषय में भारत सरकार को उत्तर प्रदेश सरकार की सहायता करनी चाहिये ।

हाल में पश्चिमी देशों में सिंचाई की एक नई प्रणाली——छिड़काव सिंचाई——निकली है । मैं चाहता हूं कि भारत सरकार हिमालय के अविकसित क्षेत्रों, विशेषकर कुमाऊं विभाग में इस तरीके का प्रयोग करे, ताकि पानी ऊपर लाया जा सके । यह तरीका जर्मनी में निकाला गया है । भारत सरकार को इसके बारे में जांच करनी चाहिये, एक, दो प्रविधिविज्ञ भेजने और पहाड़ी क्षेत्रों में एक दो प्रयोगात्मक स्टेशन खोलने चाहियें । विद्युत् शक्ति के उपलब्ध होने पर सिंचाई का यह तरीका बहुत उपयोगी सिद्ध होगा और निर्धन लोगों को इससे बहुत लाभ पहुंचेगा ।

†**श्री हाथी** : मैंने कल और आज माननीय सदस्यों के भाषणों को बहुत ध्यान से सुना है । मैं उन सदस्यों का कृतज्ञ हूं जिन्होंने इस मंत्रालय की सराहना की है । सदन में की गई सभी आलोचनाओं का, चाहे वह रचनात्मक सुझाव के रूप में हों या सराहना के रूप में, बहुत महत्व होता है । मंत्रालय इन सुझावों या आलोचनाओं पर सावधानी से विचार करता है और अपने कार्य की त्रुटियों को जानने की कोशिश करता है । ऐसी आलोचनाओं से उसे लाभ होता है । इसी तरह सदन में की गई सराहना से परियोजनाओं में काम करने वाले कर्मचारियों, इंजीनियरों और अन्य श्रमिकों का उत्साह बढ़ता है ।

आप को याद होगा कि जब मंत्रालय ने यह घोषणा की थी कि कुछ मासों में ही हीराकुड से पानी और बिजली मिलने लगेगी, तो सदन ने सहर्ष इस का स्वागत किया था । स्वाभाविक रूप से वहां के श्रमिकों का उत्साह और आत्म-विश्वास बढ़ेगा । मैंने वहां काम करने वाले युवक इंजीनियरों को देखा है, जो कि सब के सब भारतीय हैं और उन्हें अब विश्वास है कि वे अपने इस अनुभव से इसी प्रकार की अन्य परियोजनाओं को शुरू कर सकते हैं ।

इनके अतिरिक्त, अन्य सुझाव भी दिये गये हैं । माननीय सदस्यों ने अपने निर्वाचन-क्षेत्रों के हित के लिये या सिंचाई परियोजनाओं के प्रशासन और प्रबन्ध में सुधार करने के लिये जो सुझाव दिये हैं, वे समझ में आ सकते हैं । माननीय सदस्यों ने बहुत से विषयों का उल्लेख किया है, जैसा कि राष्ट्रीय निर्माण निगम, अखिल-भारतीय इंजीनियरिंग सेवा, सेवाओं का पुंज बनाये जाने की व्यवस्था करना, योजनायें बनाना और उनको क्रियान्वित करना, मितव्ययता, मशीनरी, कर्मचारी, उपभोग, वित्त प्रबन्ध इत्यादि । यह एक लम्बी सूची है । इन सब पर चर्चा करना मेरे लिये संभव नहीं होगा और न ही मैं इन सब की चर्चा करके सदन का समय लेना चाहता हूं । स्वाभाविक रूप से इनमें से कुछ विषयों की चर्चा मेरे माननीय सहयोगी वाद-विवाद का उत्तर देते समय करेंगे । तथापि मैं कुछ ऐसे विषयों की चर्चा करूंगा जो महत्वपूर्ण तो हैं किन्तु जिनका स्पष्टीकरण थोड़े से समय में किया जा सकता है । माननीय सदस्यों को कुछ परियोजनाओं को सम्मिलित कराने के बारे में जो चिन्ता है, वह भी ठीक है किन्तु परिस्थिति को समझने के लिये मंत्रालय और भारत सरकार की सामर्थ्य और परिसीमा को भी ध्यान में रखा जाना चाहिये ।

कुछ शिकायतें व्यवस्था न किये जाने या धन की कमी के बारे में की गई थीं । बम्बई के माननीय सदस्य ने जो दुर्भाग्यवश इस समय यहां नहीं हैं, यह शिकायत की थी कि कोयना परियोजना के लिये धन की व्यवस्था नहीं की गई है और इसके लिये उन्होंने भारत सरकार से अधिक धन की मांग की थी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

उनकी चिन्ता को मैं समझ सकता हूं। किन्तु लगभग चार करोड़ रुपये की जो व्यवस्था की गई है, वह कम नहीं है। हमें अनुभव से मालूम हुआ है कि आरंभिक अवस्थाओं में सब बड़ी-बड़ी परियोजनाओं पर अधिक व्यय नहीं हुआ है और मैं इसके आंकड़े भी दे सकता हूं। परियोजना का काम शुरू हो जाने पर, जब संगठन स्थापित हो जाता है, तब व्यय शनैः शनैः बढ़ने लगता है। इस बात की पुष्टि के लिये मैं बड़ी नदी घाटी परियोजनाओं के सम्बन्ध में आंकड़े देता हूं। भाखड़ा में व्यय इस प्रकार हुआ :

१९४७–४८—६९ करोड़ रुपये
४८–४९—४.२५ करोड़ रुपये
४९–५०—८.३१ करोड़ रुपये

फिर ११.५४ करोड़ रुपये और १९५६–५७ में १८.४७ करोड़ रुपये तक पहुंच गया था।

इसी प्रकार दामोदर घाटी निगम में १९४८–४९ में जो कि पहला वर्ष था व्यय १.६१ करोड़ रुपये हुआ था, अगले वर्ष ५.४८ करोड़ रुपये, फिर ८.११ करोड़ रुपये और अन्त में १६.१ करोड़ रुपये। हीराकुड में व्यय ४.६७ करोड़ रुपये से शुरू होकर क्रमशः ८.५८ करोड़, ८·२० करोड़, १२.२२ करोड़, १४.४७ करोड़ रुपये तक बढ़ा। यह इसलिये बताया जा रहा है कि बड़ी परियोजनाओं के लिये भी—दामोदर घाटी की अनुमानित लागत १०० करोड़ रुपये थी और हीराकुंड की ७० करोड़ रुपये—आरम्भ में केवल एक करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई थी। कोयना के लिये चार करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई थी, किन्तु बम्बई सरकार सारी राशि खर्च नहीं कर सकी। आशा भी यही थी, क्योंकि आरम्भिक अवस्थाओं में, डिजाइनों आदि की तैयारी में समय लगता है। ऐसा तो होता नहीं कि हमने रुपया दिया और बांध का काम तुरन्त चालू हो गया।

सबसे पहले स्थान पर पहुंचने वाली सड़कें, रेल पथ, लोगों के लिये मकान आदि बनाने पड़ते हैं और परियोजना का काम अच्छी तरह चालू होने में कुछ समय लगता है। इसलिये माननीय सदस्य को यह चिन्ता नहीं होनी चाहिये कि इस परियोजना में विलम्ब होगा। परियोजना के कार्यक्रम में सम्मिलित कर लिये जाने के बाद धन की कमी नहीं होगी। काम की रफ्तार बढ़ने पर व्यय का बढ़ा दिया जाना भी स्वाभाविक है। इस आशंका को दूर करने के लिये कि बम्बई को पर्याप्त धन राशि नहीं दी गई, मैं आंकड़े देता हूं। संभवतः बम्बई सबसे अधिक भाग्यशाली राज्य है, क्योंकि लगभग ८०० करोड़ रुपये की कुल व्यवस्था में से ११४.५ करोड़ रुपये इसे सिंचाई और विद्युत् के लिये मिले हैं—४२·५ करोड़ रुपये की सिंचाई के लिये और ७२ करोड़ रुपये विद्युत् के लिये। जहां तक भारत सरकार का सम्बन्ध है, उसे स्वाभाविक रूप से प्रादेशिक विकास की ओर भी ध्यान देना है और यह भी देखना है कि देश के सभी भागों को उचित सुविधायें प्राप्त हों। जहां भी सिंचाई की या विद्युत् की आवश्यकता होती है, भारत सरकार को यह प्रबन्ध करना होता है, कि केवल देश के हितों को देखते हुये राशियों का उचित वितरण किया जाये। केवल इस बात को ध्यान में रखना चाहिये कि योजना को क्रियान्वित करने के लिये राज्य की सामर्थ्य क्या है। हो सकता है कि जिस योजना का सुझाव दिया गया हो, वह टेक्निकल दृष्टि से ठीक नहीं हो या लाभप्रद न हो। ऐसी अवस्था में उसे छोड़ना पड़ता है। माननीय सदस्य ने बन्ध धारा-रांप्रा योजना की ओर निर्देश किया था। इस योजना को टेक्निकल दृष्टि से नहीं बल्कि आर्थिक दृष्टि से ठीक नहीं समझा गया था, क्योंकि इससे बिजली का उत्पादन नहीं बढ़ता था और वर्ष के एक भाग में सिंचाई के पानी का उपयोग नहीं किया जा सकता था उस अवधि में चोला बिजली घर की बिजली का प्रयोग करना पड़ता था। इस प्रकार, विद्युत् शक्ति के उत्पादन में कोई वृद्धि नहीं होती थी। इसलिये उस क्षेत्र पर लगभग ७०० लाख रुपये खर्च करना ठीक नहीं समझा गया था। किन्तु ये ऐसे मामले हैं, जिन पर, योजनाओं को सम्मिलित करने या न करने से पहले, सरकार और

[श्री हाथी]

योजना आयोग द्वारा यथाविधि विचार कर लिया जाता है। ऐसा करते हुये सरकार और योजना आयोग ने कमी वाले क्षेत्रों को ध्यान में रखा है और जो भी योजनायें व्यवहार्य थीं या उचित तरीके पर तैयार की हुई थीं, उन्हें सम्मिलित किया गया है। मैं ऐसी प्रत्येक योजना के विस्तार में नहीं जाना चाहता ।

मैसूर के दूसरे माननीय सदस्य ने एक और योजना-मालवी योजना—के लिये अनुरोध किया था। मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि इसे दूसरी पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित किया जा चुका है। उन्होंने तुंगभद्र कर्मशाला का भी उल्लेख किया और कहा कि इसे स्थानांतरित न किया जाये। जब कोई कर्मशाला नदी घाटी योजनाओं की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये सामान तैयार कर रही हो, तो स्वाभाविक है कि सिंचाई मंत्रालय उसे स्थानांतरित करने की बजाये, उसे वहीं जारी रखना चाहेगा। इसे स्थानांतरित नहीं किया जायेगा। केवल इतना परिवर्तन किया जा सकता है कि इसे वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, जिस का लोहा, इस्पात आदि से सम्बन्ध है, अपने हाथ में ले ले। इस सम्बन्ध में उसकी एक प्रस्थापना है। इस बात को ध्यान में रखते हुये कि वह मंत्रालय ऐसे अन्य समवायों का प्रभारी है, सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय इस शर्त पर यह कर्मशाला उसे देने के लिये तैयार है कि सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय के लिये आवश्यक सामान तैयार करने के काम को प्राथमिकता दी जायेगी। इसी कारण, इसे उस क्षेत्र से स्थानांतरित नहीं किया जा रहा है। वहां काम करने वालों को सेवायुक्त रखा जायेगा और कोई अड़चन नहीं होगी।

माननीय सदस्य डा० एस० एन० सिंह ने समस्तिपुर के बारे में कुछ उल्लेख किया था। मैं इस सभा को यह बताना चाहता हूँ कि मंत्रालय बाढ़ के विषय पर गम्भीरता से विचार कर रहा है और हम में से हर कोई इस बारे में चिन्तित है। वह केवल एक नगर, गांव या झोंपड़ी के डूब जाने का प्रश्न नहीं है। उसके पीछे एक मानवीय समस्या है और वह यह कि लोगों को कितनी कठिनाइयां और मुसीबतें सहनी पड़ती हैं। बाढ़ और बाढ़ नियंत्रण कार्यों की प्रगति के बारे में समय-समय पर विवरण देते समय हम इस ओर ध्यान देते रहे हैं कि चालू किये गये काम ठीक समय पर हो जायें। समस्तिपुर के सम्बन्ध में यह ठीक है कि काम में देर हुई थी। जनवरी तक केवल ८ प्रतिशत काम हुआ था और कल रात मझे सूचना मिली है कि ५० प्रतिशत काम हो चुका है और आशा है कि अगले मौसम के पहले काम पूरा हो जायेगा।

बिहार के एक दूसरे माननीय सदस्य ने संथाल परगने की कुछ योजनाओं का उल्लेख किया था और यह शिकायत की थी कि वहां की एक योजना भी शामिल नहीं की गई है। किन्तु मैं यह देखता हूँ कि दूसरी पंचवर्षीय योजना में शामिल की जाने वाली १३ योजनाओं में ३ योजनायें संथाल परगना की हैं अर्थात् कोआ योजना, झुमरिया योजना और सुन्दर योजना। यह भी शिकायत की गई है कि ये योजनाएं गुण-दोषों के आधार पर नहीं बल्कि अन्य आधारों पर चुनी गई हैं।

†**श्री भागवत झा आज़ाद** (पूर्निया व संथाल परगना) : राजनैतिक बातें। आपके प्रधान इंजिनियर का उस योजना में स्वार्थ है। वे बिहार सरकार से आये हैं।

†**श्री हाथी** : जहां तक शिल्पिक समिति का सम्बन्ध है, राजनैतिक बातों का कोई प्रश्न नहीं होता। यह कहा जाता है कि चूंकि प्रधान इंजिनिअर बिहार के हैं, इसलिये उन्हें इसमें दिलचस्पी है। मैं इस प्रश्न की जांच करूँगा कि कुसुमघाटी योजना प्रस्तुत की गई है अथवा नहीं और यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं, और दोनों योजनाओं में कौन अधिक अच्छी है। जहां तक योजना आयोग या केन्द्रीय जल और विद्युत् आयोग का सम्बन्ध है, उसे योजनाओं के गुण-दोषों के अनुसार उनका परीक्षण करना होता है।

---

†मूल अंग्रेजी में

उन्होंने दूसरा सुझाव मैथोन में पुनर्वास कार्यक्रम के बारे में दिया था। मेरे विचार से इस प्रश्न का बड़ी सावधानी से परीक्षण किया जाना चाहिये और न केवल दामोदर घाटी निगम बल्कि बिहार सरकार और भारत सरकार से भी उस पर विचार और सहानुभूति मिलनी चाहिये। इन सब लोगों को फिर से बसाने के बारे में कुछ कठिनाइयां थीं। यह सच है कि उन्होंने कुछ जमीनें चुनी थीं जिन्हें दामोदर घाटी निगम कृषि योग्य बनाने की स्थिति में नहीं था क्योंकि वे बिखरे हुए टुकड़े थे और निगम के पास ऐसा कोई संगठन नहीं था जो बिखरे क्षेत्र में एक जगह से दूसरी जगह जाता। अतः बिहार सरकार ने उसे अपने अधीन ले लेने का निश्चय किया। यद्यपि इस योजना की लागत कुछ अधिक हो सकती है किन्तु केवल उस कारण जमीनों को कृषि योग्य बनाने में कोई रुकावट नहीं आनी चाहिये। जहां तक हो सके, इन लोगों को जो जमीनें मंजूर हों, वे ही दी जानी चाहियें। आखिर इन्हीं लोगों की जमीनें डूबती हैं और इन्हीं को मुसीबतें उठानी पड़ती हैं और इसलिये इनके प्रति कुछ सहृदयता दिखायी जानी चाहिये। अब बिहार सरकार ने खुद उस जमीन को कृषि योग्य बनाने और उन्हें सबसे अच्छी जंगल-भूमि देने की जिम्मेदारी ले ली है। एक बात अवश्य है। वह यह कि जो जमीन उन्हें मिलेगी वह उसी किस्म की नहीं होगी किन्तु जो जमीन चुनी जा रही है वह अच्छी किस्म की है और उसमें आगे खेती की जाने पर वह उसी स्तर को हो जायेगी। करीब ३९८ गांवो में से हमें १६०० एकड़ भूमि की आवश्यकता थी। लगभग १२०० एकड़ भूमि कृषि योग्य बनायी जा चुकी है और ७५ परिवार पहले ही वहां जा चुके हैं। वे उस जमीन से संतुष्ट हैं। न केवल मैथोन परियोजना बल्कि तिलैया परियोजना से भी शिकायत थी कि जो जमीन उन्हें दी गई है वह उसी किस्म की नहीं है। इस प्रश्न के परीक्षण के लिये कि उस जमीन का उपजाऊपन उतना ही है या कम है, हमने एक समिति नियुक्त की है।

श्री मुनिस्वामी ने गांवों में बिजली, पंप और नलकूप लगाने के बारे में उल्लेख किया था। सभा को मालूम है कि कृषि मंत्रालय नलकूप और छोटी सिंचाई योजनाओं का विवेचन कर रहा है। हैदराबाद से एक माननीय सदस्य ने शिकायत की थी कि मंत्रालय को केवल बड़ी योजनाओं का शौक है और वह छोटी या माध्यम श्रेणी की योजनाओं का समर्थन नहीं करता। यह दुर्भाग्य की बात है कि उन्होंने दूसरी योजना का प्रारूप नहीं पढ़ा है। सभा के लिये यह रुचिकर जानकारी होगी कि १८८ नई सिंचाई परियोजनाओं में, १३६ की लागत १ करोड़ रुपये से कम है, ३४ की लागत १ और ५ करोड़ रुपये के बीच, ८ की ५ और १० करोड़ रुपये के बीच, ९ की १० और ३० करोड़ रुपये के बीच और एक की लागत ३० करोड़ रुपये से ऊपर है। इसमें केवल वही योजनायें बड़ी और मध्यम श्रेणी की सिंचाई योजनाएं हैं जो प्रारम्भ की जायेंगी। अतः यह कहना बिल्कुल गलत है कि इस मंत्रालय को केवल बड़ी योजनाओं का ही शौक है। एक बार प्रारम्भ करने पर बड़ी योजनाओं को पूरा तो करना ही है किन्तु दूसरी योजना में केवल मध्यम श्रेणी की योजनाओं को ही प्राथमिकता दी गई है।

गावों में बिजली लगाने के प्रश्न पर सभा में कई बार चर्चा हो चुकी है और कई प्रश्न भी पूछे गये हैं। यह मान लिया गया है कि जब तक कि कोई सहायता या ऋण नहीं दिया जाता तब तक गांव वालों के लिये यह संभव नहीं है कि वे खर्च या बिजली के ऊँचे दर सहन कर सकें। पारेषण लाइनों में अधिक लागत लगती है और जब तक कि उस पर पर्याप्त बोझ न हो उनसे वही आमदनी नहीं होगी। अतः वह एक खर्चीली योजना होगी। किन्तु वह खर्चीली हो या न हो, जहां तक संभव है, हमें गांवों को कृषि के काम आने वाले पंपों के लिये, छोटे पैमाने के और कुटीर उद्योगों के लिये और अन्य दस्तकारियों के लिये बिजली देने का पूरा-पूरा प्रयत्न करना चाहिये ताकि हम उन्हें अधिक काम दे सकें। उस प्रयोजन के लिये हमने गत योजना में पर्याप्त धन दिया था।

[श्री हाथी]

दूसरी योजना में भी इसके लिये लगभग ७५ करोड़ रुपये रखे गये हैं। माननीय मंत्री ने अपने वक्तव्य के प्रारम्भ में पानी को काम में लाने के बारे में उल्लेख किया था। हम सभी इस बात के लिये चिन्तित हैं कि तुंगभद्रा अथवा दामोदर घाटी में एकत्र किया गया सारा जल यथासंभव शीघ्र काम में लाया जाये और अधिक से अधिक लोगों को लाभ पहुँचाया जाये। पहले के सम्बन्ध में कई कार्यवाहियां की गई हैं और किसानों को जमीनें दी गई हैं जिससे कि वे उन्हें समतल करके यथासंभव शीघ्र पानी का उपयोग कर सकें, किन्तु उस दिशा में बहुत समाधानकारक प्रगति नहीं हुई है। हम उस प्रश्न पर विचार कर रहे हैं और पानी इकट्ठा करने में जो धन खर्च किया गया है उसे, जल का उपयोग कर, उचित रूप से काम में लाने के लिये हम सभी संभव उपायों का प्रश्रय लेंगे।

मद्रास के एक दूसरे सदस्य ने शिकायत की थी कि जब दूसरे क्षेत्रों में बांध और बिजली घर बनाये जा रहे हैं, मद्रास राज्य में कुछ नहीं किया जा रहा है। वहाँ के सम्बन्ध में स्थिति यह है कि दूसरी योजनाओं में बिजली के लिये ६० करोड़ रुपये, पारेषण के लिये लगभग ५ करोड़ रुपये और गांवों में बिजली लगाने और उसे वितरित करने के लिये १२ करोड़ रुपये रखे गये हैं। इस प्रकार २,००० गांवों में बिजली लगायी जायगी। दूसरी योजना में कुंडा योजना पहले ही शामिल की जा चुकी है जिसकी लागत २३ करोड़ रुपये होगी और जिससे, १,४०,००० किलोवाट बिजली मिलेगी। आशा है कि इस जानकारी से माननीय सदस्य को समाधान होगा कि मद्रास अब इतना गरीब नहीं है और न इतना गरीब रहेगा। कम से कम कुंडा योजना तो अवश्य ही दूसरी पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित की जा चुकी है, जो कि वह चाहते थे।

उत्तर प्रदेश के बाढ़ नियंत्रण कार्यों के बारे में भी कुछ सुझाव दिये गये हैं। उत्तर प्रदेश के माननीय सस्दय का यह सुझाव मैं पूरी तरह मानता हूँ कि सर्वेक्षण किये जाने चाहियें। यह ठीक है कि बिना उचित सर्वेक्षण के कोई काम आगे नहीं बढ़ सकता और यदि किया जाता है तो वह बहुत बेढंगा होगा। कोई भी विशेषज्ञ उस प्रकार बेढंगे तरीके से काम नहीं करेगा। जैसा कि हमने कई बार बताया है, इन कार्यों को आरम्भ करने में हमारी सब से बड़ी कठिनाई सामग्री का न होना है। उसको ध्यान में रखते हुए हम ने एक कार्यक्रम बनाने का प्रयत्न किया है। १९५४–५५ के कार्यक्रम में, ताप्ती बेसिन के सम्बन्ध में, हवाई जहाज से ७०२० मील का फोटो खींचना था। वह पूरा हो चुका है। १९५५–५६ में २५५० वर्ग मील क्षेत्र का फोटो खींचना था और वह भी पूरा हो चुका है। १९५६–५७ में हमने घाघरा बेसिन के लिये १२४५० मील और नेपाल क्षेत्र में घाघरा बेसिन के लिये १३,००० वर्ग मील के लिये कार्यक्रम बनाया है। उससे हमें अगले कार्यों के लिये स्वभावतः सामग्री मिल जायगी।

जहां तक बाढ़ रक्षण कार्यों का सम्बन्ध है, घाघरा पर बांध बनाने की ५ नई योजनाएं और छोटी नदियों पर बांध बनाने की ३ नई योजनायें प्रारम्भ की गई हैं। अनेक गावों का तल ऊंचा करने की प्रस्थापना है। लगभग गांवों का तल अब तक ऊंचा किया जा चुका है और करीब ९०० गांवों का तल ऊंचा करने का काम पूरे जोर से चल रहा है। उसका अर्थ यह है कि कार्यवाही की जा रही है। उन्होंने इस कठिनाई का उल्लेख किया था कि मकान नीचे हैं। वास्तव में जब आप गांवों को ऊँचा करते हैं तो मकानों को भी एक विशेष ढंग से बनाना होगा। मेरे विचार से गांवों को ऊंचा करने का एक समन्वित तरीका होना चाहिये। यदि सम्भव हो और धन उपलब्ध हो तो हम एक नया स्थान भी ले सकते हैं, किन्तु उसके लिये अधिक धन लगेगा। मेरी यह धारणा है और प्रतिवेदनों से भी ऐसा ज्ञात हुआ है कि लोग इसमें काफी दिलचस्पी लेते रहे हैं और स्वतः इस कार्यक्रम में सहायता कर रहे हैं।

और भी अनेक प्रश्न है किन्तु मैं यहीं पर सारे प्रश्नों का विवेचन नहीं करना चाहता। मैं केवल यह बता सकता हूँ कि अखिल-भारतीय इंजिनियरिंग सेवा, राष्ट्रीय निर्माण निगम आदि के विषय में हम ध्यान दे रहे हैं। दामोदर घाटी निगम में छंटनी के प्रश्न के सम्बन्ध में तथा अन्य तीन-चार बड़े प्रश्नों के सम्बन्ध में मेरे सहयोगी उत्तर देंगे। वाद-विवाद के दौरान में उठायी गई सभी बातों का मैंने उत्तर दे दिया है किन्तु यदि कोई छोटी बातें छूट गई हों तो हम लोक-सभा-पटल पर एक विवरण रखेंगे और उन बातों का विवेचन करेंगे। हम सभी राज्यों के सदस्यों से समय-समय पर मुलाकात करते रहे हैं और यदि कोई बात छूट जाये तो हम उन से सहर्ष मिलेंगें और उन बातों को स्पष्ट करेंगे।

†**श्री के० पी० त्रिपाठी** (दरोंग) : डिब्रूगढ़ में इस मंत्रालय द्वारा जो संरक्षण कार्य किया गया है उसके लिये मैं इस मंत्रालय को बधाई देता हूँ।

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

यह कार्य अत्यन्त सन्तोषजनक ढंग से समय पर समाप्त हो गया। किन्तु विनम्रतापूर्वक मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि इसके बारे जो बाढ़ नियंत्रण के कार्य हाथ में लिये गये हैं वे उसी रीति से आगे नहीं बढ़ रहे हैं जैसे डिब्रूगढ़ में पूरे हुए थे। बाढ़ का आना एक भयानक आपदा है। गत बाढ़ में देश को १०० करोड़ रु० की हानि हुई थी। ऐसी दशा में बाढ़ नियंत्रण कार्य को भी उसी तत्परता से किया जाना अत्यावश्यक है।

कोसी के सम्बन्ध में अत्यन्त दिलचस्प चीज़ें प्रकाश में आयी हैं। पहली और बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ है प्राक्कलित लागत में कमी। प्राक्कलित लागत ४१ रु० ८ आ० थी जब केवल ३६ रु० प्रति १,००० खर्च हुआ। अन्य दूसरी परियोजनाओं में प्राक्कलित लागत से १॥ गुना अधिक खर्च करना पड़ा है। इसलिये यह नया अध्याय है। दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ है जनता का भाग—१०,००० व्यक्तियों से बढ़कर ४०,००० हो जाना। मिट्टी हटाने के काम में भी ६ करोड़ से ९ करोड़ की वृद्धि होना बहुत बड़ी प्रगति है। यह सब बिना ठेकेदारों के हुआ है। यह एक असाधारण चीज़ है कि ९६ प्रतिशत व्यय कामगारों को ही मिला जो अन्य परियोजनाओं के बारे में नहीं है। केवल ४ प्रतिशत पर्यवेक्षण में व्यय हुआ। मुझे आशा है भविष्य की परियोजनाओं में सरकार इस अनुभव से लाभ उठाएगी तथा ठेकेदारों बिना काम करने की इस प्रणाली को अपनायेगी।

मुझे मालूम हुआ है कि कुछ राज्य राष्ट्रीय निर्माण निगम का विरोध कर रहे हैं। इस सफल प्रयोग के बाद यदि कुछ राज्यों द्वारा अपने स्वार्थवश इसका विरोध किया जाए तो यह बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात होगी। मुझे आशा है कि यह मंत्रालय अविचलित रूप से इस स्कीम को देश के अन्य भागों में भी लागू करेगा।

अब मैं बिजली के मूल्यों के प्रश्न पर आता हूँ। बिजली के मूल्य के सम्बन्ध में हमारी क्या नीति होनी चाहिये? यदि मूल्य सम्बन्धी इस नीति में विभिन्नता रही तो देश के विभिन्न भागों में विकसित होने वाले उद्योगों के मूल्य का ढांचा भी भिन्न-भिन्न होगा। यह स्पष्ट ही बड़ी गलत चीज़ होगी। इसलिये बिजली सम्बन्धी हमारी मूल्य नीति सर्वतोमुखी होनी चाहिये। अन्यथा यह उद्योगों के विकास के मार्ग में बाधक होगा।

निजी क्षेत्र में बिजली उद्योग का विकास न होने का यह कारण है कि इसमें लाभ को कानूनन सीमित कर दिया गया है कि इतने प्रतिशत मिलेगा जब कि दूसरे उद्योगों में लाभ का प्रतिशत

†मूल अंग्रेजी में

[श्री के० पी० त्रिपाठी]

अधिक है। एक और कठिनाई यह है कि बिजली का भविष्य अनिश्चित है। पांच-दस वर्ष बाद क्या होगा। क्या इन तरीकों का स्थान अणु शक्ति द्वारा उत्पादित बिजली ले लेगी। हमने सुना है कि रूस और इंग्लैण्ड में अणु शक्ति द्वारा एक बड़े पैमाने पर बिजली तैयार की जा रही है। निजी क्षेत्र वाले इसलिये भी बिजली उद्योग में प्रविष्ट नहीं होना चाहते। इसलिये बिजली के विकास के सम्बन्ध में सरकार की एक सुनिर्धारित तथा समान नीति होनी चाहिये जो तभी सम्भव है जब कि इस उद्योग का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाये।

अब हमारे सामने एक और चीज है। हमें कृषकों को बिजली देनी है। यह उन्हें किस मूल्य पर दी जाये ? मूल्य अधिक हुआ तो कृषि क्षेत्रों का विकास नहीं हो सकता। किन्तु हमें छोटे उद्योगों को विकसित करना है। हमारी नीति उद्योगों को विकेन्द्रित करने तथा देश-पर्यन्त ग्रामक्षेत्रों में फैलाने की है। बिना सस्ती बिजली उपलब्ध हुए यह सम्भव नहीं है। इसलिये बिजली सम्बन्धी नीति का हमारा दूसरा पहलू यह होना चाहिये कि ग्राम क्षेत्रों में इसे कम दामों पर दिया जाये। अतएव बिजली के सम्बन्ध में हमें एक सर्वतोमुखी नीति का निर्माण करना है कि किस मूल्य पर बिजली कृषकों को दी जाए, किस मूल्य पर बड़े उपभोक्ताओं को दी जाये, और किस मूल्य पर शहर के उपभोक्ताओं को।

इसका स्वाभाविक निदान यही निकलता है कि सरकार अब यह सोचे कि बिजली का राष्ट्रीयकरण शीघ्र से शीघ्र किस प्रकार किया जाना है। इससे बिजली की दर सम्बन्धी अनेक समस्याओं का आप ही समाधान हो जाएगा।

मेरे विचार में यह ठीक नहीं है कि बड़ी-बड़ी जल-विद्युत् योजनाओं की कार्यान्विति या उन पर व्यय होने वाली राशि का भार राज्य सरकारों पर छोड़ दिया जाए। विशेषकर छोटे राज्यों के सम्बन्ध में ये परियोजनाएं केन्द्रीय सरकार को स्वयं ही क्रियान्वित करनी चाहियें।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : अगले वक्ता को बुलाने से पूर्व मुझे घोषित करना है कि सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय की विभिन्न मांगों के सम्बन्ध में जो कटौती प्रस्ताव प्राप्त हुये थे उनके अतिरिक्त निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव भी प्रस्तुत हुये समझे जायेंगे :

मांग संख्या	कटौती प्रस्तावक	कटौती आधार	कटौती राशि
६७	श्री एन० बी० चौधरी	भारत-पाकिस्तान नहरी जल विवाद पर वाशिंगटन में हुई वार्ता के सम्बन्ध में व्यय।	१०० रुपये
६७	श्री एन० बी० चौधरी	गंगा बांध स्कीम को तैयार करने में विलम्ब।	१०० रुपये
६७	श्री एन० बी० चौधरी	बाढ़ नियंत्रण तथा जल यातायात के लिये रूप नारायण नदी के कुछ हिस्सों को संकरा बनाने में विलम्ब।	१०० रुपये
६७	श्री एन० बी० चौधरी	बाढ़ नियंत्रण के सम्बन्ध में कांसवती योजना में कुछ समायोजन करना तथा मिदनापुर जिले के कासपुर और पांसुकरा आदि कुछ क्षेत्रों में सिंचाई के लिये पानी पहुंचाना।	१०० रुपये
६७	श्री एन० बी० चौधरी	केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग की बड़ी व मंझली तथा राज्यों के कृषि विभाग की छोटी योजनाओं के बीच अधिक अच्छा समन्वय।	१०० रुपये

अनुदानों की मांगें, १९५६–५७ : सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय कटौती प्रस्ताव : (खण्ड ३)

†मूल अंग्रेजी में

मांग संख्या	कटौती प्रस्तावक	कटौती आधार	कटौती राशि
६७	श्री एन० बी० चौधरी	बिजली की दरों को कम करने की आवश्यकता।	१०० रुपये
६७	श्री एन० बी० चौधरी	कलकत्ता इलेक्ट्रिक कारपोरेशन जैसे विशाल गैर-सरकारी विद्युत् को राष्ट्रीकृत करने की वांछनीयता।	१०० रुपये
६७	श्री एन० बी० चौधरी	व्यापारिक नगर घाटल के संरक्षण के लिये एक बाढ़ रोकथाम योजना की क्रियान्विति की आवश्यकता।	१०० रुपये
६७	श्री एन० बी० चौधरी	आसुधार शुल्क तथा सिंचाई दरें।	१०० रुपये
६७	श्री एन० बी० चौधरी	वैज्ञानिक ढंग से नदी को काबू करने के निर्माण कार्य में मितव्ययता के लिये कोलाघाट पर एक सड़क-पुल बनाने के लिये परिवहन मंत्रालय से सहयोग की आवश्यकता।	१०० रुपये
६७	श्री एन० बी० चौधरी	द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सिंचाई तथा बिजली के लिये पर्याप्त उपबन्ध की कमी।	१०० रुपये
६७	श्री एन० बी० चौधरी	परियोजनाओं की तैयारी में ब्यौरे पर कम ध्यान।	१०० रुपये
६७	श्री एन० बी० चौधरी	सिंचाई परियोजनाओं के प्रशासन में भ्रष्टाचार की समस्या सुलझाने में असमर्थता।	१०० रुपये
६७	श्री एन० बी० चौधरी	घाटाल में बाढ़ नियंत्रण के लिये कांसबती योजना को सिचाई योजना से मिलाने की आवश्यकता।	१०० रुपये
६७	श्री एन० बी० चौधरी	सिंचाई योजनाओं आदि की अधिक अच्छी क्रियान्विति के लिये इस मंत्रालय तथा अन्य मंत्रालयों और राज्य सरकारों के मध्य निकटतर सहयोग की आवश्यकता।	१०० रुपये
		अनुदानों की मांगें, १९५६–५७ : बहुप्रयोजनीय नदी परियोजनायें कटौती प्रस्ताव : (खंड ३)	
६८	श्री एन० बी० चौधरी	जिन लोगों की जमीनें नदी घाटी परियोजनाओं के लिये ली गयीं उन्हें मुआवजा देने में विलम्ब तथा उन्हें बदले में अन्य जमीनें न देना।	१०० रुपये
६८	श्री एन० बी० चौधरी	दामोदर घाटी परियोजना की समाप्ति पर वहां के कर्मचारियों को अन्य जगह काम का न दिया जाना।	१०० रुपये
६८	श्री एन० बी० चौधरी	दामोदर घाटी निगम की सिंचाई योजना को हुगली जिले के खानाकुल तथा आरामबाग पुलिस स्टेशनों तक नहीं बढाना	१०० रुपये
६८	श्री एन० बी० चौधरी	दरकेश्वर होकर पर्याप्त पानी प्रदाय करने की आवश्यकता।	१०० रुपये

मांग संख्या	कटौती प्रस्तावक	कटौती आधार	कटौती राशि
६८	श्री एन० बी० चौधरी	पश्चिमी बंगाल के हुगली जिले में आरामबाग तक दामोदर घाटी निगम की बिजली पहुंचाने की आवश्यकता।	१०० रुपये
६८	श्री एन० बी० चौधरी	हीराकुड की दुःखद घटना जिसमें मजदूर मारे गये तथा घायल हुये।	१०० रुपये

†**उपाध्यक्ष महोदय :** ये सब प्रस्ताव सभा के सम्मुख हैं।

पंडित ठाकुर दास भार्गव (गुड़गाँव) : जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, मेरे पास काफी अल्फाज नहीं हैं जिन में कि मैं अपने खयालात इस मिनिस्ट्री (मंत्रालय) के मुताल्लिक जाहिर कर सकूं। मैं ने इस रिपोर्ट को पढ़ा और कल जो तकरीर नन्दा साहब ने दी उस को सुना तो मुझे बहुत ज्यादा खुशी हासिल हुई। एक वक्त था कि जब एस्टिमेट्स कमेटी (प्राक्कलन समिति) में हमने भाखरा डैम (बांध) और डी० बी० सी० (दामोदर घाटी निगम) के बारे में देखा कि शुरू में जो उनके एस्टिमेट्स थे उससे बढ़े हुये हैं तो एस्टिमेट्स कमेटी के मेम्बरों ने उनका बड़ा सख्त क्रिटिसिज्म (आलोचना) किया। उनका शुरू में ख्याल यह था कि यहां पर फ्लड कंट्रोल (बाढ़ नियंत्रण) है कुछ दरियाओं का और उन दरियाओं से जमीन की आबपाशी होगी और अच्छी काश्त होगी। लेकिन इस महकमे वालों ने ज्यादा खयाल एलेक्ट्रिसिटी (बिजली) पैदा करने और उससे रुपया बनाने की तरफ रक्खा, हमारी खुराक की परवाह नहीं की, यह उनका क्रिटिसिज्म था। कल जो फिगर्स (आंकड़े) हिराकुड के बारे में बतलाये गये और यह बड़ी खुशी की खबर सुनाई गई कि जो शुरू का खयाल था कि हमने गल्ती की है उसे सुन कर मैं समझा कि दरअसल जैसा मिनिस्ट्री का पहले खयाल था वह सारे का सारा एक ऐसा न्यामत साबित हुआ जिस की तमाम उम्मीद जा चुकी थी। ताहम मैं यह देखता हूं कि वह सब स्कीमें पुराने एस्टिमेट्स से भी आगे बढ़ गई हैं, दोगुनी और तिगुनी हो गई हैं। लेकिन अगर इस नुक्ते निगाह से देखा जाय कि उनकी बेनिफीसियरी वेल्यू (लाभ) क्या है तो मुझे शक नहीं कि गो हमने उस वक्त एस्टिमेट्स कमेटी में खयाल किया था कि स्कीम गलत है, लेकिन फिलवाकया जो कुछ भी किया गया वह देश की भलाई में हुआ और यह मिनिस्ट्री मुबारकबाद की मुस्तहक है कि जो कुछ उसकी तरफ से कहा गया था वह सही साबित हुआ।

इसके अलावा मुझे खुसूसन एक और बात के लिये मुबारकबाद देनी है और वह यह है कि इस मिनिस्ट्री ने बहुत ज्यादा खयाल रखा था कि जो पार्लियामेंट के मेम्बरान हैं उनकी बातों को सुना जाये, उनके क्रिटिसिज्म को सुना जाय और जो कुछ उनको कहना हो उस को वह कह सकें। चुनांचे कई मर्तबा यहां के मेम्बरान को, मुख्तलिफ रीजन्स (प्रदेशों) के मेम्बरान को, मुख्तलिफ स्टेट्स (राज्यों) के मेम्बरान को आनरेबल मिनिस्टर साहब ने बुलाया और जो कुछ हम को कहना था, उसको सुना। इतना ही नहीं, आम तौर से यह देखा जाता है कि जो तकरीरें हाउस में होती हैं वह रद्दी की टोकरी में फेंक दी जाती हैं, यहां सख्त से सख्त क्रिटिसिज्म होता है, लेकिन कोई उसकी परवाह नहीं करता। कल ही मैंने देखा कि हमने रिहैबिलिटेशन मिनिस्ट्री (पुनर्वास मंत्रालय) पर जो क्रिटिसिज्म किया उन बातों का हमारे रिहैबिलिटेशन मिनिस्टर साहब ने कोई जवाब नहीं दिया, और सारी आलोचना की कोई परवाह नहीं की। लेकिन इस मिनिस्ट्री का हाल यह नहीं है। इस मिनिस्ट्री का जो कुछ भी क्रिटिसिज्म किया जाय, अगर उसी वक्त उसका जवाब नहीं मिला तो जैसा कि डिप्टी मिनिस्टर साहब ने कहा सारे मामलात कंसीडर (विचारागत) होंगे, और अगर नहीं तो आयन्दा उसका जवाब दे दिया जायगा। यहां पर देखा जाता है कि अगर किसी चीज का जवाब आज नहीं दिया गया और फिर

†मूल अंग्रेजी में

उसके बाद बहस हो गई तो सारी चीजों को पढ़ कर हर एक नुक्ते का जवाब मेम्बर साहबान के पास भेजा जाता है। यह निहायत सैटिस्फैक्ट्री (संतोषजनक) है। आखिर जहां तक खुराक और पानी का इन्तजाम है वह तो जितना इंसान के हाथ में है उतना ही किया जा सकता है। लेकिन इस तरह की तवज्जह कि मेम्बर साहबान क्या कहते हैं और क्या चाहते हैं जो इस मिनिस्ट्री में देखी गई वह गवर्नमेंट आफ इंडिया की किसी भी दूसरी मिनिस्ट्री में नहीं देखी गई। जहां तक मुझे याद है पिछली दफा सन् १९५५ में जब बहस यहां की गई तो उस वक्त जिन बातों का जवाब हमारे आनरेबल मिनिस्टर साहब नहीं दे सके तो उन्होंने बाद में २ मई, १९५५ को एक चिट्ठी मेम्बर साहबान को भेजी, मेरे पास भी भेजी, जिसमें सारे क्रिटिसिज्मों (आलोचनाओं) का जवाब दिया गया था।

मुझे और चीजों के अलावा, जिन का जिक्र मैं बाद में करूंगा, एक खास बात कहनी है जिसके वास्ते मैंने हाउस का वक्त लिया है, और वह यह है कि जहां तक मुझे मालूम हुआ, और जनाब ने भी कई मर्तबा मेरे साथ इत्तफाक किया है, जहां तक पिछड़े हुये इलाकों का सवाल है, खुसूसन गुड़गांव वगैरह का, उनकी तरफ पूरी तवज्जह हमारी पंजाब गवर्नमेंट की नहीं हुई, और आज से ही नहीं, करीब एक सदी से यह हाल है। मैं इस हाउस में बहुत दफे कह चुका हूं, और मुझे रिपीट करते (दोहराते) हुये एक शर्म सी मालूम होती है, कि जो गुड़गांव का इलाका है, जिसके अन्दर से कि यमुना गुजरती है, और कितने ही ऐसे गांव हैं जहां से यमुना गुजरती है, वहां के लोग उसके पानी को तरसते हैं। पिछली दफा भी मैंने शिकायत की थी, और आनरेबल मिनिस्टर साहब ने जो मेरी गलती थी उसको दुरुस्त किया कि यह सच नहीं है कि कतई पानी नहीं मिलता। लेकिन यह वाकई दुरुस्त है कि वहां से यमुना गुजरती है और वह सारे का सारा इलाका ऐरिड (खुश्क) है और वहां पूरी तरह पानी नहीं मिलता। मैं गुड़गांव की बात कह सकता हूं। जब सर छोटू राम ने भाखड़ा डैम की स्कीम निकाली थी तो उसके अन्दर वह तजवीज शामिल थी जिसके मुताबिक गुड़गांव का इलाका सैराब हो जाता। लेकिन बाद में वह तजवीज ही बदल दी गई। बात असल यह है कि गुड़गांव की कोई आवाज कहीं पर नजर नहीं आती। मिनिस्ट्री के अन्दर कोई मिनिस्टर नहीं बना, न कोई सेक्रेटरी बना, या डिप्टी कमिश्नर और सुपरिन्टेंडेंट आफ पुलिस ही बना। जहां तक पब्लिक सर्विसेज (सार्वजनिक सेवाओं) का सवाल है, यह एक ऐसा इलाका है जैसे कि यह हिन्दुस्तान या पंजाब में हो ही नहीं। लेकिन मैं यह अर्ज करता हूं कि क्या गवर्नमेंट आफ इंडिया के लिहाज से भी यह ऐसा हिस्सा है जो कि अस्तित्वहीन है? कोई ढाई बरस का अर्सा हुआ, हमारी पंजाब मिनिस्ट्री के लहरी सिंह साहब, बंसल साहब, श्री हेमराज साहब और मैं, किदवई साहब की खिदमत में हाजिर हुये और उनसे शिकायत की। चुनांचे उन्होंने हमारी सारी शिकायत को सुन कर कहा कि मैं ढाई करोड़ रुपये की स्कीम के लिये या तो अपनी मिनिस्ट्री से रुपया मंजूर करा दूंगा या फिर प्लैनिंग कमिशन (योजना आयोग) से दिलवा दूंगा, इससे गुड़गांव को पानी मिल जायेगा और कई लाख एकड़ जमीन की आबपाशी हो जायेगी। कुओं के मुताल्लिक एक एक्स्पेरिमेंटल (प्रयोगात्मक) स्कीम थी जिस को सन् १९५५ में गुड़गांवा में शुरू किया जाना था। उन्होंने मेरे सामने सेक्रेटरी को फोन किया और मजबूर किया कि चूंकि गुड़गांव का इलाका पिछड़ा हुआ इलाका था इसलिये उसको सन् १९५६ के बजाय १९५५ में शुरू कर दिया जाय। हमने उसी वक्त मामले को खत्म नहीं किया, हमने समझा कि यह मामला भुला दिया जायेगा, इसलिये उसी वक्त हम ने एक प्रेस नोट तैयार किया और उनसे ऐप्रूव (स्वीकृत) करा कर प्रेस में दे दिया। उसके बाद हमारी बदकिस्मती हुई कि किदवई साहब परमात्मा के प्यारे हुये। मैंने श्री अजित प्रसाद जैन से हाउस में अर्ज किया कि यह किदवई साहब की वसीयत व विरासत उनके लिये है और वह इसे पूरा करायें। उन्होंने भी कहा कि जहां तक हो सकेगा, उस को पूरा किया जायेगा। उसके बाद जिस वक्त हम को मीटिंग में बुलाया गया, उस वक्त हमने नन्दा सहब की खिदमत में अर्ज किया कि यह मामला हुआ है। इसी दौरान में पंजाब की जो पिछली मिनिस्ट्री थी उसके पैर

[पंडित ठाकुर दास भार्गव]

डगमगाने लगे। हमारे लहिरी सिंह साहब गुड़गांव पहुंचे और वहां जाकर कितनी ही जगहों पर कहा कि मैं पांच बरस से तुम्हारे इलाके में नहीं आया क्योंकि मेरे पास देने के लिये कुछ नहीं था, मैं शर्म के मारे नहीं आया, लेकिन अब मेरे हाथ मजबूत हैं, पंजाब गवर्नमेंट ने स्कीम मंजूर कर ली है और अब तुम को एलेक्ट्रिसिटी और पानी मिलेगा। श्री सच्चर साहब गुड़गांव के इस इलाके में गये, पांच बरस के बाद, और कहा कि मुझे माफ करो, अब मैं तुम्हारे यहां की स्कीम को पूरा करूंगा। लेकिन वह भी मिनिस्टर्स पोलिटिकल लिहाज से परमात्मा के प्यारे हुये, वह मिनिस्ट्री ही खत्म हो गई।

उपाध्यक्ष महोदय : जो गुड़गांव को प्रेम करता है, वह परमात्मा को प्यारा हो जाता है।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : गुड़गांव खुद ही ऐसा इलाका है जो परमात्मा को बहुत प्यारा है और गो वहां नहर नहीं बहती लोग गरीब हैं, लेकिन ईश्वर की कृपा से इस इलाके के चारों तरफ के इलाकों का पानी वहां भर जाता है और अच्छी बरसात होती है, उससे गुजारा चलता है। लेकिन फिर भी मिसाल के तौर पर रेवाड़ी का इलाका है जो इतना रेतीला है और नूह व फिरोजपुर का पानीहीन है कि लोगों को बड़ी दिक्कत है—क्या शरम की बात नहीं कि सारे पंजाब की ८० फीसदी आबपाशी हो और गुड़गांव का यह हाल हो ? कागज पर तजवीजें बना रखी हैं लेकिन जब हम नन्दा साहब की खिदमत में हाजिर हुए तो उन्होंने यह नोट भेजा जो मेरे हाथ में है कि जो कुछ आप कहते हैं या जो कुछ पंजाब गवर्नमेंट कहती है वह बहुत ज्यादा सच्चाई पर मबनी नहीं है। जो तजवीज हुई वह स्टेट गवर्नमेंट (राज्य सरकार) के लेवेल (स्तर) पर डिसकशन (चर्चा) में आई लेकिन वह डिसकशन अभी तक पूरा नहीं हुआ। जो यह किताब अब हमारे पास भेजी गई है इसके पेज ६ पर मैं पाता हूँ कि इसके अन्दर गुड़गांव का नाम तो लिख दिया गया है लेकिन आगे कुछ नहीं। यह भी बड़ी खुशी की बात है कि कम से कम एक आल-इंडिया किताब में गुड़गांव का नाम तो छपा है। यह भी गुड़गांव की खुशकिसमती है। पेज ६ पर जो स्कीमें स्क्रुटिनाइज (छानबीन) की गई हैं उनको दर्ज किया गया है। यह† कहा गया है (पंजाब में सरहिंद तथा गुड़गांव नहर : द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित करने के लिये जिन परियोजनाओं की जांच की गई उनमें से अधिक महत्वपूर्ण ये हैं :—

गुड़गांव को नम्बर ४ पर रखा गया है। अब जब कि नाम ले लिया गया है, मैं उम्मीद करता हूँ, आहिस्ता-आहिस्ता रास्ता भी निकाल लिया जाएगा। अब प्लानिंग कमिशन ने अपने दूसरे पांच साला प्लान में इस उसूल को तसलीम किया है और यह उसूल एक मुसलम्मा उसूल बन गया है कि बैकवर्ड एरियाज (पिछड़े क्षेत्रों) को प्रायोरिटी (प्राथमिकता) दी जायेगी। पहले प्लान में इस उसूल को नहीं माना गया था। पहले प्लान में इसको शायद इसलिये नहीं माना गया था कि अनाज की पैदावार बढ़ाने का सवाल सब से जरूरी सवाल था। लेकिन अगर गुड़गांव को सबसे आखिर में लिया गया तो हो सकता है कि इसका वही हशर हो जो कि फार्सी के एक श्लोक में कहा गया कि तारीक अज़ ईराक, आवर्दा शवद मारगजीदा मुर्दाबवद। मैं अदब से अर्ज करना चाहता हूँ कि आप गुड़गांव को प्रायोरिटी दीजिये, हम को पहले नम्बर पर रखिये। अगर आप यह चाहते हैं कि मैं आपको स्टेट गवर्नमेंट की सिफारिश ला कर दूँ तो यह एक ना-मुमकिन बात है। यह काम करना तो उतना ही मुश्किल है जैसे कि आप मुझे कहें कि मैं आपको बैल का दूध ला कर दूँ या चील का पेशाब लाकर दे दूँ जो मेरे बस की बात नहीं है। मैं चाहता हूँ कि आप गुड़गांव के साथ इंसाफ करें। गुड़गांव यहां से चन्द कदमों के फासले पर ही है और आप खुद वहां पर जा कर देख सकते हैं। मैं निहायत अदब से अपील करता हूं कि यह बहुत पिछड़ा हुआ इलाका है और इस पिछड़े इलाके का लिहाज

†मूल अंग्रेजी में

रख कर कुछ कर दीजिये और जो किदवई साहब का पुराना वादा है उसको पूरा कर दीजिये ताकि हमारे यहां भी पानी दिखाई देने लगे। पानी और ईलेक्टरीसिटी जहां एक दूसरे से मिले हुए हैं वहां ये दोनों एक दूसरे के मुतबादल भी हैं। जहां पानी नहीं मिलता है वहां बिजली ज़मीन के नीचे से पानी निकाल बाहर करती है और सिंचाई के लिये और पीने के लिये पानी उपलब्ध करती है। हो सकता है कि इस तरह पानी अगर निकाला जाय तो वह सस्ता पड़े। अगर सस्ता नहीं भी पड़ता तो भी जहां पानी नहीं पहुँच सकता वहां बिजली की मदद से ट्यूबवैल लगाये जा सकते हैं। हम कितने ही बरसों से सुनते आए हैं कि भाखड़ा नंगल से हम को बिजली मिलेगी और यह भी सुनते आये हैं कि कोटवाल, गंगुवाल इत्यादि से बिजली मिलनी शुरू हो गई है, लेकिन इससे कुछ ज्यादा फायदा गुड़गांव को हुआ हो ऐसा तो दिखाई नहीं देता है। गुड़गांव अब पंजाब का एक पक्का हिस्सा बन गया है, एक इंटेगरल (अभिन्न) हिस्सा बन गया है और अब तो आप उसके लिये कुछ कीजिये। आप इस मामले में स्टेट गवर्नमेंट को कुछ करने के लिये मजबूर कर सकते हैं। यह जो पिछड़े हुए इलाके हैं उनको ऊंचा उठाने की जिम्मेवारी सैंट्रल गवर्नमेंट की है। मैं मानता हूँ कि प्राविंशल औटोनोमी (प्रान्तीय स्वायत्तता) है लेकिन जहां तक बैकवर्ड इलाकों का ताल्लुक है, उनके लिये सैंट्रल गवर्नमेंट रिसपोंसिब्ल (जिम्मेवार) है। इसको चाहिये कि यह उनकी तरफ खास तवज्जह दे।

मैं इस ज़िमन में आपकी खिमदत में थोड़ा सा भिवानी, ज़िला हिसार का भी ज़िक्र करना चाहता हूँ। सर छोटू राम का कहना था कि हिसार की एक एक इंच ज़मीन का टुकड़ा पानी के अन्दर होगा। लेकिन अब भिवानी को निकाल दिया गया है। भिवानी के बारे में यह कहा जा रहा है कि वहां पर ट्यूबवैल लगेंगे लेकिन इस चीज़ को तो हम पांच बरसों से सुनते आ रहे हैं। १० लाख रुपया एक बार बजट में रखा भी गया था लेकिन कुछ भी नहीं किया गया है। कोई उस इलाके की परवा नहीं करता है, वहां पर आबपाशी के लिये पानी को तो जाने दीजिये, पीने के लिय पानी नसीब नहीं होता है। जिला हिसार में लोगों को १०–१० मील तक पानी लाने के लिये जाना पड़ता है। ऊंटों को वे लोग पानी लाने के लिये ले जाते हैं लेकिन फिर भी सारा दिन घूमने के बाद भी पानी पीने के लिये उन्हें नसीब नहीं होता है। इस वास्ते मेरी आपसे फिर यह प्रार्थना है कि आप भिवानी और गुड़गांव का खास तौर से ख्याल रखें और उनके लिये कुछ करें।

अब इस मामले को मैं एक और नुक्तेनिगाह से आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। अभी श्री त्रिपाठी जी ने कहा और उसी से मुझे भी यह खयाल आया कि मैं कुछ कहूँ। आप हमेशा यह कहते हैं कि पूरे हिन्दुस्तान होल को हमें लेना चाहिये और याद रखना चाहिये कि यह एक है। आज हिन्दुस्तान के अन्दर आप क्या देखते हैं। हर एक स्टेट के अन्दर हम देखते हैं कि स्टेट पैट्रियोटिज्म तो है लेकिन हिन्दुस्तान के लिये वह पैट्रियोटिज्म कुछ थोड़ी सी ऐटेनुएटिड (कम) हो गई है। यह खतरनाक चीज़ है, यह रांग है। मैं इस देश को एक उस दिन समझूंगा जिस दिन हिन्दुस्तान के हर एक आदमी को खाने पीने की चीज़ों के अन्दर, उनकी कीमतों के अन्दर कोई भेदभाव नहीं रहेगा। उसी दिन भारतवर्ष एक होगा जिस दिन जहां तक एसेंशियल आर्टिकल्ज़ आफ लाइफ (जीवन के के लिये आवश्यक चीजों) का सवाल है, उसके अन्दर एक तरह की इक्वेलिटी (बराबरी) आ जाएगी जिसका ज़िक्र दफा १४ के अन्दर है कि यूनिफार्मिटी (समानेता) और इक्वैलिटी आफ राइट्स (बराबर अधिकार) तक हमें पहुंचना है। आज अगर मैं पंजाब में गल्ला पैदा करता हूं, तो वह गल्ला मुझे सस्ता पड़ता है क्योंकि मैं फारचुनेटली (भाग्यवश) पंजाब का रहने वाला हूँ जहां पर कई प्रकार की सहूलियतें सुलभ हैं और गल्ला भी काफी होता है। लेकिन आज मैं इस बात की कोशिश करता हूँ कि इस को दूसरी जगहों पर भेज कर मैं नाजायज़ फायदा उठाऊं। आज जो अनाज मैंने पैदा किया है उसको मैं त्रावणकोर-कोचीन में भेज कर बहुत ज्यादा कीमत वसूल करना चाहता हूँ और इसका मैं हमेशा प्रयत्न करता हूँ।

[पंडित ठाकुर दास भार्गव]

आज मुझे यह मानना चाहिये कि यह मेरा मुल्क है और सारे मुल्क के साथ ही मेरा भला है यह तभी हो सकता है कि जो खाने पीने की चीज़ें हैं, वे तकरीबन एक ही कीमत पर सब को उपलब्ध् हों। जहां तक इलेक्टरीसिटी का ताल्लुक है, इसको पैदा करने के लिये जितने भी अंडर-टेकिंग्ज़ (कारखाने) हैं वे तकरीबन सारे गवर्नमेंट के हाथ में हैं और मैं चाहता हूँ कि सब को इलेक्ट्री-सिटी एक ही रेट पर मिले। यह नहीं होना चाहिये कि किसी को दो पैसा फी यूनिट के हिसाब से मिले, किसी को छः पैसा फी यूनिट के हिसाब से और किसी को चार पैसा फी यूनिट के हिसाब से। जब ऐसे डिफरेंस रेटस (भिन्न-भिन्न दरों) पर बिजली सप्लाई की जाती है तो इसका नतीजा यह होता है कि जिस को इलेक्टरिसिटी सस्ती मिलती है वह तो एक चीज़ सस्ती बना लेता है और जिस को महंगी मिलती है, वही चीज़ वह महंगी बना पाता है। दफा १४ में सारे हिन्दुस्तान के लिये जो चार्टर बना है उसकी तरफ काफी तवज्जह नहीं दी जाती है। इस तरफ इस डिपार्टमेंट (विभाग) को जो कि पानी और इलैक्टरीसिटी का डिपार्टमेंट है, खास तवज्जह देनी चाहिये। आज मैं देखता हूँ कि सिर्फ साढ़े सात फी सदी दरियाओं का पानी इस्तेमाल होता है। अगर हमें इंडस सिस्टम का २० फी सदी के हिसाब से पानी मिले, जिसके कि हम एंटाइटल्ड (अधिकारी) हैं, जो हमारा राइट है तो न केवल हम पंजाब को ही बल्कि जैसलमेर तक और न जाने कहां तक ज़मीन को सरसब्ज़ बना सकते हैं। आप को मालूम ही है कि जो फैसला अमरीका के अन्दर हो रहा है और जिस बेसिस (आधार) पर वह हो रहा है, वह सही नहीं, जस्ट (न्यायोचित) नहीं है। जितना हम को पानी मिलना चाहिये वह २० फी सदी से कहीं ज्यादा होना चाहिये। उतना हमें नहीं मिल रहा है। ताहम जितना हमें मिल रहा है उसका भी ठीक तरह से इस्तेमाल करने की स्कीमें हमारे पास नहीं हैं।

इसी तरह से जहां तक इलेक्टरिसिटी का ताल्लुक है, पंजाब के रहने वाले अभी तक भी इसके वास्ते तरसते फिरते हैं। दिल्ली में, हिसार में और रोहतक में और हिन्दुस्तान के जो दूसरे हिस्से हैं उनके अन्दर हम क्या देखते हैं। जिस दर से आज तक इलैक्टरिसिटी हमें मिलती थी उसी दर से आज भी मिल रही है और हाइडरो-इलैक्टरिक (जल बिजली) के हिसाब से नहीं दी जा रही है पुरानी दर ही अभी चल रही है। यह वाजिब नहीं है, यह दुरुस्त नहीं है।

अब मैं फ्लड कंट्रोल (बाढ़ नियंत्रण) के बारे में थोड़ा सा अर्ज़ करना चाहता हूँ। इस बार जितनी पंजाब में तबाही आई, उतनी शायद पहले कभी नहीं आई। पंजाब में पहले भी फ्लड आये लेकिन उनसे इतनी तबाही नहीं हुई जितनी तबाही इस बार हुई है। मैं तो यह समझता हूँ कि शायद इतनी जबरदस्त तबाही हमारी जिन्दगी में पहले कभी देखने में नहीं आई है।

इन फ्लड्स के कारण करोड़ों रुपये का नुक्सान हुआ है। यह नहीं कहा जा सकता कि इस बार ये फ्लड्स आये और आइन्दा नहीं आ सकते। इनको रोकने का सवाल भी एक बहुत जरूरी सवाल है। इन फ्लडस को आप तब तक रोक नहीं पायेंगे जब तक इनको रोकने का हिमाचल प्रदेश में ठीक तरह से बन्दोबस्त नहीं किया जाये, जब तक वहां जितनी वैजिटेशन (वनस्पति) है, वह दुरुस्त नहीं होगी, जो दरख्त लगने हैं, वे ठीक तरह नहीं लगाये जायेंगे और जो दरख्तों का काटना है उसको रेग्युलेट (विनियमित) नहीं किया जायगा। इस वास्ते यह निहायत जरूरी है कि एक इंटेग्रेटिड (सर्वतोमुखी) स्कीम बनाई जाये और गवर्नमेंट आफ इंडिया उस स्कीम को लागू करे। अगर ऐसा किया गया तभी फ्लड्स (बाढ़) का जो मसला है वह सैटिसफैक्टरी ढंग से हल हो सकेगा।

आखिर में मैं जो काम इस मिनिस्टरी ने किया है उसके लिये मैं इसको मुबारिकबाद देता हूं और मैं चाहता हूँ कि गवर्नमेंट के जो दूसरे महकमे हैं, वे भी इस मिनिस्टरी की तरह से सैटिसफैक्टो-रिली (संतोषजनक) ढंग से काम करें।

श्रीमती कमलेन्दुमति शाह (जिला गढ़वाल--पश्चिम व जिला टिहरी गढ़वाल वा जिला बिजनौर—उत्तर) : उपाध्यक्ष महोदय, मनुष्य के जीवन में पानी का हवा के पश्चात् दूसरा स्थान है। हम सब जानते हैं कि सिंचाई की कितनी आवश्यकता होती है, खेती के लिये, वनों के लिये, बगीचों के लिये, फलों के लिये। इसलिये पानी एक बहुत ही आवश्यक वस्तु है।

गढ़वाल में सिंचाई का क्या हाल है यह वही व्यक्ति जान सकता है जो वहां पहुँच कर उसे देखे। वहां वही हालत है जैसी कि अंग्रेजी में एक कहावत है : "पानी तो सर्वत्र है किन्तु पीने के लिये एक बिन्दु भी नहीं।" हमारे यहां से विशाल नदियां गंगा और जमुना आती हैं लेकिन हमारे यहां पीने तक के लिये पानी की कठिनाई है। मैं पांडे जी की इस बात का समर्थन करती हूँ कि हमारे यहां स्प्रे इर्रीगेशन (छिड़-काऊ द्वारा सिंचाई) का यंत्र (डिवाइस) लगाया जाये और उसकी आजमाइश की जाये।

नैनीताल में कालागाढ़ डिवीज़न में रामगंगा पर ३५ करोड़ की लागत से एक बहुत बड़ा बांध बनाया जा रहा है। यह बड़ी खुशी की बात है। लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि उस बांध से टेहरी गढ़वाल को अधिक लाभ नहीं होगा सिवाय इसके कि हम को उससे थोड़ी बहुत बिजली मिलेगी। पर हमारे यहां तो सिंचाई के लिये पानी की आवश्यकता है। अगर हमको थोड़ी बिजली मिल भी जायेगी तो उससे हमारा क्या लाभ होगा। किसान उसको लगा भी नहीं सकेंगे क्योंकि वे उसका किराया नहीं दे सकेंगे। नैनीताल में यह सिद्ध हो गया है कि जो बिजली पैदा की गई है उसका उपयोग जनता नहीं कर रही है क्योंकि वह बहुत महंगी है। इसलिये मेरी प्रार्थना है कि सबसे पहले मेरे इलाके के लिये सिंचाई के साधन जुटाने की आवश्यकता है।

मैंने सोचा था कि मंत्री महोदय जो चीज़ें मैंने मांगी हैं वे मुझे दे देंगे और मुझे उनको धन्यवाद देने का मौका मिलेगा; मैं तीन बरस से मांग कर रही हूँ कि हमारे यहां एक नयार नाम का बांध है उसे पूरा कर दिया जाये। विलीनीकरण के पहले, आज से कोई ११ या १२ साल पहले यह स्थान चुनकर यह काम वहां शुरू हो गया था और कोई ९ लाख रुपया भी इस पर खर्च हो चुका था। इंटेरिम मिनिस्ट्री (अन्तरिम मंत्रि-मंडल) के समय में यह अनुमान लगाया गया था कि इस पर आठ करोड़ रुपया खर्च होगा। मुझे आशा थी कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में इस बांध को लिया जायेगा और अवश्य लिया जायेगा। मेरी यह आशा इसलिये और भी दृढ़ हो गई थी कि नैनीताल में ३५ करोड़ की लागत से रामगंगा पर के बांध बनाने की मंज़ूरी दे दी गई है। मैं समझती थी कि हमारे यहां के लिये भी यह बांध स्वीकार किया जायेगा। हो सकता है इस पर इस समय ११ या १२ करोड़ रुपया लगे। जब इस विषय में मैं केन्द्रीय सरकार को पूछती हूँ तो कहा जाता है कि अभी प्रान्तीय सरकार से कोई उत्तर नहीं आया है। जब प्रान्तीय सरकार से पूछती हूँ तो कहा जाता है कि सरकार इस बांध का काम अभी हाथ में नहीं ले सकती क्योंकि इस पर ४९ या ५० करोड़ रुपया खर्च होगा। मेरी समझ में नहीं आता कि यह आठ करोड़ का पांच गुना और छः गुना कैसे हो गया। मुझे तो ऐसा लगता है कि इस स्थान को देखने कोई इंजीनियर नहीं गया है। मैं चाहती हूँ कि जिस तरह से कि रेहंद बांध को देखने इंजिनियर्स गये थे वैसे ही इसे देखने भी जायें। अगर इंजिनियर्स इसे देखने जायें तो वे इस नतीजे पर पहुँचेंगे कि ११ या १२ साल में एस्टीमेट ८ करोड़ से बढ़कर ४९ करोड़ नहीं हो सकता। इसलिये मेरी प्रार्थना है कि कम से कम इस स्थान को दिखा तो दिया जाता। यहां पर लगभग ९ लाख रुपया खर्च भी किया जा चुका है। अगर सरकार अनुमति दे तो मैं स्वयं किसी इंजीनियर को ले जाकर यह स्थान दिखला दूँ। मैंने वह स्थान खुद देखा है। मैं नहीं समझती कि उस बांध पर इतने करोड़ रुपया कैसे लग जायेगा। यह दूसरी बात है कि इंजीनियर अपने लिये २० या २५ परसेंट अलग रख कर चौगुना और पांच गुना एस्टीमेट बतला दें। लेकिन इस काम में इतना रुपया लग नहीं सकता। इसलिये मेरी सरकार से प्रार्थना है कि मेरी तसल्ली के लिये और उस

[श्रीमती कमलेन्दुमति शाह]

क्षेत्र की पिछड़ी हुई जनता की तसल्ली के लिये एक अच्छे इंजिनियर को वह स्थान दिखलाया जाये और उसकी राय ली जाये। यह न हो कि केन्द्रीय सरकार इस मामले को प्रान्तीय सरकार पर टाल दे और प्रान्तीय सरकार केन्द्रीय सरकार पर टाल दे और हम बीच में रह जायें और कितनी ही पंचवर्षीय योजनायें निकल जायें और हमारे यहां पानी की वही हालत रहे।

अभी २६ तारीख को हमारे प्रधान मंत्री जी ने अपने भाषण में कहा था : "सब से महत्वपूर्ण समस्या विश्व के पिछड़े हुए क्षेत्रों की समस्या है, उन क्षेत्रों में आर्थिक विकास की"।

पहले हमें आश्वासन दिया जाता है कि तुम्हारा जिला पिछड़ा हुआ है, यह लिखित वचन दिया जाता है। उसके बाद मुकर जाते हैं और जब हम बांध की बात करते हैं कि हमारे जिले के उत्थान के लिये, उसे आगे बढ़ाने के लिये हमें एक बांध दिया जाये तो टालमटोल की जाती है। इसके मानी में क्या समझूं। मैं सरकार को बतलाना चाहती हूँ कि इस बांध से पौड़ी गढ़वाल में और टेहरी गढ़वाल में दोनों में सिंचाई हो सकती है और कोई ६ या १० हजार वर्गमील के एक लाख एकड़ भूमि की सिंचाई हो सकती है। जो बांध रामगंगा पर बन रहा है उसका पानी उल्टा गढ़वाल को नहीं पहुंचाया जा सकता। उससे तो हमको थोड़ी बिजली ही मिलेगी। अगर हमें फायदा मिल सकता है तो वह केवल नायर बांध से ही मिल सकता है और मैं सरकार से उसके लिये एक बार फिर निवेदन करती हूँ कि उस पर ध्यान दे और इसके बारे में कुछ कार्रवाई अवश्य करे। मुझे आशा है कि मुझे जब इस विषय पर दूसरी बार बोलने का अवसर मिलेगा तो मैं मंत्री महोदय को धन्यवाद दे सकूंगी कि उन्होंने मेरे निवेदन को स्वीकार किया।

†**श्री नेत्तूर पी० दामोदरन** (टेल्लिचेरी) : केन्द्रीय तथा राज्य दोनों सरकारों ने सदा मद्रास के मालाबार/जिले के प्रति उपेक्षा प्रदर्शित की है। जब कभी हम उसकी समस्याओं की चर्चा करते हैं, तो हमें यह बताया जाता है कि मालाबार ही भारत का एकमात्र जिला नहीं है। यह सत्य है। किन्तु मालाबार भारत का सब से बड़ा जिला है। इसकी आबादी ४८ लाख के करीब है जो जम्मू व काश्मीर राज्य से कहीं अधिक है, जब जम्मू व काश्मीर में इतना रुपया व्यय किया जा रहा है तो कम से कम इस जिले की ओर भी अवश्यमेव कुछ न कुछ ध्यान दिया जाना चाहिये।

इस जिले के ६ व्यक्ति इस संसद् में हैं और लगभग ३० व्यक्ति मद्रास की विधान सभा में। यहां की आबादी प्रतिवर्ग मील ८०० है। देश में आज़ादी आई; एक पंचवर्षीय योजना भी खत्म हो गई, किन्तु मालाबार में इन दोनों का कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा दिखाई देता है। हमारे यहां केवल कुछ प्लेटफार्मों पर शेड डाल दिये गये हैं और मालमपुज्हा की एक छोटी सी सिंचाई की परियोजना है। बस, प्रथम योजना का हमें यही लाभ हुआ है जब कि हम बड़ी देर से ही दो बड़ी परियोजनाओं की मांग कर रहे हैं। हमारी एक मांग वहां पर जल-विद्युत् परियोजना तथा दूसरी एक रेलवे परियोजना के सम्बन्ध में है।

मैं प्रति वर्ष यही कहता रहा हूँ कि मालाबार में एक व्यापक रेलवे परियोजना बनानी चाहिये जिससे मालाबार का प्रत्येक बड़ा नगर पड़ोस के मैसूर राज्य से मिल जाय। परन्तु इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गाया है।

भारत सरकार ने दक्षिण प्रदेश के लिये तीन जल-विद्युत योजनाओं का विचार किया है। मैसूर में होन्ना योजना, मद्रास में कुंडा योजना और 'कुर्ग' में बारापोल योजना, होन्ना योजना कदाचित् स्वीकृत हो चुकी है। अब कुंडा और बारापोल योजना में कश्मकश चल रही है। जब माननीय उपमंत्री कुर्ग में गये थे तो उन्होंने लोगों को 'बारापोल' योजना के स्वीकार किये जाने का आश्वासन दिया था।

†मूल अंग्रेजी में

जब सरकार ने कुंडा योजना को जो उससे कहीं अधिक व्यय वाली है तथा जिसस उसकी अपेक्षा कहीं कम लाभ होगा स्वीकार कर लिया है तो उसे देश के व्यापक हित में इस योजना को भी स्वीकार कर लेना चाहिये। क्योंकि मद्रास एक शक्तिशाली राज्य है शायद इसीलिये उसके दबाव के कारण ही कुंडा योजना इतनी शीघ्र स्वीकृत कर दी गई है। मुझे उसके स्वीकृत होने में कोई इतराज़ नहीं है। किन्तु इस का यह अर्थ नहीं कि बारापोल परियोजना स्वीकार नहीं की जानी चाहिये। कुर्ग एक छोटा सा राज्य है। वह शायद सरकार पर इतना दबाव नहीं डाल सकता है। मैं इस की इसलिये सिफारिश कर रहा हूँ क्योंकि इससे केवल कुर्ग को ही लाभ नहीं पहुंचेगा प्रत्युत इससे मालाबार को भी बहुत लाभ पहुँच सकता है और वहां के लोगों के कई कष्टों का निवारण हो सकता है।

एक बार कुर्ग के मुख्य मंत्री दिल्ली आये थे। तब वह योजना आयोग के सदस्यों से मिले थे, बंगलौर लौटने पर उन्होंने समाचार पत्रों को एक वक्तव्य दिया था जिसमें कहा गया था कि आयोग ने 'बारापोल' विद्युत् योजना को द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित कर लिया है। मैं जानना चाहता हूँ कि अब जब कि कुंडा योजना को स्वीकृत कर लिया गया है, उस योजना की क्या परिस्थिति है।

मेरा पक्का विश्वास है कि मालाबार अथवा कुर्ग के लोगों की आवाज़ नहीं सुनी गई है। इस योजना पर केवल १६ करोड़ रुपये की लागत आनी थी। कुंडा योजना पर २३ करोड़ रुपये लगेंगे। इससे उसकी अपेक्षा बिजली भी अधिक उत्पन्न हो सकती है। दूसरे, बदकिस्मती से अब जब कि मालाबार केरल में मिलने जा रहा है हमें मद्रास की कुंडा योजना से बिजली मिलने की कोई भी आशा नहीं है क्योंकि उसकी सारी की सारी बिजली मद्रास राज्य में ही खर्च की जायेगी। किन्तु यदि योजना आयोग उसे स्वीकार कर लेता तो उसकी कोई विशेष हानि नहीं हो जाती। इससे मालाबार की ३०,००० एकड़ भूमि को पानी मिल सकता था। कुंडा नदी का जल तो लोअर भवानी परियोजना में ही खप जाता है अब उससे सिंचाई के लिये और जल मिलने की कोई आशा नहीं है। अतः मेरा अनुरोध है कि इस योजना को अवश्य ही द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित कर लिया जाना चाहिये।

मालाबार में पढ़े लिखे लोगों में बड़ी बेकारी है, यदि टेल्लीचरी-कुर्ग-मैसूर रेलवे तथा बारापोल की जल विद्युत परियोजना को स्वीकार कर लिया जाता तो एक बड़ी सीमा तक यह बेकारी दूर हो जाती। हमने इस सम्बन्ध में योजना आयोग के उपसभापति से अभिवेदन किया था। उन्होंने उस समय बड़ी सहानुभूति से हमारी बातें सुनी थीं। किन्तु इस सब प्रयत्न के बावजूद भी यह योजनायें द्वितीय पंचवर्षीय योजना में नहीं सम्मिलित की गई हैं।

हमें इस सम्बन्ध में मद्रास सरकार से इंसाफ की कोई आशा नहीं है। मद्रास सरकार समझती है कि मालाबार को अब उसके हाथ से चले जाना है अतः उसकी आवश्यकताओं पर ध्यान देने की अब कोई ज़रूरत नहीं है। और कुर्ग छोटा-सा राज्य है। वह 'बारापोल' जैसी योजना पर १६ करोड़ रुपये नहीं खर्च कर सकता है। अब कुर्ग करनाटक में मिलने जा रहा है और मालाबार केरल में। करनाटक के पास पहले ही कई जल विद्युत् योजनायें हैं। अतः उसे 'बारापोल' योजना में विशेष दिलचस्पी नहीं हो सकती है और केरल शायद ही इस विषय में कुछ करने के लिये तैयार हो। इस प्रकार इस योजना के तृतीय पंचवर्षीय योजना में भी सम्मिलित होने की बहुत कम सम्भावना है। इस बात को दृष्टि में रखते हुए मैं सरकार से प्रार्थना करता हूँ कि मालाबार तथा कुर्ग के साथ भी न्याय होना चाहिये।

[श्री नेत्तूर पी० दामोदरन]

मद्रास की विधान सभा में कन्हीरपुज्ही की योजना के बारे में बात-चीत चली थी। मालाबार की यह दूसरी बड़ी योजना थी। किन्तु वहां के सिंचाई मंत्री ने यह बताया है कि अब यह योजना छोड़ दी गई है। इससे मालाबार के लोगों को बड़ी निराशा हुई है।

मैं दो और छोटी-छोटी योजनाओं का सुझाव देना चाहता हूं। एक यह कि व्यानद तालुक में बहने वाली माननतोडी नदी का रुख मालाबार की ओर मोड़ा जाय। यह नदी मैसूर में जाकर कावेरी नदी से मिल जाती है। वहां उसके जल का इतना उपयोग नहीं है। इस नदी पर व्यानद तालुक में कहीं पर एक बांध बनाया जाना चाहिये तब इस नदी के जल का मालाबार के तालुकों में प्रयोग किया जा सकता है। दूसरी योजना कुरुरबरानाद तालुक में ऊराकज्ही विद्युत्-योजना के सम्बन्ध में है। इसी प्रकार त्रावन्कोर-कोचीन तथा मालाबार की सीमा पर पोंठुडी सिंचाई योजना तथा त्रावन्कोर-कोचीन के राज्य में इडुक्की जल-विद्युत् योजना पर भी विचार किया जाना चाहिये।

†**श्रीमती सुषमा सेन** (भागलपुर--दक्षिण) : मैं मंत्रालय को उसकी प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत प्राप्त सफलताओं के लिये बधाई देती हूं। इस मंत्रालय की आलोचना भी खूब की गई है और इसके सामने तरह-तरह की मांगें रखी गई हैं। किन्तु अधिकांश आलोचकों ने स्थानों पर जाकर कुछ नहीं देखा है वे केवल अंधाधुंध आलोचना में ही लगे रहे हैं ख़ास तौर पर दामोदर घाटी तथा हीराकुड बांध की योजना के सम्बन्ध में।

हीराकुड बांध का काम लगभग पूरा हो चुका है। अब उससे उद्योग के लिये विद्युत् और सिंचाई के लिये पानी मिलने ही वाला है। वहां पर समय से पहले ही कार्य पूरा हो रहा है। केवल इतना ही नहीं प्रत्युत वहां पर श्रमिकों की सुख सुविधाओं का भी विशेष ध्यान रखा गया है। उनके कल्याण के अधिकार की प्रत्येक प्रकार से रक्षा की गई है।

हां, दामोदर घाटी में अवश्य ही काम की गति कुछ धीमी है। मंत्रालय उसके लिये आवश्यक कार्यवाही कर रहा है। ९० प्रतिशत से अधिक मिट्टी का कार्य पूरा हो चुका है और ८०.५ प्रतिशत तक सीमेंट बांध का काम भी हो चुका है। इन परियोजनाओं से बिहार और बंगाल की समृद्धि बढ़नी शुरू हो गई है। अतः यह कहना ठीक नहीं है कि इनमें कोई लाभ नहीं हुआ है। दुर्गापुर बांध से सिंचाई की सुविधायें बढ़ गई हैं, इससे ३५०,००० टन अतिरिक्त अनाज उत्पन्न हो सकेगा। इसी प्रकार 'बोकारो' थर्मल स्टेशन से १,०५०,००० किलोवाट बिजली उत्पन्न हो रही है। तिलय्या हाइड्रो स्टेशन १९५२ में पूरा कर लिया गया था। और अब १९५८ तक पंचेत हिल बांध का काम भी पूरा हो जायेगा।

अब मैं भाखड़ा नांगल के बारे में कुछ कहना चाहती हूं। इससे पंजाब और पेप्सू की सूखी जमीनों को सिंचाई के लिये जल मिल रहा है। गंगवाल बिजली घर से ४८,००० किलोवाट बिजली मिल रही है। पिछले साल नवम्बर नंगल-हाईडल कनाल पर ६५० फुट ऊंचा बांध बांधने का काम शुरू किया गया है।

पिछले पांच सालों से सिंचाई तथा विद्युत् की परियोजनायों से देश की खाद्य उपज ६ करोड़ ५८ लाख टन तक पहुंच गई है जो कि निश्चित लक्ष्य ४२ लाख टन से अधिक है, इससे राष्ट्र का बहुत सा धन जो खाद्यान्नों के आयात में व्यय होता था बच गया है। बिजली के बढ़ जाने से ग्रामों तथा नगरों में रोजगार के कई नए मार्ग खुल गये हैं, इससे राष्ट्रीय अर्थ व्यवस्था काफ़ी दृढ़ हो गई है।

एक प्रश्न और बारम्बार पूछा गया है कि बाढ़ के नियन्त्रण के लिये किये गये उपाय कहां तक सफल हुए हैं; इसका विस्तृत विवरण तो बाद में पता लगेगा। किन्तु इस कार्य में शुरू

†मूल अंग्रेजी में

से लेकर १९५४–५५ तक जो प्रगति हुई थी उसका विवरण लोक-सभा के पटल पर रखा जा चुका है। उधर १९५५ में हमें बाढ़ों से बड़ा नुक्सान हुआ है। वास्तव में १९५५–५६ में हमारे बाढ़ सम्बन्धी कार्यों के लिये आज़माइश का वर्ष था। इसके उदाहरण के लिये मैं कोसी परियोजना को लेती हूं। यहां पर जनता बहु-प्रयोजनीय योजनाओं के बनाने में सहयोग दे रही है। इस कार्य में अतुल मिट्टी की आवश्यकता है। लोगों को बड़ा डर था कि इस बार भी बाढ़ में सब मिट्टी बह जायेगी। किन्तु इस नदी के किनारे मिट्टी के १८ मील लम्बे बांध ने ३·५ लाख एकड़ कृषि अधीन भूमि को बचाया। इसमें जनता के सहयोग ने हमें एक नया मार्ग दिखा दिया है जिसका हम द्वितीय पंचवर्षीय योजना में भी उपयोग कर सकते हैं। हमें राष्ट्रीय विकास के लिये श्रमदान को विशेष महत्व देना चाहिये। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का प्रारम्भ जनता से किया गया है। यह बड़ी खुशी की बात है। मुझे पूर्ण आशा है कि लोग इसमें स्वेच्छा से सहयोग देंगे और इस प्रकार श्रम पर किया जाने वाला बहुत-सा धन बच जायेगा। मैं माननीय मंत्री से अपील करती हूं कि जहां कहीं भी ये परियोजनाएं चल रही हैं वहां पर वह श्रमदान का संगठन करें। इस तरीके से बहुत से रुपये की बचत हो सकती है।

मुझे इस बात की भी बड़ी प्रसन्नता है कि मंत्रालय अब नदी घाटी परियोजनाओं के लिये श्रम-केन्द्र बनाने के प्रश्न पर भी विचार कर रहा है। इससे बेकारी की समस्या हल करने में बड़ी सहायता मिलेगी। क्योंकि लोगों को यह डर लग रहा है कि बड़ी-बड़ी योजनाओं के पूर्ण हो जाने पर वे बेकार हो जायेंगे। मैं इस मांग का पूरा समर्थन करती हूँ।

†**श्री आर० पी० गर्ग** (पटियाला) : श्रीमान्; माननीय सिंचाई तथा विद्युत् मंत्री ने जिस सुन्दर ढंग से अपने विचार सदन के समक्ष रखे हैं उसकी मैं सराहना करता हूं। प्रथम पंचवर्षीय योजना में सिंचाई तथा विद्युत् के सम्बन्ध में जो लक्ष्य निश्चित किये गये थे वह पूरे हुये हैं। हमें प्रसन्नता है कि डिब्रूगढ़ में बाढ़ तथा अन्य स्थानों पर बाढ़ रोकने की व्यवस्था सफल रही है। कोसी पर जनता के सहयोग से जो काम हो रहा है उसके लिये भी वह बधाई के पात्र हैं।

अनाज तथा कच्चे माल की पैदावार बढ़ाने के लिये यह आवश्यक है कि सिंचाई तथा विद्युत् परियोजनाओं की कार्यान्विति पूरी हो। दूसरी योजना के पूरे होने तक हम अपनी भूमि के केवल १९ प्रतिशत भाग की सिंचाई कर सकेंगे। इसी तरह ४५ लाख किलोवाट बिजली पैदा की जायेगी जबकि देश का संभाव्य सामर्थ्य लगभग चार करोड़ किलोवाट है। इससे स्पष्ट है कि हमें अभी दस और पंचवर्षीय योजनाओं की आवश्यकता है।

जहां तक नदी घाटी परियोजनाओं का सम्बन्ध है, प्रत्येक योजना के लिये अलग-अलग तरह की प्रबन्ध व्यवस्था है। भाखड़ा में एक बोर्ड है जो राज्य सरकार की दया पर रहता है। वहां कई नये अमरीकी इंजीनियरों को काम पर लगाया गया है जोकि हमारे अपने इंजीनियरों से कुछ अच्छे नहीं हैं। हमारे युवकों को वहां ट्रेनिंग का मौका भी नहीं मिलता है। वहां कुछ भ्रष्टाचार के मामले भी नज़र में आये हैं। माननीय मंत्री ने बताया कि उनकी जांच के लिये एक समिति नियुक्त की गई है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि उस में जनता के प्रतिनिधि भी लिये जायें उससे और भी भ्रष्टाचार के मामले सरकार की दृष्टि में आयेंगे।

दामोदर घाटी निगम के सम्बन्ध में मंत्री जी ने मान लिया है कि विलम्ब के कारण कुछ नुक्सान हुआ है। मुझे प्रसन्नता है कि हीराकुंड बांध मुकम्मल हो रहा है। परन्तु नहरें बनाने तथा पारेषण लाइनें लगाने में प्रगति असंतोषजनक है। इनके बनाने में अभी दो तीन वर्ष लगेंगे। उन्होंने बताया कि सहायक बांध अब फिर बनाया जा रहा है यद्यपि कुछ वर्ष पूर्व इसका निर्माण कार्य बंद किया गया था, मुझे पता नहीं कि उस समय इसे बंद करने तथा अब फिर इसे शुरू करने के कारण क्या हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**योजना तथा सिंचाई और विद्युत् मंत्री (श्री नन्दा)** : मैं इस बात को स्पष्ट करता हूं। यह मामला योजना आयोग के समक्ष आया। उस समय धन की कमी थी तथा प्रश्न था कि क्या हम उतना पैसा सहायक बांध पर खर्च कर सकते हैं। उस समय यह कहा गया कि उस बांध से जो शक्ति पैदा होगी, उसकी जल्दी ही आवश्यकता न पड़ेगी। इसीलिये, कुछ समय के लिये उसे छोड़ दिया गया था।

†**श्री आर० पी० गर्ग** : इंजीनियरों के अनुभवों का समन्वय करने के लिये कोई व्यवस्था नहीं। इसी तरह से फालतू टेक्नीकल कर्मचारियों तथा मशीनों आदि को दूसरे बांधों में उपयोग में लाने के लिये कोई व्यवस्था नहीं। उन्होंने कहा कि दूसरी परियोजनाओं के प्रबन्धकों को इस बारे में पूछा जा रहा है। किन्तु ऐसे काम नहीं चलेगा। इसके लिये पहले ही एक योजना बना के रखी जानी चाहिये थी। अन्यथा इस सारी मशीनरी में जंग लग जायेगा तथा यह बेकार हो जायगी।

इन परियोजनाओं को राज्य सरकारें क्रियान्वित करती हैं, किन्तु पैसा केन्द्रीय सरकार से मिलता है। इसका परिणाम यह होता है कि राज्य सरकारें अन्धाधुन्ध पैसा खर्च करती हैं।

जब तक कि केन्द्रीय सरकार इन बड़ी-बड़ी परियोजनाओं का कार्य भार अपने हाथ में नहीं लेगी, तब तक हम कीमती उपकरण तथा इंजीनियरों के अनुभव को कुशलतापूर्वक उपयोग में नहीं ला सकेंगे। निर्माण कार्य समाप्त होने पर केन्द्रीय सरकार को इनका संचालन तथा संधारण अपने हाथ में लेना चाहिये।

हम सम्बन्धित राज्यों को पानी तो नहरों के निकास-स्थानों पर तथा बिजली-घरों पर दे सकते हैं और फिर वे राज्य उस पानी और बिजली को विभिन्न वितरण कर्ताओं को दे सकते हैं।

मुझे इस बात की खुशी है कि विशेष प्रकार के कार्यों के निर्माण के लिये एक राष्ट्रीय निर्माण निगम को स्थापित करने का प्रयत्न किया जा रहा है। इससे प्रशिक्षित कर्मचारियों और भारी सामान को एक परियोजना से दूसरी परियोजना तक सुगमतापूर्वक पहुँचाया जा सकेगा।

यदि हम इन सभी परियोजनाओं को केन्द्रीय सरकार के अधीन सफलतापूर्वक चलाना चाहते हैं तो इसके लिये हमें इंजीनियरों का एक केन्द्रीय संवर्ग बनाना चाहिये। इसका कारण यह है कि इन केन्द्रीय कार्यों के लिये राज्यों से बुलाये गये इंजीनियर सच्ची लग्न से कोई काम नहीं करते। अतः इन कार्यों के लिये हमें एक केन्द्रीय संवर्ग बनाना ही पड़ेगा।

१९५४ के जल-बाढ़ों के बाद सरकार ने इन बाढ़ों को रोकने के लिये महान सराहनीय कार्य किये हैं। इस कार्य के लिये द्वितीय पंचवर्षीय योजना में ९५ करोड़ रुपये निर्धारित किये गये हैं; केवल इतना ही नहीं, इसके लिये तो एक १२ वर्षीय कार्यक्रम बनाया गया है जिस पर १७५ करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है। इसके बारे में मेरा यह सुझाव है कि इस कार्य को अधिमान दिया जाये, इसके लिये द्वितीय पंचवर्षीय योजना में १७५ करोड़ रुपये निर्धारित किये जायें और इसे इन पांच वर्षों में ही पूर्ण कर दिया जाये।

नदी बोर्डों के बारे में मेरा यह सुझाव है कि इन बोर्डों का क्षेत्र बढ़ा दिया जाये और उन्हें नदी सम्बन्धी सभी विकास योजनाएं तथा परियोजनायें सौंप दी जायें। वे बोर्ड इस बात का भी ध्यान रखें कि नदियों का पानी गंदा न हो जाये, अन्यथा फिर बीमारियां फैलने का डर रहेगा।

विद्युत् सम्भरण अधिनियम, १९४८ के अनुसार तो सभी राज्यों में विद्युत्-बोर्ड स्थापित किये जाने चाहियें परन्तु बहुत से राज्यों में वे अभी तक स्थापित नहीं हुये हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि उन्हें अभी तक स्थापित क्यों नहीं किया गया था ?

ग्रामों में बिजली लगाने के बारे में नियम तो यह कहते हैं कि जब तक वहां बिजली की अधिक खपत न हो, तब तक ग्रामों में बिजली नहीं लगायी जायेगी। एकदम खपत अधिक होना कठिन है क्योंकि

---

†मूल अंग्रेजी में

बिजली के सीमेन्ट के खंबे बड़े मंहगे पड़ते हैं। इसके बारे में मेरा सुझाव है कि खंबे लकड़ी के बना दिये जायें। उससे बड़े सस्ते पड़ेंगे। गावों को बिजली दिये बिना छोटे पैमाने के उद्योगों को विकसित न किया जा सकेगा।

अन्तिम बात मैं यह कहना चाहता हूं कि हमें अपने अन्तर्देशीय नौवहन को विकसित करना चाहिये। देश की नदियों की नौवहन सम्बन्धी भावनाओं का एक पूर्ण सर्वेक्षण किया जाये और कार्य एक दम प्रारम्भ कर दिया जाये। मैं समझता हूँ कि अन्तर्देशीय नौवहन का विकास तो परिवहन मंत्रालय का उत्तरदायित्व है और बाढ़ को रोकने का कार्य सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय का उत्तरदायित्व है। यदि अन्तर्देशीय नौवहन का कार्य भी सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय के अधीन आ जाये तो इससे कार्य शीघ्रता से ही हो सकेगा।

†**श्री टी० एन० सिंह** (ज़िला बनारस--पूर्व) : माननीय मंत्री ने पहले ही दुगना समय ले लिया है, इसलिये मेरा सुझाव है कि चर्चा के लिये एक घण्टा और दिया जाये।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : मंत्री महोदय तथा उपमंत्री महोदय द्वारा दो घण्टे से अधिक समय लिया जा चुका है। अतः यदि संभव हुआ तो सभा की अनुमति से मैं चर्चा के लिये एक घण्टे का समय और दे देने पर विचार करूँगा।

†**श्री एच० जी० वैष्णव** (अम्बड) : मैं इस मंत्रालय द्वारा किये गये शानदार कार्य के लिये उसे बधाई देता हूँ। इस मंत्रालय के सामने दो प्रकार के कार्य हैं। प्रथम है देश में सिंचाई और विद्युत् शक्तियों का परिगणन करना और दूसरा है परियोजनाओं का विभिन्न क्षेत्रों में उचित प्रकार से वितरण करना।

प्रथम कार्य तो वैज्ञानिक सा है और उसे विशेषज्ञ ही कर सकते हैं। प्रथम कार्य के हो जाने के बाद ही दूसरा कार्य किया जा सकता है। परन्तु सभी परियोजनाओं के विभिन्न राज्यों में समान रूप से वितरण की ओर पूरा ध्यान दिया जायेगा। जहां तक बड़ी-बड़ी परियोजनाओं का सम्बन्ध है, उन्हें तो वितरित नहीं किया जा सकता परन्तु फिर भी उनके सम्बन्ध में कुछ एक बातों का ध्यान रखना आवश्यक है।

उदाहरणार्थ, तुंग भद्रा परियोजना इस समय लगभग पूर्ण होने को है, परन्तु हैदराबाद के लोग उससे अभी तक पूरा लाभ उठाने की स्थिति में नहीं हैं। पानी तो तैयार है परन्तु अभी तक भूमि को ठीक तरह से तैयार नहीं किया गया है। विद्युत् परियोजना भी तैयार है परन्तु हैदराबाद राज्य उससे पूरा लाभ उठाने की स्थिति में नहीं है। यह तो एक प्रकार से बड़ी विद्युत परियोजना को व्यर्थ में गंवाना है। इसलिये हमें इस से शिक्षा लेनी चाहिये कि बड़ी-बड़ी परियोजनाओं को पूर्ण करने से पहले हमें अन्य सम्बन्धित बातों को तैयार कर लेना चाहिये ताकि उन परियोजनाओं से पूरा लाभ उठाया जा सके। इस सम्बन्ध में मैं हैदराबाद राज्य के मराठवाड़ा क्षेत्र के बारे में यह शिकायत करना चाहता हूं कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में उसे उपेक्षित कर दिया गया है। उसके विकास की ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। उसकी आबादी एक तिहाई है और राज्य के लिये निर्धारित किये गये ऋण धन का एक तिहाई उसे दिया जाना चाहिये था, परन्तु आंकड़े बताते हैं कि उस क्षेत्र पर केवल ६·५ प्रतिशत धन खर्च किया गया है। इसलिये योजना मंत्री के ध्यान में मैं यह बात लाना चाहता हूं कि उनकी जिम्मावारी केवल यही नहीं है कि वह राज्यों को कुछ राशि आवंटित कर दें अपितु उनकी यह भी जिम्मेवारी है कि वह देखें कि यह सारी राशि उस राज्य के अन्दर भी ठीक प्रकार से वितरित की गयी है।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना में हैदराबाद राज्य के लिये १०२ करोड़ रुपया आवंटित किया गया है। मराठवाड़ा क्षेत्र की आबादी तथा क्षेत्र के अनुपात की दृष्टि से उसे इस राशि का ३५ प्रतिशत या कम से कम ३३ प्रतिशत मिलना चाहिये। परन्तु इसके लिये केवल २० करोड़ रुपया निर्धारित किया गया है। मैं समझ नहीं सका कि इसका क्या कारण है। मैं मानता हूं कि वहाँ पर कोई बड़ी परियोजना

†मूल अंग्रेजी में

[श्री एच० जी० वैष्णव]

चलायी नहीं जा सकती तो भी वहाँ पर मध्यम रूप की सिंचाई सम्बन्धी परियोजनायें चलाई जा सकती हैं। हैदराबाद राज्य के प्राधिकारियों का तो यह कथन है कि क्योंकि हैदराबाद की तुंगभद्रा परियोजना पर अधिक धन लग गया है इसलिये मराठवाड़ा क्षेत्र को अधिक धन आवंटित नहीं किया जा सका है। तो भी हमें यह आश्वासन दिया गया है कि तेलंगाना क्षेत्र की कुछ एक छोटी और मध्यम प्रकार की परियोजनायें मराठवाड़ा क्षेत्र में चलाई जायेंगी। यदि ऐसा हुआ तो मराठवाड़ा में मध्यम प्रकार की चार या पांच नयी परियोजनायें प्रारम्भ की जायेंगी। तो इस प्रकार से हमारी कुछ कमी पूरी हो जायेगी।

यह तो उनका आश्वासन मात्र है। मैं कह नहीं सकता कि उसे पूर्ण किया जायेगा अथवा नहीं। सरकार यह कह कर अपने आपको बिल्कुल बचा लेगी कि उसने तो इसके बारे में योजना मंत्रालय को सिफारिश कर दी थी, परन्तु उसने स्वीकार नहीं किया है। हमें इसी बात की आशंका है। परन्तु मुझे खुशी है कि योजना मंत्री ने हमें यह बताया है कि वह इस योजना को स्वीकार करने में हमारी पूरी सहायता करेंगे।

नागार्जुन सागर परियोजना के लिये १२२ करोड़ रुपये निर्धारित किये गये थे और अब ८·६ करोड़ रुपया और बढ़ा दिया गया है। परन्तु मराठवाड़ा क्षेत्र में केवल एक ही परियोजना प्रारम्भ की गयी है जिसके लिये केवल ८ करोड़ रुपया आवंटित किया गया है। मेरी प्रार्थना है कि इस क्षेत्र में पेन गंगा नामक एक और परियोजना भी प्रारम्भ की जाये, तभी उस क्षेत्र के साथ न्याय किया जा सकेगा।

गोदावरी नदी के निचले भाग में परियोजना प्रारम्भ करने के लिये एक सर्वेक्षण किया जा रहा है। निचले भाग में परियोजना प्रारम्भ करने से मराठवाड़ा के लोगों को कोई लाभ न पहुँच सकेगा। मैं पूछना चाहता हूँ कि आप शाहगढ़ के निकट परियोजना क्यों नहीं प्रारम्भ करते ? वहाँ पर पानी भी काफ़ी है और उससे न ही केवल मराठवाड़ा अपितु बहुत से क्षेत्रों को लाभ पहुँचेगा।

ग्रामों में बिजली लगाने के बारे में यदि कोई बड़ी परियोजनायें प्रारम्भ नहीं की जा सकतीं तो पहले छोटी तथा मध्यम श्रेणी की ही प्रारम्भ कर दी जायें। मुझे आशा है कि इन सभी बातों की ओर पूरा ध्यान दिया जायेगा।

†**श्री कानावडे पाटिल** (अहमदनगर--उत्तर) : प्रथम पंचवर्षीय योजना में यह कहा गया है कि सिंचाई और विद्युत् योजनाओं के द्वारा अधिक कृषि उत्पादन तथा औद्योगिक विकास के लिये प्रयत्न किया जाये। हमने उस दिशा में पर्याप्त प्रगति की है। निःसन्देह योजना मंत्रालय ने सिंचाई और विद्युत् योजनाओं को सफल बनाने की ओर विशेष ध्यान दिया है। परन्तु इस सम्बन्ध में मैं शिकायत करना चाहता हूं कि महाराष्ट्र के कुछ एक सूखे क्षेत्रों की ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। वहाँ के सूखे ८ या ९ जिलों में हर चार-पांच वर्ष के उपरान्त भयंकर अकाल पड़ जाता है। तत्कालीन खाद्य और कृषि मंत्री स्वर्गीय श्री किदवाई ने तथा वर्तमान कृषि मंत्री, डा० पी० एस० देशमुख ने उस क्षेत्र का दौरा करने के उपरान्त यही सुझाव दिया था कि अकाल के खतरे को दूर करने के लिये उस क्षेत्र में कोई ठोस कार्यवाही की जाये हमारे प्रधान मंत्री ने भी उस क्षेत्र का दौरा करने के बाद स्थिति का अध्ययन करने के लिये राममूर्ति समिति नियुक्त की थी, और उस समिति ने भी यही सिफ़ारिश की थी कि उस क्षेत्र में स्थायी रूप से अकाल समाप्त करने के लिये कुकड़ी नदी परियोजना प्रारम्भ की जाये। परन्तु सरकार ने कुकड़ी परियोजना प्रारम्भ न करके छीद परियोजना प्रारम्भ कर दी है। कुकड़ी नदी में निकास-स्थान पर २५·० इंच वर्षा होती है, वह सारा वर्ष बहती रहती है, और सूखे क्षेत्रों में से हो कर बहती है। अतः वहाँ पर परियोजना प्रारम्भ करना अधिक हितकर सिद्ध होगा। अतः योजना आयोग से मेरी प्रार्थना है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में इस परियोजना को अधिमान दिया जाये।

†मूल अंग्रेजी में

मैं सरकार के प्रति कृतज्ञता प्रकट करता हूँ कि उसने मुला नदी परियोजना को द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित किया है सरकार ने तो उसके लिये ६ करोड़ रुपये निर्धारित किये थे परन्तु राज्य सरकार ने केवल ३ करोड़ रुपये ही आवंटित किये हैं। मेरा निवेदन है कि इस महत्वपूर्ण परियोजना को अधिमान दिया जाये और इसकी ओर विशेष ध्यान दिया जाये। इसके अतिरिक्त इस क्षेत्र में रंधा-भण्डार धारा जल-विद्युत परियोजना जैसी अन्य परियोजनायें भी चलाई जा सकती हैं और इसके लिये हमने योजना मंत्रालय से प्रार्थना की है। यहां पर बाकी सभी चीजें उपलब्ध हैं केवल एक विद्युत-संयंत्र लगाना पड़ेगा। उसके अतिरिक्त उस क्षेत्र में एक अधाला नदी परियोजना भी चलाई जा सकती है। उसकी ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया है, परन्तु उसके सम्बन्ध में भी अभी तक कुछ भी नहीं किया गया है। योजना मंत्रालय से मेरी प्रार्थना है कि वह इस महत्वपूर्ण परियोजना की ओर पूरा ध्यान दे। इससे सिंचाई और विद्युत् दोनों कार्यों में बड़ा लाभ होगा। अतः योजना मंत्रालय से यह प्रार्थना है कि इस महत्वपूर्ण परियोजनाओं को द्वितीय पंचवर्षीय योजनाओं में सम्मिलित करने के बारे में विचार किया जाये।

सरदार इकबाल सिंह (फाजिल्का-सिरसा): जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, खेती का, और किसान का पानी से ऐसा सम्बन्ध है कि जिससे मैं समझता हूं कि वह सबसे ज्यादा फायदा उठा सकता है। अगर इस काम को ठीक ढंग से चलाया जाये तो इससे किसान को बहुत फायदा हो सकता है लेकिन अगर इसको गलत ढंग से चलाया जाये तो इससे नुकसान भी बहुत हो सकता है। अगर किसान को किसी चीज़ की सबसे ज्यादा जरूरत है तो वह पानी की है, चाहे वह नहरों से मिले, चाहे कुओं के ज़रिये मिले, चाहे तालाबों के ज़रिये मिले। पानी मिलने पर ही उसकी खेती अच्छी हो सकती है। नन्दा जी पानी और बिजली के वजीर हैं और इनको किसानों से बड़ी हमदर्दी है। इनका महकमा किसानों को सबसे ज्यादा फायदा पहुंचाने वाला है। तालीम भी किसान के लिये ज़रूरी है लेकिन सबसे पहले तो पानी चाहिये ताकि उसकी खेती अच्छी हो सके और वह खुशहाल हो सके। पहली पंचवर्षीय योजना में किसान की भलाई के लिये जो काम किया गया है वह बधाई के काबिल है और जिस ढंग से तमाम देश में नहरों का जाल बिछाने की स्कीमें बनी हैं, चल रही हैं और आगे बनायी जा रही हैं उसको देखते हुये यह कहा जा सकता है कि इस देश के किसान का और इस देश का मुस्तकबिल (भविष्य) अच्छा है।

अब मैं पंजाब की तरफ आना चाहता हूं। वहां पर एक बहुत बड़ा डैम (बांध) बन रहा है जिसकी बाबत हिन्दुस्तान में और सारी दुनियां में चर्चा है। कंस्ट्रक्शन (निर्माण) के लिहाज से और जिस ढंग से वह प्लान किया गया है उस ढंग से यह कहा जा सकता है कि वह एक अजूबा चीज़ है जिस पर कि हिन्दुस्तान की आने वाली नस्लें मान कर सकेंगी और जिस पर कि हिन्दुस्तान के इंजीनियर मान कर सकेंगे। लेकिन जिस ढंग से उस बांध का काम चल रहा है उसको अगर कोई करीब से देखे तो उसको जो कुछ कहा जाता है और जो कुछ हो रहा है उसमें दिन और रात का फर्क मिलेगा। जिन इलाकों को इस डैम (बांध) से पानी मिलेगा उन इलाकों के किसानों से आप बैटरमेंट लेवी (सुधार शुल्क) लेंगे इसलिये अगर इस डैम (बांध) पर खर्चा कम होगा तो उसी हद तक उस इलाके के किसानों की बहतरी होगी।

मैं समझता हूं कि नन्दा जी और पंजाब के चीफ मिनिस्टर करप्शन (भ्रष्टाचार) के बहुत खिलाफ हैं। मैं समझता हूँ कि उनकी कोशिशों से इसमें बेहतरी होगी। पंजाब में एक सब कमेटी पिछले दिनों बनायी गयी है जो कि भाखरा डैम की जो नहरें बनी थीं उनके बारे में पड़ताल करेगी। मेरी मुअद्दबाना गुजारिश (निवेदन) है कि इस कमेटी का स्कोप (क्षेत्र) बढ़ाया जाये और इसको भाखरा डैम के सारे काम की पड़ताल करने का काम दिया जाये। जिन नहरों की यह पड़ताल करेगी वे तो सिर्फ १२ करोड़

[सरदार इकबाल सिंह]

की लागत से बनी है। लेकिन जो डैम है उस पर १०० करोड़ रुपया लगेगा और जो बिजली का काम होगा उस पर भी बहुत रुपया लगेगा। यह कमेटी सेमी जूडीशियल (अर्द्ध न्यायिक) होगी। अगर इसको पड़ताल करनी है तो सारे काम की पड़ताल करनी चाहिये और मालूम करना चाहिये कि कहां कहां करप्शन (भ्रष्टाचार) है। भाखरा डैम के काम का जहां तक ताल्लुक है उसके चारों तरफ एक आयरन करटेन (लौहावरण) लगी हुई है और यह कोशिश की जाती है कि जो वहां काम हो रहा है उसको ज्यादा से ज्यादा बन्द रखा जाये। आज जितनी मैशिनरी भाखरा डैम पर आइडिल (बेकार) पड़ी है उतनी मैं कह सकता हूं कि किसी और डैम पर आइडिल (बेकार) नहीं होगी। आज जितना वेस्टेज (व्यर्थ व्यय) भाखड़ा डैम पर हो रहा है मैं कह सकता हूं कि उतना और किसी डैम पर नहीं होता होगा। इसलिये मेरा कहना है कि उस कमेटी को सारे काम की पड़ताल करने का अख्तियार दिया जाये। अगर भाखड़ा डैम का काम अच्छी तरह हो रहा है तो इससे किसी को नुकसान नहीं होगा। लेकिन अगर वहां वाकै (वास्तव में) उतनी खराबियां हैं जितनी कि हम और आप सुनते हैं तो उनका पता चल जायेगा। उन पर कोई कवर (आवरण) नहीं होना चाहिये। इसलिये मैं चाहता हूं कि इस कमेटी का स्कोप (क्षेत्र) बढ़ाकर भाखड़ा डैम को भी उसके स्कोप (क्षेत्र) में शामिल कर दिया जाये ताकि जो आयरन करटेन (लौहावरण) है वह दूर हो जाये। वहां यह हालत है कि कुछ इंजीनियर जो कि वहां पहले काम कर चुके हैं कि जब वे वहां देखने गये तो उनसे कहा गया कि आप वहां जाकर नहीं देख सकते ताकि जो आदमी वहां काम कर रहे हैं उनका कोई नुक्स न निकाला जा सके। इससे ज्यादा और क्या हो सकता है कि जो आदमी वहां पहले काम कर चुके हैं उनको उस काम को देखने नहीं दिया जाता।

इसके साथ-साथ मैं एक बात और अर्ज़ करना चाहता हूं। वह यह कि कुछ कमेटियां भाखड़ा डैम के सिलसिले में बनी थीं जैसे कि हजमेडी कमेटी और रत्नम कमेटी। उनकी रिपोर्ट गवर्नमेंट को छापनी चाहिये ताकि जो बातें उन्होंने कही हैं वे सामने आवें चाहे वे बिजली के सिलसिले में हों, या डैम के कंस्ट्रक्शन (निर्माण) के सिलसिले में हों। अगर उनमें कोई नुक्स है तो वह पब्लिक (जनता) के सामने आना चाहिये। ऐसा करने से अगर कोई खराबियां हैं तो वे ठीक की जा सकेंगी। रत्नम कमेटी ने कहा है कि किसी जमाने में वहां ९० या ९७ लाख किलोवाट की मशीन लगी और कितनी बिजली पैदा हुई उसकी तादाद के सिलसिले में बहुत बातें हैं। पहले साल में डैम के कंस्ट्रक्शन (निर्माण) के सिलसिले में वहां से बहुत ज्यादा सामान उड़ाया गया। उसका नन्दा जी ने एक्सप्लेनेशन (स्पष्टीकरण) दे दिया और हमने उसको सच मान लिया। लेकिन सच बात यह है कि जब आप बिजली के प्रोग्राम को तबदील करते हैं तो मैं पंजाब के मुस्तकबिल (भविष्य) के बारे में सोचता हूं। मैं देखता हूं कि तीन लाख किलोवाट बिजली पंजाब को मिलेगी इसमें से डेढ़ लाख किलोवाट आपकी फर्टीलाइज़र फैक्टरी (उर्वरक कारखाना) और दूसरे कारखाने ले जायेंगे। पंजाब को डेढ़ लाख किलोवाट ही मिलेगी। उसमें से दिल्ली को भी देनी होगी। तो फिर पंजाब के लिये कितनी बचेगी। पंजाब में बड़ी बड़ी सनअतें (उद्योग) नहीं लगेंगी पर छोटी छोटी सनअतें लगेंगी। उनके लिये बिजली की ज्यादा जरूरत होगी। मैं समझता हूं कि पहले आप ५ जनरेटर (जनित्र) लगायेंगे और बाद में चार लगायेंगे। इसलिये मैं चाहता हूं कि जितनी कमेटियां बनायी गयीं हैं उनकी रिपोर्टें छापनी चाहिये ताकि हमको सारी बातें मालूम हो सकें।

दूसरे मैं यह कहना चाहता हूं कि आप पंजाब में सरहिन्द कैनाल फीडर (पूरक नहर) बना रहे हैं। आपने भाखरा डैम से जो नहरें पहले साल बनायी उनसे कोई तीन लाख एकड़ जमीन सैराब की गयी और इस साल ९ लाख एकड़ जमीन सैराब होगी। लेकिन जो कि हिसार का इलाका है, जहां कि तीन इंच से लेकर दस इंच तक ही वारिश होती है, वहां आपने एक हजार एकड़ की सिंचाई के लिये सिर्फ २.५ क्यूसेक्स पानी दिया है। यहां ज्यादा पानी की जरूरत है। अगर आप वैस्ट (पश्चिमी) पंजाब से मुकाबला

करें तो आप को मालूम होगा कि वैस्ट पंजाब में एक हजार एकड़ की सिंचाई के लिये ५ क्यूसेक्स पानी दिया जाता था । जब भाखड़ा डैम की नहरों का प्लानिंग किया गया था तो यह ख्याल था कि ज्यादा एरिया (क्षेत्र) सैराब होगा । लेकिन प्लानिंग करते वक्त यह बात सामने रखनी चाहिये कि उन नहरों के ज़रिये कितना पानी पहुंचाया जा सकेगा। जब एक बार प्लान हो जाता है और नहर बन जाती है तो फिर उसमें तबदीली नहीं हो सकती । इसलिये अब जबकि आप सरहिन्द कैनाल फीडर बना रहे हैं तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ ठीक प्लानिंग किया जाये ताकि जिस इलाके में यह पानी जाये वहां काफी सिंचाई हो सके। यह इलाका आपको लांग स्टेपिल काटन (लम्बे रेशे वाली कपास) दे सकता है। जिस इलाके में आबादी पांच आदमी या दस आदमी फी मील हैं वहां आप पानी देते हैं और जहां २०१ और ५०१ आदमी फी मील में रहते हैं वहां से आप नहरें ले जाते हैं पर उस इलाके को आप पानी नहीं देते । इसलिये मैं कहना चाहता हूँ कि अभी जब कि आप प्लान कर रहे हैं तो इस बात का ख्याल रखें कि एक हजार एकड़ के लिये २·५ क्यूसेक्स नहीं बल्कि पांच क्यूसेक्स पानी दिया जा सके । अगर आप इस इलाके में लाँग स्टेपिल काटन पैदा करना चाहते हैं तो आपको इतना पानी देना चाहिये । बाद में यह न कहा जाये कि अब तो स्कीम बन चुकी और अब तबदील नहीं हो सकती ।

इसलिये मैं यह कहना चाहता हूं कि आप जो अब एक नई नहर प्लान करना चाहते हैं तो उसको अगर आप उसी ढंग से प्लान करेंगे जैसे कि भाखड़ा के वक्त किया था तो उसका नतीजा वही होने वाला है जो पिछले साल देखने में आया कि करीब ३ लाख एकड़ इलाका सैराब नहीं हो सका क्योंकि ज़ाहिर है कि पानी का प्रेशर (दबाव) जब तक किसी इलाक़े में ज्यादा नहीं होगा, उस वक्त तक वह इलाक़ा सैराब नहीं हो सकता । इस सिलसिले में आपको वेस्ट पंजाब के जो एक्सपेरीमेंट्स (प्रयोग) हैं उनसे फायदा उठाना चाहिये ।

पिछले साल पंजाब में जो फ्लड्स (बाढ़) आये और उनसे जो तबाही और बर्बादी हुई वह हमारी लैक ऑफ प्लानिंग (आयोजन का अभाव) का नतीजा था । नहरों की सड़कें जैसी बनानी चाहियें थीं, वैसी नहीं बनाई गई और इसका नतीजा यह हुआ कि बाढ़ के कारण पंजाब में काफ़ी तबाही और बर्बादी हुई ।

बाढ़ के सिलसिले में हम देखते हैं कि पंजाब के बाढ़ वाले इलाक़े का टोपोग्रैफिकल सर्वे (तलरूप सर्वेक्षण) किया गया है और उसके मुताबिक मैं समझता हूं कि कोई ८५ लाख रुपये की फ्लड्स का मुक़ाबला करने की स्कीमें हैं। यह ८५ लाख रुपये की ग्रान्ट (अनुदान) में समझता हूं पूरे पंजाब और पेप्सू के अन्दर बाढ़ के संकट का मुकाबला करने के लिये नाकाफ़ी है और इस रक़म से बाढ़ का मुकाबला करने के लिये जो स्कीमें बनाई गई हैं, वे पूरी तरह चलाई नहीं जा सकेंगी और मैं उम्मीद करता हूं कि बाढ़ों का मुक़ाबला करने के लिये पंजाब को और ज्यादा ग्रांट दी जायेगी । और मैं उम्मीद करता हूं कि अगर और ज्यादा इस सिलसिले में पंजाब को ग्रांट दी गई तो वह आयन्दा बाढ़ से पैदा होने वाली तबाही और बर्बादी से अपने को बचा सकेगा ।

प्लानिंग, इरीगेशन एण्ड पावर (आयोजन, सिंचाई और बिजली) के सम्बन्ध में मैंने पिछली दफा भी कहा था और इस मर्तबा भी कहना चाहता हूं कि उसमें तीन, चार इंडिपेंडेंट (स्वतन्त्र) किस्म के कमिशन बनाने चाहियें और उनके ऊपर पावर कमिशन (अधिकार सम्पन्न आयोग) हो ताकि प्लानिंग, डिज़ाइनिंग, इंस्पेक्शन (आयोजन, रूपांकण, निरीक्षण) वगैरा का काम उन कमिशनों को सौंपा जाय और जहां तक कंस्ट्रक्शन का काम है वह चाहे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से करवायें, चाहे वह स्टेट गवर्नमेंट से करवायें और चाहे प्राइवेट एजेंसीज़ (ग़ैर-सरकारी अभिकरण) से करवायें। इंडिपेंडेंट कमिशन रिवरवाइज़ (नदीवार) हों जिनके कि हाथ में फ्लड कंट्रोल (बाढ़ नियंत्रण) का काम हो, जिनके कि जिम्मे

[सरदार इकबाल सिंह]
वहां के इरीगेशन (सिंचाई) का काम हो, इलेक्ट्रिफिकेशन (बिजली) का काम हो और बाकी तमाम कामों को देखें ।

एक आखिरी बात मैं रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन (गांवों में बिजली पहुंचाना) की बाबत कहना चाहता हूं। पंजाब में इस रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन की चर्चा तो बहुत सुनने में आती है लेकिन हम देखते हैं कि उसमें कोई खास प्रोग्रेस (प्रगति) नहीं हो रही है और जब डिस्ट्रिक्ट रूरल इलेक्ट्रिसिटी कमेटी (जिला ग्राम्य बिजली समिति) में किसी गांव को बिजली देने की बात उठाई जाती है तो हमसे कहा जाता है कि वहां पर बिजली नहीं दी जा सकती क्योंकि वहां पर बिजली का काफ़ी कंजम्पशन (खपत) नहीं है; मेरा कहना है कि अगर आप कंजप्शन की बिना पर गांवों में बिजली की सहूलियत देंगे तो रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन का आपका मक़सद (उद्देश्य) कामयाब होने वाला नहीं है । अगर आप गांवों में बिजली देते चले जायेंगे तो आप देखेंगे कि परचेजिंग पावर (क्रय शक्ति) बढ़ने के साथ-साथ उसकी खपत भी बढ़ेगी और देश की और तमाम चीज़ों की कंजम्पशन भी बढ़ेगी । लेकिन अगर आप गांवों में इस नुक्ते नज़र (दृष्टिकोण) से बिजली देने की सोचेंगे कि आया फलां गांव में उतनी बिजली की खपत भी है या नहीं तो गांवों में बिजली जल्दी नहीं पहुंच सकेगी । इसलिये आपको अपने इस नुक्तेनज़र को तबदील करना होगा और जल्दी से जल्दी देहातों में बिजली पहुंचानी होगी और जब तक देहातों में आप बिजली नहीं पहुंचायेंगे, देहाती इलाके खुशहाल और प्रोग्रेस (प्रगति) नहीं कर सकेंगे ।

जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं जो आपने मुझे स मौके पर अपने ख्यालात को जाहिर करने का चांस (अवसर) दिया ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : अभी मैं दो और सदस्यों को बोलने का अवसर देना चाहता हूं इसलिये माननीय मंत्री सवा चार बजे भाषण देंगे । श्री बंसीलाल को उनकी इच्छानुसार दस मिनट दिये जाते हैं ।

†**श्री बंसीलाल** (जयपुर) : कृपया लगभग दस से पन्द्रह मिनट दिये जायें ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : जब मैं माननीय सदस्य को बुलाना चाहता था उस समय वह अनुपस्थित थे । इसलिये अब उन्हें दस मिनट से अधिक समय नहीं दिया जा सकता है ।

†**श्री बंसीलाल** : यद्यपि भाखड़ा नंगल और चम्बल जैसी परियोजनाओं को प्रारम्भ करने के लिये, जिनका राजस्थान पर प्रभाव पड़ता है, मैं अपनी कृतज्ञता प्रकट करता हूं, तथापि मुझे खेद है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में और आय-व्ययक में भी कहीं पर राजस्थान राज्य के सूखे वाले क्षेत्रों की ओर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया है । हमें योजना मंत्री से बहुत आशा थी और उन पर विश्वास था कि वह भाखड़ा नंगल और चम्बल के अतिरिक्त राजस्थान के लिये अन्य परियोजनायें शुरू करेंगे । इन दोनों परियोजनाओं से राजस्थान के बहुत ही कम क्षेत्र को लाभ होगा ।

राजस्थान अभाव ग्रस्त क्षेत्र है । यदि आप हमें जल देंगे तभी हम आपका पोषण कर सकेंगे । हमारी भूमि उपजाऊ है, परन्तु वह सूखी और प्यासी है। पिछली कई शताब्दियों से हमारी भूमि प्यासी है और प्यास मिटाने के लिये वह बड़ी आशा से सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय की ओर और नन्दा जी की ओर देखती रही है ।

मैं एक और बात की ओर भी माननीय मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । १९४३ में जमुना नहर क्षेत्र के दायरे में राजस्थान का पूर्वी भाग आया था । राजस्थान की चम्बल और पार्वती नदियां इस क्षेत्र को जल देती हैं । परन्तु राजस्थान के पूर्वी भागों को चम्बल परियोजना या भाखड़ा नंगल परियोजना से कोई लाभ नहीं पहुंच सकता है ।

†मूल अंग्रेजी में

इसलिये मेरा निवेदन है कि राजस्थान के पूर्वी जिलों को जमुना नहर से पानी दिया जाय। १९५३ में उत्तर प्रदेश सरकार ने जमुना नहर के मील संख्या ६९ पर एक छोटी नहर हमें देना स्वीकार किया था। लागत भी मालूम कर ली गई थी और लगभग ६ लाख रुपये से कार्य प्रारम्भ किया गया था परन्तु अब मुझे बताया गया है कि लागत बढ़ कर लगभग ७६ लाख रुपये हो गई है। तब भी मैं यह कहना चाहता हूं कि इस परियोजना पर कार्य करना लाभप्रद होगा क्योंकि इस नहर से भरतपुर से जयपुर और धौलपुर तक, पूर्वी जिलों की एक चिर आशा पूरी हो सकेगी और इन क्षेत्रों को पानी मिल सकेगा।

एक बात और मैं यह कहना चाहता हूं कि यदि हमें केवल १५ जुलाई से १५ अक्तूबर तक ही पानी दिया जाय, जो बाढ़ के महीने हैं और जब बहुत सा पानी समुद्र में बेकार जाता है, तो हमारा उद्देश्य तब भी पूरा हो जायेगा। इन महीनों में हमें पानी देने से भूमि के एक बहुत बड़े क्षेत्र को कृषि योग्य बनाया जा सकेगा।

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय का कार्य बहुत ही महत्वपूर्ण है, बाढ़ नियन्त्रण चाहे मानव के बस की बात न हो परन्तु अकाल पर नियन्त्रण किया जाना सम्भव है। यदि स्वतन्त्रता के पश्चात भी देश के किसी भाग में अकाल पड़े और लोग भूख से मर जायें तो निश्चय ही यह बात सरकार के लिये शोभनीय नहीं है।

इसलिये चाहे पंचवर्षीय योजना हो या कोई अन्य योजना—न केवल बाढ़ नियन्त्रण पर बल्कि बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों की सहायता के लिये भी पर्याप्त ध्यान दिया जाना चाहिये और राजस्थान भी एक ऐसा ही क्षेत्र है। एक ऐसी योजना प्रारम्भ की जानी चाहिये जिससे कि 'अकाल' शब्द को लोग भूल जायें। हमारे पास पर्याप्त मात्रा में भूमि है और हमें केवल पानी की आवश्यकता है।

इन दोनों बड़ी परियोजनाओं के अतिरिक्त सिंचाई की अन्य छोटी परियोजनायें शुरू की जा सकती हैं। राजस्थान की भूमि उपजाऊ है और ऊसर भूमि हरियाली भूमि में परिवर्तित हो सकती है।

मैं जन सहयोग की भी चर्चा करना चाहता हूं। भारत सेवक समाज चम्बल परियोजना को पूरा करने में जो सहायता दे रहा है वह प्रशंसनीय है। यदि भाखड़ा नंगल और अन्य परियोजनाओं में भी यही कदम उठाया जाये तो काफी रुपये की बचत होगी। इसके साथ ही श्रमिकों में यह भावना भी जाग्रत होगी कि वे देश के लिये कुछ कर रहे हैं। ठेकेदारों का शोषण भी समाप्त हो जायगा। इसलिये सहकारी संस्थाओं के द्वारा या भारत सेवक समाज जैसी अन्य संस्थाओं द्वारा भाखड़ा नंगल और अन्य परियोजनाओं में भी श्रमिकों का उपयोग किया जाना चाहिये।

हमारी सभी आशायें भाखड़ा नंगल परियोजना से सम्बद्ध हैं इसलिये इस पर शीघ्रता से कार्य किया जाना चाहिये।

इन सभी परियोजनाओं के लिये सीमेंट की आवश्यकता है। इस समय सीमेन्ट उद्योग का राष्ट्रीयकरण नहीं हुआ है। बहुत-सा धन सीमेन्ट के कारखानों के स्वामियों के हाथों में जाता है। इसलिये यदि हमें निश्चित समय में इन परियोजनाओं को पूरा करना है तो उन सभी उद्योगों का राष्ट्रीयकरण आवश्यक है जिनके द्वारा उत्पादित सामग्रियों इन परियोजनाओं के लिये अपेक्षित है। राष्ट्रीयकरण से बहुत सा रुपया बचाया जा सकता है।

ग्राम्य विद्युतीकरण के सम्बन्ध में मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि जब तक गांवों में बिजली नहीं पहुंचाई जाती तब तक देश को विद्युतीकरण से कोई लाभ नहीं हो सकता है। राजस्थान को भी इससे कोई लाभ नहीं हुआ है। उसे अन्य मंत्रालयों से भी कोई लाभ नहीं हुआ है। इसलिये मैं

[श्री बंसीलाल]
निवेदन करता हूं कि यदि कोई बंटवारा किया जाये तो राजस्थान को ग्राम्य विद्युतीकरण योजना में उचित अंश मिलना चाहिये ।

श्री भागवत झा ग्राजाद : माननीय उपाध्यक्ष जी, इस सदन में मुझे बहुत कम अवसर मिलते हैं जब मैं माननीय मंत्री जी की रिपोर्ट पर अपनी सहमति प्रकट कर सकूं । लेकिन मुझे प्रसन्नता है कि आज ऐसा अवसर मिला है कि मैं इस मंत्रालय के सम्बन्ध में. . . . .

एक माननीय सदस्य : आपको हमेशा अवसर मिलता है ।

श्री भागवत झा आजाद : आपने समझा नहीं कि मैंने किस चीज के लिये कहा था कि मुझे अवसर नहीं मिलता ।

उपाध्यक्ष महोदय : आप मुझे समझाने का यत्न करें, मैं समझ रहा हूं ।

श्री भागवत झा आजाद : कभी-कभी मैं अपने मित्रों की खबर लेना चाहता हूं । लेकिन आज मुझे एक ऐसा अवसर मिला है जिस समय मैं निस्संकोच कह सकता हूं कि इस मंत्रालय ने जो कार्य किया है वह अभूतपूर्व है और प्रशंसनीय है । मुझे याद है आज से दो साल पहले के वे दिन जब मैं इस सदन के उन सदस्यों में था जिन्होंने इस मंत्रालय की कटु आलोचना की थी । उस समय वह जमाना था जब सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय के साथ हीराकुंड और डी० वी० सी० के रहस्यपूर्ण कार्य चल रहे थे । यद्यपि आज हीराकुंड ने जो उन्नति की है वह बहुत अच्छी है, लेकिन डी० वी० सी० के कार्य के सम्बन्ध में मैं पूरी तरह सहमत नहीं हूं कि वहां भी इस तरह से कार्य किया जा रहा है । लेकिन दस मिनट के समय में मैं पूर्ण रूप से इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कह सकता हूं । फिर भी इतना अवश्य कह सकता हूं कि जो कार्य इस देश में किया गया है और विभिन्न नदी घाटी योजनाओं ने इस देश के रूप को जो बदला है, वह प्रशंसनीय और सराहनीय है । लेकिन प्रशंसा के इन शब्दों के साथ-साथ मैं माननीय मंत्री जी का और मंत्रालय का ध्यान कुछ दूसरी बातों की ओर आकर्षित करना चाहता हूं ।

सबसे प्रथम मैं यह कहूंगा कि इस मंत्रालय ने हमारे समाजवादी समाज की स्थापना को एक रूप दिया है और वह रूप आज कोसी में चल रहा है । मैं पिछले साल इस सदन के अपने कुछ सदस्यों के साथ वहां गया था । वहां पर जो कुछ मैंने देखा, उसके बाद आज जो कुछ देख चुका हूं, दोनों में काफी अन्तर है और मेरी यह निश्चित राय है कि आज कोसी में जनसहयोग के कार्य में जो सफलता हुई है उस सफलता को देश की अन्य नदी घाटी योजनाओं में भी लागू करना चाहिये । कोसी ने इरीगेशन (सिंचाई) मंत्रालय को एक चुनौती दी है, उसने भारत सरकार को चुनौती दी है और वह चुनौती यह है कि जब कि आप अपनी अन्य जगहों में इस काम को बहुत काफी रुपया खर्च करके कर रहे थे ठेकेदारों और मध्य वर्गों के द्वारा, उस समय कोसी के जनसहयोग ने और भारत सेवक समाज ने इस मंत्रालय, नन्दा साहब और हमारे हाथी साहब तथा केन्द्रीय सरकार के अफसर दोस्तों को अपने कार्य से चकित कर दिया है । मैं बतला सकता हूं कि जबकि हमारे सामने ठेकेदारों ने प्रस्ताव किये थे कि प्रत्येक घनफुट काम के लिये ४१ रु० ८ आ० लेंगे उस वक्त हमारे भारत सेवक समाज ने हर घन फुट के लिये ६-७ रु० कम बतलाया । जिसका परिणाम यह हुआ कि कोसी में करोड़ों रुपयों की बचत हो गई । मेरा ऐसा अनुमान है और विश्वास है कि अगर हम इस जन सहयोग से कुछ स्थानों पर कार्य करेंगे तो हमारे देश में जब कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के लिये काफी रुपये की आवश्यकता है, काफी खर्च की जरूरत है, हम काफी रुपये की बचत कर सकते हैं, बशर्ते हम ठीक तरह से कामों को चलायें । जब इस साल कोसी में काम को हाथ में लिया गया तो ठेकेदारों ने पिछले साल की अपेक्षा ३५, ४० प्रतिशत अधिक मांगे । लेकिन यह भारत सेवक समाज ही है जिसने यह कहा

कि हम उसी दर पर इस काम को करने के लिये तैयार हैं और उसके फल स्वरूप वहां के ठेकेदारों को बहुत कम काम मिला। इस प्रसंग को मैं यहां बहुत विस्तृत रूप में नहीं कहना चाहता हूं लेकिन यह जरूर कहना चाहूंगा कि यह हमारी चुनौती है विद्युत् मंत्रालय और सिंचाई मंत्रालय के लिये कि वह इस कार्य को जनसहयोग से और अधिक करें। यहां पर मैं अपने मंत्री जी और अफसर दोस्तों से एक बात और भी कहना चाहता हूं कि अगर आप इस काम को करना चाहते हैं तो कम से कम एक क्लास (कक्षा) ऐसा जरूर खोलें स्टडी सर्किल (अध्ययन मंडल) के तौर पर जिसमें आप ऐडमिनिस्ट्रेटर्स (प्रशासकों) वगैरह को पब्लिक कोआपरेशन (जनसहयोग) के ऊपर लेक्चर दें क्योंकि उन का रूप, उनका ढंग, उनकी रवानी और उनकी जवानी की एक अजीब कहानी है। उन्हें यह नहीं मालूम कि जनसहयोग क्या चीज है, वह इसको समझते नहीं हैं। लेकिन हमारे नन्दा जी और केन्द्रीय मंत्रालय के दोस्तों ने जिन्होंने इसको समझा है, वह इस को कह सकते हैं कि कोसी के अन्दर वह कार्य बड़े सुन्दर रूप में हो रहा है और उन अफसरों को जिनके दिमाग में जनसहयोग की बात आती नहीं थी, वह अब आने लगी है। समाजवादी समाज की स्थापना अगर हम करना चाहते हैं तो उसका रूप वहां जहां हम १०० रुपये में ९३ रु० मजदूरों को देते हैं, उन मजदूरों को जोकि फावड़ा चलाते हैं, जो खून पसीना एक कर के कोसी एरिया (क्षेत्र) में रहने वाले लोगों को बाढ़ से बचाने की कोशिश कर रहे हैं। आज हम देखते हैं कि युगोस्लाविया में, रूस में मजदूरों को सैकड़े में ९० रुपये नहीं मिलते हैं, ९३ रुपये नहीं मिलते हैं। इस वास्ते अगर आप इस देश में फंड्स (निधि) बढ़ाना चाहते हैं, जनसहयोग को बढ़ावा देना चाहते हैं, ग्रामीण नेतृत्व पैदा करना चाहते हैं तो एक और चीज को लागू कीजिये। आपको नौजवान दोस्तों की सलाह लेनी चाहिये, ललित नारायण मिश्र जैसे अनुभवी व्यक्तियों की सलाह लेनी चाहिये, उन लोगों की सलाह लेनी चाहिये जिन्होंने जनता की सेवा की है और जिनका जनता के साथ सम्पर्क अभी भी बना हुआ है, न कि इन अफसरों से फाइलों पर सजेशंस (सुझाव) मांगने चाहियें।

अब आपने यह कहा है कि एक नैशनल कंस्ट्रकशन कार्पोरेशन (राष्ट्रीय निर्माण निगम) स्थापित होनी चाहिये। मैं इस सुझाव का स्वागत करता हूं और मैं पहले से यह कहता आया हूं कि इस प्रकार की कोई कार्पोरेशन बनाई जानी चाहिये। यदि इस सुझाव का कोई स्टेट (राज्य) विरोध करती है, या किसी स्टेट ने इसका विरोध किया है, तो हमें उस स्टेट की परवाह नहीं करनी चाहिये। इस मामले को हमें परसू (अनुसरण) करना चाहिये और जल्दी ही इस कार्पोरेशन को स्थापित करना चाहिये। यह बहुत आवश्यक है और इस कार्य पर जोर दिया जाना चाहिये। ऐसी कार्पोरेशन स्थापित करके हम इस बात का आसानी से पता लगा सकेंगे कि टैक्नीकल परसौनल (कर्मचारियों) के प्रशिक्षण की हमारे देश में कहां तक आवश्यकता है और हमारी जितनी भी नदी घाटी योजनायें हैं उनमें हम किस प्रकार से प्रशिक्षण प्राप्त व्यक्तियों को भेज सकते हैं। ऐसी कार्पोरेशन बना कर आप ऐसे लोगों का एक पूल (संग्रह) तैयार कर सकेंगे और उनको इन नदी घाटी योजनाओं में काम करने के लिये भेज सकेंगे। इस वास्ते इस योजना को जल्दी ही साकार रूप दिया जाना चाहियें।

मैं अब आपका ध्यान एक और चीज की तरफ दिलाना चाहता हूं। आज से दो साल पूर्व मैंने और श्री एल० एन० मिश्र ने आपका ध्यान इस ओर आकर्षित किया था कि जितनी भी ऐसी स्कीमें हों जिन पर पांच लाख से ज्यादा खर्च होने का अनुमान लगाया गया हो उनके बारे में केन्द्रीय सरकार को राज्य सरकारों को सलाह देनी चाहिये। ऐसी स्कीमों को राज्य सरकारों के हाथों में ही नहीं छोड़ दिया जाना चाहिये। उनके लिये यह जरूरी कर दिया जाना चाहिये कि वे आप से सलाह लें। आपने इस चीज को इस ढंग से माना है कि १० लाख के ऊपर की जितनी भी स्कीमें हों उनके बारे में आपकी सलाह ली जानी जरूरी है। लेकिन मेरी शिकायत यह है और यह एक बहुत बड़ी शिकायत

[श्री भागवत झा आजाद]

है कि आपने यह जो चीज रखी है यह केवल कागजों पर ही रखी है, फाइलों पर ही रखी है, इसको आप व्यवहार में नहीं लाते हैं। मैं आपके सामने कुछ मिसालें पेश करना चाहता हूं। मैं बिहार राज्य के संथाल परगना का रहने वाला हूं। संथाल परगना की आबादी २३ लाख के करीब है। इन २३ लाख लोगों में से १० लाख वे संथाली हैं जो कि पहाड़ी इलाकों में रहते हैं और जिनके पूर्वजों की कुरबानियों के कारण आज आप यहां पर इन गद्दियों पर बैठे हुये हैं। उस इलाकों के लिये कुसुम घाटी और झमरिया नाम की यह दो योजनायें बनाई गई थीं। इन योजनाओं को अभी तक कार्य-रूप नहीं दिया गया है। इन दो योजनाओं को हाथ में लेने की वहां के लोगों की मांग बहुत पुरानी है। इन पर ७३ लाख रुपया खर्च होने का अनुमान लगाया गया था। लेकिन आपके इरीगेशन डिपार्टमेंट (सिंचाई विभाग) ने जिसको मैं एक बहुत बड़ा प्रतिक्रियावादी डिपार्टमेंट कहूंगा, उसने राजनीति की दलदल में फंस कर इन योजनाओं को कार्य-रूप में परिणत नहीं होने दिया इसको मैं आपके इंजीनियर्ज के लिये एक शर्म की बात कहता हूं।

श्री एल० एन० मिश्र (दरभंगा व भागलपुर) : कहां के इंजीनियर्ज ने ?

श्री भागवत झा आजाद : बिहार सरकार के इंजीनियर्ज ने। तो मैं यह कह रहा था कि वहां के इंजीनियर्ज ने इन योजनाओं को कार्यरूप में परिणत नहीं होने दिया और इसका कारण यह था कि वे राजनीति की दल-दल में फंस गये थे।

अन्त में मैं एक बात और कहना चाहता हूं, और यह बात मैं नन्दा जी से कहना चाहता हूं। नन्दा जी आप तो इस गद्दी पर किसी की सिफारिश से नहीं बैठे हुये हैं यह मंत्रित्व आपको किसी ने ऐसे ही नहीं दे दिया। इस जगह पर आपको जनता ने विभूषित किया है और आपको जनता की आवाज को पहचानना चाहिये और उसके मुताबिक चलना चाहिये। आज लोग कहते हैं, हमें रुपया चाहिये, हमें स्कीमें चाहियें, मगर मैं आप से कहता हूं कि मुझे यह जो सुन्दर घाटी योजना आपने बनाई है, यह नहीं चाहिये, इसके लिये पैसा नहीं चाहिये। यह मेरी आवाज नहीं है, यह जनता की आवाज है, इस स्कीम को जनता चालू नहीं होने देगी। जो दो प्राजैक्ट्स (परियोजनायें) मैंने अभी बताई हैं, उनको हाथ में लिया जाना चाहिये।

अन्त में मैं भाखड़ा नंगल, हीराकुड इत्यादि यह जो तीर्थ स्थान बनाये गये हैं, इनका मैं स्वागत करता हूं और स्वागत करते हुये एक कपलेट (पद) पढ़कर सुनाना चाहता हूं,

भाखड़ा नंगल की अपरिमित शक्ति तुम्हारे हाथ है
और देश की कोटि कोटि जनता से तेरा साथ है।
मयूराक्षी, पागल दौड़ी, कोई न रहे कंगाल
लो, बिहार का सन्देशा मैं लायी हूं बंगाल
मैं सिचूंगी भूमि तुम्हारी, अन्न बढ़ेगा
बड़ा हर्ष है, बड़ा गर्व है,
नई योजना, नया सत्र है।

†**श्री नन्दा** : सभा ने मुझे यह अवसर प्रदान किया है कि मैं चर्चा के प्रारम्भ में पिछले वर्ष में सिंचाई विद्युत् और बाढ़ नियंत्रण के क्षेत्र में हुये कार्य एवं प्रगति का एक संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत करूं। मैं विश्वास करता हूं कि यह विवरण क्रियान्वित, अर्थात् वित्तीय व्यय और परिणामों अर्थात् मूर्त्त प्रगति दोनों ही पहलुओं से सन्तोषजनक है। किन्तु पिछले एक-दो वर्षों के निरन्तर प्रयास को जारी रखने के अलावा हमने जो अधिक महत्व का काम किया है वह है आधारभूत सुधारों पर ध्यान देना, यथा, संगठन, कार्य प्रक्रिया, मशीनों तथा काम करने के तरीकों में सुधार।

†मूल अंग्रेजी में

मुझे प्रशंसा, अत्यधिक प्रशंसा के वे शब्द जो कि सर्व सम्मति से कहे गये हैं—कहना चाहिये कि (किसी ने भी इनका विरोध नहीं किया) याद हैं; लेकिन इससे, मैं यह नहीं समझ लूंगा कि सब कुछ बिल्कुल ठीक है। यह कभी नहीं हो सकता है। जिस कार्य का दायित्व मेरे तथा मेरे कई सहयोगियों के ऊपर है, हम उसे यथाशक्ति पूरा करने का भरसक प्रयत्न कर रहे हैं किन्तु सबसे अधिक मैं ही इस बात को जानता हूं और इस बात से अवगत हूं कि यह पूर्ण नहीं कहा जा सकता है। इसमें कई ज्ञात अथवा अज्ञात त्रुटियां रह गई हैं। यद्यपि पर्याप्त सुधार किया गया है किन्तु मैं जानता हूं कि अभी बहुत सुधार की गुंजायश है। मैं ऐसा इसलिये कहता हूं कि मैं, जो काम हो रहा है, उसके घनिष्ठ सम्पर्क में हूं।

मुझे यह भी अनुभव हुआ है कि यथाशक्ति प्रयत्न करने पर भी पूर्ण और सर्वोत्तम फल मिलना सम्भव नहीं होता है क्योंकि स्थिति बहुत जटिल होती है और एक विशेष नतीजे पर पहुंचने के लिये विभिन्न परिस्थितियों का सहयोग आवश्यक होता है। यह विश्वास करना सदैव सम्भव नहीं होता है कि सभी चीजों का सभी स्थानों पर सर्वोत्तम रीति से समन्वय होगा और संगठन के सभी आप उचित रीति से उपयुक्त समय पर सहयोग करेंगे। इसलिये जो कुछ हम चाहते व आशा करते हैं वह सदैव पूरा नहीं होता है।

लेकिन मैं अपने मंत्रालय के सम्बन्ध में कह रहा हूं। मैंने एक पाठ यह भी सीखा है कि किसी को यह विश्वास नहीं करना चाहिये कि उसे सर्वोत्तम और पूर्ण परिणाम प्राप्त हो जायेंगे। क्योंकि किसी एक क्षेत्र में किये जाने वाले कार्यों के परिणामों पर समस्त राष्ट्र के स्तर पर किये जाने वाले कार्यों का भी प्रभाव पड़ता है। फिर भी जहां तक मेरा सम्बन्ध है, मेरा कर्तव्य है कि हम इस आशा से यथाशक्ति प्रयत्न करें कि यदि एक व्यक्ति एक स्थान पर कुछ सुधार कर सकता है, कुछ अच्छे सन्तोष-जनक परिणाम प्राप्त कर सकता है, तो यह भी अन्य क्षेत्रों में राष्ट्र निर्माण का ही एक भाग है।

मैं चर्चा के आरम्भ में आलोच्य वर्ष के सम्बन्ध में कुछ जानकारी दे चुका हूं और मैंने सभा को पंचवर्षीय योजना सम्बन्धी कुछ और जानकारी देने का वचन दिया था। देश के आयोजित विकास में सिंचाई और विद्युत् का अपना महत्व है। विशेषतः हमारे जैसे देश में सिंचाई और विद्युत् का विकास अत्यन्त आवश्यक है। सिंचाई की आवश्यकता इस लिये है कि हमें अधिक भोजन और निर्यात के लिये कच्ची सामग्री और वस्तुओं की आवश्यकता है जो कि हमारे लिये विदेशी मुद्रा उपार्जित करेंगी, और विद्युत् की आवश्यकता, जैसा कि कई माननीय सदस्यों ने कहा है इसलिये है कि वह हमारे विकास और औद्योगिक प्रगति के लिये अनिवार्य है। इसलिये हमें अपना अधिक से अधिक ध्यान इस ओर देना चाहिये। मैं इस क्षेत्र में जो कुछ किया जा रहा है, अथवा किया गया है उसके सम्बन्ध में कुछ जान-कारी दूंगा।

हमें प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि के लिये ५५८ करोड़ रुपये दिये गये थे। योजना की अवधि के दौरान में अतिरिक्त व्यय और समायोजन के रूप में ८४ करोड़ रुपये और दिये गये। इसलिये कुल राशि ६४२ करोड़ रुपये होती है। इस अवधि में कुल व्यय ५९४ करोड़ रुपये हुआ अर्थात् ९२·६ प्रतिशत। योजना के पहले वर्ष में कुल का १२·८ प्रतिशत कार्य हुआ तथा अन्तिम वर्ष में २५·५ प्रतिशत। इस प्रकार प्रगति १०० से २०० अर्थात् दूनी हुई। यह सारे देश के आंकड़े हैं। बहु प्रयोजनीय परियोजनायें, जिनके लिये केन्द्र प्रत्यक्ष रूप में उत्तरदायी है—अर्थात् केन्द्र द्वारा प्रबन्धित परियोजनाओं— के लिये २२४ करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई और व्यय २२९ करोड़ रुपये हुये। इस प्रकार वे पूर्णतः क्रियान्वित हुये। नई परियोजनाओं में आलोच्य वर्ष में तथा पंचवर्षीय योजना के दौरान में उनके लिये निश्चित राशि उन कारणों से व्यय नहीं की गई है जो कारण मैं अभी आपको

[श्री नन्दा]
बतला चुका हूं, यथा, प्रारम्भिक और प्राथमिक कार्य में बहुत समय लग जाना और मेरे विचार से यह उपयुक्त ही है ।

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुये]

कुल ३० करोड़ रुपये दिये गये थे, जिनमें से १८·५३ करोड़ रुपये व्यय हुये । राज्यों में ३४६ करोड़ रुपये व्यय हुये जबकि कुल व्यवस्था ३८८ करोड़ रुपये की गई थी, अर्थात् ८९·७ प्रतिशत व्यय हुआ । प्रगति इस प्रकार है । हमारा लक्ष्य ८५ लाख एकड़ भूमि की सिंचाई की व्यवस्था करना था । विद्युत् के मामले में लक्ष्य १२ लाख किलोवाट बिजली की व्यवस्था करना था । इसमें से ७० लाख एकड़ भूमि की सिंचाई की व्यवस्था की गई और १० लाख किलोवाट विद्युत् पैदा की गई । जैसा कि मैं कह चुका हूं हम आगामी तीन-चार वर्षों में पैदा की जाने वाली २ लाख किलोवाट बिजली को भी जोड़ें तो हम कह सकते हैं कि प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान में सिंचाई ५०० से बढ़ कर ६७० लाख एकड़ में होने लगी है अर्थात् ३४ प्रतिशत वृद्धि हुई है और विद्युत् २३ से बढ़कर ३४ लाख किलोवाट हो गई है अर्थात् ४३·५ प्रतिशत की वृद्धि हुई है । विद्युत् की प्रति व्यक्ति उत्पादन क्षमता १४·१ किलोवाट घंटों से बढ़कर २३·५ किलोवाट घंटे हो गई है, अर्थात् उसमें ६७ प्रतिशत वृद्धि हुई है । यह आंकड़े प्रथम पंचवर्षीय योजना के सम्बन्ध में हैं ।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना में ८९८ करोड़ की व्यवस्था है, जिसमें सिंचाई, विद्युत्, बाढ़ नियंत्रण, जांच पड़ताल व गवेषणा इत्यादि शामिल हैं । प्रथम पंचवर्षीय योजना की अपेक्षा इसमें ३५·९ प्रतिशत अधिक व्यवस्था की गई है । इसमें बड़ी और बिचली योजनाओं से १२० लाख एकड़ को, और छोटो योजनाओं से, जिनका व्यय इसमें सम्मिलित नहीं है, ९० लाख एकड़ भूमि—अर्थात् कुल २१० लाख एकड़ भूमि को लाभ पहुंचाने की आशा है, इसका तात्पर्य यह है कि कुल २९·५ प्रतिशत की वृद्धि हो जायेगी । विद्युत् के मामले में लाभ इस प्रकार होगा : प्रथम पंचवर्षीय योजना में यह २३ लाख से बढ़कर ३४ लाख किलोवाट हो गई और दूसरी पंचवर्षीय योजना में यह ३४ लाख किलोवाट और बढ़ जायेगी । अर्थात् द्वितीय पंचवर्षीय योजना की अवधि में इसमें शत प्रतिशत वृद्धि होने की आशा है । बिजली की प्रति व्यक्ति उत्पत्ति के सम्बन्ध में यदि हम १९५१ के आंकड़ों को १०० मानें तो १९५६ में यह उत्पत्ति १६६·७ और १९६१ में ३५४·६ हो जायेगी, अर्थात्, २५४ प्रतिशत की वृद्धि हो जायेगी । सामान्य रूप से द्वितीय पंचवर्षीय योजना की यह स्थिति है ।

इस सारी अवधि के सम्बन्ध में, मुझे माननीय सदस्यों द्वारा विकास के कई पहलुओं तथा अन्य प्रवृत्तियों के सम्बन्ध में उठाये गये प्रश्न याद हैं । मैं समझता हूं मैं इस समय उनकी चर्चा कर दूं । चर्चा के दौरान में सरकारी व गैर-सरकारी क्षेत्र के सम्बन्ध में यह कहा गया था कि हमें उद्योगों के राष्ट्रीयकरण का कार्य तेजी के साथ करना चाहिये । मुझे इस बात की जानकारी है, जिससे यह ज्ञात होता है कि यह काम शुरू हो गया है और बढ़ता जा रहा है । प्रथम पंचवर्षीय योजना में सरकारी क्षेत्र में १३३ प्रतिशत की वृद्धि हुई जब कि गैर-सरकारी क्षेत्र में केवल १८ प्रतिशत की वृद्धि हुई । द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सरकारी क्षेत्र में २०७ प्रतिशत की वृद्धि होगी जबकि गैर-सरकारी क्षेत्र में केवल १५·४ प्रतिशत की वृद्धि होगी । यदि आप उत्पन्न होने वाली विद्युत् का अनुपात देखें तो यह स्थिति है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना के आरम्भ में सरकारी क्षेत्र में २६ प्रतिशत और गैर-सरकारी क्षेत्र में ७४ प्रतिशत विद्युत् उत्पन्न होती थी । प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्त में आंकड़े ये हैं—सरकारी क्षेत्र में ४२ प्रतिशत और गैर-सरकारी क्षेत्र में ५८ प्रतिशत । द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्त तक आंकड़े ये हो जायेंगे—सरकारी क्षेत्र में ६३ प्रतिशत और गैर-सरकारी क्षेत्र में ३७ प्रतिशत ।

इस प्रकार हम इस दिशा में प्रगति कर रहे हैं और प्रवृत्ति यह है कि जहां कहीं भी आवश्यक या व्यावहारिक होता है राज्य, गैर-सरकारी संयंत्रों को ले लेते हैं। किन्तु सरकारी क्षेत्र में अधिकांश वृद्धि वहां विद्युत् के विकास में किये गये बहुत अधिक व्यय से हुई है। यह स्थिति का महत्वपूर्ण अंग है।

इसी के साथ उपयोगिता के ढंग का प्रश्न सम्बधित है। वर्ष प्रति वर्ष हम ज्यों-ज्यों एक योजना से दूसरी योजना तक बढ़ते रहते हैं, त्यों-त्यों हमें ज्ञात होता है--और होना भी यही चाहिये--कि घरेलू और वाणिज्यिक प्रयोजन के लिये प्रयोग की जाने वाली विद्युत् का अनुपात घटता गया है और औद्योगिक प्रयोजन के लिये दी गई विद्युत् का अनुपात बढ़ता गया है: विद्युत् की घरेलू प्रयोजनों के लिये खपत १९५० में १२·६ प्रतिशत थी जो कि १९५५ में घट कर ११·५ प्रतिशत रह गयी है और १९६० तक इसके ९ प्रतिशत रह जाने की आशा है। औद्योगिक प्रयोजनों के लिये विद्युत् की खपत १९५० में ६२·६ प्रतिशत थी जो कि १९५५ में बढ़ कर ६५·७ प्रतिशत हो गई और द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंत तक इसके ७२ प्रतिशत हो जाने की आशा है। जल विद्युत् में इतनी अधिक राशि के विनियोजन को ध्यान में रखते हुये यह निश्चित है कि तापीय विद्युत् से जल विद्युत् का अनुपात निरंतर बढ़ता जा रहा है। मुझे आंकड़ों को विस्तार से बताने की आवश्यकता नहीं है। किन्तु मैं एक बात बताना चाहता हूं और वह विद्युत् जालों (ग्रिड्स) के सम्बन्ध में है। कई सदस्यों ने इस बात पर जोर दिया था। यह प्रगट है कि विद्युत् की लागत घटाने, उसे अधिक क्षेत्रों में उपलब्ध करने और विशेषत: देहातों में बिजली पहुंचाने के सम्बन्ध में ग्रिड प्रणाली बहुत महत्वपूर्ण है। इस समय आठ राज्यों में आन्तरिक ग्रिड हैं और ये आन्तरिक ग्रिड देश के लिये उपलब्ध कुल विद्युत् का ८० प्रतिशत सम्भरित करते हैं।

जल विद्युत् केन्द्रों से अधिकतम लाभ उठाने के लिये निकटवर्ती राज्यों को मिलाने वाले आन्तरिक ग्रिडों के विकास का प्रस्ताव किया गया है। प्रादेशिक ग्रिडों के विकास के समय अखिल भारतीय ग्रिड की दीर्घकालीन योजना पर भी ध्यान दिया जायेगा। इसके सहायक के रूप में पारेषण (ट्रांसमिशन) लाइनें भी बढ़ती जा रही हैं। प्रथम योजना में उन्नीस हजार मील में उक्त लाइनें लगाई गईं। जिस स्थान पर हमने उसे आरम्भ किया यह वस्तुतः उसे दूना करना था। द्वितीय योजना में ३५,००० मील पारेषण (ट्रांसमिशन) लाइनें और लगेंगी।

इस सम्बन्ध में ग्रामीण विद्युतीकरण का मामला बहुत महत्वपूर्ण है। मैं जानता हूं और मुझे इस पर प्रसन्नता है कि एक सदस्य के पश्चात् दूसरे सदस्य ने ग्रामीण विद्युतीकरण पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता पर जोर दिया है। ग्रामीण विद्युतीकरण के सम्बन्ध में, मैं प्रगति की रफ्तार को बहुत ध्यान और उत्सुकता से देख रहा हूं। मैं नम्रतापूर्वक कहता हूं कि व्यक्तिगत रूप से मैं इससे संतुष्ट नहीं हूं; लेकिन मैं स्थिति सुधारने का बराबर प्रयत्न कर रहा हूं। हम कठिनाईयों का सामना कर रहे हैं।

आंकड़ों के अनुसार—माननीय सदस्यों को ज्ञात होगा—ग्रामीण क्षेत्रों में उपलब्ध की गई विद्युत् में पर्याप्त वृद्धि हुई है। उनको उपलब्ध किये गये आंकड़ों उनको से ज्ञात होगा कि पांच हजार से लेकर दस हजार की जनसंख्या के २,३६७ गांवों में से १९५०-५१ में २५८ गांवों—अर्थात् ११ प्रतिशत— में विद्युतीकरण किया गया। प्रथम योजनाकाल में यह बढ़ कर ३२ प्रतिशत हो गया अर्थात्, २८७ प्रतिशत की वृद्धि हुई है। पांच हजार से कम जनसंख्या वाले स्थानों में वर्ष १९५०-५१ में प्रतिशतता ·५ थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना काल में प्रतिशतता ·८ हो गयी, अर्थात्, ६४·७ प्रतिशत की वृद्धि हुई। वृद्धि अच्छी ज्ञात होती है। वस्तुतः बहुत कम गांवों में विद्युतीकरण हुआ है। हमारे मार्ग में कौन-सी कठिनाई आ रही है?

[श्री नन्दा]

ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत् देने की व्यवस्था, उनके छोटे और दूर-दूर फैले हुये होने के कारण, लाभप्रद नहीं है। कई चर्चायें तथा गोष्ठियां हुईं, जहां इंजीनियरों ने मिल कर इस समस्या पर विचार किया है। यह स्पष्ट था कि ग्रामीण विद्युतीकरण के कार्य के लिये आर्थिक सहायता देनी होगी। प्रस्ताव किये गये तथा यह विचार व्यक्त किया गया कि प्रत्येक राज्य इस मामले में अपने कार्य को स्वावलंबी बना ले और इस सम्बन्ध में कोई सहायता मांगने से पूर्व वह नगरीय विद्युतीकरण के लाभ को ग्रामीण विद्युतीकरण में व्यय कर दे। आंकड़े एकत्रित किये जा रहे हैं। इसी बीच कुछ प्रगति भी हुई है। प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत केवल ब्याज देना था— प्रथम पांच वर्षों में मूलधन नहीं लौटाना था। अब यह निश्चय किया गया है कि प्रथम पांच वर्षों में कोई ब्याज नहीं लिया जायेगा यह भी एक प्रकार की सहायता ही है। लेकिन अभी इस योजना पर विचार किया जा रहा है। कुछ और भी किया जाना चाहिये। कम से कम मैं यह प्रयत्न करूंगा कि ग्रामीण विद्युतीकरण के सम्बन्ध में अब तक जो कुछ किया गया है उससे अधिक कुछ और भी किया जाय।

मैं माननीय सदस्यों को कुछ और जानकारी देना चाहता हूं। मैंने उन्हें वह प्रवृत्ति समझाई जो कि बिजली की उपयोगिता के सम्बन्ध में दिखाई देती है किन्तु मैंने उनके सामने पूरा चित्र नहीं रखा। अब मैं वे बातें बताना चाहता हूं। प्रथम पंचवर्षीय योजना के आरम्भ में सभी साधनों से सिंचाई के अधीन ५०० लाख एकड़ क्षेत्र था, अर्थात्, कुल जोती हुई भूमि का १७·२ प्रतिशत और कृषि योग्य भूमि का १२·५ प्रतिशत। प्रथम पंचवर्षीय योजना के आरम्भ में, हमने यह विचार किया था कि १५–२० वर्षों की अवधि में देश में सिंचाई किये गये क्षेत्र को दूना कर दिया जाय। प्रथम पंचवर्षीय योजना में अब तक १७० लाख एकड़ में और सिंचाई हुई है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में २१० लाख एकड़ पर सिंचाई हो जायेगी अर्थात् कुल ३८० लाख एकड़ पर सिंचाई हो जायेगी। जो योजनायें द्वितीय पंचवर्षीय योजना में ली गई हैं अथवा ली जायेंगी उनसे तत्पश्चात् १२० लाख एकड़ पर और सिंचाई होगी। इस प्रकार कुल ५०० लाख एकड़ हो जायेगा। अब हमें अपनी आशाओं के मापदंड तथा लक्ष्यों को बढ़ाना पड़ेगा। हमने देश में लाभदायक सिंचाई की संभावनाओं का एक मोटा हिसाब लगाया था। अनुमान यह है कि प्रथम और द्वितीय पंचवर्षीय योजना के पश्चात् १,३०० लाख एकड़ अतिरिक्त भूमि में सिंचाई हो सकेगी।

इस प्रयोजन के लिये कौन से संसाधन उपलब्ध हैं? हमारे देश की नदियों में बहने वाले जल का कुल आयतन १४० करोड़ एकड़ फुट है। १९५० में इसके १२ प्रतिशत जल का उपयोग होता था। प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्त में यह १६ प्रतिशत हो जायेगा। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्त तक यह १९ प्रतिशत हो जायेगा। अतिरिक्त १३ करोड़ एकड़ के लिये २९ प्रतिशत जल की आवश्यकता होगी, अर्थात्, कुल ४८ प्रतिशत। नदी में बहने वाले जल की प्रत्येक बूंद उपयोग के लिये उपलब्ध नहीं है और यह सम्भव भी नहीं है, किन्तु हमने यह गणना की है कि कुछ भी हो जल का यह परिमाण अवश्य उपलब्ध होगा। सम्भव है अधिक उपलब्ध हो सके। देश की सिंचाई का यह सम्पूर्ण चित्र है। १३ करोड़ एकड़ की बातें करना तो ठीक है किन्तु इस पर बहुत व्यय होगा। ३५० रुपये औसत व्यय के आधार पर देश में पूरी सिंचाई के लिये ४,५०० करोड़ रुपये व्यय होंगे। यह द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कुल व्यय है।

प्रथम पंचवर्षीय योजना के प्रारम्भ में विद्युत् शक्ति २३ लाख किलोवाट थी। १९५० में बिजली का प्रति व्यक्ति उत्पादन १४·१ यूनिट और १९५३ में १८ यूनिट था। अन्य देशों की तुलना में यह बहुत कम है। संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रति व्यक्ति उत्पादन २९२८ यूनिट, ब्रिटेन में १५८४ यूनिट और जापान में ५०४ यूनिट है। हमें यह कमी पूरी करनी है। प्रथम पंचवर्षीय योजना के प्रारम्भ में हमने सोचा था कि पन्द्रह-बीस वर्षों में हम सत्तर लाख किलोवाट बिजली बढ़ा देंगे।

हमें खुशी है कि इस लक्ष्य पर फिर से विचार किया जा रहा है। प्रथम योजना में हम ने ११ लाख किलोवाट बिजली बढ़ाई है। दूसरी योजना के अन्त तक ३४ लाख किलोवाट बिजली और जुड़ जायेगी। मूल लक्ष्य दस-बारह वर्षों में पूरा हो जायगा और अब हम ९३ लाख किलोवाट के स्थान पर डेढ़ करोड़ के लक्ष्य की सोच सकते हैं। यह आगामी दस वर्ष तक पूरा हो सकता है। मैंने सब स्थिति को स्पष्ट कर दिया है। जब मैं सभा में उपस्थित न था तब जल विद्युत् शक्ति और अणुशक्ति के विषय में प्रश्न उठाया गया था।

हमारे देश में शक्ति के विस्तार की बहुत आवश्यकता है। इस समय के आंकड़ों के अनुसार देश में कुल साढ़े-तीन करोड़ किलोवाट बिजली जल विद्युत् योजनाओं से प्राप्त हो सकेगी। यह हो सकता है कि सर्वेक्षणों से और भी अधिक शक्ति का पता लग सके किन्तु इस समय तो यही स्थिति है।

शक्ति के अन्य साधनों में हमें बहुत सा कोयला उपलब्ध है जिसका केवल १० प्रतिशत भाग बिजली बनाने के काम में आता है। कोयले का उत्पादन भी अगले वर्षों में बढ़ जायगा और उसका अनुपात हमारी आवश्यकताओं के लिये यथेष्ट होगा।

हमें आणविक खनिज भी पर्याप्त परिमाण में प्राप्त हैं। अन्य स्थानों में अणुशक्ति का प्रयोग बिजली के लिये किया जा रहा है। मैं नहीं कह सकता कि द्वितीय योजना में इस विषय में क्या कार्यवाही की जायेगी किन्तु योजनायें बन रही हैं और अगले पांच वर्षों में भी कुछ किया जा सकता है; किन्तु आर्थिक दृष्टि से अभी इस पर विचार नहीं किया जा सकता क्योंकि बहुत समय तक हमारी ताप शक्ति और जल विद्युत शक्ति, अणु शक्ति की अपेक्षा सस्ती पड़ेगी।

सिंचाई और विद्युत् के बारे में स्थिति स्पष्ट करने के पश्चात् अब मैं सदस्यों की उन शंकाओं का समाधान करना चाहता हूँ जिन में यह कहा गया है कि सिंचाई तथा विद्युत् सम्बन्धी ये निर्माण कार्य, कुशलता के साथ सम्पन्न नहीं किये जाते हैं और इन के सम्पादन में बहुत अपव्यय और भ्रष्टाचार फैला हुआ है। इन बुराइयों को दूर करने में जो प्रगति हुई है उसे सदस्य भली भांति जानते हैं। यह मैं मानता हूँ कि भ्रष्टाचार आदि के अनेक व्यक्तिगत मामले हमारे सामने आये हैं किन्तु इस बात की पूरी कोशिश की जाती है कि हमें जो भी साधन प्राप्त हैं उन का मितव्ययता के साथ उपयोग किया जाये। हमारा काम कैसे चल रहा है इसे समझाने में बहुत समय लग जायेगा। इस सम्बन्ध में बहुत कुछ किया जा रहा है। यह ठीक है कि कुछ कार्यों में कुछ कठिनाइयों के कारण विशेष प्रगति नहीं हुई है किन्तु ये काम एक दिन में नहीं हो सकते। बुराइयों को दूर करने का हम भरसक प्रयत्न करते हैं। कार्य की सफलता के लिये पूरी जांच पड़ताल, वास्तविक आंकड़े और अच्छी प्रविधिक योजनाओं की आवश्यकता होती है। कार्यारम्भ से पूर्व ही हमें उस के लिये सुन्दर योजना बनानी पड़ती है और उसके लिये अपेक्षित मशीनरी और सामान के विषय में भी विचार करना पड़ता है ताकि योजना की प्रगति मन्थर न हो जाये।

इन सब पहलुओं पर कुछ वर्ष पहले हम ने दृष्टिपात किया था। जब हमने यह सुना और पत्रों में यह पढ़ा कि भ्रष्टाचार और अपव्यय बढ़ रहा है तो हम ने देश के इंजीनियरों को आमंत्रित किया। हम ने कई गोष्ठियां आयोजित कीं, इन समस्याओं पर विचार किया और उसके हल निकालने की चेष्टा की। इन बैठकों में जो भी सुझाव रखे गये उन पर मंत्रालय ने विचार किया। हम ने मंत्रियों का एक समन्वय बोर्ड स्थापित किया और इंजीनियरों की एक समिति बनाई गई। इन गोष्ठियों की सिफारिशें इस बोर्ड के पास भेजी गईं जिन में से कुछ पर कार्यवाही की गई है और कुछ अभी विचाराधीन हैं। ये सिफारिशें मशीनों के प्रयोग के बारे में थीं। सदस्यों को विदित है कि बहु प्रयोजनीय एवं वृहद् परियोजनाओं के कुल व्यय में मशीनों पर बहुत व्यय होता है। हम ने यह भी देखा कि बहुत सी

[श्री नन्दा]
मशीनरी बेकार पड़ी रहती है क्योंकि या तो उनके पुर्जे नहीं मिलते या उस में कोई गड़बड़ हो जाती है। ऐसा होने से भी हमारा खर्च बढ़ जाता है। अतः हमने इस प्रश्न पर भी विचार किया। मैं इस विषय के अधिक विस्तार में नहीं जाना चाहता किन्तु हमारे पास आंकड़े मौजूद हैं जिन से यह जाना जा सकता है कि मशीनों की खराबी बहुत कम हो गई है। हीराकुंड, दामोदर घाटी निगम, भाखड़ा आदि सभी परियोजनाओं में विभिन्न मशीनों को कार्य क्षमता में और उनके कार्य-समय में वृद्धि हुई है। इस से यह स्पष्ट हो जाता है कि हमारा काफी खर्च कम हो गया है।

अब मैं मशीनों के प्रमापीकरण के प्रश्न को लेता हूँ। यह कहा गया था कि अनेक प्रकार की मशीनें प्रमापीकृत नहीं हैं। इससे मशीनरी के पुर्जे खरीदने के प्रश्न पर भी प्रभाव पड़ा। हम ने मशीनों के प्रमापीकरण का निश्चय किया ताकि मशीनों के पुर्जे भी अनावश्यक रूप में अधिक न खरीदे जायें। इस के साथ ही हमने मशीन चालकों को उचित रूपेण प्रशिक्षण देने पर भी विचार किया। इन सब बातों पर शीघ्र ही अंतिम रूप से विचार किया जायगा। सदस्यों को ज्ञात होना चाहिये कि यह एक गम्भीर प्रश्न है। जब हम मशीनों का प्रमापीकरण करेंगे तब हमें कुछ मशीनें रखनी होंगी और कुछ हटानी होंगी। इसका दुष्प्रभाव भी पड़ सकता है। अतः हम इस विषय में सोच समझ कर कदम उठायेंगे।

अब मैं राष्ट्रीय निर्माण निगम (नेशनल कंस्ट्रक्शन कार्पोरेशन) स्थापित करने की सिफारिश के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। मैं इसे बहुत महत्वपूर्ण समझता हूँ। मैं समझता हूँ कि यदि हम ऐसा निगम बनायें और कोसी परियोजना में अपनाये गये तरीकों के अनुसार यदि हम श्रमिक सहकारी संस्थायें बनायें तो जो शिकायतें हमें सुनने को मिली हैं जैसी फिर नहीं मिलेंगी। भाखड़ा की नहरों में जो स्थिति पैदा हुई वह स्थिति इन संस्थाओं के रहते नहीं हो सकती थी। हमें अपना काम और भी कम खर्च से चलाना है अतः हमें राष्ट्रीय निर्माण निगम को बनाने का पूरा प्रयत्न करना चाहिये।

एक बात और विचारणीय है। कुछ दिन पहले मैं दामोदर घाटी निगम को देखने गया था। वहाँ जिन लोगों की छँटनी की जायेगी वे अपने भविष्य के बारे में चिन्तित हैं। मैं उन्हें जहाँ कहीं स्थान उपलब्ध होगा वहाँ नियुक्त करने की सोच रहा हूँ किन्तु कुछ परियोजनायें ऐसी हैं जो ठेकेदारों द्वारा क्रियान्वित की जा रही हैं और उन पर हमारा कोई नियन्त्रण नहीं है। अतिरिक्त प्राविधिक कर्मचारियों से पूर्ण सहयोग प्राप्त करने के लिये ही हम उन का स्थानान्तरण करते हैं। दूसरी बात यह कही गई थी कि बहुत सी मशीनरी फालतू पड़ी है। यह कहा गया था कि भाखड़ा और कुछ अन्य स्थानों पर कुछ मशीनों काम में नहीं आ रही है। यदि वह देश में कहीं भी काम आ सकती हैं तो उसे एक दिन भी बेकार नहीं पड़े रहने देना चाहिये। हम ने निश्चय किया कि ऐसी जितनी भी मशीनें हों, उसे एकत्र किया जाय। अतः देश की समस्त परियोजनाओं की ऐसी मशीनों की हम ने सूचियां बनाई हैं और जहां भी और जब भी उन की आवश्यकता होती है हम उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान को भेज देते हैं। हम इस कार्य में बहुत कुछ सफल हुए हैं किन्तु अभी पूण रूपेण नहीं। इस का कारण यह है कि कुछ परियोजनाओं में लोग नई नई और चमकदार मशीनें रखना पसन्द करते हैं और अपनी अलग मशीनें मंगाने का आर्डर देते रहते हैं। अतः हम ने हस्तक्षेप करना उचित समझा। हमने हिदायत कर दी है कि जब कभी कोई मशीनें मंगानी हों तो पहले हमें उसकी सूचना दी जाये। जब हम देखेंगे कि किसी मशीन से मिलती-जुलती कोई मशीन उपलब्ध है तो हम उसके लिये रुपया मंजूर नहीं करेंगे।

श्रीमान् मैं कहीं अधिक समय तो नहीं ले रहा हूँ।

†**अध्यक्ष महोदय** : आप चाहें तो दस मिनट और ले सकते हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री कामत** : आप का भाषण बड़ा दिलचस्प है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय मंत्री पांच बजे तक बोल सकते हैं ।

†**श्री राघवाचारी** (पेनुकोंडा) : श्रीमान्, सूचना के हेतु मैं माननीय मंत्री से तुंगभद्रा की उच्चस्तरीय नहर के बारे में प्रश्न करना चाहता हूँ । उस की इस समय क्या स्थिति है ?

†**श्री नन्दा** : इस के उत्तर में ही दस मिनट लग जायेंगे । मैं माननीय सदस्य को बाद में सब सूचना दे दूंगा ।

हाँ, तो मैं राष्ट्रीय निर्माण निगम का ज़िक्र कर रहा था । यह निगम बड़ी-बड़ी परियोजनायें अपने हाथ में ले सकता है । उस के बाद निगम एक बड़ा संगठन बन कर अच्छे-अच्छे प्राविधिज्ञों को भर्ती कर सकता है और फालतू मशीनें भी अपने पास रख सकता है । इसके विपरीत यदि हम ठेकेदारों से काम लेते हैं तो हम उन से मशीनें और प्राविधिज्ञ नहीं मांग सकते । अत हम ने इस निगम के पक्ष में सोचा है और मंत्रियों के समन्वय बोर्ड ने इसे स्वीकार भी किया है । केवल एक राज्य के अतिरिक्त सभी राज्यों ने इसे स्वीकार किया है ।

†**श्री के० के० बसु** (डायमण्ड हार्बर) : उस का नाम क्या है ?

†**श्री नन्दा** : मैं उस का नाम नहीं बताना चाहता । इस विषय का एक सांवैधानिक पहलू भी है । वह बहुत गम्भीर तो नहीं फिर भी प्रश्न यह है कि क्या केन्द्रीय सरकार ऐसे विषय के लिये जो कि राज्यों का विषय है एक ऐसे निर्माण निगम में रुपया खर्च कर सकती है जो कि राज्यों के लिये कार्य करेगा ? हम आशा करते हैं कि यह प्रश्न जल्दी ही सुलझ जायेगा ।

मुझे प्राविधिज्ञों के प्रश्न का भी उत्तर देना चाहिये क्योंकि दामोदर घाटी निगम के सम्बन्ध में मुझ से यह सवाल पूछा गया था । इस से पहले मैं एक और बात बता देना चाहता हूँ कि और वह है दर और लागत के नियंत्रण के बारे में । समस्त परियोजनाओं में हमारे वित्त-मंत्रणादाता मौजूद हैं । एक बात का हम भली भांति प्रबन्ध नहीं कर सके और वह यह है कि किसी-किसी स्थान पर अन्य स्थानों से दर अधिक होता है । यह हो सकता है कि विभिन्न परिस्थितियों के कारण ऐसा होता हो । अतः हम ने इस समस्या का विस्तृत अध्ययन किया ताकि हमें यहां बैठे-बैठे प्रति मास यह पता लग सके कि हमारे अनुमान के विपरीत कहीं अधिक लागत तो नहीं लग रही है । डेढ़-दो वर्ष बाद हम एक ऐसी प्रणाली का विकास कर पाये हैं जिससे हम यहां बैठे हुए यह जान सकते हैं कि कार्य में क्या प्रगति हो रही है, कितना खर्च हो रहा है और कहीं अनुमान से अधिक तो व्यय नहीं किया जा रहा है । विभिन्न परियोजनाओं में लागत नियंत्रण केन्द्र स्थापित किये गये हैं और जहां अभी ऐसा नहीं हुआ है वहां भी यह काम शीघ्र किया जायगा । दर और लागत समिति ने बड़ी-बड़ी पुस्तकें तैयार की हैं । वे छप रही हैं और माननीय सदस्य उन्हें शीघ्र ही प्राप्त करेंगे । समिति ने दर और लागत का विस्तृत विवेचन किया है । उस ने लागत नियंत्रण का तरीका तैयार किया है और लेखे, सामान तथा अन्य बातों के सम्बन्ध में अनेक रीतियां बनाई हैं । यह सम्पूर्ण विषय बहुत महत्वपूर्ण है ।

भाखड़ा बांध के बारे में मुझ से एक प्रश्न किया गया था । उसके उत्तर में मुझे यही कहना है कि मैं किसी व्यक्ति अथवा बोर्ड के साथ कोई पक्षपात नहीं करता हूँ । यदि किसी बात की जरा भी जांच की जरूरत होती है तो मैं सभा को उसकी जांच का आश्वासन देता हूँ । मैं ने सभा में वायदा किया था कि भाखड़ा की नहरों के बारे में जाँच की जायगी । उस में कुछ समय अवश्य लग गया है किन्तु जाँच के लिये एक बहुत बढ़िया समिति नियुक्त की गई है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री आर० पी० गर्ग :** आप उस का क्षेत्र क्यों नहीं बढ़ा देते ?

†**श्री नन्दा :** यदि मैं ऐसा करने लगूं तो मुझे नहर की जाँच का हाल भी मालूम नहीं हो सकता। जहाँ वास्तव में इसकी आवश्यकता हो, वहाँ मैं ऐसा कर सकता हूँ। मेरे पास समय नहीं है अन्यथा मैं सारी बातें बता सकता था। भाखड़ा बाँध में नियंत्रण सम्बन्धी जो कार्यवाही की गई है उसकी सूचना मैं जल्दी ही सदस्यों को भिजवा दूंगा।

हम अपने इंजीनियरों के काम में व्यर्थ ही बाधा नहीं डालना चाहते और अनावश्यक रूप से हम उन्हें तंग नहीं करना चाहते। किन्तु जहां कहीं कोई गड़बड़ की गई हो वहां तो जांच पड़ताल करना हमारा कर्त्तव्य हो जाता है। अतः इस प्रकार के मामले ज्ञात होने पर हम आवश्यक कार्यवाही करने को तैयार हैं। जब मैं दामोदर घाटी निगम का कार्य देखने गया तो वहां के समस्त कर्मचारियों को मैंने यह आश्वासन दिया कि उन के हित के लिये जो कुछ भी किया जा सकता है उसके करने में कोई कसर नहीं रखी जायगी।

एक माननीय सदस्य ने कहा है कि मैं ने अपने पूर्वतर भाषण में एक विशिष्ट वचन दिया था और उसे पूरा नहीं किया जा रहा है। मैंने क्या कहा था ? मैं ने कहा था :

> "दामोदर घाटी निगम के किसी भी कर्मचारी को, जो देश के किसी भी अन्य भाग में कोई लाभदायक अंशदान देने की स्थिति में है, सेवामुक्त नहीं किया जायेगा। निस्सन्देह हम इस तथ्य से परिचित हैं कि एक विशिष्ट अवधि में और अधिक परियोजनाओं का कार्य पूरा हो जायेगा और हमें प्रश्न के इस पहलू पर विचार करना है।"

अर्थात् यदि वह उस परियोजना में या अन्य किसी स्थान पर—जिसका हम से सम्बन्ध हो—अंशदान दे सकता हो तो उसे सेवामुक्त नहीं किया जायेगा। एक बहुत ही विस्तृत व्यवस्था की गई है। इन परियोजनाओं के लिये हमने एक आन्तरिक काम दिलाऊ दफ्तर स्थापित किया हुआ है और एक उच्च पदाधिकारी को परियोजनाओं का कार्य वहां स्वयं जाकर देखने के लिये नियुक्त किया गया है। हो सकता है कि परियोजना प्राधिकारी पर्याप्त ध्यान न दें। इसीलिये यह पदाधिकारी स्वयं वहां जायेगा और देखेगा कि उस सम्बन्ध में क्या कुछ किया जा सकता है। बंगाल और बिहार सरकारों ने वचन दिया है—और वहां भी कुछ काम दिलाऊ दफ्तर खोले गये हैं—कि वे यथासम्भव अधिक से अधिक व्यक्तियों को काम देंगी। मुझे तार मिले हैं—माननीय सदस्यों को भी तार प्राप्त हुए हैं—कि जब तक दामोदर घाटी निगम की भावी आवश्यकताओं का परिगणन नहीं किया जाता तब तक किसी भी व्यक्ति को सेवामुक्त न किया जाये। इस बात से मैं सहमत हूँ। आवश्यकताओं का परिगणन कर लिया गया है, बल्कि और अधिक अच्छी तरह से परिगणन किया जाना चाहिये, और यदि किसी व्यक्ति को बाद में वहां रखा जा सकता हो तो वह अब सेवामुक्त नहीं किया जाना चाहिये। इस बात को मैं स्वीकार करता हूँ, परन्तु मुझे यह अग्रेतर मांग स्वीकार नहीं है कि जब तक देश के किसी अन्य भाग में वे कोई काम प्राप्त नहीं कर लेते, उन्हें परियोजना से पृथक नहीं किया जाना चाहिये। मैं ने उन्हें समझाया था और कहा था "आप अपने ही रोजगार की बात सोच रहे हैं परन्तु आप अन्य हज़ारों व्यक्तियों का रोज़गार छीन रहे हैं क्योंकि यदि इन परियोजनाओं का खर्च बढ़ गया तो क्या होगा ? इसका अर्थ यह होगा कि देश में परियोजनाओं की संख्या कम हो जायेगी। इसलिये यह अत्यन्त स्वार्थपरता है और श्रमजीवी वर्ग को इतना स्वार्थी नहीं होना चाहिये कि कुछ दिनों के लिये अपना कार्य बढ़ा कर देश में अन्य हज़ारों व्यक्तियों के लिये रोज़गार का क्षेत्र सीमित कर दें। ऐसा नहीं करना चाहिये, मैंने समाचार पत्रों में पढ़ा था कि हड़ताल के लिये किसी प्रकार की शलाका (बैलट)

---

†मूल अंग्रेजी में

की जा रही है। इसका अर्थ यह होगा कि यदि हम विभागीय रूप से कार्य करते हैं, तो हमें श्रमिकों सम्बन्धी इन कठिनाइयों का सामना करना होगा। तो क्या यह कार्य ठेकेदारों को सौंप दें और इस प्रकार कार्य पर अधिक खर्च करवा दें? उस प्रकार क्या सुरक्षा होगी? इसलिये जो कुछ मैंने कहा है मुझे विश्वास है मेरे मित्र उस दृष्टि से इस समस्या पर विचार करेंगे। प्रत्येक सम्भव बात की जायेगी और जैसा कि मैंने कहा है पुनः प्रशिक्षण भी दिया जायेगा, यदि किसी व्यक्ति का कुछ प्रविधिक ज्ञान है, उसमें योग्यता तथा दक्षता और यदि आज उन लोगों की मांग नहीं है बल्कि उनसे तनिक भिन्न योग्यता रखने वालों की मांग है तो भी हम उन व्यक्तियों को सेवामुक्त नहीं करेंगे और उन्हें पुनः प्रशिक्षण देकर अन्य किसी स्थान पर काम देंगे।

सम्भवतः जितना समय मुझे लेना चाहिये था मैंने उस से अधिक समय ले लिया है परन्तु मैंने सोचा कि मुझे सभी बातों की चर्चा करनी चाहिये, माननीय सदस्यों का, उनके प्रशंसा के शब्दों के लिये, मैं कृतज्ञ हूँ। हम उनकी प्रत्याशाओं पर पूरा उतरने का प्रयत्न करेंगे।

†**अध्यक्ष महोदय :** अब मैं सभी कटौती प्रस्ताव मतदान के लिये रखूंगा।

अध्यक्ष महोदय द्वारा कटौती प्रस्ताव मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए।

†**अध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है :

"कि कार्य-सूची के चौथे स्तम्भ में दिखाई गई राशियां राष्ट्रपति को निम्नलिखित मांगों के सम्बन्ध में, जो दूसरे स्तम्भ में दिखाई गई हैं, उन भारों के लिये अपेक्षित राशियां पूरी करने के लिये दी जायें जिनका भुगतान ३१ मार्च, १९५७ को समाप्त होने वाले वर्ष में किया जायेगा।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(**जो मांगें सभा द्वारा स्वीकृत हुईं वे नीचे दी जाती हैं**——सम्पादक)

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
६७	सिंचाई और विद्युत मंत्रालय	१३,९०,००० रुपये
६८	बहु-प्रयोजनीय नदी परियोजनायें	९८,४९,००० रुपये
६९	सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा व्यय।	७९,५९,००० रुपये
१३४	बहु-प्रयोजनीय परियोजनाओं पर पूंजी व्यय	२,१९,१८,००० रुपये
१३५	सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय का अन्य पूंजी व्यय।	८,८२,००० रुपये

†**अध्यक्ष महोदय :** अब सभा स्वास्थ्य मंत्रालय से सम्बन्धित मांग संख्या ४७, ४८, ४९, ५० और १३० पर विचार करेगी। इन मांगों के सम्बन्ध में बहुत से कटौती प्रस्ताव हैं जो सदस्य कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहते हैं वे उनके बारे में सूचना १५ मिनट के अन्दर दे दें।

अब जहां तक हो सका मैं उन्हीं माननीय सदस्यों को भाषण के लिये बुलाऊंगा जो इन विषयों में विशेषज्ञ है और जिन्होंने अभी तक वाद-विवाद में भाग नहीं लिया है।

†**श्री कामत :** एक ही सदस्य सभी मांगों पर न बोले।

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय :** जी, हां, एक ही सदस्य सभी मांगों पर नहीं बोलेगा ।

३१ मार्च, १९५७ तक समाप्त होने वाले वर्ष के लिये अनुदानों की ये मांगें अध्यक्ष महोदय द्वारा प्रस्तु हुईं ।

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
४७	स्वास्थ्य मंत्रालय	९,६७,००० रुपये
४८	चिकित्सा सेवायें	३,९९,५८,००० रुपये
४९	लोक स्वास्थ्य	८,५२,५६,००० रुपये
५०	स्वास्थ्य मंत्रालय के अधीन विविध व्यय	८७,४०,००० रुपये
१३०	स्वास्थ्य मंत्रालय का पूंजी व्यय	७,९९,८४,००० रुपये

†**श्री मोहनलाल सक्सेना** (जिला लखनऊ व जिला बाराबंकी): देश के सामने जो स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्यायें हैं मैंने उन पर विचार किया है और कुछ निष्कर्षों पर पहुंचा हूं । मैंने उन्हें लिखकर पांच महीने पूर्व प्रधान मंत्री के समक्ष प्रस्तुत किया था । मैं नहीं जानता कि स्वास्थ्य मंत्री ने उसको पढ़ा होगा या नहीं यद्यपि योजना आयोग ने उसे परिचालित किया था ।

समय सीमित होने के कारण मैं केवल एक मूल प्रश्न पर ही अपना भाषण केन्द्रित रखूंगा और वह है कि स्वास्थ्य मंत्रालय देश की स्वास्थ्य समस्याओं के सम्बन्ध में क्या करता रहा है ।

परन्तु कुछ कहने के पूर्व मैं माननीय मंत्री को यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि उनके दिमाग में किसी ने यह गलत बात भर दी है कि मैं स्वास्थ्य मंत्रालय की जो आलोचना करता हूं वह जनता के हित की भावना से प्रेरित होकर नहीं करता हूं ।

मैं यह भी बता देना चाहता हूं कि चाहे मंत्री कोई भी हो जब तक मंत्रालय की यही नीति रहती है तथा आयुर्वेद, होम्योपैथी तथा अन्य प्रणालियों के साथ वर्तमान भेदभाव की नीति बरती जाती है मेरा यह कर्तव्य होगा कि मैं आलोचना करके उसके दोषों का संकेत करूं ।

स्वास्थ्य मंत्रालय की नीति मूर्खतापूर्ण है । यह शब्द कठोर अवश्य है परन्तु उसकी उपयुक्तता उन बातों से स्पष्ट हो जायेगी जो मैं अभी बताऊंगा ।

मैं माननीय मंत्री को बताना चाहता हूं कि गत नवम्बर में एक सम्मेलन में प्रधान मंत्री ने कहा था कि आयुर्वेद और यूनानी प्रणालियों को हीन समझना मूर्खता होगी । परन्तु स्वास्थ्य मंत्रालय उन्हें हीन समझता है जैसा मैं अभी सिद्ध करूंगा ।

जिस प्रकार अमेरिका जनवादी चीनी गणराज्य को मान्यता न देकर कोमिंतांग की सहायता कर रहा है जोकि चीन का प्रतिनिधित्व नहीं करता उसी प्रकार हमारा स्वास्थ्य मंत्रालय भी आयुर्वेद, यूनानी और होम्योपैथी को नहीं अपनाता जिसका लाभ हमारे देश की ८५ प्रतिशत जनता उठाती है । ये हमारी देशी प्रणालियां हैं परन्तु सरकार एलोपैथी के पीछे पड़ी हुई है ।

मेरा विचार है कि अभी बहुत समय तक ऐसी आशा नहीं दिखाई देती कि एलोपैथी हमारे देश की समस्त जनता को उपलब्ध हो सकेगी । फिर सरकार ने अन्य प्रणालियों के प्रति ऐसा रवैया क्यों अपनाया है ? जिस प्रकार लोक-सभा अमेरिका की चीन सम्बन्धी नीति के विरुद्ध है उसी प्रकार वह स्वास्थ्य मंत्रालय की नीति की भी निन्दा करती है ।

†मूल अंग्रेजी में

हम पंचशील के सम्बन्ध में बहुत कुछ सुन चुके हैं। अब तो राजनीति में ही नहीं आर्थिक क्षेत्र में भी उसका समर्थन किया जाने लगा है। परन्तु स्वास्थ्य नीति के सम्बन्ध में पंचशील के सिद्धान्तों को नहीं अपनाया गया है क्योंकि आयुर्वेदिक, यूनानी व होम्योपैथी प्रणालियों को मान्यता नहीं दी गई है। माननीय मंत्री ने यह आश्वासन अवश्य दिया है कि यदि इन प्रणालियों को वैज्ञानिक सिद्ध कर दिया जाय तो उन्हें मान्यता दे दी जायगी, परन्तु अमुक प्रणाली वैज्ञानिक है या नहीं इसका निर्णय कौन करेगा ? यह निर्णय तो वे ही लोग करेंगे जो एलोपैथी के समर्थक हैं !

स्वास्थ्य मंत्रालय के इस रवैये के कारण ही गत वर्ष जयपुर में अखिल भारतीय एलोपैथिक डाक्टर सम्मेलन ने यह संकल्प पास किया कि अन्य सब चिकित्सा प्रणालियों को खत्म कर दिया जाय। यही नहीं, सम्मेलन की पत्रिका के जनवरी अंक में मैंने एक संकल्प पढ़ा था जिसमें सम्मेलन के सदस्यों से अनुरोध किया गया है कि वे किसी भी देशी चिकित्सा प्रणाली की संस्था में कार्य न करें। मैं जानना चाहता हूं कि स्वास्थ्य मंत्रालय ने एलोपैथिक डाक्टरों के इस सम्मेलन के इस रवैये के विरुद्ध क्या कदम उठाया है ?

यदि हम चीन की ओर देखें तो वहां चीनी चिकित्सा प्रणाली को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। 'चाईनीज बुलेटिन' व 'चाइना रिकन्सट्रक्ट्स' दोनों में ही इसका उल्लेख है। उनसे मालूम होता है कि वहां एक अकादमी चीनी चिकित्सा प्रणाली स्थापित की गई है जिसमें कि पाश्चात्य प्रणाली के डाक्टर सहायता कर रहे हैं। १७ मार्च को वहां एक अन्य अस्पताल खोला गया जिसके निम्नलिखित तीन कार्य हैं :

१ रोगियों का चीनी चिकित्सा प्रणाली से उपचार करना;
२. इस उपचार के परिणामों पर व्याख्यान देना; और
३. इसके आधार पर प्रतिवेदन तैयार करना और उन्हें गवेषणा आदि के लिये प्रस्तुत करना।

पश्चिमी प्रणाली के डाक्टर ही वहां चीनी प्रणाली के विकास में सहायता कर रहे हैं। यदि चीन के इस चित्र से अपने देश की तुलना करें तो यहां की स्थिति कितनी भिन्न पाते हैं।

३५ वर्ष पूर्व महात्मा गांधी ने दो कार्यों का श्रीगणेश किया था। पहला कार्य स्वाराज्य के लिये कांग्रेस आन्दोलन था जो कि पूर्ण हो गया। दूसरा कार्य था हकीम अजमल खां द्वारा स्थापित दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्वेदिक और तिब्बया कालेज का एक विश्वविद्यालय के रूप में विकास। जब तक वह ज़ीवित रहे यह संस्था चलती रही परन्तु बाद में परिस्थिति बदल गई। (अन्तर्बाधा) विभाजन के बाद उसकी अधिकांश भूमि ले ली गई और उस पर चमरियां बना दी गई। प्रबन्धक बोर्ड के सभापति ने भारत सरकार को कुछ पत्र भेजे परन्तु उनका कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ।

अभी हाल ही में उस संस्था में जो उत्सव हुआ था उसमें दवाखाने की वर्तमान दयनीय दशा पर प्रकाश डाला गया था। उसकी आमदनी गिर गई है। माननीय मंत्री कहती हैं कि वे वैज्ञानिक गवेषणा की पोषक हैं। इस संस्था में भी बहुत समय तक वैज्ञानिक गवेषणा कार्य हुआ परन्तु उस पर कभी कोई ध्यान नहीं दिया गया। अब वह बन्द कर दिया गया है। माननीय मंत्री के पास गवेषणा के लिए ३७,००,००० रुपये थे जिसमें से केवल १५,००,००० रुपये प्रयोग में आये। मैं दावे के साथ कहता हूं कि भारत सरकार द्वारा इस संस्था को एक पाई भी नहीं दी गई है। निस्संदेह दिल्ली सरकार ने लगभग ५०,००० रुपये दिये थे। चीन ने गत चार पांच वर्षों में अपनी देशी चिकित्सा प्रणाली के विकास के लिये बहुत कुछ किया है परन्तु हमारे देश में पाश्चात्य प्रणाली का ही पोषण हो रहा है। तिब्बिया कालेज के भवन के होने के बावजूद भी अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्था के लिये नया गवेषणा भवन बनाया जा रहा है जिसके अन्दर देशी प्रणालियों को प्रवेश भी नहीं मिलेगा। गांधी जी ने बहुत

[श्री मोहनलाल सक्सेना]
पहले कहा था कि आयुर्वेद हमारे देश की प्राचीन प्रणाली है और मनुष्य को अपना जीवन उसी के अनुसार ढालना चाहिये । गांधी जी उसे विज्ञान मानते थे, परन्तु स्वास्थ्य मंत्री वैसा सिद्ध कराने की बात करती हैं ।

इतना ही नहीं जब आस्ट्रेलिया के प्रोफेसर हर्बर्ट अरबम यहां आये थे तो उन्होंने कहा था कि यूरोप के वैज्ञानिक आयुर्वेद में बहुत रुचि रखते हैं । उन्होंने यह भी कहा था उनकी सरकार ने उन्हें इसी प्रयोजन के लिये भेजा है । इतना ही नहीं उन्होंने यह भी कहा कि अब चूंकि जामनगर में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रारम्भ होने वाला है मैं अपनी सरकार से अनुरोध करूंगा कि वह वहां योग्य डाक्टर भेजे जो आयुर्वेद का अध्ययन करें । परन्तु यदि वे डाक्टर आयेंगे तो आप उनसे कहेंगे कि वह विज्ञान ही नहीं है । मैं स्वास्थ्य मंत्री को चेतावनी देना चाहता हूं ऐसी नीति अधिक समय नहीं चल सकती । इस प्रतिवेदन से ज्ञात होता है कि विभिन्न विषयों के लिये निर्धारित २६७ करोड़ रुपये में से केवल ५ करोड़ रुपये देशी प्रणालियों के लिये रखे गये हैं ।

प्रथम पंचवर्षीय योजना में ३७,००,००० आपको दिये गये थे परन्तु आप १५,००,००० रुपये ही खर्च कर सके । आप कहते हैं कि इसका कारण यह है कि वैद्यों ने योजनायें प्रस्तुत नहीं कीं । परन्तु मुझे ज्ञात हुआ है कि वैद्यलोग एक स्थायी परिषद् का निर्माण चाहते थे जो नहीं किया गया । उनसे अखिल भारतीय चिकित्सा परिषद् में सम्मिलित होने को कहा गया । परन्तु एलोपैथिक डाक्टरों के रवैये के कारण वे उसमें कैसे सम्मिलित हो सकते थे । वे कहते हैं कि उन्होंने कुछ योजनायें प्रस्तुत कर दी हैं और देर आपकी ओर से हो रही है । यदि आप की केन्द्रीय स्वास्थ्य परिषद् कार्य करने में समर्थ नहीं थे तो आप अन्य लोगों से सहायता ले सकते थे ? यही कारण है कि डा० जयसूर्य ने राजमुन्दरी में अपने अध्यक्षीय भाषण में स्वास्थ्य मंत्रालय से प्रोत्साहन की आशा न करने के लिये कहा है ।

मैं तो सदा आशावादी रहा हूं और अभी भी आशा रखता हूं । स्वास्थ्य मंत्री पाश्चात्य या आधुनिकता के रोग में जकड़ गई हैं जैसे हम में से अधिकांश जकड़ जाते हैं । हम पश्चिम की चकाचौंध में पड़कर अपने आपको अपनी परम्परा को भी भूल जाते हैं । यही नहीं, हम अपनी परम्परा को हीन भी समझने लगते हैं । भारत की परम्परायें हर क्षेत्र में महान् हैं——चिकित्सा के क्षेत्र में भी । गांधी जी का मत है कि उन्होंने राष्ट्र की जो भी सेवायें की उन्हें वह इसी कारण कर सके कि वह अपनी पूर्वी संस्कृति बनाये रहे । परन्तु सत्ता के मद में हम यह सब भूल गये हैं और मनमानी कर रहे हैं ।

इस सम्बन्ध में मैं श्री विनोबा भावे के जीवन से एक घटना का उल्लेख करूंगा । भू-दान आन्दोलन प्रारंभ करने के पूर्व उन्होंने योजना आयोग के साथ भूदान आन्दोलन की योजना पर विचार विमर्श किया । परन्तु वे आन्दोलन के गुणों के सम्बन्ध में उसे विश्वास नहीं करा सके । जब कार्यकर्त्ताओं ने उनसे पूछा कि अब आप क्या करेंगे तो उन्होंने कहा कि अभी मैं सेवकों से बात कर रहा था और अब जनता से करूंगा जो कि प्रभुत्व सम्पन्न है और मुझे आशा है कि वह मेरे साथ सहमत है । वास्तव में हुआ भी वैसा ही ।

इसलिये, मेरा निवेदन है कि जहां तक देशी चिकित्सा प्रणाली का सम्बन्ध है, माननीय मंत्री को उसे प्रोत्साहन देना चाहिये । चीनी लोग कहते हैं कि पाश्चात्य चिकित्सा प्रणाली पर संयुक्त राज्य अमेरिका और इंग्लैंड खर्च करते ही हैं फिर हम क्यों करें ? उसके बदले वे स्वयं अपनी प्रणाली में ही गवेषणा कर रहे हैं जिससे चिकित्सा विज्ञान की प्रगति होगी । मैंने हाल ही में एक पत्र में पढ़ा था कि हृदय के रोगों के लिये अर्जुन बहुत लाभदायक है । हृदय के रोगों की करोड़ों रुपये की औषधियां हम बाहर से मगांते हैं, फिर इस दिशा में गवेषणा क्यों नहीं करते ? मुझे आशा है कि मेरी यह प्रार्थना व्यर्थ नहीं जायगी ।

श्रीमान् ! मैं आशा करता हूं कि मंत्री जी अपने उत्तरदायित्व का सफलता से वहन करेंगी परन्तु यदि वह किसी कारण वैसा करने में असमर्थ हों तो त्यागपत्र देकर अलग हो जायें। प्रजातन्त्र का सिद्धान्त है कि सामूहिक बुद्धि वैयक्तिक निर्णय से श्रेष्ठ होती है। हमें इसको सदा ध्यान में रखना चाहिये।

†**डा० रामा राव** (काकिनाडा): हमारा आदर्श समाजवादी ढांचा है और हमारा राज्य कल्याणकारी राज्य है। किसी भी समाजवादी देश के लिये सब से महत्वपूर्ण चीज निःशुल्क स्वास्थ्य सेवायें जुटाना है। स्वास्थ्य सेवाओं से मेरा तात्पर्य रक्षित जल सम्भरण देने और बीमारियों के रोकने से है। यदि हम प्रभावपूर्ण निरोधक कदम उठायें तो चिकित्सा सुविधाओं पर हमारा अधिकांश व्यय कम हो जायगा।

मैं कुछ शब्द अन्य बातों पर कहना चाहता हूं। पहली बात है बम्बई के टाटा कैंसर अस्पताल का सरकार के हाथ में लेने का प्रस्ताव। भारत सरकार के १९५५ के प्रकाशन में बताया गया है कि लगभग २ लाख व्यक्ति प्रतिवर्ष कैंसर से मर जाते हैं। उसमें दो कैंसर-अस्पतालों का उल्लेख है बम्बई का टाटा स्मारक अस्पताल और कलकत्ता का चित्तरंजन अस्पताल। परन्तु मैं समझता हूं कि वह पुस्तक व्यापक नहीं है क्योंकि उसमें केवल कैंसर-अस्पतालों का निर्देश किया गया है उनके अतिरिक्त कैंसर-विभाग भी हैं जैसे मद्रास का बर्नार्ड इंस्टीट्यूट ऑफ रेडियोलाजी। मैं समझता हूं कि भारत में कैंसर के उपचार के लिये उपबन्ध बहुत अपर्याप्त हैं। भारत सरकार ४५ लाख रुपये में बम्बई का कैंसर का अस्पताल ले रही है। मैं इसका विरोध करता हूं। मेरी आपत्ति यह नहीं है कि सरकार को उसे लेना नहीं चाहिये वरन् यह है कि इस संस्था पर ४५ लाख रुपये खर्च करना व्यर्थ है क्योंकि वह बहुत अच्छी तरह चल रही है और उसका समस्त भारत में नाम है।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य शेष भाषण कल दे सकते हैं।

माननीय सदस्यों ने स्वास्थ्य मंत्रालय के अन्तर्गत विभिन्न मांगों के सम्बन्ध में जो कटौती प्रस्ताव दिये हैं उनमें से चुने हुए कटौती प्रस्ताव निम्नलिखित हैं :

मांग संख्या	**कटौती प्रस्तावों की संख्या**
४७	९२१, ९२२, ९३७, ९३८, ९३९, ९४०, ९४१, ९४२, ९४३, ९४४, ९४५, ९४६, ९४७
४८	९४८, ९४९
४९	९२३, ९५०
५० ...	९५१

निम्न लिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये :

मांग संख्या	**कटौती प्रस्ताव**	**कटौती आधार**	**कटौती राशि (रुपयों में)**
४७	श्री कामत	दिल्ली पीलिया जांच समिति के प्रतिवेदन पर की गई कार्यवाही।	१००
४७	श्री कामत	पृथक् स्वास्थ्य मंत्रालय को जारी रखने की आवश्यकता।	१००

†मूल अंग्रेजी में

माँग संख्या	कटौती प्रस्तावक	कटौती आधार	कटौती राशि (रुपयों में)
४७	श्री एन० बी० चौधरी	जन स्वास्थ्य के कार्यों के निर्णय के मामले में भारतीय चिकित्सक संघ जैसे चिकित्सकों के संघों के साथ परामर्श की आवश्यकता ।	१००
४७	श्री एन० बी० चौधरी	लोक स्वास्थ्य सम्बन्धी मामलों में ग्रामीण क्षेत्रों की ओर अपर्याप्त ध्यान दिया जाना ।	१००
४७	श्री एन० बी० चौधरी	राष्ट्रीय मलेरिया रोकथाम योजना के अन्तर्गत छिड़के जाने वाले डी० डी० टी० की किस्म की खराबी ।	१००
४७	श्री एन० बी० चौधरी	क्षय, हैजा, फिलेरिया, मलेरिया जैसे रोगों के सम्बन्ध में आंकड़ों के संग्रह कार्य की गति बढ़ाने में असफलता ।	१००
४७	श्री एन० बी० चौधरी	परिवार आयोजन सम्बन्धी नीति ।	१००
४७	श्री एन० बी० चौधरी	गन्दी बस्तियों के हटाने की योजना का कार्यान्वियन ।	१००
४७	श्री एन० बी० चौधरी	डाक्टरी परीक्षण का अधिक अच्छा तरीका निकालने की आवश्यका ।	१००
४७	श्री एन० बी० चौधरी	भाग 'ग' राज्यों में ग्रामीण क्षेत्रों की जल सम्भरण योजनाओं के अन्तर्गत कम उपबन्ध ।	१००
४७	श्री एन० बी० चौधरी	केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिये चिकित्सा सुविधाओं के सुधार की आवश्यकता ।	१००
४७	श्री एन० बी० चौधरी	ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना में विलम्ब ।	१००
४७	श्री एन० बी० चौधरी	द्वितीय पंचवर्षीय योजना में ग्रामीण स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना के लिये कम उपबन्ध ।	१००
४८	डा० रामा राव	बहुत अधिक मूल्य पर प्रसिद्ध टाटा स्मारक अस्पताल को सरकार के हाथ में लेने का प्रस्ताव जब कि कैंसर के उपचार के लिये सुविधायें कम और असन्तोषजनक हैं ।	१००
४८	डा० रामा राव	आन्ध्र सरकार को कुरनूल में एक मेडिकल कालेज खोलने के लिये पर्याप्त आर्थिक सहायता देने में सरकार की असफलता ।	१००

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव	कटौती आधार	कटौती राशि (रुपयों में)
४९	श्री कामत	सामूहिक बी० सी० जी० टीका कार्यक्रम सम्बन्धी नीति का अनुमोदन	१००
४९	डा० रामा राव	जमुना के पानी को दिल्ली की गन्दगी से खराब होने से रोकने में असफलता।	१००
५०	श्री एन० बी० चौधरी	जनता को सस्ते और प्रभावपूर्ण गर्भरोधक औषधियां और उपकरण प्रयोग करने के लिये निदेश और सलाह देने में असफलता ।	१००

†**अध्यक्ष महोदय** : ये समस्त कटौती प्रस्ताव लोक-सभा के सामने हैं ।

इसके पश्चात लोक-सभा, बुधवार, ४ अप्रैल, १९५६ के साढ़े दस बजे तक के लिये स्थगित हुई ।

---

†मूल अंग्रेजी में

दैनिक संक्षेपिका

[मंगलवार, ३ अप्रैल, १९५६]

	पृष्ठ
सभा-पटल पर रखा गया पत्र ...	१७६१
दिल्ली भू-गृहादि (अधिग्रहण तथा निष्कासन) संशोधन विधेयक पर चर्चा के दौरान २९ सितम्बर, १९५१ को कतिपय आश्वासनों के सम्बन्ध में सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के विवरण की एकप्रति सभा-पटल पर रखी गई ।	
अतारांकित प्रश्न के उत्तर की शुद्धि	१७६१
१७ अगस्त, १९५५ को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या ३९० के उत्तर की शुद्धि करते हुए रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) ने एक वक्तव्य दिया ।	
अनुदानों की माँगे	...१७६२–१८१५
सिंचाई और विद्युत मंत्रालय सम्बन्धी अनुदानों की मांगों पर और आगे चर्चा जारी रही और मांगों की पूरी राशि स्वीकृत हुई । स्वास्थ्य मंत्रालय सम्बन्धी अनुदानों की मांगों पर चर्चा आरम्भ हुई । चर्चा समाप्त नहीं हुई ।	

बुधवार, ४ अप्रैल, १९५६ के लिय कार्यावली—

स्वास्थ्य मंत्रालय तथा निर्माण, आवास और सम्भरण मंत्रालय सम्बन्धी अनुदानों की मांगों पर चर्चा ।

M107LSD—5-11-57—190—GIPF